खण्ड-474, अंक-5
गुरुवार, 21 श्रावण, शक संवत् 1932
(12 अगस्त, 2010 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2010)

(खण्ड 474 में 6 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
आज की कार्य-सूची के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास (जारी)	7
प्रदेश में धर्मान्तरण से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	7
आज की कार्य-सूची के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	7
रमजान पर मुबारकवाद	7-8
प्रश्नोत्तर	8-119
आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	119-120
नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की भांति अन्य दलीय नेताओं का सम्मान किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	120-121
आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-11 के त्रुटिपूर्ण उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	121-122
आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-117 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	122
आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-12 के त्रुटिपूर्ण उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	122-123
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	123-124
जनपद कुशीनगर में खरवार जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने तथा अधिकारियों द्वारा सरकारी सुविधाओं से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
उत्तर प्रदेश में पी0जी0 कक्षाओं की सम्बद्धता दिये जाने वाले 20 डिग्री कालेज के प्राचार्यों को छठा वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
जौनपुर में विगत माह से अपराध में बढ़ोत्तरी तथा डिप्टी डायरेक्टर किरनजीत सिंह के पुलिस द्वारा बरामद लाखों के आभूषण गायब किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद कुशीनगर के बिहार सीमा से सटे भागों में खाद, बीज की तस्करी रोककर सरकार द्वारा वितरण व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126-127

विषय	पृष्ठ-संख्या
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में नियम विरुद्ध विभागीय निर्माण इकाई के नाम पर बिना टेण्डर करोड़ों रुपये का काम कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127
गोण्डा और बलरामपुर के जिला अस्पतालों में एण्टी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127-128
जनपद फतेहपुर में डी0एफ0ओ0 संजीव कुमार द्वारा हरे पेड़ों की कटान तथा अवैध कोयला भट्टी चलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	128
जनपद मऊ में बन्द पड़ी यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0 के कर्मचारियों का वी0आर0एस0 का भुगतान शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128-129
जनपद फैजाबाद की ग्राम पंचायत मड़ना में ठोकर न बनने से सरयू/घाघरा नदी की कटान से घरों एवं फसलों को बचाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद बलरामपुर में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तुलसीपुर तथा शिवपुर में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129-130
जलेसर, एटा में पेयजल टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
लखनऊ के मोहनलालगंज, गोसाईगंज, अमेठी आदि क्षेत्रों में पूर्व की भांति 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	130-131
लखनऊ के मलिहाबाद में बेता नाले पर पक्का पुल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	131
उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में अधिकारियों के रिक्त पद डी0पी0सी0 के माध्यम से भरे जाने तथा चिकित्साधिकारियों को नान प्रैक्टिस अलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131-132
उत्तर प्रदेश स्पिनिंग मिल मेजा, इलाहाबाद के कर्मचारियों का अवशेष भुगतान कर प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर अन्य उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	132-133
पूर्वांचल जिलांश की मद में धन का विभागीकरण कर पेयजल की मद में कोई आवंटन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	133-137
विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय-11 (विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमानना के प्रश्न) में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	137-138

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 में संशोधन कराकर बजट समितियां गठित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	138-139
विधान सभा के वर्तमान सत्र की अल्प अवधि के दृष्टिगत स्वीकृत प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हेतु शासन को निदेश दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	139-140
दिनांक 19 फरवरी, 2009 को नियम-51 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित सूचना का उत्तर अभी तक शासन से प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	140
उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2010 की धारा-2 के प्राविधानों और राजस्व अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना में विरोधाभास होने से उत्पन्न संवैधानिक संकट के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	141-144
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) .... (सदन के पटल पर रखा गया)	144-145
जनपद जौनपुर में पेसारा रजबहा खण्ड-23 मेहरावां हेड से मढ़ी टेल तक (दो शाखा औड़िहार व अनुआरा) तथा पलिया रजबहा में पानी की आपूर्ति (हेड से टेल तक) विषयक श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका...	145
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न	145-146
के0के0सी0 डिग्री कालेज लखनऊ में दिनांक 8 जनवरी, 2008 को हुए लाठीचार्ज के सम्बन्ध में श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2008 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ श्री ए0के0 सिंह, सी0ओ0, श्री बी0पी0 अशोक तथा अन्य पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	146-149
ऊर्जा मंत्री, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री आलोक टण्डन, श्री अरुण कुमार मुख्य अभियन्ता (तत्कालीन) एवं यू0पी0 पावर कार्पोरेशन के कतिपय अन्य अधिकारियों (जिनके नाम सूची में नहीं हैं) के विरुद्ध श्री अनिल कुमार सिंह यादव द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2009 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	149-150
ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध श्री अनिल कुमार सिंह यादव द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2009 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय...	150-151

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के विरुद्ध श्री विवेक कुमार सिंह द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2009 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	151-152
मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, बस्ती के विरुद्ध श्री दूधनाथ सिंह द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	152-153
मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, बस्ती के विरुद्ध श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	153-154
श्री राम भरोसे, पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के विरुद्ध श्रीमती सीमा द्विवेदी द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय...	154-155
सुश्री असमा माजिद, थानाध्यक्ष चमनगंज, कानपुर के विरुद्ध श्री इरफान सोलंकी द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	155-156
श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, बरेली मण्डल के विरुद्ध श्री नीरज 'कुशवाहा' मौर्य द्वारा दिनांक 16 अप्रैल, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	156-159
भाजपा सांसद श्री वरुण गांधी द्वारा भारत सरकार के खाद्य मंत्री एवं मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के विरुद्ध की गई अमर्यादित टिप्पणी के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2010 को उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	159-160
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की स्थानीय निकायों के लोक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2009-2010) का तृतीय प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)	160
उत्तर प्रदेश व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 ... (पुरःस्थापित) ...	160-161
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं.... (जारी)	161-169
जैमर व्यवस्था के बावजूद राज्यपाल दीर्घा में मोबाइल फोन का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	169-170
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं.... (जारी)	170-192

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	192
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं.... (जारी)	193-213
वेंकेटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 ... (जारी)... ...	214
विश्वविद्यालय सम्बन्धी सभी पांचों विधेयक एक साथ लिये जाने का अनुरोध ...	214
वेंकेंटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 ... (पारित)... ...	214-243
बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 ... (पारित) ...	243-263
नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 ... (पारित) ...	263-282
मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 ... (पारित)	283-301
आई0 एफ0 टी0 एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 ... (पारित) ...	301-322
व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 (पारित)	322-337
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	338-344
प्रदेश के गुर्जरों के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य की भांति उन्हें 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21 अगस्त, 2008 को श्री मदन भैया द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा (जारी)	344
वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 फरवरी, 2009 को श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (व्यपगत)	344
जनपद आगरा में आलू के प्रसंस्करण पार्क विकसित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 4 फरवरी, 2010 को डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	344
प्रदेश में बढ़ रहे कुपोषण के निराकरण हेतु एक प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 4 फरवरी, 2010 को श्री उदयभान करवरिया द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा (जारी)	344
बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टिगत रखते हुये विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि दो गुनी किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 4 फरवरी, 2010 को श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (समाप्त)... ...	345
प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश को चार भागों में, यथा इन्द्रप्रस्थ, बुन्देलखण्ड, अवध प्रान्त एवं पूर्वांचल का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (प्रस्तुत)	346

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के ग्रामीण मार्गों पर घूरे से फैलने वाली गन्दगी की समस्या के निराकरण हेतु प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में पं0 आर0 के0 शर्मा का संकल्प ... (व्यपगत)	346
प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों और गम्भीर रोगियों का इलाज सरकारी खर्च पर कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (प्रस्तुत)	346
वाराणसी दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के गंगातट के पक्के महाल के निवासियों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 (जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन) योजनान्तर्गत पेयजलापूर्ति हेतु पाइप लाइनों तथा सीवर लाइनों की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) का संकल्प ... (व्यपगत)	346
प्रदेश में लगातार घटते भू-गर्भ जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुये जल (पानी) को मौलिक अधिकार में शामिल किये जाने हेतु संविधान में यथावश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प ... (प्रस्तुत)	347
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	347-349
जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार में मुन्सिफ न्यायालय परिसर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	350-351
जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत नहरों को पूरी क्षमता से न चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	351-353
जनपद उन्नाव एवं सिद्धार्थनगर के विद्युत उपभोक्ताओं से शहरी क्षेत्र के समान बिलों का भुगतान लिये जाने एवं विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री उदयराज आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	353-354
जनपद मथुरा की तहसील महावन स्थित चिन्ताहरण महादेव मन्दिर की चहारदीवारी के निर्माण हेतु जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य	354-355
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी0 पी0 एल0 परिवारों को गेहूं भेजने से पहले गुणवत्ता परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	355-356

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद बहराइच स्थित परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों में नवनियुक्त अध्यापकों के स्थानान्तरण में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...		356-358
जनपद इलाहाबाद स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-96 पर तेलियरगंज एवं फाफामऊ के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	358-359
नत्थियां ...	...	...	...	360-378

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 12 अगस्त, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-337

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अजय तोमर, डा0 — बागपत
5. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
6. अजय यादव, श्री — एटा
7. अजय सिंह, श्री — जालौन
8. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
9. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
12. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
13. अनिल चौधरी, डा0 हाथरस (महामायानगर)
14. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
19. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
20. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
21. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
22. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
23. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
24. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
25. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
26. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
27. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
28. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
29. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
30. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
31. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
32. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
34. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
35. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
36. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
37. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
38. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
39. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
40. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
41. आर0ए0 उस्मानी (डा0), श्री — लखीमपुर खीरी
42. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
43. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
44. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
45. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
46. आसिफ, श्री — हरदोई
47. इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
48. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
49. इमरान महसूद, श्री — सहारनपुर
50. इरफान सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
51. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
52. उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद

53. उदयराज, श्री उन्नाव
54. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
55. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
56. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
57. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
58. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
59. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
60. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
61. कुवेर सिंह, श्री एटा
62. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
63. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
64. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
65. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
66. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
67. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
68. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
69. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
70. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
71. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
72. कैलाश साहू, श्री झांसी
73. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
74. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
75. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
76. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
77. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
78. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
79. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
80. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
81. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
82. घूराराम, श्री बलिया
83. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
84. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
85. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
86. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
87. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
88. छोटे सिंह, श्री जालौन
89. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
90. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
91. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
92. जगपाल, श्री सहारनपुर
93. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
94. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
95. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
96. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
97. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
98. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
99. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
100. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
101. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
102. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
103. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
104. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
105. ददूद प्रसाद, श्री चित्रकूट
106. दयाराम, श्री कौशाम्बी
107. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
108. दाउद अहमद, श्री हरदोई
109. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
110. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
111. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
112. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झांसी
113. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़

114. दूधराम, श्री बस्ती
115. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
116. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
117. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
118. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
119. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
120. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
121. धू राम लोधी, चौधरी, श्री हमीरपुर
122. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
123. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
124. नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रुखाबाद
125. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
126. नारायण सिंह, श्री आगरा
127. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
128. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
129. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
130. पंकज कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
131. पशुपति, श्री गाजीपुर
132. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
133. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
134. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
135. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
136. प्रजापालन, श्री एटा
137. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
138. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
139. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
140. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
141. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
142. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
143. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
144. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
145. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
146. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
147. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
148. फागू चौहान, श्री मऊ
149. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
150. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
151. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
152. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
153. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
154. बिरजू राम, श्री जौनपुर
155. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
156. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
157. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
158. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
159. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
160. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
161. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
162. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
163. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
164. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
165. मंजू, श्रीमती बलिया
166. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
167. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
168. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
169. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
170. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
171. ममतेश शाक्य, श्री एटा
172. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
173. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
174. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
175. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
176. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
177. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
178. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
179. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
180. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
181. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
182. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात

183. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
184. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
185. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
186. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
187. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
188. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
189. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
190. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
191. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
192. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
193. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
194. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
195. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
196. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
197. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', कुं0 प्रतापगढ़
198. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
199. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
200. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
201. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
202. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
203. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
204. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
205. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
206. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
207. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
208. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
209. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
210. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
211. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
212. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
213. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
214. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
215. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
216. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
217. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
218. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
219. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
220. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
221. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
222. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
223. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
224. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
225. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
226. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
227. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
228. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
229. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
230. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
231. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
232. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
233. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
234. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
235. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
236. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
237. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
238. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
239. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
240. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
241. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
242. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
243. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
244. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
245. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
246. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
247. रामहेत भारती, श्री सीतापुर

248. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
249. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
250. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
251. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
252. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
253. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
254. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
255. वारिस अली, श्री बहराइच
256. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
257. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
258. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
259. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
260. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
261. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
262. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
263. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
264. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
265. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
266. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
267. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
268. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
269. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
270. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
271. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
272. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
273. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
274. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
275. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
276. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
277. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
278. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
279. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
280. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
281. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
282. शिवशंकर, श्री बलिया
283. शीशराम, श्री बिजनौर
284. शेख नसीरुद्दीन सिद्दकी,श्री फिरोजाबाद
285. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
286. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
287. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
288. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
289. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
290. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
291. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
292. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
293. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
294. संजय कपूर, श्री रामपुर
295. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
296. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'', श्री कानपुर नगर
297. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
298. संध्या, कुमारी मैनपुरी
299. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
300. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
301. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
302. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
303. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
304. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
305. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
306. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
307. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
308. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
309. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
310. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
311. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
312. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
313. सुखलाल, श्री पीलीभीत
314. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
315. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
316. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर

317. सुभाष, श्री बलिया
318. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
319. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
320. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
321. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
322. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
323. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
324. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
325. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
326. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
327. सुल्तान बेग, श्री बरेली
328. सुशील कुमार, श्री चन्दौली
329. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
330. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
331. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
332. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
333. सोबरन सिंह, श्री मैनपुरी
334. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
335. हरपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
336. हसरत उल्ला, श्री एटा
337. होराम सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
338. रिक्त चन्दौली
339. रिक्त एटा
340. रिक्त लखीमपुर खीरी

नोटः-लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

आज की कार्य-सूची के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, चूंकि यह प्रश्नकाल से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

बाद में कह लीजिएगा, पहले प्रश्न हो जाने दें।

प्रदेश में धर्मान्तरण से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश भर में धर्मान्तरण हो रहा है, गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठाकर, गरीबों को गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ऐसा बहराइच में भी हुआ है इसलिए इस मामले को मैंने नियम-311 में दिया है।

श्री अध्यक्ष-

उसे सुनने के लिए मैंने उसका चयन कर लिया है और उसे नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है, इसलिए कृपया बैठ जायें।

आज की कार्य-सूची के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0-2 से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास (क्रमागत)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, जो अल्पसूचित तारांकित का दूसरा प्रश्न है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न भी इसी से सम्बन्धित है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नियमावली में व्यवस्था है कि प्रश्नों के समय में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न, इसी प्रश्न से सम्बन्धित है जो सामने है। सदन का विषय है इसलिए तुरन्त उठाया जा सकता है, इसे आप भी जान रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं।

रमजान पर मुबारकबाद

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आज से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, अगर आपकी तरफ से मुसलमान भाइयों के लिए मुबारकबाद आ जाये तो यह अच्छी बात होगी और आप ही रोजा अफ्तार की तारीख बता दें तो हम लोग भी पहुंच जायेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, यह कल के बहिष्कार का और वेल में जाने का असर है।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, ग्राम विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, उन्होंने तो अपना काम कर लिया है, आप मत चक्कर में पड़िये।

श्री अध्यक्ष-

हमारा तो रमजान पर पूरी तरह से मुबारकवाद है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार चतुर्थ क्षेणी कर्मचारियों को ग्रेड पे व वेतन बैण्ड केन्द्रीय कर्मचारियों के अनुसार दिये जाने की मांग

**1-श्री चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छठे वेतनमान में ''पे बैंड-1'' में शामिल करते हुये रु0 5200-20200 का वेतनमान दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार भी प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 'पे बैंड-1'' में शामिल करते हुये रु0 5200-20200 का वेतनमान दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रु0 7000/- मूल वेतन के साथ रु0 1800/- का ग्रेड वेतन भी दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

केन्द्र सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन समूह 'ग' में उच्चीकृत करते हुए वेतन बेण्ड-1 (रु0 5200-20200) तथा ग्रेड वेतन रु0 1800 अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमानों/भत्तों के पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति (2008) का गठन किया गया है। वेतन समिति द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां सामान्य कोटि के पदों के साथ राज्य सरकार को सौंपी गयी है। राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति की संस्तुतियों पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

चौ0 रविन्द्र प्रताप-

मान्यवर, हमने छठे वेतन आयोग के बारे में प्रश्न किया था कि क्या यह सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी पे-बैण्ड वेतन लागू करेगी ? इसमें जवाब में आया कि राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति की संस्तुति पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। यह निर्णय कब तक लिया जायेगा ? क्या उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के आधार पर वेतनमान देगी या नहीं देगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, छठां वेतन आयोग सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू हो गया है। सवाल है कि जो पद के अनुसार पद की समकक्षता थी उसके सम्बन्ध में वेतन समिति ने अपनी संस्तुति की है और उस संस्तुति पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा। यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सबके बारे में निर्णय लेने में विलम्ब नहीं हुआ लेकिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो सबसे गरीब हैं, सबसे कमजोर तबके के हैं, सबसे ज्यादा सेवा करते हैं, उनके बारे में निर्णय लिया जाना है। साल भर से ज्यादा समय बीत गया और उत्तर प्रदेश में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में क्या कोई निश्चित तिथि आप बतायेंगे कि एक माह के अन्दर निर्णय ले लेंगें अन्यथा आपकी नीति यह है कि जो सबसे कमजोर, सबसे दबा हुआ और समाज का सबसे कमजोर हिस्सा है, उसको आप नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम जितने विज्ञापन लगा रखे है आपने, उनको उतरवा लीजिए कि आप कमजोर तबके को देना चाहते हैं। आपने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी को दे दिया, चतुर्थ श्रेणी जो सबसे कमजोर है उसको आपने नहीं दिया तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी एक माह के अन्दर निर्णय ले करके सदन को सूचित करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मैंने पहले ही बता दिया कि छठे वेतन आयोग का लाभ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी दिया जा चुका है। जो उनको ग्रेड वेतन था उसके सापेक्ष, पद से पद के अनुसार समकक्षता का सिद्धान्त है उसके आधार पर अभी बहुंत से विभाग के तमाम तरह के कर्मचारियों के बारे में निर्णय लिया जाना है और मैंने पहले बताया कि वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। समान्य कोटि के पदों के साथ चतुर्थ श्रेणी के सम्बन्ध में भी और यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा तथा कमजोर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के संदर्भ में मा0 वित्त मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन समूह 'ग' में उच्चीकृत करते हुए वेतन बैण्ड-1 तथा ग्रेड वेतन रु0 1800 अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह कौन सी शर्तें और प्रतिबंध है जिनके अधीन केन्द्र सरकार ने अपने यहां निर्णय लिया है और आपको उसके अनुरूप निर्णय लेना है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह विस्तार से है जिससे उन्होंने निर्णय लिया है कि उनको ट्रेण्ड किया जायेगा। मैं पढ़ दे रहा हूं। यह शर्त है कि उनको प्रशिक्षित किया जायेगा और दूसरे चतुर्थ श्रेणी में ज्यादातर आउट सोर्सिंग से काम कराया जायेगा, इस तरह से कई प्रतिबंध लगाये हैं कि कोई नई भर्ती न की जाए वगैरह, वगैरह।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो कई वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत है क्या उन्हें भी रेगुलर करते हुए छठे वेतन आयोग का लाभ देंगें ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो प्रश्न से हटकर है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वेतन समिति द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्या संस्तुति दी गयी है, अगर उसको सारांश में बता सकें तो मैं बड़ा आभारी हूंगा।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, अब सारांश में क्या बता पायेगें ?

श्री प्रमोद तिवारी-

दो या तीन मुद्दे बता दें, क्या वेतन समिति ने इनको दिये जाने की संस्तुति की है या नहीं ? अब तो बड़ा स्पैसिफिक सवाल हो गया है।

श्री लालजी वर्मा-

संस्तुति अलग किया है और जो संस्तुति की है उस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

संस्तुतियों के आधार पर आपने कहा है कि निर्णय लिया जायेगा, इसका कोई समयबद्ध कार्यक्रम है कि आप कब तक निर्णय ले लेंगें ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने अतिशीघ्र कहा है उससे ज्यादा क्या होगा ?

श्री प्रमोद तिवारी-

सरकार की नीयत कमजोर तबके लिए, समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए जो कमजोर तबका है, के प्रति बहुत खराब है इनकी नीयत भी खराब है और नीति भी खराब है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी ने अपने दल के सदयों के साथ सदन का त्याग किया)

प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई की रोकथाम हेतु सरकार की नीति

**2-श्री जोखूलाल यादव, श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल तथा श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

इस सम्बन्ध में कार्य योजना पहले से ही विद्यमान है। प्रदेश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :--

1-आदेश दिनांक 25-06-08 द्वारा आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति तथा उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

2-जमाखोरी एवं मूल्य वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से चावल, दालें, खाद्य तिलहन एवं खाद्य तेल पर स्टाक लिमिट लगायी गयी है। चीनी पर भी दिनांक 30-09-10 तक के लिए स्टाक लिमिट लागू है।

3-शासनादेश दिनांक 01-01-09, 14-07-09, 21-07-09, 11-11-09 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से थोक व्यापारियों के साथ वार्ता करने एवं आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव को रोके जाने के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

4-शासन के पत्र दिनांक 18-07-09 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों को भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

5-आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से आयुक्त, खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर समीक्षा कर समुचित कार्यवाही की जाती है।

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 22-12-2009 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, कि मण्डलायुक्त अपने मण्डल तथा जिलाधिकारी अपने जनपदों एवं एस0डी0एम0 अपनी तहसीलों में प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं फुटकर भावों का विश्लेषण एवं समीक्षा करेंगे तथा आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापारियों तथा फुटकर व्यापारियों के साथ-साथ व्यापार मण्डल के प्रतिनिधिगण से निरन्तर वार्ता कर आवश्यक वस्तुओं को उचित दर पर जनसामान्य को उपलब्ध करायेंगे।

शासन के आदेश दिनांक 01-02-2010 के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु जिला स्तर के साथ-साथ तहसील स्तर पर भी आकस्मिक निरीक्षण करके खाद्य पदार्थो की कीमतों का आंकलन कर जमाखोरी में लिप्त पाये गये लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर सख्ती से कार्यवही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

6-इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मध्यम से सस्ती दरों पर आयातित दालें वितरित की गयी तथा माह जनवरी, 2010 से पीली मटर दाल भी रु0 15.50 प्रति कि0ग्रा0 की दर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोखूलाल यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है यह पूरे प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की ज्वलंत समस्या है। पूरे प्रदेश की 20 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रदेश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मैं इस पर व्यवस्था के तहत मार्गदर्शन भी चाहूंगा कि जब मैंने महंगाई पर सवाल लगाया था तो मैंने प्रश्न अनुभाग को जब प्रश्न दिया था तो मैंने उसे मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित करके दिया था जो हमें एजेण्डा मिला है उसमें खाद्य एवं रसद मंत्री के नाम से यह छपा हुआ है मैं इस पर ज्ञानवर्धन चाहूंगा कि हमारे मूल प्रश्न के स्वरूप को क्यों बिगाड़ा गया है इसमें क्या व्यवस्था है मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों के संदर्भ में उसकी भाषा, क्रमों का निर्धारण या कहीं कोई इस तरह के शब्द हों उसमें हमें अधिकार है कि हम कहां-कहां संशोधन कर सकते है प्रश्नों की मंशा के अनुरूप यह परीक्षण तो हम करते हैं, अब हमारे अधिकार के बारे में आप जानना चाहते हैं ?

श्री जोखूलाल यादव-

जी मान्यवर, अपनी जानकारी के लिये, ज्ञानवर्धन के लिये जानना चाहते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सवाल किया था कि क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी नीति बनायी गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ? मान्यवर, जवाब में आया है कि इस सम्बम्ध में कार्य योजना पहले से ही विद्यमान है और माननीय मंत्री जी का दो पृष्ठों का इस पर जवाब है उसको उन्होंने पढ़कर सदन में सुनाया, मैं उसमें समय जाया नहीं करूंगा लेकिन यह पूरे प्रदेश की ज्वलंत समस्या है, प्रदेश की 20 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह पूरे देश की समस्या है, हम प्रदेश की विधान सभा में बैठे हैं इसलिये प्रदेश को सर्वोपरि करके कह रहे हैं। देश तो सर्वोपरि है ही। प्रदेश के सामान्य लोगों के जन जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने जो नीति बनाई है, नीति है लेकिन उस नीति का प्रभाव यह है कि बढ़ती हुई महंगाई पर रोक नहीं लग पा रही है। चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रदेश की आम जनता को आज दाल रोटी खाने को नहीं मिल पा रही है।

श्री अध्यक्ष-

जोखू लाल जी, अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री जोखूलाल यादव-

जी मान्यवर, जवाब में आया है कि इन्होंने पीली मटर की दाल 15 रुपये किलो में मुहैया कराई है। अरहर की दाल बता दें कि कहां पर कराई है ? मान्यवर, आज भी अरहर की दाल 80 रुपये मिल रही है। चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य हों महंगाई सबके लिये हैं। हां, यह अलग बात है कि सत्ता पक्ष में महंगाई की मार कम है और इनको सब्सिडी भी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक प्रश्न करिये और भी सदस्य प्रश्न करेंगे।

श्री जोखूलाल यादव-

जी मान्यवर, कर रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह कोई भाषण थोड़ी हो रहा है, अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री जोखूलाल यादव-

जी मान्यवर, कर रहा हूं। मैं सीधे प्रश्न कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने इन जमाखोरों के खिलाफ कितने छापे डाले ? कितने लोगों को गिरफ्तार किया ? कितने लोगों को जेल भेजा ? और अगर यह नीति प्रभावी नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी प्रभावी नीति बनाने पर विचार करेंगें जिससे आने वाले दिनों में महंगाई पर रोक लगाई जा सके।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मैंने पहले कहा कि इस तरह के शासनादेश जारी किये गये हैं जो हमने पढ़कर सुनाया। माननीय सदस्य जी ने जानना चाहा है तो बता रहा हूं कि अप्रैल, 2010 में 3191 छापे मारे गये, 96 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मई, 2010 में 3345 छापे मारे गये, 204 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई और 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जून, 2010 में 3531 छापे मारे गये, 202 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, 46 गिरफ्तार किये गये। जुलाई, 2010 में 3493 छापे मारे गये, 110 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई और 49 लोग गिरफ्तार किये गये। दो बड़ी कार्यवाही मान्यवर, जनपद गाजियाबाद में 19-1-10 बैजनाथ शुगर मिल में केन्द्रीय उत्पाद एवं गन्ना विभाग द्वारा छापा मारा गया जिसमें लगभग 1 लाख 20 हजार क्विंटल चीनी बरामद की गई। मिल स्वामी श्री गुरमीत सिंह मान, डा0 जी0एस0 सिंह राव, डायरेक्टर श्री नवीन त्यागी अध्यासी एवं श्री अरुण शर्मा प्रबन्धक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 155 की धारा 3/7 एक्साइज अधिनियम की धारा 409, 418 और उत्तर प्रदेश शीरा अधिनियम की धारा। दूसरी बड़ी घटना मान्यवर, जो छापा मारा गया जनपद हरदोई में 21-1-10 को लखनऊ रोड स्थित लक्ष्मण बाबा फ्लोर मिल में छापा मारा गया और 4195 क्विंटल चीनी बरामद हुई और श्री वैभव गोयल एवं श्री शिवचरन गोयल के विरुद्ध 3/7 की एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने 4 माह के छापे की जो कार्यवाही बताई 3031 सौ छापे प्रतिमाह मारे गये और जो गिरफ्तार हुई मात्र किसी माह में 50 बताई किसी में 100 लोगों की बताई जो दो बड़े छापे माननीय मंत्री जी ने बताये, दो बड़े छापे गाजियाबाद और हरदोई में मारे गये बताया, जहां चीनी बरामदगी बहुत बड़ी मात्रा में हुई, तमाम लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी होने का काम हुआ या नहीं यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

श्रीमन्, यह लोकतंत्र है और हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है।

श्री अध्यक्ष-

एफ0आई0आर0 हो गई है हाईकोर्ट से स्टे लिया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से सीधे-सीधे सवाल करना चाहता हूं दाल का दाम थोक में 5700 रुपये कुन्तल है और फुटकर में 6900 सौ रुपये कुन्तल है। एक खुदरा व्यवसायी एक किलो दाल पर 12 रुपया कमाता है 57 रुपये की खरीद कर। चीनी का दाम थोक में 2725 रुपये है और फुटकर में 2500 रुपये, उस पर एक खुदरा व्यवसायी पौने सात रुपये कमाता है। गेहूं का दाम औसतन 1200 मान लीजिए और विक्रेता का मूल्य 1600-1700 है अर्थात् 500/-रुपये कुन्तल, चावल मोटा अगर...

श्री अध्यक्ष-

आपने तो सीधे-सीधे सवाल की जगह टेढ़ा-टेढ़ा सवाल कर दिया।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं यह जो थोक व्यवसायी का दाम है, दाम थोक व्यवसायी से उपभोक्ता तक पहुंचने में सीधे-सीधे 40 परसेन्ट बढ़ जा रहा है माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह फुटकर व्यवसायी यह जो नकली चीजों को महंगा कर रहे हैं सस्ते में खरीदने के बावजूद इन फुटकर व्यवसायियों के दाम पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने अब क्या वास्तविक रूप से कार्यवाही की है ? वायदा कारोबार, मैं जानता हूं सरकार क्या जवाब देगी, लेकिन जबसे वायदा करोबार शुरू हुआ है महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है क्योंकि कोई सामान खरीदना नहीं, बेचना नहीं, सब कागज पर हो रहा है और बहुत कम मूल्य पर हो रहा है दाम बढ़ जा रहे हैं, क्या प्रदेश सरकार यह महसूस करती है कम से कम जीन्स खाद्यान्न के बारे में वायदा कारोबार पर रोक लगाई जानी चाहिए। आप लगा सकते हैं या नहीं, लेकिन आप केन्द्र सरकार को रिकमण्ड कर सकते हैं कि महंगाई का यह प्रमुख कारण है तीसरा बहुत छोटा सा सवाल है इसलिए मैं इस बात को कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को लिखा था यह एक विभाग को रिफर हो गया अब यह जवाब कैसे आएगा। गेहूं, दाल और धान इन पर जो हम लोग उत्तर प्रदेश में वैट लगाते हैं यह दाल पर तो एक परसेन्ट है लेकिन गेहूं और धान पर साढ़े चार परसेन्ट है और जो मण्डी शुल्क आता है वह सब जानते हैं ढाई परसेन्ट के आस-पास होता है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार महंगाई को देखते हुए अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करेंगे। फुटकर व्यवसायी जो दाम को महंगा कर रहे हैं वायदा कारोबार और तीसरा अगर वैट का दाम अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अपने प्रदेश में अधिक हो, सरकार तुलनात्मक अध्ययन करा लें तो क्या सरकार इसको अन्य प्रदेशों के बराबर लाने का काम करेगी ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक थोक और फुटकर का सवाल है नौ से ग्यारह परसेन्ट तक अन्तर है। कोशिश की जा रही है हर महीने विभाग की समीक्षा की जाती है और पिछले वर्ष और इस वर्ष थोक और फुटकर में अन्तर हुआ है। जहां तक वैट का सवाल है कल भी एक मामला उठा था डीजल और पेट्रोल के सवाल पर, यह वाणिज्य कर मंत्री का मामला है। यह नीतिगत मामला है यह इससे जुड़ा नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि 10 से 12 परसेन्ट तक महंगा है मैंने आपको दाम बता दिये यह करीब 30 प्रतिशत महंगे हैं तो क्या यह माना जाए कि मंत्री जी जितने गम्भीरता से इसको लेना चाहिए जितने निष्ठाभाव से इन चीजों के बारे में पता करके इन पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए उसमें सरकार ने कोताही बरती है। अगर आप कहते हैं 12 परसेन्ट है तो आप दाम बता दें मैं आपको दाम बता रहा हूं।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, इस समय अच्छी वाली उत्तम दाल का दाम 69 रुपया और मध्यम 65 रुपये है। मोटा चावल 14 रुपये में है और महीन चावल 18 रुपये में है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कल अतारांकित प्रश्न संख्या-20 पर मेरा प्रश्न लगा था, उसका जो जवाब था, पूरा का पूरा वही जवाब आया है। मा0 मंत्री जी ने पूरा जवाब वहीं पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष-

इसी प्रश्न से सम्बन्धित था ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

जब यही प्रश्न था तो शेष उत्तर आयेगा ही।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, खन्ना जी पीछे भाग रहे हैं, कल वाले में अनुपूरक कहां से होगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, डीजल पर उत्तर प्रदेश में 17.23 प्रतिशत कर लगा है।

श्री अध्यक्ष-

यह डीजल कहां से आ गया ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं महंगाई के बारे में अनुपूरक कर रहा हूं। केवल एक सवाल मेरा है, डीजल की महंगाई ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करती है, कृषि को प्रभावित करती है, उद्योग को प्रभावित करती है। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस प्रश्न से सम्बन्धित यह अनुपूरक नहीं है। आप इसके लिए अवसर न दें।

श्री अध्यक्ष-

आप इस प्रश्न से सम्बन्धित अनुपूरक करिए, आप तो विद्वान हैं, तुरन्त अनुपूरक बना लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि यह जो 17.23 प्रतिशत का कर लगा है, उस पर सरकार कुछ राहत देगी ? यदि डीजल की महंगाई कुछ कम कर दें तो कृषि, उद्योग और परिवहन इन तीनों पर महंगाई कम हो जायेगी। मान्यवर, यह सीधा-सीधा सवाल है कि डीजल पर जो 17.23 परसेण्ट का कर लगाया गया है, सरकार उसके कम करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, डीजल पर कर कम करने का आपने सुझाव दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें डीजल की बात कहां से आ गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने यह प्रश्न मा0 मुख्य मंत्री जी से पूछा था। महंगाई केवल खाद्य विभाग से सम्बन्धित कारणों से नहीं पूछा था, महंगाई के समस्त कारण जो कई विभागों से जुड़े हैं, इसीलिए उन्होंने मा0 मुख्य मंत्री जी से पूछा था लेकिन आपने इसे खाद्य विभाग की तरफ इंगित कर दिया कि इस पर खाद्य विभाग जवाब देगा। लेकिन मान्यवर, इससे मंशा तो पूरी नहीं होती। महंगाई जिन कारणों से है, वह सब विभाग जवाब दें, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाई। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इसको स्थगित कर दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जैसी व्यवस्था है कि जो प्रश्न कई विभागों से सम्बन्धित होगा, वह ग्राह्य हो ही नहीं सकता, इसलिए यह प्रश्न तो निरस्त करने योग्य है।

श्री अध्यक्ष-

यदि कई विभागों से सम्बन्धित है तो प्रश्न नहीं बनेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जो बात आप कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। मैंने कई संसदीय कार्य मंत्री जीवन में देखे हैं, इससे पहली वाली सरकार में भी देखा है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री अध्यक्ष को जितना हर विषय में हस्तक्षेप करते हैं, इससे पहले मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा है। यह मर्यादा के विपरीत है। आप सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि यह नहीं सुना जायेगा। यह संसदीय परम्परा नहीं है। जब आप ध्यान से सुन रहे हैं इसका मतलब है कि आप उसको अनुमति दे रहे हैं। मान्यवर, मैं आप पर ही छोड़ रहा हूं, महंगाई के विषय में यह सदन जानना चाहता है, केवल खाद्य के बारे में प्रश्न नहीं किया गया है, लेकिन खाद्य विभाग से सम्बन्धित जो महंगाई के विषय है, उसका उत्तर आप दिलवा रहे हैं, क्या यह पूर्ण उत्तर है, इसका

मान्यवर, आप स्वयं निर्णय कर लें। अगर पूर्ण उत्तर नहीं है तो आप पूर्ण उत्तर दिलवाने की कृपा करें। यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न देख लें। प्रश्न यह है कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी नीति बनाई जाएगी ? इन्होंने कहा है कि हां प्रभावी नीति विद्यमान है। उसका उल्लेख कर दिया तो प्रश्न के सापेक्ष जितना आपने प्रश्न किया है उसको सापेक्ष उत्तर तो आया है।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

महाना साहब, अभी जैसे श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा कि हर विभाग से जैसे डीजल, पेट्रोल या मिट्टी का तेल सब इसमें कवर करता है। इस तरह से सही नहीं है। एक स्पेसिफिक प्रश्न है कि महंगाई की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कोई प्रभावी नीति बनायी गयी है। इस नीति के सम्बन्ध में श्री जोखूलाल यादव जी ने सही पूछा कि अगर यह नीति प्रभावी नहीं है तो क्या कोई नीति बनायेंगे और इस नीति में कितनी सफलता असफलता मिली, वह तो प्रश्न के सापेक्ष सही है। लेकिन आप अब पूछ रहे हैं इसमें सब कुछ आधार है तो वह डीजल है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजल पर जो 17.23 प्रतिशत टैक्स लगाया है उसी से सारी महंगाई बढ़ी है तो क्या सरकार उसको कम करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह उत्तर में कहां लिखा है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह उत्तर में कहीं नहीं है। मान्यवर, महंगाई केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। महंगाई पूरे देश की समस्या है चाहे वह कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, महंगाई हर जगह की समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

एक नीति पूछी वह बता दी गयी। इस प्रश्न के सापेक्ष कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप उसी डीजल में फंसे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, क्या उत्तर प्रदेश सरकार जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उस पर से टैक्स घटाने पर विचार करेगी। अगर महंगाई का सवाल केन्द्र सरकार से है तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार टैक्स कम कर दे तो महंगाई का बोझ कम हो जाएगा। केन्द्र ने दिल्ली की सरकार को निर्देश दिया, दिल्ली की सरकार ने ढाई रुपये लीटर डीजल के दाम कम कर दिये। आज उत्तर प्रदेश में ढाई रुपये लीटर डीजल महंगा है, दिल्ली में ढाई रुपये लीटर सस्ता है।

कृषि, आबकारी, लोक निर्माण मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, दूसरे राज्यों का यहां पर हवाला देना सही नहीं है। यह नहीं बता रहे हैं दिल्ली में बढ़ाया कितना था और घटाया कितना था। तो मान्यवर, दूसरे प्रान्तों का यहां पर हवाला देना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

दिल्ली, मध्य प्रदेश की बात नहीं करें बल्कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, क्या सरकार खाद्य पदार्थों पर से टैक्स घटाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

केवल एक प्रश्न पर आधा घण्टा ले लिया। आगे और प्रश्न है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, यह आम लोगों के, गरीब लोगों के पेट से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं आपका पेट ठीक है। आप बैठें।

(हंसी)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया मैं अपने आपको वहीं तक सीमित करके एक अनुपूरक करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जो खाद्य पदार्थ हैं उसके ऊपर वैट कम कर दें, मैंने डीजल और पेट्रोल के बारे में नहीं पूछा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस समय यहां पर कोई भी सम्मानित मंत्री जी जवाब देते हैं तो सामूहिक मंत्रि-परिषद् की तरफ से दिया जाता है। मंत्रि-परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। कोई भी एक मा0 मंत्री जवाब दे तो सबकी जिम्मेदारी होती है। अब मान्यवर, हर विषय में, हर विभाग में, किसी न किसी विभाग के साथ तो होता ही है, जैसे हम कहते हैं कि लॉ-एण्ड आर्डर की पोजीशन सही नहीं है वहां पर बत्ती नहीं आ रही है, अगर बिजली नहीं आ रही है तो वहां पर पुलिस वाले आते हैं। तब आप अगर यह कहेंगे कि हमसे मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब है आपका। जिस समय खाद्य एवं रसद, जिसके ऊपर अभी जवाब दिया गया है कि उसके ऊपर वैट लगाने में आपसे मतलब नहीं है, वह वाणिज्य कर मंत्री से मतलब है, यह जवाब का उत्तर नहीं है। जिस समय आपके विभाग से सम्बन्धित किसी भी वस्तु पर टैक्स लगेगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी सम्बन्धित मा0 मंत्री हों या आदरणीय मुख्य मंत्री हों तो उनसे मार्गदर्शन लेकर आप जवाब दें। जो प्रश्न मा0 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने किया कि क्या खाद्य वस्तुओं के ऊपर जो अन्य प्रदेशों से अधिक टैक्स है, उसको कम करने पर आप विचार करेंगे ? इसका जवाब आपको देना है। यही प्रश्न मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यही प्रश्न तो पूछ रहे थे खन्ना साहब। इसमें तमाम ऐसे विभाग हैं जिनका टैक्स कहीं भारत सरकार से, कहीं प्रदेश सरकारों से है। अब ये अकेले सभी विभागों का निर्णय कैसे ले लेंगे। ये कैसे कम या ज्यादा करेंगे।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, यही क्वेश्चन किया गया था और मैंने कहा था कि यह नीतिगत मामला है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अगर यह नीतिगत प्रश्न है तो इस नीतिगत प्रश्न का उत्तर कौन देगा। आप एक बार बता दें, हमारे अधिकारी का संरक्षण करें। मा0 मंत्री जी ने दो बार कहा है कि नीतिगत प्रश्न है तो नीतिगत प्रश्न का उत्तर कौन देगा ?

श्री अध्यक्ष-

वैट के सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि अलग विभाग है, उसकी पालिसी तय होगी कि हम करेंगे या ज्यादा करेंगे।

श्रीमती मिथिलेश पाल-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, मैं आपकी आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहती हूं और मेरा क्वेश्चन है कि क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुयी महंगाई को रोकने के लिये सरकार ने कोई ठोस कदम उठाये हैं। मा0 मंत्री जी के जवाब में आया है कि सरकार ने जगह-जगह छापे डाले हैं और थोक विक्रेताओं पर कर आदि की नीति निर्धारित की है। लेकिन मा0 मंत्री जी मैं एक बात कहना चाहती हूं कि हम सब यहां सदन में बैठे हैं, हम लोग सक्षम हैं और इसके अलावा जो पूंजीपति लोग हैं, वे सक्षम हैं और दाल आटे का भाव बर्दाश्त कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं लेकिन यह गरीब जनता के पेट का सवाल है। हमने यह जो क्वेश्चन लगाया है, यह गरीब जनता की आवाज को उठाने के लिये उठाया है और हम अपील करते हैं कि प्रदेश सरकार कोई ऐसी नीति बनाये, जवाब में आपके आ ही गया है कि सरकार ने छापे डाले हैं और ठोस नीति निर्धारित किया है लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। अभी हमारे मंत्री जी ने बताया है कि मटर, जो पीली मटर होती है, उसका 20 से 25 रुपये किलो का भाव है लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे जिला मुजफ्फरनगर में पीली मटर को लेकर उसे सफेद मटर बनाया जा रहा है, यानी कि लोगों को जहर खिलाया जा रहा है और उसको छोटी-छोटी पन्नियों में पैकिंग करके बेचा जा रहा है। मा0 मंत्री जी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसके लिये भी ठोस कदम उठायेंगे और दाल-आटे पर जो इतनी महंगाई है, उसको रोकने के लिये आप कोई ऐसी ठोस नीति अपनायेंगे जिससे गरीब लोगों को भरपेट खाना मिल सके और कब तक आप इस चीज को निर्धारित करेंगे ? यही मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 पाल जी, आपने सही सुझाव दिया है क्योंकि इसकी जरूरत तो आप ही महसूस करती हैं, ये लोग क्या जानें।

(सदन में जोर की हंसी)

श्रीमती मिथिलेश पाल-

मान्यवर, मैंने ठोस नीति के लिये भी आपसे निवेदन किया है, गुजारिश की है कि आप कोई ठोस नीति बनायेंगे और कैसे क्या करेंगे, ये मुझे मा0 मंत्री जी बतायें ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, महंगाई आज एक बड़ी समस्या है और पूरा भारत इस बारे में चिन्तित है। मान्यवर, बार-बार प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इस बारे में बैठकों के माध्यम से भी, जब-जब बैठकें हुईं, उसमें अपने सुझाव दिये हैं। लेकिन यह महंगाई केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते हैं। मान्यवर, यह प्रदेश सरकार के कारण नहीं है, यह केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण हैं, अगर प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण होता तो मान्यवर, केवल उत्तर प्रदेश में महंगाई होती, आज पूरे देश में महंगाई है और वह भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा महंगाई अन्य प्रदेशों में है, तो मान्यवर, निश्चित रूप से केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते यह महंगाई है और केन्द्र सरकार से बार-बार इस महंगाई पर रोक लगाने के लिए आग्रह किया गया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी पत्र व्यवहार करने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हो गया। अब प्रश्न संख्या-2 पर बढ़े, एक प्रश्न पर ही एक घण्टा लग गया।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

इस सरकार की सभी कार्यवाहियां निष्फल हुई हैं। यह सरकार अपने हिस्से की महंगाई रोकने में असफल है। सरकार सभी प्रश्नों का उत्तर गुमराह करके दे रही है, इसके विरोध में हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ नारेबाजी करते हुए सदन का त्याग किया)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के कृषकों को कृषि कार्य करते समय मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को आर्थिक अनुदान दिये जाने की मांग

*1-श्री जोखूलाल यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के किसानों की कृषि कार्य करते हुए अचानक मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को जीवन-यापन हेतु पूर्ववर्ती सरकार की भांति आर्थिक अनुदान की धनराशि एक लाख रुपये न्यूनतम देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

प्रदेश के समस्त खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2004 से शुरू की गयी, जो वर्तमान में लागू है। इसके अन्तर्गत कृषकों को किसी दुर्घटना के

कारण अप्राकृतिक मृत्यु होने तथा पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर रुपये एक लाख की सहायता एवं आंशिक शारीरिक क्षति होने पर रुपये पचास हजार की सहायता दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोखूलाल यादव-

मान्यवर, यह हमारा किसानों से जुड़ा हुआ सवाल था। मैंने मा0 मंत्री जी से जानना चाहा था कि क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के किसानों की कृषि कार्य करते हुए अचानक मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को जीवन-यापन हेतु पूर्ववर्ती सरकार की भांति आर्थिक अनुदान की धनराशि एक लाख रुपये न्यूनतम देने पर विचार करेंगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? मा0 मंत्री जी का जवाब आ गया है, मान्यवर, यह वर्ष 2004 में मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों के लिए यह नीति बनायी थी।

श्री फागू चौहान-

यह तो जवाब में आ ही गया है।

श्री जोखूलाल यादव-

मा0 मंत्री जी सुनिये तो या तो आज हमें लिख कर दे दें, तो हम वही बोल देंगे। यह तो हमारा अधिकार है, हम कुछ तो बोलेंगे ही।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न के संदर्भ में ही पूछें।

श्री जोखूलाल यादव-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2004 से जो नीति आपने लागू की है उसके सम्बन्ध में बतायें कि वर्ष 2009-10 में और वित्तीय वर्ष 2010-2011 में कितने ऐसे किसान परिवार हैं, जिनको इसका लाभ मिला है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, इसकी पूरी सूचना है, तो आप बता दें। किस-किस वित्तीय वर्ष की सूचना मांगी है ?

श्री जोखूलाल यादव-

वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं वित्तीय वर्ष 2010-2011 की सूचना बता दें। पिछले दो वित्तीय वर्षों की ही सूचना बता दें ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2010-11 तो अभी चल ही रहा है। वर्ष 2008-09 का मैं बता दे रहा हूं। मान्यवर, वर्ष 2008-09 में आई0सी0आई0सी0आई0 लाम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को टेण्डर दिया गया था। 39 करोड़ 39 सौ पांच रुपये का उन्हें प्रीमियम के रूप में भुगतान किया था, उन्होंने 7284 लोगों को 72 करोड़ 33 लाख रुपये पेमेन्ट देने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, इसी प्रश्न से सम्बन्धित एक बात करना चाहता था, यह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ परियोजना की योजना है, के सम्बन्ध में है। मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत जो धनराशि दी जा रही है, इसके अन्दर कोई समय-सीमा तय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दूसरी योजना है, वह इस योजना से हटकर के है, उसको आप मंत्री जी से क्यों पूछ रहे हैं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं केवल इतना जानना चाहता था कि अपने क्षेत्र में हमने 7 लोगों के लिए इस हेतु हमने फार्म भरवाये लेकिन अभी तक उन्हें पेमेन्ट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

किस योजना के लिए भरवाया था ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

यही तो राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अन्तर्गत ही भरवाया था, नहीं मान्यवर, मैं माफी चाहता हूं मान्यवर, किसान बीमा योजना के लिये है, उसी का पैसा है, लेकिन हमारे यहां 6-6 महीने तक 7-7 महीने तक कोई पेमेण्ट नहीं हो रहा है, तो इसकी कोई समय-सीमा तो होगी कि कितने समय तक यह आई0सी0सी0आई0 वाले पेमेण्ट करेंगे और हमारे पास रोजाना यह खबर आती है कि साहब यह पैसे नहीं मिल रहा है तो क्या इस कम्पनी से आपका कोई करार है कि आपका यदि कोई फार्म वहां पहुंचता है तो कितने दिनों की समय-सीमा के अन्दर वह उसका निस्तारण कर देंगे। मेरा पूछने का मतलब यह है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजेन्द्र सिंह जी, इसमें एक प्रक्रिया है, तहसील स्तर से लेकर जिलाधिकारी स्तर तक जांच पड़ताल करने के बाद तब वह एजेन्सी को देते हैं, अब वह प्रक्रिया अगर पूर्ण होकर के आ गई होगी तो हम माननीय मंत्री जी से कह दे रहे हैं कि वह इसको दिखवा लें।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, ठीक है।

श्री जोखूलाल यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक छोटा सा अनुपूरक है, मैं यह जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि वित्तीय वर्ष 2009-2010-2011 में इन्होंने ठण्ड लगने से इस योजना के तहत कितने लोगों को इन्होंने आर्थिक सहायता पहुंचाई है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो अलग विषय है ?

श्री जोखूलाल यादव-

मान्यवर, यह इसी से जुड़ा है, अप्राकृतिक मृत्यु किसको कहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप ठीक कह रहे हैं, इसमें अप्राकृतिक मृत्यु भी आता है, सर्प काटने से 50 हजार रुपये या जो अनुमन्य होगा, ठण्डक लगने से या जो भी है, लेकिन अगर उनके पास इस तरह की सूचना होगी तभी तो वह बतायेंगे, अगर नहीं होगी तो कैसे बता देंगे। अगर सूचना हो माननीय मंत्री जी तो बता दें।

श्री जोखूलाल यादव-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में किसी भी जनपद में एक भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, यह एक भी उदाहरण दे दें किसी जनपद किसी किसान का नाम बता दें, जिसे ठण्ड लगने से या सांप काटने से उसके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी हो।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, बीमा धारक, जो प्रीमियम धारक हैं जिसके पास खतौनी है, आग, बाढ़, बिजली गिरने, करण्ट लगने, सांप काटने एवं जीव-जन्तु काटने, नदी, तालाब, पोखरे, कुएं में डूबने, मकान गिरने, वाहन दुर्घटना, डकैती, मार-पीट, दंगा, आतंकवादी घटना आदि के प्रकृतिक कारणों से होती है तो बीमा का लाभ अनुमन्य होगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री जोखूलाल यादव-

मान्यवर, मेरा स्पष्ट सा प्रश्न था, लेकिन उसका उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो कहा उसकी अनुमन्यता है, उसको सीधा इन्कार नहीं किया है, लेकिन यह कि जाड़े में ठण्ड से कितने मरे हैं उसकी सूचना जब माननीय मंत्री जी के पास नहीं है तो कहां से दे दें ? आप तो वरिष्ठ हैं किसी माननीय मंत्री के ऊपर दबाव डाल कर उत्तर नहीं ले सकते अगर उनके पास सूचना नहीं होगी कह देंगे, तो आप दबाव नहीं डाल सकते, मैं भी नहीं डाल सकता। माननीय मंत्री जी, आपके पास ठण्ड से मरने की कोई सूचना है ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, सूचना नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मुझे कोई अलग से प्रश्न नहीं पूछना है, सिर्फ एक बात है, पूरी संख्या हम नहीं जानना चाहते, अभी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसी से अनुपूरक प्रश्न निकलता है, एक सीधा-सीधा प्रश्न है कि क्या किसी को दिया है ?

श्री लालजी वर्मा-

बता तो दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं दिया है, मैं था सुन रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सीधा प्रश्न यह है कि अभी माननीय मंत्री जी ने पूरी क्राईटेरिया बता दी कि किन-किन आधार पर यह कृषक दुर्घटना बीमा यह सरकार पीड़ित को यह मुआवजा देने का काम करती है। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि उसमें आपने अन्तिमतौर पर जो प्राकृतिक कारणों से जो बात कही है, उसमें ठण्ड लगना प्राकृतिक कारण है, सरकार ऐसा मानती है कि नहीं पहली बात और अगर ठण्ड से मृत्यु हो जाये और उस स्थिति में अगर अनुमन्यता है। मान्यवर, मैं किसी का नाम, बल्दियत, गांव का नाम नहीं पूछ रहा हूं। क्या इसमें किसी को, किसी एक किसान को दिया है ?

श्री अध्यक्ष-

अभी जोखूलाल यादव जी का प्रश्न यही था कि किसी को ठण्ड की वजह से उसकी मृत्यु होने पर दिया है तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अगर किसी को दिया है तो वह आधार होगा प्रिविलेज का। मैं तो मान्यवर सामान्य जानकारी कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं पूछा रहा हूं जिला नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो बस यही पूछ रहा हूं कि ठण्ड से मरने की वजह से किसी को इसमें दिया गया है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने टोटल संख्या बतायी सात हजार कुछ की संख्या बतायी कि इतने लोगों को इस योजना के अन्तर्गत इतने करोड़ रु0 दिया गया। अब इससे ज्यादा स्पेसिफिक जवाब और क्या हो सकता है। अब अगर आप कोई स्पेसिफिक सूचना चाहते हैं और उस पर प्रश्न आयेगा तो स्पेसिफिक सूचना प्राप्त कर बता दी जायेगी।

श्री जोखूलाल यादव-

मान्यवर, मेंने किसी व्यक्ति का नाम, उसकी वल्दियत और किस गांव का है, कितनी संख्या यह कुछ नहीं पूछा है। मान्यवर, इसमें क्राइटेरिया है कि प्राकृतिक आपदा से मरने वालों को भी दिया जाता है। क्या किसी की प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर जिसका नाम खतौनी में दर्ज है और जो बीमा की पालिसी से कवर्ड है, उसको इस सरकार ने दिया है। किसी एक को दिया है ? मान्यवर, मैंने संख्या नहीं पूछी है।

श्री अध्यक्ष-

संख्या तो माननीय मंत्री जी ने बतायी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसमें किसी दुर्घटना से, कुएं में गिरने से, ट्रैक्टर के एक्सीडेंट से, बिजली गिरने से, रेल दुर्घटना से यह तमाम क्राइटेरिया इसमें हैं। मान्यवर, हमारा यह जानना है कि किसी को प्राकृतिक आपदा से ठण्ड में मरने में दिया गया है। मान्यवर, मेरा कहना है कि नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। आपका पुट-अप तो अच्छा लगता है हम लोग उसमें प्रसन्न रहते हैं। आपकी एक छाप पड़ती है सब पर। और आप पर तो सबसे ज्यादा भरोसा है। आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। यह बात आयी कि इतने नेचर के मामलों पर जिसमें प्राकृतिक आपदा है या एक्सीडेंट से मृत्यु है, उस पर देने की बात आयी है। माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि एक वित्तीय वर्ष में इतना दिया है। अब आप उसमें ब्रेक-अप ढूंढ रहे हैं कि ठण्ड से मरने पर कितनों को दिया गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके पास इसका ब्रेक अप नहीं है। उन्होंने क्लब करके संख्या बता दी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अगर आज सूचना नहीं है तो आगे दे देंगे कि ठण्ड से मृत्यु होने पर किसी किसान को इस सरकार ने दिया है ?

श्री अघ्यक्ष-

उन्होंने एक संख्या बतायी कि इतने लोगों को दिया गया अब आप उसमें ठण्ड वाला मामला छांटना चाहते हैं। अब मैं अगला सवाल लेता हूं।

प्रदेश में भूख व कुपोषण से होने वाली दुःखद मौतों पर अंकुश लगाये जाने हेतु सरकार की नीति

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भूख व कुपोषण से होने वाली दुःखद मौतों पर अंकुश लगाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि वर्ष 2009-2010 में होने वाली कई मौतों में हल्दी (बलिया) थाना क्षेत्र के नीरूपुर गांव में एक 65 वर्षीय वृद्ध सुकई यादव की भूख और कुपोषण से मौत हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की दुखद घटनाओं पर रोक लगाने हेतु कोई नीति बनाकर लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रदेश में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण व कर्ज के कारण आत्महत्या व इसी प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लागू योजनाओं को प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करने हेतु मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है। गरीबी से आत्महत्या व इसी प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि भुखमरी व कुपोषण के कगार पर आने वाले व्यक्तियों को समुचित सहायता विधिवत् ससमय उपलब्ध करायी जाय। जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि राजस्व देयों की वसूली में उत्पीड़न की कोई ऐसी कार्यवाही न हो, जिससे किसान द्वारा आत्महत्या करने की स्थिति उत्पन्न हो।

जिलाधिकारी, बलिया की आख्यानुसार थाना हल्दी जनपद बलिया के ग्राम नीरूपुर निवासी श्री सुकई यादव की मृत्यु भूख एवं कुपोषण के कारण से नहीं बल्कि बीमारी के कारण हुयी थी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ मिलता जुलता यह सवाल थी अभी आपने और सरकार ने जितने भी कारण गिनाये हैं वह तो अच्छे हैं। आपने कहा प्रदेश में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण व कर्ज के कारण आत्महत्या व इसी प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लागू योजनाओं को अनुश्रवण करके लागू किया जाता है यह तो सुनने में आता है लेकिन मैं यह अनुपूरक करना चाहता हूं कि क्या इन सारे कारणों में आप एक यह कारण भी मानते हैं कि जो वर्तमान में परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि जो वर्तमान बेतहासा महंगाई है वह भी लोगों की आत्महत्या करने का एक कारण बन रही है। भुखमरी कब होगी जब उसके खरीदने की क्षमता शून्य हो जायेगी उसके कमाने की क्षमता नहीं रहेगी, वह बेकार होगा, बेरोजगार होगा यह सारे कारण हैं अध्यक्ष महोदय कि आदमी आत्महत्या कर रहा है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि क्या इसमें एक क्लाज आप यह भी जोड़ेंगे कि वर्तमान महंगाई के कारण जो अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, अपना भरण-पोषण नहीं कर पा रहा है और वह आत्महत्या कर ले रहा है इसको भी जोड़ने का आप प्रयास करेंगे और दूसरा अनुपूरक यह है कि आपने जो कुछ बताया कि अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है और उसको समुचित सहायता दिया जाता है तो क्या आप कोई भी, आप हमारे वाराणसी जिले का ही बता दें आप पूरे प्रदेश का न बतायें, आप यह बतायेंगे कि यह जो भी कारण आपने गिनाये हैं उन कारणों से किसी ने आत्महत्या की, किसी की मृत्यु हुई और भुखमरी भी उसमें एक कारण है और आपने उसको माना कि इन कारणों से इसकी मौत हुई, इसने आत्महत्या की, यह भूख के कारण मरा। अगर आपने माना है यह कोई एक भी उदाहरण अगर आप वाराणसी का ही दे दें तो आप यह बता दें अगर आपके पास सूचना है और आप भागना चाहे तो यह कह सकते हैं कि सूचना नहीं है। तो आप अगर यह सूचना दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। इससे यह एक मैसेज जायेगा कि यह आपकी घोषणा ही नहीं है आप इस पर अमल भी करते हैं। अन्त में मैंने जो एक उदाहरण दिया था कि वहां इस तरह से एक गांव में और स्पेसिफिक दिया था कि सुकई यादव की मृत्यु भूख और कुपोषण के कारण हुई। सरकार कभी नहीं मानती उसकी घोषणा में है लेकिन मानती नहीं है कि भुखमरी के कारण मृत्यु हुई है तो इसकी क्या वजह है जिलाधिकारियों का आपने दायित्व दे रखा है जिलाधिकारी कभी यह रिपोर्ट नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक करिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, आप विस्तार में न जाय आप मेरी भावना को समझने का प्रयास करें। आपने अच्छी घोषणाएं तो की हैं पढ़ने में सुनने में अच्छी है लेकिन क्या कभी जिलाधिकारी यह रिपोर्ट दिये हैं आपको, या एक उदाहरण यही दे दीजिए फलाने जिले का किसी जिलाधिकारी ने दिया है और इसकी मृत्यु कुपोषण के कारण हुई, इसमें भुखमरी के कारण आत्महत्या किया तो आप कैसे मानेंगे कि यह भूख से मरा, बेकारी से मरा, बेरोजगारी से मरा आप कहेंगे कि यह बीमार होकर मरा।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक करिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, अनुपूरक आप बना लें हमारे अनुपूरक में यह नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं अनुपूरक आ रहा है तो आप बैठ जाइये, दूसरे को बुला लें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, आप ही अनुपूरक कर लीजिए मेरी ओर से।

श्री अध्यक्ष-

वह तो हम कर लेंगे हमें अधिकार है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, जो कारण सरकार ने गिनाये हैं तो क्या उन कारणों को दर्शाते हुए किसी भी इस प्रदेश के कोई भी जिलाधिकारी ने कोई रिपोर्ट दी है कि इन कारणों से किसी की मृत्यु हुई और उसको कुछ मुआवजा दिया गया ? यही मेरा अनुपूरक है अन्त में यही बना।

श्री अध्यक्ष-

बना तो, क्यों नहीं पहले बना दिये ? जिनकी भूख या कुपोषण से मृत्यु होती है, ऐसी कोई सूचना कहीं के जिलाधिकारी ने आपको दी है।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, इस तरह की कोई घटना हुयी ही नहीं, तो सूचना कहां से मिलेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष जी, मैं आपके विवेक पर छोड़ रहा हूं। हम लोगों के सीने में जो दर्द है, वह गरीबों का है, जो असहाय हैं, उनका है और उसके लिये मैंने यह प्रश्न किया था। मैंने सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिये नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष-

वह बता तो दिया कि हमको इस तरह की कोई सूचना नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

आप मानेंगे नहीं कि कोई भूख से मर रहा है कोई आत्महत्या कर रहा है तो जो कारण आपने गिनाये हैं इसका निर्णय कैसे होगा ? अभी आप कह देंगे कि यह विभिन्न विभागों से सम्बन्धित है इसलिये हम इसका जवाब नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपके प्रश्न को स्पष्ट किया उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि हमको किसी जिलाधिकारी ने भूख, कुपोषण से हुई मौत के सम्बन्ध में अवगत नहीं कराया है। जब कोई घटना ही नहीं घटी है तो कैसे अवगत करायेंगे ? यह तो नियमों में है कि किसी माननीय मंत्री पर दबाव डालकर कोई उत्तर जबरदस्ती नहीं दिलाया जा सकता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या यह सम्भव है कि इतना बड़ा प्रदेश है और कोई भूख से नहीं मर रहा है, किसी के सामने बेकारी नहीं है, कहीं बेरोजगारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अम्बिका चौधरी जी, आप अपना प्रश्न करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न का जो मूल उत्तर है, इस मूल उत्तर में, प्रश्न का जो प्रथम भाग है, उस पर माननीय मंत्री जी ने विस्तार से नीतियों और सरकार ने जो दिशा-निर्देश जारी किये हैं, इसका उल्लेख किया है। इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो सूचना दी है उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। मैं उस पर कोई प्रश्न करना नहीं चाहता। लेकिन हम उनसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार ने बड़ी सख्ती से यह निर्देश दे दिये कि अगर भुखमरी से कोई मौत होगी तो उस जिले का जिलाधिकारी जिम्मेदार होगा। अब मान्यवर, कौन जिलाधिकारी ऐसा है जो अपने डेथ वारन्ट पर दस्तखत करेगा। कोई जिलाधिकारी ऐसा नहीं है जो अपने मृत्यु के वारण्ट पर स्वयं दस्तखत करेगा कि हमको सस्पेंड कर दीजिए। इसलिये हो यह रहा है और वास्तविक स्थिति यह है कि जो भूख से मरता है, वही दवाई बिना मरता है और जो भूख से मरता है वही लू से मरता है, वही ठण्ड से मरता है। माननीय मंत्री जी भी जिस क्षेत्र से और जिन लोगों के बीच से आते हैं, वह भी इस बात को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तकनीकी तौर पर सरकार जो उत्तर देती है, उत्तर से अलग जाकर यदि आप पता लगायेंगे तो वास्तविक स्थिति आपको पता चल जायेगी। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध यह करना चाहता हूं कि व्यावहारिक रूप से इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए और सरकार की नीयत पर कोई शंका न करते हुए आप कोई ऐसे कदम उठाये हैं कि सचमुच में भूख से मरने वालों की संख्या को सीमित किया जा सके या उनको रोका जा सके। महज निर्देश देने से यह पूरा होने वाला नहीं है। सूचना में एक बलिया का प्रकरण आया है इसलिये आपको बताना चाहता हूं कि मान्यवर, इसमें यह आया है कि भुखमरी व कुपोषण के कगार पर आने वाले व्यक्तियों को समुचित सहायता विधिवत् समय से उपलब्ध कराई जायेगी। जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि राजस्व देयों की वसूली में उत्पीड़न की ऐसी कोई कार्यवाही न करें जिससे किसानों में आत्महत्या करने की स्थिति उत्पन्न हो। मान्यवर, बलिया जनपद में कई बार सूखे और अन्य कारणों से वसूली स्थगित रही और इस समय स्थिति यह है कि वहां पर जबरिया वसूली के लिए यदि कोई खतौनी भी मांगने जा रहा है तो वहां रोक लगा दी गई है और यह कहा गया है कि जब आप नो-ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं ले आओगे तब तक खतौनी की नकल नहीं दी जायेगी, यह मैं आपको सूचना दे रह हूं। मान्यवर, मेरा अनुपूरक यह है कि जो सुकई यादव के बारे में कहा गया है कि भुखमरी से मृत्यु नहीं हुई तो क्या आपने यह जांच की कि क्या यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे क्या इनका अन्त्योदय का कार्ड बना हुआ था, क्या इनके पास कोई आवास था ? इस प्रकार की क्या कोई रिपोर्ट आपके पास है या सिर्फ डी0एम0 ने आपको सूचित कर दिया और आपने मान लिया ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मा0 चौधरी साहब कई शासनादेशों के बारे में बता रहे थे और स्वयं भी काफी समय तक इस पद पर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, श्री सुकई यादव पुत्र श्री साधु यादव उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी नीरूपुर थाना हल्दी जिला बलिया की मृत्यु दिनांक 13/14-11-2009 को ढाई बजे रात्रि में भूख से कुपोषण से नहीं हुई थी बल्कि इनकी मृत्यु बीमारी से हुई थी। जिनका इलाज गांव के प्राइवेट चिकित्सक डा0 बृजमोहन पाण्डेय द्वारा किया जा रहा था। उनके कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं थे उनके परिवार में केवल उनकी पत्नी चन्द्र केसरी देवी थी। यह बी0पी0एल0 कार्ड धारक थे, इन्होंने उचित मूल्य विक्रेता की दुकान से बी0पी0एल0 कार्ड पर 20 किलोग्राम चावल मृत्यु से आठ दिन पहले प्राप्त किया था।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के कुछ आंकड़े में रखना चाहता हूं जो अपने उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह आंकड़े रखने का समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आंकड़े नहीं बल्कि आप अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, सर्वे में है कि देश में सबसे ज्यादा कुपोषण उत्तर प्रदेश में है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से केवल यह पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या इस वर्ष आंकड़ों में कुछ कमी आयी है ?

श्री अध्यक्ष-

यह आंकड़ा मा0 मंत्री जी के पास तो है नहीं तो फिर मा0 मंत्री जी कैसे बता पायेंगे कि आंकड़ों में कुछ कमी आयी है या बढ़ोत्तरी हुई है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, यह सबसे ज्यादा कुपोषित प्रदेश है यदि इसके आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है तो इन सारी व्यवस्थाओं का मतलब क्या है ? मान्यवर, कुपोषण से 57 प्रतिशत बच्चे उत्तर प्रदेश में पीड़ित हैं, इसमें से 15 प्रतिशत ऐसे हैं जो लम्बाई के हिसाब से कमजोर है।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई प्रश्न नहीं है, जब यह आंकड़ा मा0 मंत्री जी के पास नहीं है तो वह कैसे बता पायेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह आंकड़ा भेज दें।

श्री अध्यक्ष-

जब मा0 मंत्री जी के पास आंकड़ा नहीं है तो वह कैसे बता पायेंगे कि बढ़ा है या घटा है ?

मा0 ओम प्रकाश जी आप अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

यह इस सरकार से नहीं बल्कि इससे पहले की कई सरकारों से है। इस कुपोषण और भूख से मृत्यु होना एक बहुत ही गम्भीर मानवीय प्रश्न है। यह किसी सरकार का नहीं बल्कि समाज की व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न है। एक नियम कई सालों से प्रदेश में चला आ रहा है कि यदि भूख और कुपोषण से कोई मृत्यु होती है तो इसकी जिम्मेदारी डी0एम0 की होगी और रिपोर्ट भी डी0एम0 से मंगाई जाती है कि यह आदमी भूख से मरा है या नहीं। मान्यवर, डी0एम0 ही नहीं बल्कि कोई भी अधिकारी जो जिस कार्य के लिए जिम्मेदार है वही कार्य हुआ है, इसकी रिपोर्ट नहीं देगा। मान्यवर, क्या यह सरकार इस माननीय प्रश्न को सही ढंग से उजागर करके और सही ढंग से निराकरण करके जिससे समाज में जनविश्वास पैदा हो और इस भूख और कुपोषण से समाज मुक्त हो सके, इसके लिए इस व्यवस्था में जो जिम्मेदार है वही रिपोर्ट भेजता है, इस व्यवस्था में परिवर्तन करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

जो आपकी व्यवस्था है इस व्यवस्था के आधार पर जिससे आप संतुष्ट हैं या अलग से कोई व्यवस्था पर विचार है ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, व्यवस्था तो हमारे पास है ही, उस व्यवस्था के तहत नहीं आ रहा है इसलिए भूख से मरा हुआ है, का मानक पूरा नहीं होता है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-3 पुकारे जाने पर)

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए बुला लिया था।

श्री अध्यक्ष-

आपके दल के नेता खड़े हो गये इसलिए आपका अनुपूरक रह गया, अब कृपया आसन ग्रहण करिये। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

प्रदेश में बेसहारा बच्चों के लिये आश्रय गृह बनवाये जाने की मांग

*3-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगातार बेसहारा बच्चों की संख्या बढ़ रही है ? यदि हां, तो अब तक यह संख्या कितनी है ? क्या सरकार बेसहारा बच्चों के

कल्याण के लिए आश्रय गृह/पक्के रैन बसेरा बनवायेगी ? यदि हां, तो उसमें रहने के लिए नियम एवं शर्तें क्या होंगी ? क्या सरकार इनके भरण-पोषण के लिए भी कोई ठोस व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

ऐसा कोई सर्वेक्षण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

भारत सरकार की प्रस्तावित समेकित बाल संरक्षण योजनाओं में स्थायी रिहायसी सुविधाओं की व्यवस्था प्राविधानित है।

उक्त योजना को लागू किया जाना विचाराधीन है। योजना में निर्धारित नियम एवं शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है। मैंने मा0 मंत्री जी से जानना चाहा था कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में लगातार बेसहारा बच्चों की संख्या बढ़ रही है ? यदि हां, तो अब तक यह संख्या कितनी है ? क्या सरकार बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए आश्रय गृह/पक्के रैन बसेरा बनवायेगी ? यदि हां, तो उसमें रहने के लिए नियम एवं शर्तें क्या होंगी ? क्या सरकार इनके भरण-पोषण के लिए भी कोई ठोस व्यवस्था करेगी, यदि नहीं तो क्यों ? बड़ा स्पष्ट सवाल था और उसका बड़ा आसानी से मा0 मंत्री जी ने जवाब दे दिया। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर चाहे आप हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, श्रावस्ती चले जाइये आप हर जगह और आम सड़कों पर छोटे-छोटे बच्चे, 6 से लेकर 12 साल तक उम्र के हाथ में कटोरा लेकर नंगे खड़े होकर खाली कच्छा पहन करके नंगे भीख मांगते हुए पाये गये हैं और तमाम दुकानों पर छोटे-छोटे बच्चे काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

पटेल जी अनुपूरक करिये।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक 63 साल हिन्दुस्तान को आजाद हुए हो गये क्या अब तक ऐसी कोई प्रथा उत्तर प्रदेश में लागू नहीं की गयी। महिलाओं के लिए तमाम आश्रम खुल गये हैं और पुरुषों के लिए तमाम आश्रम खुल गये हैं। क्या इन मासूम बच्चों के लिए भी सरकार कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है या नहीं ? मंत्री जी ने बड़े आसानी से बता दिया कि केन्द्र सरकार के अधीन है। केन्द्र सरकार से क्या मतलब, बात प्रदेश सरकार की हो रही है। हमें यह बतायें कि क्या आप ऐसे बच्चों की जांच करायेंगे जो सड़कों पर भीख मांगते हैं और उनके लिए कोई आश्रय गृह या रैन बसेरा बनवायेंगे या नहीं ?

समाज कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, जो मूल प्रश्न है कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में लगातार बेसहारा बच्चों की संख्या बढ़ रही है ? तो हमने उत्तर दिया कि ऐसा कोई सर्वेक्षण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है। जहां तक योजना लागू करने की बात है मान्यवर, भारत सरकार की प्रस्तावित योजना है 'समेकित बाल संरक्षण योजना' इसके तहत उत्तर प्रदेश के अन्दर सभी जिलों में पक्के रैन बसेरे और गृह बनाने की योजना है और वह अभी उत्तर प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको स्मरण होगा डेढ़ साल पहले एक बाल संसद हुई थी। आपने कृपापूर्वक स्वयं भी समय दिया था और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी उसमें थे। उस बाल संसद का क्या निष्कर्ष निकला और उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही सरकार ने की, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

बाल संसद के लिए एक एन0जी0ओ0 है उसने कहा कि इस तरह का प्रोग्राम हम यहां पर सेन्ट्रल हाल में करना चाहते हैं। हमने कहा कि बच्चे इस तरह का कार्यक्रम चलाना चाहते हैं तो चला लें। एन0जी0ओ0 के लोगों ने यहां पर सेन्ट्रल हाल में बाल संसद आयोजित करने के लिए परमीशन मांगी थी उनको परमिट कर दिया गया। इसमें सरकार बीच में कहां से आ गई। उसमें पूछ रहे हैं कि क्या कार्यवाही हुई ? खन्ना साहब आप बालकों का संरक्षण करें अच्छा है आप बाल बच्चे वाले बनें।

श्री लालजी वर्मा-

खन्ना साहब की यही आदत रहती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सेन्ट्रल हाल में जो देखने को मिला उसमें पूरा हाल रो रहा था। मैं सोचता था कि सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उसका संज्ञान लेकर उसका समाधान किसी न किसी बिन्दु पर करेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं श्री कृष्ण गोपाल पटेल जी को जिन्होंने एक गम्भीर सवाल उठाया। उसमें सेन्ट्रल हाल में संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद थे उसमें संज्ञान लेकर कुछ न कुछ समाधान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

सब लोग मौजूद थे। उसमें ओम प्रकाश सिंह जी भी थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उसका संज्ञान लेकर कुछ न कुछ समाधान होना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

सरकार इससे ज्यादा गम्भीरता क्या दिखायेगी कि वर्ष 2010-11 में सरकार ने बजट में प्राविधान कर दिया जो भारत सरकार की योजना है उसको लागू करने के लिए वह योजना प्रस्तावित है, विचाराधीन है वह लागू होगी तो सभी जिलों में रैन बसेरे बनाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। प्रश्न का उत्तर तो आ गया पटेल जी। आपने पूछा कि कोई इस तरह का आश्रयगृह बनायेंगे ? उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने व्यवस्था दिया है जिसके सापेक्ष प्रदेश सरकार ने बजट का इंतजाम कर लिया है। मंत्री जी ने बता दिया कि योजना प्रस्तावित है, विचाराधीन है ऐसे बच्चों के लिए।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

समय निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

जल्द ही निर्धारित कर देंगे। स्पष्ट उत्तर आ गया है। इसमें अब और अनुपूरक बनने का सवाल नहीं है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगातार बेसहारा बच्चों की संख्या बढ़ रही है। मंत्री जी का उत्तर आया कि ऐसा कोई सर्वेक्षण विभाग द्वारा नहीं कराया गया तो मेरा अनुपूरक यह है कि क्या सरकार इस तरह का सर्वेक्षण का कार्य करायेगी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

यह योजना भारत सरकार ने प्रस्तावित की थी। यह योजना बन जाय उसके बाद ऐसा सर्वेक्षण कराने पर विचार कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा कि जो योजना प्रस्तावित है उसे जब कार्य रूप देंगे तो सर्वेक्षण करने पर विचार करेंगे। पहले घर बनायेंगे कि बच्चे बढ़ायेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

इनके पास संख्या ही नहीं है तो कहां आश्रय गृह बनवायेंगे इसलिए सर्वेक्षण करवा लें यही सवाल है।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

सरकार गम्भीर है।

श्री प्रमोद तिवारी-

इस तरह की बात ठीक नहीं। अध्यक्ष जी इसको कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

सरकार आश्रयगृह पहले से बना रही है। लेकिन अब विस्तार से योजना बनाई गई है जो आश्रयगृह बने हुए हैं उनकी सूची लम्बी है। इस समय उत्तर प्रदेश में आश्रय गृह चल रहे हैं।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

किन जिलों में चल रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

उत्तर प्रदेश में ऐसे राजकीय गृह 47 हैं मान्यवर, सात से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आगरा, मथुरा, ललितपुर, लखनऊ, हरदोई, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, इलाहाबाद, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, मिर्जापुर, चित्रकूट, झांसी, गोण्डा।

मान्यवर, इतनी जगह यह चल रहे हैं और यह बालकों के लिये है। बालिकाओं के लिये जो चल रही है वह बाराबंकी, मुरादाबाद, मिर्जापुर, सीतापुर, गाजियाबाद, चित्रकूट, झांसी, गोण्डा और मान्यवर 7 से जो 18 यह जो न्यायपालिका द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले आते हैं उनके लिये मान्यवर है। इसी तरह मान्यवर, सजा याफ्ता जो बच्चे हैं, 21 वर्ष से ऊपर मैं बता रहा हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग क्यों शोर कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, 0 से 10 वर्ष के बच्चों के लिये लखनऊ, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, रामपुर राजकीय बालिका गृह। 18 से ऊपर के जो किशोर रहते हैं सीतापुर में...

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपने जनपद पूछा वो बता दिया उन्होंने। फातिमा जी, आप बैठिये, अब आपका अनुपूरक नहीं है। बस हो गया, उन्होंने जनपद बता दिया।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो जिले इन्होंने बताये हैं उसमें कितने-कितने बच्चे किस जगह पर रह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब संख्या यह कहां से कलेक्ट करेंगे। संख्या कहां से बता पायेंगे।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर बच्चे हैं ही नहीं तो यह बतायेंगे क्या।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

बच्चों की सूची है मान्यवर मेरे पास कि कितने बच्चे कहां रहे हैं यह सूची है मेरे पास। आप इजाजत देंगे तो मैं बता दूंगा कि किस गृह में कितने बच्चे हैं।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश आर्थिक जोन में निजी निवेशकों को आकर्षित किये जाने हेतु सरकार की नीति

*4-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आर्थिक जोन के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए इस क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या सरकार विशेष सुविधा एवं छूट देने की किसी विशेष योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

औद्योगिक दृष्टि से पूर्वांचल क्षेत्र के पिछड़े 29 जिलों में निजी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली भूमि पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट की व्यवस्था है तथा मध्यम एवं वृहद इकाइयों को उनके द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि पर स्टाम्प शुल्क से 50 प्रतिशत की छूट दी गयी है।

इन जनपदों में नई लघु एवं लघुत्तर इकाइयों की स्थापना हेतु स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के लिए निष्पादित प्रथम लिखित पर रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिकतम रुपये 5000/-के अध्याधीन 02 रुपया प्रति सैकड़ा छूट अनुमन्य है।

पूर्वांचल क्षेत्र में रुपये 10.00 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों को उनके द्वारा वित्तीय वर्ष में दिये गये व्यापार कर व सेन्ट्रल टैक्स के योग के बराबर की धनराशि को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, जिसके क्रियान्वयन हेतु निम्न नीति/योजना एवं निर्देश निर्गत किये गये हैं :-

- औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004
- उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र संशोधित नीति-2007
- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना
- सार्वजनिक निजी सहभागिता

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेलकूद सम्बन्धी नीति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिये जाने सम्बन्धी नीति की जानकारी

*5-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की खेलकूद सम्बन्धी नीति क्या है ? क्या ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण एवं खेलकूद राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अयोध्या प्रसाद पाल)-

ग्रामीण खेलकूद के सम्बन्ध में युवा कल्याण विभाग की कोई प्रख्यापित/लिखित खेल नीति नहीं है।

युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना (पायका) एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता तथा मा0 कांशीराम जन्म स्मृति खेल समारोह योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन योजनाओं का विवरण संलग्न †परिशिष्ट में उल्लिखित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अधिक दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी सरकार की नीति

*6-श्री मदन चौहान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु क्या सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवध पाल सिंह यादव)-

जी हां।

गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाना पशुपालन विभाग द्वारा अपनायी गयी राज्य पशु प्रजनन नीति का मुख्य उद्देश्य है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में कई योजनायें, जैसे-उन्नत नस्ल के सांड़ों के अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा गर्भित कराये जाने की योजना, सुदूर ग्रामीण अंचलों में गाय/भैंसा, सांड़ नैसर्गिक अभिजनन हेतु उपलब्ध कराना तथा बांझपन-निवारण कार्यक्रम आदि संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पीलीभीत के तहसील पूरनपुर के कतिपय ग्रामों के बाढ़ से बेघर हुये विस्थापितों के पुनर्वास की मांग

*7-श्री सुखलाल-

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1989 में तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत के रमनगरा गुन्हान, बिजुरिया खुर्द कलां, नगरिया खुर्द कलां आदि ग्राम के बाढ़ से बेघर हुये विस्थापित परिवारों को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा शारदा सागर डाम के किनारे बसाया गया है ? क्या यह भी सही है कि उन्हें सरकार द्वारा अब तक न ही पुनर्वासित किया गया और न जमीन दी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें स्थाई रूप से बसाने हेतु जमीन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। ग्राम रमनगरा मुन्हान, बिजुरिया खुर्द कलां, नगरिया खुर्द कलां आदि के बाढ़ से बेघर हुये विस्थापित परिवारों को सिंचाई विभाग की भूमि पर बसाया गया है।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 360-362 पर)

राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 16-07-2010 द्वारा जिलाधिकारी पीलीभीत को पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन की नियामनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को आलू की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा आलू क्रय केन्द्र खोले जाने की जानकारी

*8-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को उनकी आलू की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार आलू क्रय केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री नरायन सिंह)-

जी हां।

प्रदेश में शासनादेश सं0-1119/58-2010-100(1)/2009, दिनांक 12-4-2010 द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2010 से 30 अप्रैल, 2010 तक की अवधि के लिये बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की गयी, जिसमें भारत सरकार के निर्देशानुसार रु0 300/- प्रति कुन्टल की दर पर कृषकों का आलू क्रय किये जाने की योजना कार्यान्वित की गयी एवं आलू क्रय केन्द्र खोले जाने की व्यवस्था की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों के सहायतार्थ सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाने तथा उनमें अनुमन्य सुविधायें प्रदान किये जाने का प्रस्ताव

*9-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों की सहायता हेतु प्रदेश के सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोलने एवं वहां रहने वाले लोगों को अनुमन्य सुविधायें प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 का प्रदेश में अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। अधिनियम के अंगीकृत होने के पश्चात् प्रदेश के प्रत्येक जनपद में वृद्ध जनों के लिये वृद्ध गृह स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं के अन्तर्गत प्रदेश के 17 मण्डल मुख्यालयों में एक-एक वृद्ध महिला आश्रम की स्थापना प्रदेश सरकार के वित्तीय सहयोग से स्वीकृति प्रदान की गई हैं प्रत्येक आश्रम 100 वृद्ध महिलाओं की क्षमता के हैं। इन आश्रमों में निवास करने वाली वृद्ध महिलाओं को आवासीय व्यवस्था, वस्त्र, भरण-पोषण, चिकित्सालय सुविधा एवं इन्डोर गेम/टी0पी0, समाचार-पत्र आदि की समस्त सुविधायें निःशुल्क अनुमन्य हैं।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में पुरुषों के लिये एक वृद्ध गृह जनपद लखनऊ में संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाये जाने हेतु कृषि मण्डियों में प्राइज टिकर बोर्ड लगवाये जाने की मांग

*10-श्री हुकुम सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों को उनकी उपज के मूल्यों की जानकारी देने हेतु देश भर की मण्डियों में कृषि उपज के मौजूदा व भविष्य के सम्भावित मूल्यों को एक साथ दर्शाने के लिए लगभग 200 मण्डियों में टिकर बोर्ड (मूल्य सूची पट्टिका) की सुविधा मई, 2010 से शुरू हो चुकी है जिसमें उत्तर प्रदेश की केवल एक मण्डी ही शामिल की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार प्रदेश की महत्वपूर्ण कृषि मंडियों में उक्त सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

उत्तर प्रदेश में केवल एक ही मण्डी समिति, हापुड़ में पायलट आधार पर प्राइस टिकर बोर्ड लगाने का निर्णय कृषि भवन, नई दिल्ली में दिनांक 15-1-2008 को आयोजित बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया था।

प्राइस टिकर बोर्ड लगाये जाने का निर्णय पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा लिया जाता है, अतः महत्वपूर्ण कृषि मण्डियों में भी प्राइस टिकर बोर्ड लगाने की सुविधा केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में लिये गये निर्णय पर निर्भर करता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में आलू उत्पादकों को उचित मूल्य न मिलने पर सरकार द्वारा समर्थन मूल्य तय किये जाने की मांग

*11-श्री सोबरन सिंह यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू उत्पादकों को उचित मूल्य न मिलने एवं आलू को फेंकने से बचाने के लिए समर्थन मूल्य तय करने हेतु क्या सरकार कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कोई योजना बनाने की आवश्यकता इसलिये नहीं है क्योंकि वर्तमान में प्रदेश की प्रमुख मण्डियों में आलू के थोक बाजार भाव रु0 425 से 700 तक चल रहे हैं, जो उत्पादन लागत से अधिक है।

जनपद लखनऊ के के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम में आलवेदर स्वीमिंग पूल स्प्रिंग बोर्ड लगवाये जाने की मांग

*12-श्री पूरन प्रकाश

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम के तरणताल में विगत 3 वर्षों से एक मीटर एवं तीन मीटर के स्प्रिंग बोर्ड के अभाव में प्रदेश के खिलाड़ी पलायन कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ के के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम में आलवेदर स्वीमिंग पूल स्प्रिंग बोर्ड लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

स्प्रिंग बोर्ड नहीं है परन्तु उसके कारण पलायन की बात ठीक नहीं है।

पूर्व में यह तैराकी सभा के सौजन्य से लगा था। स्प्रिंग बोर्ड आयातित किया जाना है। जिस दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

*13-श्री उदयभान करवरिया-

[तृतीय गुरुवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के मा0 विधायकों द्वारा जाति प्रमाण-पत्र व आय प्रमाण-पत्र जारी करने सम्बन्धी अधिकार की जानकारी

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मा0 विधायकों को जाति प्रमाण-पत्र व आय प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार है ? यदि हां, तो उनका यह अधिकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है या किसी अधीनस्थ अधिकारी की आख्या पर प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या इसकी अलग से कोई राजाज्ञा जारी की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-484/का-1/94-1/1/1994, दिनांक 29-3-94 तथा समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-4368/26-3-6(24)/80 अनु0, दिनांक 27-01-1981 द्वारा जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार या अतिरिक्त अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट या सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। आय प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार तहसीलदार को प्रदत्त है ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या 847/64-2-2004-1(141)/2003, दिनांक 15 सितम्बर, 2004 द्वारा पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र के साथ सदस्य लोक सभा/राज्य सभा/विधान मण्डल/जिला परिषद्/नगर पालिका/मुख्य नगर अधिकारी या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया आय प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया गया है।

वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अनेकों ग्रामों की भूमि का क्षेत्रफल एवं अधिसूचित ग्रामों की संख्या की जानकारी

2-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, औद्योगिक विभाग के नोटीफिकेशन संख्या-1850/ 77-3-09-3 नं0 1 दि0 21 जुलाई, 2009 द्वारा चार जनपदों की सात तहसील क्षेत्रों खैर (अलीगढ़), मांट व महावन (मथुरा) सासनी, हाथरस व सादाबाद (महामायानगर) एत्मादपुर (आगरा) के 850 राजस्व ग्रामों को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु अधिसूचित किया गया है ? यदि हां, तो इस अधिसूचना में सम्मिलित ग्रामों की भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना है ? इन अधिसूचित ग्रामों की कुल जनसंख्या क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

अधिसूचित ग्रामों का कुल क्षेत्रफल-208465.126 हेक्टेयर है।

अधिसूचित ग्रामों की जनसंख्या-1396860 है।

प्रदेश के आलू किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सरकार की कार्य योजना

3-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलू किसानों के सामने भण्डारण की भीषण समस्या को देखते हुए आलू किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए क्या सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

आलू उत्पादक किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-1119/58-2010-100 (1)/2009, दिनांक 12-4-2010 द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की गयी।

उक्त योजना दिनांक 12 अप्रैल, 2010 से 30 अप्रैल, 2010 तक की अवधि के लिये लागू की गयी जिसमें भारत सरकार के निर्देशानुसार रु0 300/- प्रति कुन्टल की दर से कृषकों का आलू क्रय किये जाने की योजना कार्यान्वित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की समस्त पशु वधशालाओं में अनुमन्य स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क में गत वर्षों में प्राप्त धनराशि का विवरण

4-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-3519/12-1-2-99-30/31/99, दिनांक 19 जनवरी, 2000 के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बड़े पशु हेतु रु0 15/-एवं छोटे पशु हेतु रु0 5/-पशुपालन विभाग को प्राप्त होना क्या प्रदेश में संचालित पशु वधशालाओं में भी अनुमन्य है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 2007-2008, 2008-2009 एवं

2009-2010 में प्रदेश की समस्त वधशालाओं से इस मद में कुल प्राप्तियों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

निदेशक, पशुपालन विभाग से आख्या प्राप्त की जा रही है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

5-डा0 अनिल चौधरी-

[दिनांक 09-08-2010 की अता0प्र0सं0-183 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के विभिन्न जेलों में बन्द वृद्ध, विकलांग, बीमार कैदियों की रिहाई हेतु सरकार की नीति

6-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जेलों में बन्द वृद्ध, विकलांग, बीमार कैदियों की रिहाई पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश की विभिन्न जेलों में निरुद्ध रूग्ण, उम्रदराज, विकलांग व असहाय सिद्धदोष पुरुष व महिला बन्दियों की समयपूर्व रिहाई पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432 सपठित उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-195, 196 एवं 197 के अन्तर्गत फार्म-ए नामिनल रोल/इनफरमिटी रोल के आधार पर विहित प्राधिकारियों की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

उक्त विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे बन्दियों की रिहाई के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 02 जून, 2008 निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु सरकार की नीति

7-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोई औद्योगिक विकास नीति बनाई गई है ? क्या यह सही है कि नोयडा/ग्रेटर नोयडा से उद्योगों का पलायन हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा औद्योगिक विकास हेतु क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

1-औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004

2-उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र संशोधित नीति-2007

3-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना

4-सार्वजनिक निजी सहभागिता

उक्त औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु निम्नानुसार योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

1-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदेश के पूर्वान्चल व बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में रुपये 10.00 करोड़ या अधिक के पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाइयों तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रुपये 25.00 करोड़ या अधिक के निवेश वाली इकाइयों को उनके द्वारा वित्तीय वर्ष में दिये गये व्यापार कर तथा सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के योग के बराबर की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

2-प्रदेश में नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि के क्रय पर स्टैम्प शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है।

3-नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये विभिन्न अनापत्तियों/लाइसेन्सों को सुगमता व समयबद्ध रूप से आन लाइन प्राप्त करने हेतु निवेश मित्र योजना संचालित है।

4-तकनीकी उन्नयन योजनान्तर्गत नयी तकनीकी की खरीद पर औद्योगिक इकाइयों को रु0 2.00 लाख तक के अनुदान की व्यवस्था है।

5-औद्योगिक कलस्टर विकास योजनान्तर्गत किसी औद्योगिक कलस्टर विशेष की आवश्यकता के अनुरूप कामन फैसिलिटी सेन्टर आदि की स्थापना हेतु अनुदान की व्यवस्था है।

6-प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना संचालित है जिसके अन्तर्गत निर्यातक औद्योगिक इकाई को माल भाड़े में अनुदान तथा देश के बाहर औद्योगिक प्रदर्शनी में भाग लेने पर निर्यातक के द्वारा व्यय किये गये किराये की धनराशि के मद में 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 50,000/- अनुदान की व्यवस्था है।

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में 1159 इकाइयों में रु0 275.38 करोड़, वर्ष 2008-09 में 1231 इकाइयों में रु0 627.99 करोड़, वर्ष 2009-10 में 1240 इकाइयों में रुपये 2458.86 करोड़ तथा वर्ष 2010-11 में 20-7-2010 तक 383 इकाइयों में 243.55 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है। इस प्रकार इस क्षेत्र में स्थापित इकाइयों की संख्या एवं पूंजी निवेश में निरन्तर वृद्धि हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

8-श्री मदन चौहान-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला बुलन्दशहर विकास खण्ड अगौता, स्थित राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, बढ़नौरा में बच्चों को मानक अनुरूप खाना दिये जाने एवं उनका उत्पीड़न रोके जाने की मांग

9-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, बढ़नौरा, विकास खण्ड अगौता, जिला बुलन्दशहर में बच्चों को खाना मानक के अनुसार नहीं मिल रहा है तथा बच्चों का उत्पीड़न किया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर

दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए बच्चों को मानक के अनुसार खाना दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के डा0 चन्द्रभाल जूनियर हाई स्कूल बननी, खरैला, विकास क्षेत्र को अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि न उपलब्ध कराने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

10-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य डा0 चन्द्रभाल जूनियर हाई स्कूल बननी, खरैला, विकास क्षेत्र तथा बिसवां जिला-सीतापुर ने दिनांक 29-7-04 को अपने विद्यालय के कक्षा 6-7-8 के अनुसूचित जाति के 82 छात्र/छात्राओं की सत्र, 2004-2005 के लिए छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूची सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बिसवां सीतापुर से स्वीकृत कराकर दी है ? यदि हां, तो क्या छात्रवृत्ति का धन सम्बन्धित विद्यालय को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो धन न भेजने के लिए कौन उत्तरदायी हैं ? क्या इसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी नहीं।

विद्यालय से प्राप्त मांग पत्र का जनपद स्तर पर सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा सत्यापन कर वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण छात्रवृत्ति की धनराशि विद्यालय को नहीं भेजी जा सकी है।

इस प्रकरण में जांच के दौरान दोषी पाये गये निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही संस्थापित की गयी :-

1-श्री पी0 एन0 पाण्डेय, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी सीतापुर।

2-श्री अनिल कुमार, तत्कालीन समाज कल्याण सुपरवाइजर, जिला समाज कल्याण कार्यालय, सीतापुर।

3-श्री महावीर प्रसाद, तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, सीतापुर।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ''औद्योगिक विकास नगरी'' के गठन हेतु अधिसूचित 1191 राजस्व ग्रामों के समयबद्ध विकास हेतु मास्टर प्लान

11-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ''औद्योगिक विकास नगरी'' के गठन हेतु अधिसूचित 1191 राजस्व ग्रामों के समयबद्ध विकास हेतु क्या मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मास्टर प्लान

एवं विचाराधीन ''औद्योगिक विकास नगरी'' का नक्शा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास हेतु अधिसूचित राजस्व गांवों के क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मार्ग एवं टौल प्लाजा के निर्माण हेतु समस्त भूमि का अर्जन एवं ग्रामों की सूची का विवरण

12-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (पूर्व में ताज एक्सप्रेस-वे) तथा जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली के मध्य दिनांक 7 फरवरी, 2003 को करार हुआ था ? यदि हां, तो इस करार (एग्रीमेन्ट) के पेज नं0 2 पर उल्लिखित वर्जिन क्षेत्र से क्या आशय है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मार्ग एवं टौल प्लाजा के निर्माण हेतु अधिग्रहीत कुल 1546.3046 हे0 भूमि में वर्जिन क्षेत्र कितना है ? क्या सरकार वर्जिन क्षेत्र की खसरा सं0 एवं राजस्व ग्रामों की तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

उक्त एग्रीमेन्ट के पेज नम्बर 02 पर उल्लिखित वर्जिन क्षेत्र का आशय ऐसे क्षेत्र से है जिसमें वर्तमान में उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित अवस्थापना सुविधाओं के समान अवस्थापना सुविधाएं पूर्व से उपलब्ध न हो।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मार्ग एवं टौल प्लाजा के निर्माण हेतु अधिग्रहीत समस्त 1546.3046 हे0 भूमि वर्जिन है।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अधिसूचित उपरोक्त वर्जिन क्षेत्र के ग्रामों की सूची संलग्न[†] है। इन ग्रामों का खसरावार विवरण सम्बन्धित जनपद से प्राप्त किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अवैध गो-वंश हत्या पर अंकुश लगाने हेतु सरकार की नीति

13-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ रहे अवैध गो-वंश हत्या पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] छापी नहीं गयी।

श्री अवध पाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रदेश में उ0 प्र0 गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम-2002 के तहत गोवंशीय पशुओं का वध पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बांदा में रमेश खटिक आदि की भूमि को भू-माफियाओं द्वारा चकबन्दी के दौरान जालसाजी की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

14-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों रमेश खटिक आदि की भूमि को भू-माफियाओं द्वारा चकबन्दी के दौरान जालसाजी की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-1-2010 मुख्य सचिव, को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण में जिलाधिकारी/जिला उपसंचालक चकबन्दी, बांदा द्वारा की गई अभिलेखीय जांच के अनुसार प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित तथ्य न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित है तथा न्यायालय अपर आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बांदा में अपील संख्या-1546 धारा-331 जमींदारी विनाश अधिनियम रमेश आदि बनाम राम खिलावन सिंह आदि मौजा सिकहुआ परगना व जिला बांदा के रूप में योजित है जिसमें अग्रिम तिथि वास्ते बहस दिनांक 16-08-2010 नियत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बांदा के राजस्व ग्राम साड़ी बांगर में ग्राम सभा की भूमि की हेराफेरी विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

15-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के राजस्व ग्राम साड़ी बांगर, तहसील बांदा की खतौनी 1360, 1361 तथा 1362 के खाता संख्या-59 तथा 58 में जालसाजी कर गांव सभा की जमीन की हेरा-फेरी की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, बांदा से करायी गयी। जांच आख्या के अनुसार प्रकरण चकबन्दी न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद सिद्धार्थनगर में दैवी आपदा में विगत दो वित्तीय वर्षों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु धन का आवंटन

16-श्री लाल जी यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में दैवी आपदा में पिछले वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु कितना धन आवंटित हुआ है ? क्या सरकार द्वारा आवंटित धन का उपयोग उपरोक्त कार्यों में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि
2008-09	रु0 2065.61 लाख
2009-10	रु0 303.45 लाख

वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कुल रु0 2369.06 लाख का आवंटन हुआ था।

जी हां।

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में आवंटित रु0 2065.61 लाख में से विभागों की मांग एवं आवश्यकता के आधार पर रु0 2023.33 लाख का उपयोग किया गया शेष बची धनराशि रु0 42.28 लाख शासन को वापस किया गया।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में रु0 303.45 लाख का धनावंटन किया गया था। जिसमें से 75 प्रतिशत रु0 227.58 लाख कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित किया गया। शेष 25 प्रतिशत धनराशि रु0 75.87 लाख दैवी आपदा राहत खाते में अवशेष है। सभी कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक विकास हेतु कार्य योजना

17-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के एन0सी0आर0 क्षेत्र का जनपद होने के बावजूद बुलन्दशहर औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या बुलन्दशहर के औद्योगिक विकास हेतु कोई ठोस कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

जनपद में 26 भारी एवं मध्यम उद्यम तथा 6743 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित हैं। जनपद बुलन्दशहर में लगभग रु0 100.00 करोड़ से अधिक का निर्यात प्रति वर्ष हो रहा है। जनपद के खुर्जा क्षेत्र में लघु उद्यमों की सुविधा के लिए एक पॉटरी क्लस्टर की स्थापना की जा रही है तथा निर्यातकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक निर्यात विपणन केन्द्र की स्थापना की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा के साप्ताहिक बाजार को बन्द करने का कथित प्रकरण

18-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा के साप्ताहिक बाजार को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बाजार बन्दी के कारण बेरोजगार हुये लोगों के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-63753/09, नोएडा साप्ताहिक बाजार एसोसियेशन व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 14-12-09 द्वारा नोएडा में लगने वाले अनाधिकृत साप्ताहिक बाजारों के सम्बन्ध में प्रतिवादी को हस्तक्षेप करने से रोका गया है। मा0 न्यायालय के इन आदेशों का पालन किया जा रहा है, जिसके तहत साप्ताहिक बाजार पूर्ववत् लगाये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

19-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में मा0 विधायकों द्वारा आय प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया की जानकारी

20-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 विधायकों को आय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है ? यदि हां, तो किसी व्यक्ति की आय को मापने की क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी ? विधायकगण जिन लोगों को व्यक्तिगत रूप से ठीक प्रकार से नहीं जानते हैं उनको आय प्रमाण-पत्र किस आधार पर जारी करेंगे ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। शासनादेश दिनांक 8-6-1982 के अनुसार आय तथा जाति प्रमाण-पत्र पूर्ववत् तहसीलदार द्वारा जारी किया जायेगा। तहसीलदार के अतिरिक्त अन्य किसी को आय व जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्डों में सड़कों के निर्माण कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

21-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर सदर के भावलखेड़ा व ददरौल विकास खण्डों की 6 सड़कों के लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने की मांग विषयक

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-12-09, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

मा0 विधायक के पत्र दिनांक 3-12-09 में इंगित 06 नग सम्पर्क मार्गों का स्थलीय निरीक्षण उप निदेशक (नि0) मण्डी परिषद् शाहजहांपुर द्वारा कराया गया जिसमें निम्न 04 नग सम्पर्क मार्ग मण्डी परिषद् के मानकों के अनुरूप निर्माण योग्य पाये गये :-

(1) भावलखेड़ा के ग्राम आदमपुर गांव की मुख्य सड़क से करनैल सिंह व अन्य के झाला तक।

(2) ब्लाक ददरौल के ग्राम राईखुर्द से सुभाषनगर तक।

(3) ब्लाक ददरौल के ग्राम भेदपुर में ट्रस्ट फार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट शाहजहांपुर शैक्षणिक संस्थान से नेशनल हाइवे-24 से जाने वाले सम्पर्क मार्ग।

(4) रेयान स्कूल मिश्रीपुर से नेशनल हाइवे-24 से जाने वाले मार्ग तक।

उपरोक्त सम्पर्क मार्गों में से क्रमांक-3 पर अंकित सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष सम्पर्क मार्गों के सम्बन्ध में मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण कराने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा कराये गये विकास कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग

22-डा0 अनिल चौधरी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर की तहसील-सादाबाद में वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ0 प्र0 द्वारा विकास के कौन-कौन कार्य कराये जा रहे हैं अथवा प्रस्तावित हैं ? प्रस्तावित कार्यों को कब तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में वर्ष 2007-08 में सम्पर्क मार्ग गैचौली से मुखरौली का निर्माण कार्य लम्बाई 1.63 कि0मी0 लागत रु0 22.15 लाख का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। वर्ष 2008-09 में निम्नांकित सम्पर्क मार्गों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

1-बहरदोई से रसगवा।

2-कोकना कलां से नगला बिहारी तक।

3-घाटमपुर से नगला जंगला।

4-ग्राम कजौली से नगरिया नाला तक।

5-नगला कलां से बटपूरा तक।

6-ग्राम ढकपुरा से कस्बा सहपऊ (नगला बिहारी रोड तक)

7-रजवाहा खदौली से घूचा तक (रजवाहा गुजस्ता की पटरी तक)

8-मई खन्दौली से गोविन्दपुरा।

क्रमांक-3 पर प्रस्तावित मार्ग घाटमपुर से जंगला तक लम्बाई 1.00 कि0मी0 लागत रु0 23.25 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्रमांक-03 पर अंकित मार्ग को दिसम्बर, 10 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है, विकास कार्यों की आवश्यकता एवं औचित्य के दृष्टिगत शेष मार्गों की स्वीकृति किये जाने में कठिनाई है।

जनपद इलाहाबाद में मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में कोच एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

23-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, म्योहाल स्पोर्ट्स काम्पलेक्स तथा तरणताल में विभागीय कोच, कैंप कोच एवं तरणताल में स्वीमिंग कोच, जीवन रक्षक तथा तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं ? इन स्वीकृत पदों पर कितने लोगों की नियुक्ति की गई है तथा शेष रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

इलाहाबाद के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम हेतु विभागीय कोच के रूप में 04 उप क्रीड़ाधिकारी (इसमें 01 तरणताल कोच के रूप में सम्मिलित), 01 जीवन रक्षक, 06 लिपिक वर्गीय, 01 इलेक्ट्रीशियन व 01 ड्राइवर सहित तृतीय श्रेणी के कुल 13 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 10 पद स्वीकृत है। इसी प्रकार म्योहाल स्पोर्ट्स काम्पलेक्स इलाहाबाद हेतु विभागीय कोच के रूप में 03 उप क्रीड़ाधिकारी, 02 लिपिक वर्गीय, 01 इलेक्ट्रीशियन सहित कुल 06 पद तृतीय श्रेणी में तथा चतुर्थ श्रेणी के 05 पद स्वीकृत हैं।

स्वीकृत पदों के विपरीत तृतीय श्रेणी में 16 एवं चतुर्थ श्रेणी में 13 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

तृतीय श्रेणी के 03 व चतुर्थ श्रेणी के 02 पद रिक्त हैं जो 02 प्रतिशत कटौती के अधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज, प्रतापगंज में अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति वितरण में धांधली की जांच पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

24-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के दूसरे गुरुवार हेतु निर्धारित श्री लालजी यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0-141 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत पत्र दिनांक 16-4-2002 में निदेशक समाज कल्याण ने अपना मन्तव्य व्यक्त किया था कि जांच रिपोर्ट में जो विवरण उपलब्ध है वह 96-97 से ही विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं जबकि विद्यालय को वर्ष 1987 से अब तक दी गयी छात्रवृत्ति

की धनराशि के गबन और उसके आधार पर प्रथम दृष्टया अनियमितता पायी गयी थी ? यदि हां, तो निदेशक समाज कल्याण के मन्तव्य को देखते हुए क्या सरकार उक्त विद्यालय की छात्रवृत्ति की धनराशि की जांच वर्ष 1987 से कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रकरण में करायी गयी जांच में अनियमितता पाये जाने पर तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दोषियों के विरुद्ध धारा 409 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या-65/2002 थाना सिकरारा जिला जौनपुर में पंजीकृत कराया जा चुका है। वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अगौता के ग्राम अन्हेड़ा के कतिपय मार्गों के निर्माण की मांग

25-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अगौता के ग्राम अन्हेड़ा, वि0 खं0 अगौता के सैदपुर मार्ग से अन्हेड़ा सम्पर्क मार्ग की लगभग 01 कि0मी0 तक की सड़क बनवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

जनपद-बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र अगौता के ग्राम अन्हेड़ा, विकास खण्ड अगौता के सैदपुर मार्ग से अन्हेड़ा सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 01 कि0मी0 जो मण्डी समिति गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत है। मण्डी समिति गुलावठी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने में कठिनाई है।

प्रदेश में गोवंशीय पशुओं का वध पूर्णतया प्रतिबन्धित

26-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गो-वंश जाति के पशुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन कम हो रहा है ? क्या यह सही है कि इसका मुख्य कारण गो-वंश के पशुओं का अवैध कटान है ? यदि हां, तो क्या सरकार गोवंश का अवैध कटान करने वालों के विरुद्ध कड़ा कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रदेश में गो-वध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत गोवंशीय पशुओं का वध पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अगौता में मार्गों के निर्माण की मांग

27-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर में वर्ष 2008-09 व 2009-10 में मण्डी परिषद् द्वारा सड़क व खड़न्जा निर्माण हेतु किन-किन मार्गों का चयन किया गया ? क्या अगौता विधान सभा क्षेत्र में कोई मार्ग स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद बुलन्दशहर में मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 2008-09 में 07 नग सामान्य सम्पर्क मार्ग एवं 08 नग सम्पर्क मार्ग डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत तथा वर्ष 2009-10 में 12 नग सामान्य सम्पर्क मार्ग का चयन कर निर्मित किया गया है। खड़न्जा का कार्य मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया जाता है। विवरण संलग्न[†] है।

जी हां। अगौता विधान सभा क्षेत्र में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में 01 नग मार्ग गुलावठी अहमदानगर मार्ग से ग्यास्तीपुर तथा वर्ष 2009-10 में 01 नग सामान्य मार्ग भैंसाखुर से ग्राम सेहरा तक स्वीकृत कर निर्माण कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में बी0पी0एल0 सूची में वृद्धजनों को स्वीकृत पेंशन के विवरण की जानकारी

28-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में वर्ष 2008-09 से 31-3-10 तक कुल कितने बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की गयी है क्या सरकार को जानकारी है कि ब्लाक जसपुरा के ग्राम गडरिया, चंदवारा, गाजीपुर, सिन्धनकला में सैकड़ों अपात्रों को उक्त पेंशन दी गयी है ? यदि हां, तो क्या पात्रता तथा वी0पी0एल0 सूची की जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को पेंशन सुविधा दिलाने हेतु कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद बांदा में वर्ष 2008-09 से 31-3-2010 तक बी0पी0एल0 सूची-2002 में अंकित कुल 9576 वृद्धजनों को पेंशन स्वीकृत की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के मण्डलीय कारागार के बन्दी श्यामू करिया की मृत्यु के कारणों की जांच पर कार्यवाही

29-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा मण्डलीय कारागार में बन्द श्यामू करिया उम्र 25 वर्ष निवासी बांदा की जेल के अन्दर पिटाई के कारण दिनांक 1-3-10 को मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो थाना कोतवाली नगर बांदा में मु0अ0सं0-22/10 धारा 304 आई0पी0सी0

[†] (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 363-364 पर)

में दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोषी कारागार कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मृतक बंदी के पंचनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बंदी के शव में किसी प्रकार की कोई चोट आदि वर्णित नहीं है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होने के कारण मृतक बंदी का विसरा संरक्षित किया गया है। संरक्षित विसरा के परीक्षण के उपरान्त ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। मजिस्टीरियल जांच रिपोर्ट में यदि कोई जेल कर्मी दोषी पाया जाता है तभी उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के तहसील सादाबाद में कतिपय मार्गों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पर कार्यवाही की मांग

30-डा0 अनिल चौधरी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर निदेशक (प्रशासन) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ0 प्र0 के पत्र सं0-मु0अभि0 (प्रस्ताव)/2008-170/दिनांक 12-8-08 द्वारा तहसील सादाबाद के कतिपय मार्गों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव जिलाधिकारी, महामायानगर से मांगा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस मार्ग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है एवं इनका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

निम्नलिखित मार्गों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

1-बहरदोई से रसगवा।

2-कोकना कलां से नगला बिहारी तक।

3-घाटमपुर से नगला जंगला।

4-ग्राम कजौली से नगरिया नाला तक।

5-नगला कलां से बटपूरा तक।

6-ग्राम ढकपुरा से कस्बा सहपऊ (नगला बिहारी रोड तक)

7-रजवाहा खदौली से घूचा तक (रजवाहा जुगस्ता की पटरी तक)

8-मई खन्दौली से गोविन्दपुरा।

क्रमांक-3 पर प्रस्तावित मार्ग घाटमपुर से जंगला तक लम्बाई 1.00 कि0मी0 लागत रु0 23.25 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसका निर्माण कार्य दिसम्बर, 2010 तक करा दिया जायेगा।

एक मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। विकास कार्यों की आवश्यकता एवं औचित्य के दृष्टिगत शेष मार्गों की स्वीकृति प्रदान किये जाने में कठिनाई है।

मे0 चन्द्रभान दाउदयाल आगरा को टेन्ट व छोलदारी के बकाये देयकों की विचाराधीन कार्यवाही

31-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट संख्या-7254/2002 में दिनांक 22-2-2005 को पारित आदेश के अनुपालन में मे0 चन्द्रभान दाउदयाल आगरा को टेन्ट व छोलदारी के बकाया देयकों का भुगतान राहत आयुक्त द्वारा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना के ग्राम नगला बुजुर्ग की शमशान घाट की भूमि को पूरा करने विषयक-पत्र पर कार्यवाही

32-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नगला बुजुर्ग में मजरा विलायत नगर, विकास खण्ड मोरना की शमशान घाट की जमीन को पूरा कराने विषयक उप जिलाधिकारी, जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-064/रालोद/वि0म0दल/वि0स0/2010 दिनांक 28-1-10 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण में तहसीलदार जानसठ को जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार द्वारा क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को तत्काल स्थल पर भेजकर शमशान घाट खसरा संख्या-1367 स्थित ग्राम नगला बुजुर्ग के मजरा विलायत नगर की पैमाइश प्रार्थीगण भूरा आदि व अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में कराकर दिनांक 4-3-2010 को मेड़ लगवा दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मोरना में कुपोषण से बच्चों को बचाने की योजना

33-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मोरना में कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिये क्या सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए विभाग द्वारा 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों को उच्च गुणवत्तायुक्त सुपाच्य एवं पौष्टिक माइक्रोन्यूट्रीयन्ट फोर्टिफाइड फूड (रेडी टू ईट)/हॉट कुक्ड फूड उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और संदर्भन सेवायें भी प्रदान की जाती है।

उक्त सेवाओं का कवरेज एवं स्वास्थ्य विभाग की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर आयुक्त समाज कल्याण की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में तथा विकास खण्ड स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में समितियां गठित की गयी हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ में लेखपालों के स्थानान्तरण की मांग

34-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर, तहसील जानसठ के राजस्व निरीक्षण क्षेत्र शुक्रताल फिरोजपुर, इलाहबांस बिहारगढ़ में विगत तीन या उससे अधिक वर्षों से एक ही हल्का/क्षेत्र पर कितने लेखपाल तैनात हैं ? क्या शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार इन लेखपालों का स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-मुजफ्फरनगर, तहसील जानसठ में राजस्व निरीक्षण क्षेत्र शुक्रताल फिरोजपुर, इलाहबांस बिहारगढ़ नहीं है। अपितु ये राजस्व ग्राम है। राजस्व निरीक्षक क्षेत्र भोपा है जिसमें लेखपाल क्षेत्र इलाहबांस है। इस लेखपाल क्षेत्र में शुक्रताल, फिरोजपुर इलाहबांस बिहारगढ़ व अन्य ग्राम शामिल है। इन ग्रामों में एक ही लेखपाल कार्यरत है।

शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार श्री शिव कुमार लेखपाल का स्थानान्तरण उप जिलाधिकारी जानसठ के आदेश दिनांक 23-06-2010 द्वारा अन्य क्षेत्र जलालपुर बेहड़ा पर कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा बिना पद के सृजन की अनियमितता में आडिट की आपत्तियों पर कार्यवाही

35-श्री लाल जी यादव-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा वर्ष 2004 से वर्ष 2006 तक पद के बिना सृजन के अनियमित प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की अवधि में पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, जालसाजी करके परिषद् की कई मदों से लाखों रुपये की धनराशि का अनियमित भुगतान लिये जाने तथा अन्य कई गम्भीर अनियमितातायें किये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा परिषद् के लेखों की दिनांक 06-03-07 को कराये गये आडिट रिपोर्ट में दोषी पाये गये थे ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री सदल प्रसाद)-

आडिट में उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यालय तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0 प्र0 इलाहाबाद के मध्य गतिमान है। अतः प्रक्रियापूर्ण होने तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा अवधि के वेतन भत्तों के आहरण के भुगतान के आदेश

36-श्री लाल जी यादव-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व संयुक्त सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा वर्ष 2004 से वर्ष 2006 तक प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा अवधि में वेतन तथा भत्तों के आहरण तथा भुगतान के लिए वित्त सामान्य-1, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 13-05-1980 में अवकाश वेतन/पेंशनरी अंशदान हेतु दिये गये आदेशों का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पूर्व संयुक्त सचिव की सरकारी सेवाओं में परिषद् में की गयी प्रतिनियुक्ति अवधि की बाह्य सेवाओं को वर्तमान सरकारी सेवा में जोड़ लिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर सेवायें जोड़ी गई हैं ? क्या सरकार इसके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-उन्नाव की तहसील-पुरवा के ग्राम सिकरी में अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने की मांग

37-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव, तहसील-पुरवा, परगना/थाना असोहा के अन्तर्गत ग्राम सिकरी के अनुसूचित जातियों/पिछड़ी जातियों के गरीब किसानों की खाता खतौनी क्रम सं0-00017, 00057, 187, 91, 265, 300/2,300/3,266, 306/1,175,4 की गाटा संख्या में उल्लिखित भूमि को दबंगों के अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने विषयक ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र पर उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार व थानाध्यक्ष, असोहा द्वारा दिनांक 19-7-2002 को दबंगों के अवैध कब्जे से मुक्त कराकर भूमि का कब्जा दिलाया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त भूमि पर दबंग व्यक्तियों द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर किसानों को पुनः भूमि का कब्जा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कब्जा दिलाया गया था।

जी नहीं।

खाता संख्या-17, 57, 187, 91, 265, 300/2,300/3,266, 306 व 175 पर खातेदारों/उनके क्रेतागणों का कब्जा है। खाता संख्या-4 की गाटा संख्या-299 के सम्बन्ध में मा0 सिविल न्यायालय से स्थगन है एवं गाटा संख्या-308/3 पर खातेदार का कब्जा है तथा प्रश्न में उल्लिखित 300/2, 300/3 एवं 306/1 खाता खतौनी का क्रमांक नहीं है बल्कि गाटा संख्यायें हैं जिन पर अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में निर्मित स्टेडियम में नवनिर्मित तरणताल के लिये कोच की नियुक्ति की मांग

38-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में निर्मित स्टेडियम में नवनिर्मित तरणताल के लिये कोच की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी हां।

जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में निर्मित स्टेडियम में नवनिर्मित तरणताल के लिये विभागीय कोच का पद स्वीकृत नहीं है। विभागीय कोच का पद स्वीकृत होने पर तरणताल हेतु विभागीय कोच की तैनाती की जायेगी। विभागीय कोच के अभाव में तैराकी का प्रशिक्षण शिविर संचालित करने हेतु अंशकालिक प्रशिक्षक की तैनाती की गई थी, परन्तु सम्बन्धित अंशकालिक प्रशिक्षक द्वारा ज्वाइन न करने के कारण तरणताल में तैराकी के अंशकालिक प्रशिक्षक का पद रिक्त है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद-शाहजहांपुर के सरकारी अस्पताल में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

39-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुधन विभाग में कितने पशु चिकित्सकों की कमी है ? क्या यह सही है कि नियायतपुर जनपद-शाहजहांपुर का सरकारी अस्पताल चिकित्सक के अभाव में चल नहीं पा रहा है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय में पशु चिकित्सक की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

पशुधन विभाग में 617 पशुचिकित्सकों की कमी है।

जनपद-शाहजहांपुर में नियामतपुर पशु चिकित्सालय न होकर नवसृजित पशु सेवा केन्द्र है, जिस पर पशुधन प्रसार अधिकारी की तैनाती की जाती है। उक्त पशु सेवा केन्द्र नवसृजित होने के कारण अभी पशुधन प्रसार अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। पशुधन प्रसार अधिकारी का पद स्वीकृत होने के उपरान्त तैनाती कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कारागारों में कैदियों की बढ़ती संख्या के अनुसार पाकशालाओं की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

40-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कारागारों में कैदियों की बढ़ती संख्या के कारण उनके भोजन की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कारागारों में एक के स्थान पर दो अथवा तीन पाकशालाओं की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पाकशालाओं की व्यवस्था पर विचार किया जाता है।

जनपद-मुजफ्फरनगर में उद्यान विभाग द्वारा आलू बीज किसानों को उपलब्ध कराये जाने की मांग

41-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में किसानों को उचित दर पर कितने क्विंटल आलू का बीज उपलब्ध कराया गया ? क्या मांग के अनुरूप सरकार द्वारा किसानों को बीज उपलब्ध कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जनपद मुजफ्फरनगर हेतु वर्ष 2009-10 में 155.50 कुन्टल आलू बीज उपलब्ध कराया गया।

जनपदों में आलू बीज का आवंटन विभाग में आलू बीज की उपलब्धता के आधार पर किया गया है।

भारत सरकार से उपलब्ध कराये गये ब्रीडर आलू बीज का राजकीय प्रक्षेत्रों पर सम्बर्द्धन के उपरान्त विभाग के पास उपलब्ध आधारित श्रेणी के आलू बीज को शासन द्वारा प्रख्यापित आलू बीज वितरण नीति शासनादेश सं0-2437/58-2009-100(2)/2006, दिनांक 01-10-2009 के अनुसार कृषक प्रक्षेत्रों पर प्रमाणित आलू बीज उत्पादन करने हेतु जनपदों को उपलब्ध कराया गया है।

42-श्रीमती मिथिलेश पाल-

[दिनांक 09-08-2010 को अता0 प्र0 सं0-184 द्वारा उत्तरित]

जनपद-मुजफ्फरनगर में बी0 पी0 एल0 परिवारों की जन्मी बालिकाओं को महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का लाभ दिये जाने की मांग

43-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत 15 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक बी0 पी0 एल0 परिवारों में कितनी बालिकाओं ने जन्म लिया है ? उक्त जनपद की विभिन्न तहसीलों में पात्र बी0 पी0 एल0 परिवारों में जन्मी कितनी बालिकाओं को उक्त योजना का लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद मुजफ्फरनगर में 15 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक बी0पी0एल0 परिवारों में 983 बालिकाओं ने जन्म लिया है।

जनपद की विभिन्न तहसीलों में बी0पी0एल0 परिवारों में जन्मी पात्र 560 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

423 बालिकायें पात्रता की विभिन्न शर्त पूरी न करने के कारण लाभान्वित नहीं हो सकी है।

जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया के ग्राम बटियन के पट्टेदारों को कब्जा दिलाये जाने की मांग

44-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया के ग्राम बटियन के पट्टेदारों को लगभग तीस वर्षों से कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव के पट्टाधारकों को पट्टा दिलाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम बटिहन में चकबन्दी प्रारम्भ होने के पूर्व सीलिंग भूमि के 409 पट्टेदारों का नाम अभिलेखों में दर्ज था। चकबन्दी के दौरान तहसील द्वारा कुल 273 पट्टे और किये गये। इस प्रकार कुल 682 पट्टेदार अभिलेखों में दर्ज हैं जिसमें से 545 पट्टेदारों को कब्जा दिलाया जा चुका है। 51 पट्टे विभिन्न न्यायालयों से निरस्त कर दिये गये हैं। शेष 86 पट्टेदार विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित स्थगनादेश से प्रभावित है।

न्यायालय के स्थगन आदेश अपास्त होने पर पट्टेदारों को कब्जा दिलाया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के ब्लाकों में चकबन्दी कार्य की सीमा निर्धारण की मांग

45-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के किन-किन ब्लाकों में चकबंदी का कार्य पूर्ण हो गया है तथा किन-किन ब्लाकों में प्रस्तावित है ? क्या पुनः चकबन्दी करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद खीरी के ब्लाक सदर फूलबेहड़, सकहा, धौरडरा, ईशानगर, मितौली तथा बेहजम में प्रथम चक्र की चकबन्दी का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में जनपद खीरी के कुम्मी, मोहम्मदी, पसगंवा, निघासन, रमियाबेहड़, बिजूआ तथा पलिया ब्लाकों में चकबन्दी प्रस्तावित है।

जी हां।

प्रथम चक्र की चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, परन्तु उ0 प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4क(1) के उपबन्धानुसार जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिले या उसके भाग में धारा-52 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, लोकहित में चकबन्दी कराना समीचीन है, वहां वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा पुनः चकबन्दी प्रक्रिया प्रख्यापित कर सकती है। यह प्रख्यापन धारा-52 की विज्ञप्ति के 20 वर्ष के पूर्व नहीं होगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लोकहित में धारा-52 की विज्ञप्ति की तिथि से 10 वर्ष के बाद घोषणा जारी कर सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन एवं पलिया में लक्ष्य के सापेक्ष वृद्धावस्था पेंशनरों को पेंशन का लाभ

46-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन एवं पलिया में वृद्धावस्था पेंशन कितने लोगों को दी जा रही है ? क्या इन दोनों तहसीलों के सभी पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन एवं पलिया में वर्तमान में क्रमशः 6278 एवं 2282 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है।

जी हां, नियमानुसार बी0पी0एल0 सूची-2002 में अंकित 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्र सभी व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिये जाने की व्यवस्था है।

वर्तमान में शासन द्वारा जनपद के निर्धारित भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष वृद्धावस्था पेंशनरों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसीलों में मानक के अनुरूप पशु चिकित्सकों की तैनाती की मांग

47-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी की निघासन व पलिया तहसीलों के पशु चिकित्सालयों में स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप स्टाफ उपलब्ध कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

जी हां, जनपद-लखीमपुर के निघासन एवं पलिया तहसील के अन्तर्गत पशु चिकित्साधिकारी के 04 पद, वेटनरी फार्मासिस्ट के 02 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 09 पद रिक्त हैं, परन्तु पशु चिकित्सालयों का कार्य संचालन सुचारु रूप से स्थानीय व्यवस्था से हो रहा है।

विभाग में पशु चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर पशु चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों पर तैनाती की जायेगी। अन्य रिक्त पदों पर भी कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर शीघ्र नियमानुसार तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

48-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[दिनांक 10-08-2010 को अता0 प्र0 सं0-92 द्वारा उत्तरित]

49-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[दिनांक 09-08-2010 को अता0 प्र0 सं0-181 द्वारा उत्तरित]

जनपद-मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ में उप मण्डी की स्थापना कराये जाने की मांग

50-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ के अन्तर्गत आने वाले टाऊन एरिया कमेटी में कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिये क्या सरकार उप मण्डी की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कस्बा जानसठ में थोक व्यापारी एवं आढ़तिया का मात्र एक लाइसेंसी है। विगत 03 वर्षों में औसत आय रु0 81,700,00 मात्र हुई है तथा वर्तमान कृषि वर्ष 2009-10 में आय शून्य है। प्रधान मण्डी स्थल मीरापुर से जानसठ की दूरी मात्र 08 किलोमीटर है। जानसठ में कोई लाइसेंसी व्यापारी उपलब्ध न होने के कारण यहां पर उपमण्डी स्थल का निर्माण कराया जाना उचित नहीं पाया गया है।

प्रदेश के जिला कारागारों के बन्दी रक्षकों को पौष्टिक आहार भत्ता दिये जाने का विचाराधीन प्रकरण

51-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों की भांति जिला कारागारों में कार्यरत बन्दी रक्षकों को भी पौष्टिक आहार भत्ता दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर व उन्नाव की सीमा विवाद हल करने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

52-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फतेहपुर व जनपद-उन्नाव सीमा विवाद को हल करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-01-10 प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ0 प्र0 से प्राप्त की गयी आख्या दिनांक 24 जून, 2010 के अनुसार वर्तमान में प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 चकबन्दी अधिनियम, 1953 की कतिपय धाराओं में प्रवृत्त प्राविधानों के अनुसार अंकित भूमि के अधिकार अन्तिम निश्चायक करने सम्बन्धी जानकारी

53-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-12(1), 27(2), 49 में प्रवृत्त प्राविधानों के अनुसार आकार पत्र 45 में अंकित भूमि के अधिकार अन्तिम निश्चायक होंगे और कोई भी दीवानी या माल न्यायालय भूमि के अधिकार के सम्बन्ध में कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राविधानों के प्रतिकूल आपत्ति संज्ञान में आने पर निरस्त करने में सक्षम है ? क्या सरकार न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त कर विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी नहीं, सक्षम न्यायालय द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आदर्श जेल मैनुअल लागू करने पर विचार

54-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान जेल मैनुअल के स्थान पर ''आदर्श जेल मैनुअल'' लागू करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी कारागारों में गुणवत्ता युक्त भोजन की उपलब्धता

55-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न कारागारों में रसोइयों (पाक शास्त्रियों) की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप रसोइयों की भर्ती कर कैदियों को गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जेल मैनुअल के प्राविधानों के अनुरूप प्रदेश की सभी कारागारों में उक्त कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है।

प्रदेश में नदियों के किनारे बाढ़ प्रभावित स्थानों को चिन्हित कर सुरक्षा कार्य कराने की योजना

56-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिन जनपदों की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है, के बाढ़ पीड़ितों को ऊंचे स्थान पर बसाकर या बन्धे बनाकर बाढ़ की समस्या के निराकरण हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स के अनुसार राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बाढ़ राहत कैम्प संचालित किया जाता है, जिसमें अस्थाई आवास, चिकित्सा एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। जहां तक बंधे बनाकर बाढ़ की समस्या के निराकरण हेतु सरकार कोई योजना बना रही है, इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में नदियों के किनारे संवेदनशील/अतिसंवेदनशील 130 अदद् स्थलों को चिन्हित कर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अन्तर्गत सीमान्त बांध, कटाव निरोधक व जलोत्सारण कार्यों को स्वीकृत कर कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

57-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[दिनांक 10-08-2010 को अता0प्र0सं0-182 द्वारा उत्तरित]

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना में कृषि/आवासीय पट्टों के आवंटन में पात्रता का सत्यापन कराये जाने की मांग

58-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-2010 में कुल कितने व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर कृषि/आवासीय पट्टों का आवंटन किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पात्रता का सत्यापन प्रमाण-पत्र अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व द्वारा हस्ताक्षरित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील जानसठ के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरना में वर्ष 2006-07 व 2007-08 में कृषि भूमि का कोई आवंटन नहीं हुआ है। वर्ष 2008-09 में ग्राम जौली में 10 व्यक्तियों को व ग्राम धौराहेडी में 02 व्यक्तियों को कृषि आवंटन किया गया तथा वर्ष 2009-10 में कोई कृषि आवंटन नहीं किया गया।

वर्ष 2006-07 में कोई आवास आवंटन नहीं किया गया व वर्ष 2007-08 में ग्राम मलपुरा के 20 व्यक्तियों को तथा वर्ष 2008-09 में ग्राम धीराहेडी के 14 व्यक्तियों को आवास आवंटन किया गया व वर्ष 2009-10 में कोई आवास आवंटन नहीं किया गया।

जी नहीं। कृषि एवं आवास आवंटन में अपर जिलाधिकारी के द्वारा आवंटियों की पात्रता का सत्यापन करने का भूमि विधियों में कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ एवं सदर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ

59-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ एवं सदर में कितने व्यक्तियों को अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक राष्ट्रीय

पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिया गया है व कितने आवेदन-पत्र अभी लम्बित हैं ? इनके लम्बित होने के क्या कारण है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद मुजफ्फरनगर में माह अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ में 309 व्यक्तियों एवं तहसील सदर में 572 व्यक्तियों की योजना का लाभ दिया गया है। तहसील जानसठ में 03 आवेदन-पत्र व तहसील सदर में 31 आवेदन-पत्र इस प्रकार कुल 34 आवेदन-पत्र तहसील स्तर पर जांच हेतु लम्बित हैं।

उक्त आवेदन-पत्र उप जिलाधिकारी कार्यालय से जांच हेतु लम्बित हैं। जांचोपरान्त आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुदान की कार्यवाही की जा सकेगी।

जनपद मुजफ्फरनगर के अनेकों ब्लाकों में तालाबों के आवंटन का विवरण

60-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के ब्लाक सदर, मोरना पुरकाजी, जानसठ, खतौली चरथावल के अन्तर्गत स्थित तालाबों के पट्टे किन-किन समुदाय के लोगों को दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-मुजफ्फरनगर के ब्लाक सदर पुरकाजी, चरथावल के अन्तर्गत स्थित तालाबों के पट्टे मत्स्य पालन हेतु शासनादेश 2350(1)/1-2-2009-रा0-02, दिनांक 7 सितम्बर, 2009 के अन्तर्गत मात्र मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को किये गये हैं।

तहसील खतौली में मत्स्य पालन हेतु तालाबों के 10 वर्षीय पट्टे मछुआ समुदाय के पंजीकृत सहकारी समिति के पक्ष में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराकर तहसील स्तर पर शिविर का आयोजन कर दिये गये हैं। तहसील जानसठ में समस्त तालाबों का आवंटन मछुआ समुदाय के व्यक्तियों एवं मत्स्य विभाग द्वारा पंजीकृत सहकारी समिति के पक्ष में आवंटन किये गये हैं।

जनपद मुजफ्फरनगर में गत वर्षों में डा0 भीमराव अम्बेडकर छात्रावास की मरम्मत की मांग

61-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-2010 में डा0 भीमराव अम्बेडकर छात्रावास की मरम्मत हेतु कितना-कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या आवंटित धनराशि से उक्त छात्रावास के मरम्मत का कार्य किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में उक्त छात्रावास के मरम्मत हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा अधिग्रहीत भूमि का विवरण

62-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) द्वारा अब तक कितनी भूमि अधिगृहीत की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अधिग्रहीत भूमि पर स्थापित किये गये उद्योगों/ विद्यालयों/संस्थानों/आवासीय योजनाओं तथा उनके द्वारा आवंटित कराई गई भूमि का विवरण क्या है ?

सुश्री मायावती-

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा अब तक 1537 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी है।

उक्त अधिग्रहीत भूमि में से भूमि का आवंटन विभिन्न योजनाओं में निम्नवत् किया गया है :-

क्र0सं0	योजना	आवंटित भूखण्डों की संख्या	आवंटित क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	औद्योगिक	440	599.62
2	आवासीय	566	19.57
3	संस्थागत/शैक्षणिक	20	172.78
4	व्यावसायिक	584	43.28
	योग	**1610**	**835.25**

प्रदेश में विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन देने की नीति सम्बन्धी जानकारी

63-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कोई खेल नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में मुख्य सेविका के पदों के सापेक्ष कार्यरत मुख्य सेविका का विवरण

64-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गौतमबुद्ध नगर में मुख्य सेविकाओं जिनका मुख्य कार्य आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुचारु संचालन हेतु निरीक्षण एवं भ्रमण है, के स्वीकृत पदों के सापेक्ष काफी कम मुख्य सेविकायें पदस्थापित हैं ? क्या यह सही है कि मुख्य सेविकाओं की अत्यधिक कमी के बावजूद भी कुछ मुख्य सेविकाओं का बगैर आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण एवं भ्रमण का कार्य किये कार्यालय से सम्बद्ध दर्शाकर विगत कई वर्षों से वेतन

दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद गौतमबुद्ध नगर में मुख्य सेविका के 42 पदों के सापेक्ष 26 मुख्य सेविका वर्तमान में कार्यरत हैं।

जनपद में 12 लिपिक के सापेक्ष मात्र 02 लिपिक तैनात हैं। लिपिकीय स्टाफ के अभाव में शासकीय कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित कराने हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा 02 मुख्य सेविकाओं को कार्यालय से सम्बद्ध किया गया था। जनपद में किसी भी मुख्य सेविका को कार्यालय सम्बद्ध दर्शाकर बिना कार्य के वेतन नहीं दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में ओ0बी0सी0 की लड़कियों की शादी में दिये गये अनुदान का विवरण

65-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में वर्ष 2007-08 में प्रश्नकर्ता द्वारा ओ0बी0सी0 की लड़कियों की शादी में अनुदान दिये जाने हेतु दी गयी सूची में कितनी लड़कियों की शादी में अनुदान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवधेश कुमार वर्मा)-

वित्तीय वर्ष 2007-08 में माननीय सदस्य द्वारा शादी अनुदान से सम्बन्धित 09 आवेदकों की एक सूची दिनांकित 26-3-2008 उपलब्ध करायी गयी, परन्तु उनमें से किसी भी आवेदक का आवेदन-पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण उन नामों पर वर्ष 2007-08 में विचार नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष आवेदनों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किये जाने का प्राविधान नियमावली में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

66-डा0 कौशल किशोर-

[मा0 सदस्य के निधन के कारण हटाया गया]

जनपद आगरा के विकास खण्ड खदौली के ग्रामों में प्रचलित चकबन्दी प्रक्रिया रोके जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

67-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-165/रालोद/विमदल/विस/2010 जो जनपद-आगरा के विकास खण्ड खदौली के ग्रामों में प्रचलित चकबन्दी प्रक्रिया रोक दिये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

शासनादेश संख्या-6452/नौ-7-2006-67ज-95, दिनांक 30-11-2006 द्वारा आगरा महानगर योजना व शासनादेश संख्या-1850/77-3-एन-01, दिनांक 21-7-2009 द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें विकास खण्ड खंदौली के क्रमशः 16 व 12 ग्रामों का उल्लेख है, जिन्हें चकबन्दी प्रक्रियाओं से पृथक किये जाने का अनुरोध पत्र में किया गया है।

उक्त दोनों योजनाओं में उल्लिखित कुल 28 ग्रामों में से 02 ग्राम गिजौली मुस्तकिल व गिजौली एहतमाली दोनों योजनाओं में सम्मिलित है। इस प्रकार कुल 26 ग्राम खंदौली ब्लाक के है, जिनमें से 15 ग्रामों में यमुना एक्सप्रेस-वे का कार्य स्थल पर चलने के कारण उन्हें चकबन्दी से पृथक किया जा चुका है। एक ग्राम सराय दारूपा जिसमें किसी योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, चकबन्दी योजना में शामिल है तथा शेष 12 ग्रामों में से एक ग्राम पूर्व से चकबन्दी में नहीं था एवं एक ग्राम गिजौली मुस्तकिल को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक किया जा चुका है। शेष 10 ग्राम जिनमें आगरा महानगर योजना व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास योजना का कार्य स्थल पर प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसलिए उक्त ग्रामों में जोत चकबन्दी मैनुअल के परिच्छेद-13 के प्रावधानानुसार चकबन्दी क्रियाएं प्रचलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ के ग्राम काटका की भूमि की पैमाइश व कब्जा दिलाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

68-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यमंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-017/रालोद/ सा0वि0स0/010, दिनांकित 22-01-010 जोकि ग्राम काटका, तहसील जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर में जमीन की पैमाइश कराकर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

दोनों पक्षों की उपस्थिति में स्थल पर खं0 सं0-660/1 व 665/2 की पैमाइश कर निशानदेही कर प्रकरण का निस्तारण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

69-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की कु0 गायत्री सरोज को चिकित्सा अनुदान दिलाये जाने की मांग

70-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कु0 गायत्री सरोज पुत्री श्री शीतला प्रसाद सरोज निवासी बरहा तहसील पट्टी प्रतापगढ़ को चिकित्सीय अनुदान दिये जाने विषयक

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-1176/अ0शा0/09 दिनांक 1-9-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

योजनान्तर्गत लाभार्थी को अनुमन्य लाभ दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम निन्देमऊ के स्वर्गीय श्री राम स्वरूप साहू की पुत्रियों का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करने की मांग

71-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व अभिलेखों में विधिक उत्तराधिकारी के रूप में पुत्रियों को भूमि का अधिकार अंकित किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जनपद-उन्नाव, तहसील हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम निन्देमऊ के स्वर्गीय श्री राम स्वरूप साहू की पुत्रियों का नाम राजस्व अभिलेखों में विधिक उत्तराधिकारी के रूप में अंकित न करने के लिए कौन लोग दोषी है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए मृतक की पुत्रियों का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के ग्राम निन्देमऊ में स्व0 राम स्वरूप साहू के नाम अभिलेखों में दर्ज नहीं है। मृतक राम स्वरूप साहू की मृत्यु लगभग 40 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मृत्यु के उपरान्त उनकी भूमि उनकी पत्नी श्रीमती बिसुनदेई के नाम चकबन्दी प्रक्रियाओं में सन 1390 फसली में दर्ज की गयी। राम स्वरूप साहू की मृत्यु के लगभग 5 वर्ष बाद श्रीमती बिसुनदेई ने राम स्वरूप साहू के साथ दूसरा विवाह किया। श्रीमती बिसुनदेई व राम स्वरूप साहू से दो पुत्रियां शकुन्तला व विमला तथा श्रीमती बिसुनदेई व राम स्वरूप नरायन साहू से दो पुत्रियां गीता व गुड्डन हुईं। श्रीमती बिसुनदेई ने भूमि नं0-1101 रकबा 0.375 चकबन्दी के दौरान ही अपने दूसरे पति राम नरायन साहू के नाम कर दी थी व शेष भूमि संख्या-1146 रकबा 0.360 अपनी दो पुत्रियों गीता व गुड्डन के नाम दिनांक 25-11-2005 को जरिये बैनामा स्थानान्तरित कर दी। इस प्रकार समस्त भूमि का अन्तरण श्रीमती बिसुनदेई के द्वारा स्वयं कर दिया गया। श्री राम स्वरूप साहू के नाम कोई भी भूमि दर्ज अभिलेख न होने के कारण वरासत होने का औचित्य नहीं है। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के ग्राम नौरैया खेड़ा स्थित नान जेड0 ए0 खतौनी में दर्ज अभिलेखों में हेरा-फेरी कर बेदखल किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

72-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नौरैया खेड़ा, कानपुर नगर स्थित नान0 जेड0 ए0 खतौनी में दर्ज किसानों की भूमि में हेराफेरी किये जाने तथा खतौनी व खेंपट में फर्जी प्रविष्टियां दर्ज करके भूमि बेदखल किये जाने विषयक श्री श्याम सिंह, भूतपूर्व सदस्य, विधान

परिषद् का पत्र दिनांक 24-11-2009 प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

कानपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट को-आपरेटिव स्टेट लि0 कानपुर जो कि एक पंजीकृत संस्था है को नगर महापालिका द्वारा दिनांक 5-12-1962 को ग्राम दबौली की 235.6 एकड़ भूमि एक लीज डीड द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु दी गयी थी, जिस पर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट को-आपरेटिव स्टेट लि0 कानपुर द्वारा प्लाट विकसित किये गये जो दादानगर औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है इसी क्षेत्र के अन्तर्गत खाली पड़े पार्क नुमा एक प्लाट पर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट को-ओपरेटिव स्टेट लि0 कानपुर द्वारा बाउन्ड्री निर्मित करायी जा रही थी इसी बाउन्ड्री को बनाये जाने का विरोध श्री जगदीश सिंह, श्री चन्द्रपाल व श्री श्याम सिंह चन्देली द्वारा यह कह कर किया जा रहा था कि उक्त स्थल ग्राम दबौली की आराजी संख्या-152 का हिस्सा है और उनके पूर्वजों की रही है किन्तु यह प्लाट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट को-आपरेटिव स्टेट लि0 कानपुर को नगर महापालिका द्वारा दी गयी। 235.6 एकड़ भूमि के अन्तर्गत स्थित है। वर्ष 1359 फ0 तद्नुसार (1 जुलाई, 1951 से 30 जून, 1952) के समय आराजी संख्या-152 का आंशिक क्षेत्रफल शिकायतकर्तागण के पूर्वजों के नाम अंकित रहा है। उसके बाद वर्ष 1962 में प्रश्नगत भूमि के बावद नगर महापालिका द्वारा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट को-आपरेटिव स्टेट लि0 कानपुर के पक्ष में डीड निष्पादित की गयी।

वर्ष 1952 से अब तक शिकायतकर्तागण का उक्त भूमि पर भौतिक रूप से न तो किसी प्रकार कब्जा रहा है और न ही शिकायतकर्तागण द्वारा कानपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट को-आपरेटिव स्टेट लि0 कानपुर को दी गयी भूमि पर लगाये गये उद्योगों के बाबद कभी कोई विरोध ही किया गया। शिकायतकर्तागण द्वारा अब इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट को-आपरेटिव स्टेट लि0 कानपुर को नगर महापालिका द्वारा दी गयी भूमि के अन्तर्गत स्थित खाली पड़े पार्क नुमा प्लाट पर किये जा रहे निर्माण का विरोध किया गया जिसका कोई आधार नहीं है।

शिकायतकर्तागण एवं इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट को-आपरेटिव स्टेट लि0 कानपुर के मध्य सिविल न्यायालय में शिकायतकर्तागण द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा वाद संख्या-2714/2009 चन्द्रपाल पुत्र सरजू सिंह बनाम बब्लू सिंह आदि दायर किया गया है, जिसमें स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जो सिविल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया इसके विरुद्ध जनपद न्यायाधीश के यहां अपील व मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-3404/2010 प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 16-2-10 को निरस्त हो गयी एवं पुनः सिविल न्यायालय को सुनवाई को निर्देश दिये गये हैं। जिसके आधार पर सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। उक्त वाद में शिकायतकर्ता ने नगर निगम (नगरमहापालिका) एवं कानपुर विकास प्राधिकरण को भी पक्ष बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

शिकायतकर्ता द्वारा सम्प्रति वर्ष 1348 फ0 एवं 1359 फ0 के अभिलेखों के इन्द्राज के आधार पर शिकायत की जा रही है। यदि शिकायतकर्ता को अधिग्रहण के माध्यम से नगर

महापालिका (नगर निगम) को दी गयी भूमि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। शिकायतकर्ता का यह कथन कि प्रार्थीगण के पिता व बुजुर्गों के नाम दर्ज भूमि को पक-11 क के माध्यम से उनके नाम अंकित न कर भू-माफियाओं को कब्जा करा दिया गया है।

जिसमें कानपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम, सिंचाई विभाग व तालाबों की आरक्षित भूमि शामिल है तथा सोसाइटी को दी गयी 235.6 एकड़ भूमि के स्थान पर 350 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया। असत्य एवं निराधार है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला के ग्राम मूसेपुर खुर्द में चकबन्दी कार्य कराये जाने पर विचार

73-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील-गोला के ग्राम मूसेपुर खुर्द में चकबन्दी का कार्य कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रश्नगत ग्राम में ग्राम सभा एवं जिलाधिकारी से सुसंगत प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार चकबन्दी कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के ग्राम सभा में संचालित दुग्ध समितियां एवं बड़ी ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त समितियां खोले जाने की मांग

74-डा0 आर0 ए0 उस्मानी

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में ग्राम सभा स्तर पर संचालित दुग्ध समितियों के नाम पते एवं संख्या क्या है ? क्या सरकार बड़ी ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त दुग्ध समितियां खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्री नगर में ग्राम सभा स्तर पर संचालित दुग्ध समितियों की सूची संलग्न[†] है।

जी नहीं।

बड़ी ग्राम पंचायतों में दूसरी समिति खोलने की यह व्यवस्था है कि एक गांव में एक से अधिक समिति तभी खोली जाय जब पहली समिति दूध ढंग से नहीं भेज रही हो या उसके पास दूध की मात्रा न्यूनतम हो जाय और दूसरी समिति खोलने वाला व्यक्ति इस बात की गारण्टी दे कि

[†] (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 365-366 पर)

अधिक दूध उपलब्ध करायेगा किन्तु यह जरूरी होगा कि दूसरी या तीसरी समिति खोलने हेतु दुग्ध आयुक्त के आदेश दिनांक 15 जुलाई, 2008 के क्रम में मुख्यालय से अनुमति प्राप्त की जाय।

जनपद लखीमपुर खीरी में पशु चिकित्सालयों की संख्या एवं प्रत्येक गर्भाधान केन्द्र पर उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध कराये जाने की मांग

75-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में कितने पशु चिकित्सालय हैं ? इन पशु चिकित्सालयों में उत्तम नस्ल के कितने पशु गर्भाधान हेतु रखे गये हैं ? क्या सरकार प्रत्येक गर्भाधान केन्द्र पर उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी में 44 पशु चिकित्सालय हैं।

जनपद लखीमपुर में किसी भी पशु चिकित्सालय पर उत्तम नस्ल के पशु गर्भाधान हेतु नहीं रखे गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि विभाग में पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों तथा पेरविट्स द्वारा उत्तम नस्ल के अतिहिमीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में मण्डी समिति द्वारा गत वर्षों में डामरीकरण हेतु प्रस्तावित सड़कों का विवरण

76-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र 55 श्रीनगर में मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2008, 2009, 2010 में कौन-कौन सी सड़कें डामरीकरण हेतु प्रस्तावित की गई हैं ? क्या इन सड़कों का डामरीकरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र 55 श्रीनगर में मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2008, 2009, 2010 में कुल 03 नग सड़कें डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत डामरीकरण हेतु मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित की गयी थी।

वर्ष	मार्ग का नाम	लम्बाई कि0मी0 में
2008	महेवागंज-सेहरूआ मार्ग पर मनिकापुर होते हुए रूढ़ापुरवा तक।	1.75
2008	बहराइच-अटकोहना मार्ग से कोरिया राजपुर होते हुए हजरिया तक।	3.20

2009	त्रिकोलिया मार्ग से मोहनपुरवा कोरैयाछीट होते हुए पचकोरवा तक।	2.90
2010	कोई सड़क प्रस्तावित नहीं की गयी।	

जी हां। विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	मार्ग का नाम	लम्बाई कि0मी0	स्वीकृति का दिनांक	कार्य पूर्ण होने की तिथि
2008	महेवागंज-सेहरूआ मार्ग पर मनिकापुर होते हुए रूढ़ापुरवा तक।	1.75	04-6-08	15-12-08
2008	बहराइच-अटकोहना मार्ग से कोरिया राजपुर होते हुए हजरिया तक।	3.20	04-6-08	15-3-08
2009	त्रिकोलिया मार्ग से मोहनपुरवा कोरैयाछीट होते हुए पचकोरवा	2.90	डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना वर्ष 2009-10 की कार्ययोजना स्थगित होने के कारण सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।	

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं इनके द्वारा अधिग्रहीत अधिग्रहण हेतु विचाराधीन भूमि के क्षेत्रफल का विवरण

77-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने औद्योगिक विकास प्राधिकरण उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के तहत कब से गठित हैं तथा इन सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत/अधिग्रहण हेतु विचाराधीन भूमि का क्षेत्रफल क्या है ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में कुल 09 औद्योगिक विकास प्राधिकरण उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के तहत वर्ष 1976 से गठित है।

इन सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत/अधिग्रहण हेतु विचाराधीन भूमि के क्षेत्रफल का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	प्राधिकरण/गठन का दिनांक	अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिग्रहण हेतु विचाराधीन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा)- दिनांक 17-4-1976	23559 एकड़ (लगभग)	67.07 एकड़ (लगभग)

2	भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा)- दिनांक 25-8-1981	200.91 एकड़	67.376 एकड़
3	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)- 30-11-1989	1536 एकड़	806 एकड़
4	सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)-दिनांक 30-11-1989	508 एकड़	-शून्य-
5	वृहत्तर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ग्रे0 नोएडा)- दिनांक 28-1-1991	32260.35 एकड़ (13059.285 हे0)	74.79 एकड़ (30.2776 हे0)
6	यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण- दिनांक 24-4-2001	17950.55 एकड़ (7266.5466 हे0)	1956.47 एकड़ (792 हे0)
7	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण-(यूपीसीडा) दिनांक 05-09-2001	-शून्य-	-शून्य-
8	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा)- दिनांक 28-7-2005	1552.86 एकड़ (628.612 हे0)	2044.26 एकड़ (827.538 हे0)
9	उ0 प्र0 एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडी)- दिनांक 27-12-2007	-शून्य-	72062.035 एकड़ (29171.37 हे0)
	कुल योग (एकड़ में)	77567.67	83717.931

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु पृथक-पृथक कुछ अधिसूचित राजस्व ग्रामों का विवरण

78-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 2007 से मई, 2010 तक प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 की धारा-3 के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु पृथक-पृथक एवं कुल कितने राजस्व ग्रामों को अधिसूचित किया गया है, उनका विवरण क्या है ?

सुश्री मायावती-

मई, 2007 से मई, 2010 तक औद्योगिक विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 की धारा-38 के अन्तर्गत गठित विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु पृथक-पृथक एवं कुल अधिसूचित राजस्व ग्रामों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	प्राधिकरण का नाम	अधिसूचित राजस्व ग्रामों की संख्या
1	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा)	-शून्य-
2	भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वीडा)	-शून्य-
3	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)	-शून्य-
4	सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)	-शून्य-
5	वृहत्तर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ग्रेटर नोएडा)	-शून्य-
6	यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	1014
7	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा)	-शून्य-
8	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा)	06
9	उ0 प्र0 एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)	1921
	कुल योग :	2941

79-डा0 अनिल चौधरी-

[दिनांक 09-08-2010 को अता0प्र0सं0-194 द्वारा उत्तरित]

कानपुर नगर में मण्डी परिषद् के अधीन क्षतिग्रस्त सड़क एवं उसके मरम्मत की मांग

80-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर नगर के अन्तर्गत मण्डी परिषद् के अधीन कुल कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? उक्त सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2010-2011 में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा उन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत मण्डी परिषद् के अधीन कुल दो सड़कें क्षतिग्रस्त हैं।

1-अरौल मकनपुर मार्ग से बरण्डापुरवा लम्बाई 0.67 कि0मी0

2-रौगांव से खड़ैचा लम्बाई 1.34 कि0मी0

उक्त सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2010-2011 में कुल रु0 18.60 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। उक्त दोनों सम्पर्क मार्गों का मरम्मत कार्य माह सितम्बर, 2010 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कमकर जाति की संख्या एवं उनकी श्रेणी के सम्बन्ध में जानकारी

81-श्री शम्भू चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ''कमकर'' के नाम से कोई जाति है ? यदि हां, तो प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितनी है व उनको किस श्रेणी में रखा गया है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं, कमकर जाति मूल जाति नहीं है यह कहार जाति की एक उपजाति है।

प्रश्नगत जाति के जनसंख्या आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कमकर जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति की सूची में अंकित नहीं है, क्योंकि किसी उपजाति का उल्लेख उपरोक्त श्रेणियों में नहीं होता है।

जनपद-मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में आग लगने से हुई गेहूं की फसल की क्षतिपूर्ति पाने वालों का विवरण

82-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में वर्ष 2010-11 में किन-किन ग्रामों में आग लगने से गेहूं की फसल का नुकसान हुआ है ? क्या सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु कोई धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति पाने वालों का नाम व पता क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां। जनपद-मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में वर्ष 2010-11 में विकास खण्ड, सुल्तानगंज के ग्राम हृदयरामपुर, विछवां, भोगांव, रुईसिनौरा, वीलों, वरधनियां भाग आलीपुर खेड़ा, महावतपुर, सुल्तानगंज कृपालपुर एवं हिमायुंपुर में आग लगने से गेहूं की फसल का नुकसान हुआ है।

जी हां, नियमानुसार ग्राम कृपालपुर एवं हिमायुंपुर के केवल दो दावे मण्डी समिति, बेवर (मैनपुरी) द्वारा निस्तारित करते हुए धनराशि दी जा चुकी है। मण्डी समिति, मैनपुरी के अन्तर्गत 13 दावे कृषकों से प्राप्त किये गये हैं, जिनके निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

(1) श्री राजेश कुमार पुत्र श्री ललई सिंह, ग्राम कृपालपुर, पोस्ट चौराईपुर (मैनपुरी),

(2) श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री जदुनाथ सिंह ग्राम व पोस्ट-हिमायुंपुर (मैनपुरी)।

जनपद-मैनपुरी की कतिपय तहसीलों में संक्रमणीय भूमिधर भूमि की पैमाइश कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

83-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी की तहसील भोगांव व मैनपुरी व करहल में वर्तमान में संक्रमणीय भूमिधर भूमि की पैमाइश की जाती है वह नियम विरुद्ध है ? तथा जिससे लाखों रुपये की सरकार की हानि होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जमींदारी

विनाश अधिनियम की धारा-41 के अन्तर्गत पैमाइश कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-मैनपुरी की तहसील भोगांव, मैनपुरी व करहल में वर्तमान में संक्रमणीय भूमिधर भूमि की पैमाइश नहीं की जाती है बल्कि संक्रमणीय भूमिधर भूमि की मेड़बन्दी नियमानुसार जमी।दारी विनाश अधिनियम की धारा-41 के अन्तर्गत की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में इमाम साहब की दरगाह के तालाब से अवैध कब्जा हटाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

84-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र संख्या-0026/रालोद/स0वि0स0/010 दिनांक 22-01-10 जो कस्बा बनत, जनपद-मुजफ्फरनगर में स्थित इमाम साहब की दरगाह के तालाब पर से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

परगना व तहसील शामली जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बनत की आधार वर्ष खतौनी सन् 1387फ0 से 1392फ0 में खाता संख्या-990 का गाटा संख्या-1942/8-11-0 जोहड श्रेणी 6 के नाम अंकित है। सर्वे के आधार पर गाटे का क्षेत्रफल 9-16-0 दर्ज हुआ है। चकबन्दी अधिकारी (सदर) मुजफ्फरनगर के आदेश वाद सं0-172 निर्णीत दिनांक 28-9-04 अन्तर्गत धारा 9क (2) जोत चकबन्दी अधिनियम के क्षर गाटा सं0-1942/8-11-0 ग्राम बनत से जोहड का इन्द्राज समाप्त करके वक्फ दरगाह इमाम साहब द्वारा मुतव्ली दर्ज किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध ग्राम सभा बनत द्वारा योजित अपील सं0-2503 तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18-7-05 द्वारा निरस्त की गयी। तत्पश्चात् नगर पंचायत बनत एवं अन्य द्वारा योजित निगरानियां भी तत्कालीन उप संचालक चकबन्दी, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत निरस्त की जा चुकी हैं। आदेशों का क्रियान्वयन करते हुए ग्राम के अन्तिम अभिलेखों में गाटा संख्या-1942 से बने गाटा सं0-1371 रकबा 9-16-0 को दरगाह के स्थान पर ईदगाह में दर्ज किया गया है। सहायक चकबन्दी अधिकारी/चकबन्दीकर्ता की स्थल आख्या के अनुसार गाटा सं0-1371 में अधिकांश क्षेत्रफल में स्थल पर पुरानी आबादी बनी है। निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-6-08 के विरुद्ध नगर पंचायत बनत द्वारा पुनर्स्थापना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसको उप संचालक चकबन्दी मु0 नगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 19-5-10 द्वारा स्वीकार करते हुए निगरानियां पुनः स्थापित किये जाने के आदेश पारित किये गये। इस प्रकार वर्तमान में निगरानियां विचाराधीन हैं जिनका निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत होने के उपरान्त ही कब्जे के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के जिला कारागार के कैदी पिरथी की मौत की जांच की मांग

85-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-0029/रालोद/010 दिनांकित 22-01-10 जो जनपद- मुजफ्फरनगर के जिला कारागार में कैदी, पिरथी की मौत की जांच से सम्बन्धित है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

महानिरीक्षक कारागार से प्राप्त आख्या के अनुसार पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण ज्ञात न होने के कारण विसरा प्रिजर्व किया गया है। मृत्यु के सही कारणों की जानकारी विसरा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही ज्ञात हो सकेगी। प्रकरण की न्यायिक जांच उपलब्ध कराने हेतु निदेश दे दिये गये हैं।

प्रदेश के कारागारों में प्रत्येक कैदी की प्रतिदिन भोजन हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

86-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कारागारों में प्रत्येक कैदी की प्रति दिन भोजन हेतु आवंटित धनराशि कितनी निर्धारित है ? क्या सरकार इस धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

कैदियों के भोजन के लिये धनराशि निर्धारित नहीं है, अपितु भोज्य पदार्थों की मात्रा निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

87-डा0 अनिल चौधरी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

88-डा0 अनिल चौधरी-

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर के श्री राजनाथ सिंह की भूमि के गलत इन्द्राज को निरस्त करने की कार्यवाही

89-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2008 के दूसरे गुरुवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न सं0-04 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गलत इन्द्राज को निरस्त करने की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो जांच के आधार पर दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। गलत इन्द्राज को निरस्त करने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही के अन्तर्गत अपील संख्या-4633 धारा 11 (1) उ0 प्र0 चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 11 (ग) में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 13-7-2009 को गलत इन्द्राज निरस्त कर दिया गया है।

बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी, सुल्तानपुर के उक्त आदेश दिनांक 13-7-2009 के विरुद्ध श्री विनोद कुमार आदि ने निगरानी संख्या-1796 धारा 48 उ0 प्र0 चकबन्दी अधिनियम उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में संस्थित किया है। सुनवाई की अगली तिथि 31-8-2010 नियत है।

प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन है, अन्तिम निर्णय के उपरान्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संभव हो सकेगी।

कानपुर नगर की समस्त तहसीलों में लम्बित वादों की संख्या एवं उसके निस्तारण की मांग

90-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर की समस्त तहसीलों में तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार के न्यायालयों में दाखिल-खारिज, विरासत, वसीयत आदि से संबंधित कुल कितने वाद लम्बित हैं ? क्या उक्त लम्बित वादों को समयबद्ध निस्तारण हेतु शासन द्वारा कोई नीति या कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त लम्बित वादों का समयबद्ध निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जनपद कानपुर नगर की समस्त तहसीलों में तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार के न्यायालयों में दाखिल खारिज, विरासत, वसीयत आदि से सम्बन्धित कुल 1960 वाद लम्बित हैं ?

उक्त वादों में अविवादित वादों हेतु शासन द्वारा 45 दिन के अन्दर निस्तारण हेतु समय सीमा निश्चित की गयी है।

उक्त लम्बित वादी का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में फूड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव

91-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

22-4-10 91-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में फूड-पार्क स्थापित किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा रु0 1471.00 लाख की लागत से लगभग 105 एकड़ भूमि में फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत खाद्य

प्रसंस्करण उद्योग से सम्बन्धित कतिपय विशिष्ट अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा। फूड पार्क में फ्लोर मिल, राइस मिल, खाद्य तेल, सालवेन्ट, आयोडाइज्ड नमक, साफ्ट ड्रिंक्स, बिस्कुट, नमकीन आदि से सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर के ग्राम छलेसर में यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना में अधिग्रहीत भूमि पर नाम अंकित किये जाने का प्रकरण

92-डा0 अनिल चौधरी-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2010 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-156 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा हाई टेक सिटी हेतु भूमि का अधिग्रहण न किये जाने की दशा में ग्राम छलेसर, तहसील एत्मादपुर, जनपद आगरा के खतौनी क्रम सं0 00194 (खसरा/गाटा सं0 1198) व खतौनी क्रम सं0 00193 (खसरा/गाटा सं0 1176) में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेस-वे औद्यो0 विकास प्रा0 नोएडा का नाम अंकित करने का क्या कारण है ? क्या उक्त अंकन करने के दोषियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

ग्राम छलेसर, तहसील-एत्मादपुर, जनपद-आगरा में यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना के अन्तर्गत लैण्ड फार डेवलपमेन्ट के लिए भूमि अधिग्रहीत की गयी है। भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप ग्राम-छलेसर, तहसील-एत्मादपुर, जनपद-आगरा के खतौनी क्रम संख्या-00194 गाटा संख्या-1198 एवं खतौनी क्रम संख्या-00193 गाटा संख्या-1176 पर काश्तकार का नाम खारिज कर उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का नाम अंकित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संगत प्राविधानों के अनुरूप विधिसम्मत भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त काश्तकार का नाम खारिज कर उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का नाम अंकित किया गया है।

द मेंटीनेन्स एण्ड वेलफेयर आफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन ऐक्ट को प्रदेश में लागू कराने सम्बन्धी जानकारी

93-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर, 2007 में पारित अधिनियम ''मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर आफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन ऐक्ट'' को प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत कर अधिसूचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ऐक्ट की भावना के अनुरूप ''मेन्टीनेन्स ट्रिब्यूनल'' के गठन एवं प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ''ओल्ड एज होम'' स्थापति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

भारत सरकार से कतिपय स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण ''द मेंटीनेन्स एण्ड वेलफेयर आफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन ऐक्ट-2007'' को प्रदेश में अंगीकृत नहीं किया जा सका है।

प्रदेश में जिला राईफल क्लब/एसोसिएशन के गठन के सम्बन्ध में जानकारी

94-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में जिला राईफल क्लब/एसोसिएशन गठित है और इनके पदाधिकारी व सदस्य कौन लोग होते हैं तथा इनकी वित्तीय व्यवस्था कैसे की जाती है ? जनपद मुजफ्फरनगर की वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक वर्षवार आय-व्यय की क्या स्थिति है ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जिला राईफल क्लब/एसोसिएशन स्वायत्त संस्थाएं हैं। इसलिए इन पर खेल विभाग का कोई प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील शामली व केराना में प्राकृतिक स्रोत एवं उनका जीर्णोद्धार

95-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील शामली व कैराना में पानी के प्राकृतिक स्रोतों पोखरों, तालाब की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने तालाबों/पोखरों का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण कराकर मूल स्वरूप में लाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील शामली के अन्तर्गत वर्तमान खतौनी में अंकित पानी के प्राकृतिक स्रोतों, पोखरों, तालाबों की संख्या 933 है। तहसील शामली के विकास खण्ड शामली के 17 ग्रामों के 22 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है तथा इसी प्रकार विकास खण्ड कैराना के 4 ग्रामों के 06 तालाबों, विकास खण्ड ऊन के 5 ग्रामों के 06 तालाबों, विकास खण्ड थाना भवन के 05 ग्रामों के 05 तालाबों एवं विकास खण्ड कांधला के 05 ग्रामों के 06 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया है। इस प्रकार कुल 45 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया है।

तहसील कैराना में पानी के प्राकृतिक स्रोतों पोखरों/तालाबों की कुल संख्या-1309 है, जिनमें से 102 तालाबों का खण्ड विकास स्थल से जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के ग्राम बेलापरसुवा में अनुसूचित जाति के अधिकारियों को भूमि का पट्टा स्वीकृत करने के निर्देश

96-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के अनुसूचित जनजाति के आदिवासियों व अन्य परम्परागत वनवासियों को जो तीन

पीढ़ियों से रह रहे हैं, में से कितने लोगों को 4 एकड़ तक जमीन का पट्टा देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री फागू चौहान-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन की तहसील निघासन के ग्राम बेलापरसुवा में अनुसूचित जाति के 122 दावे व ग्राम किशननगर मजरा बकटुर्री के 24 दावे वन विभाग की कब्जे की भूमि का पट्टा दिये जाने हेतु प्राप्त हुये थे। उपखण्ड स्तरीय समिति के जांचोपरान्त ग्राम बेलापरसुवा के 58 व किशननगर मजरा बकटुर्री के 23 कुल 81 दावे पात्र पाये गये जिन्हें वन विभाग की कब्जा की हुयी भूमि पर पट्टा स्वीकृत करने हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रेषित कर दिया गया है।

अन्य परम्परागत वन निवासी जो तीन पीढ़ियों से ग्राम में रह रहे हों, ऐसा कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र बिसवां के डा0 चन्द्रभाल जूनियर हाई स्कूल बन्नी खरैला के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति न दिये जाने की जांच सम्बन्धी कार्यवाही

97-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2006 के तीसरे बुध के लिए निर्धारित श्री अनिल कुमार वर्मा एवं श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 74 के उत्तर के क्रम में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 चन्द्रभाल जूनियर हाई स्कूल बन्नी खरैला, विकास क्षेत्र-बिसवां सीतापुर की कक्षा 6, 7 व 8 की अनुसूचित जाति की 82 छात्र/छात्राओं की वर्ष 2004-05 की सूची में छात्रवृत्ति न दिये जाने की जांच कार्यवाही पूर्ण कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां, डा0 चन्द्रभाल जूनियर हाई स्कूल बन्नी खरैला विकास क्षेत्र बिसवां सीतापुर की कक्षा 6, 7 व 8 की अनुसूचित जाति की 82 छात्र/छात्राओं को वर्ष 2004-05 की सूची में छात्रवृत्ति न दिये जाने की जांच कार्यवाही पूर्ण कर निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है :-

1-श्री पी0एन0 पाण्डेय, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर।

2-श्री अनिल कुमार तत्कालीन समाज कल्याण सुपरवाइजर, जिला समाज कल्याण कार्यालय, सीतापुर।

3-श्री महावीर प्रसाद, तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, सीतापुर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के कतिपय विकास खण्डों में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

98-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फतेहपुर, विकास खण्ड ऐरायां व हथगाम में रिक्त चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद-फतेहपुर के विकास खण्ड एरायां व हथगाम में पशुचिकित्सकों के रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा नव चयनित पशुचिकित्सा अधिकारियों से तैनाती की जा रही है। विभाग में वेटनरी फार्मासिस्टों के काफी संख्या में पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर चयन के उपरान्त उक्त पशुचिकित्सालयों में वेटनरी फार्मासिस्टों की नियुक्ति कर दी जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

99-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर तथा खलीलाबाद के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था

100-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद तथा गोरखपुर में लगाये गये विभिन्न उद्योगों में प्रदूषण नियन्त्रण हेतु क्या व्यवस्था की गयी है ? गीडा में कामन एफ्ल्यूएट ट्रीटमेण्ट प्लान्ट लगाये जाने के सन्दर्भ में शासन ने क्या नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

खलीलाबाद में कार्यरत इकाइयों में से केवल रैना पेपर मिल प्रदूषण जनित इकाई है, जिसे बन्द करने की नोटिस सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0 प्र0 द्वारा निर्गत कर दी गयी है। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग की आख्यानुसार जनपद सन्त कबीरनगर में गोताकर नामक कोई स्थान नहीं है।

गीडा में कामन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु प्राधिकरण द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार करने तथा ई0आई0ए0 क्लीयरेन्स प्राप्त करने हेतु कन्सल्टेण्ट की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराकर बिड प्राप्त करते हुए कन्सल्टेण्ट की नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में गत वर्षों में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में छात्रवृत्ति का वितरण

101-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कितने छात्रों की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां, जनपद मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान प्राप्त निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित मेहतर मजदूर कन्या पाठशाला में अध्ययनरत छात्रों को वर्ष 2006-07 में 131, वर्ष 2007-08 में 97, वर्ष 2008-09 में 94 एवं वर्ष 2009-10 में 69 छात्रों को निम्न विवरणानुसार छात्रवृत्ति दी जा चुकी है :-

वर्ष	अनुसूचित जाति/जनजाति	सामान्य जाति	पिछड़ी जाति	अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति	योग
2006-07	13	06	54	58	131
2007-08	44	04	49	--	97
2008-09	50	05	39	--	94
2009-10	34	02	33	--	69

प्रश्न नहीं उठता।

102-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

[दिनांक 09-08-2010 को अता0प्र0सं0-186 द्वारा उत्तरित]

जनपद आजमगढ़ में अनुसूचित जाति व सामान्य जाति की विवाह हेतु लाभान्वित किये जाने की योजना

103-श्री सर्वेश कुमार सिंह उर्फ सीपू-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ में अनुसूचित जाति व सामान्य जाति की गरीब कन्याओं के विवाह हेतु वर्ष 2008-09 में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने लोगों को इसका लाभ दिया गया ? शेष पात्र व्यक्तियों को कब तक इसका लाभ दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जाति व सामान्य जाति की गरीब कन्याओं के विवाह हेतु क्रमशः 3017 व 442 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से अनुसूचित जाति की गरीब कन्याओं की शादी हेतु 2384 तथा सामान्य जाति की गरीब कन्याओं की शादी हेतु 292 लोगों को लाभान्वित किया गया।

अवशेष लाभार्थियों को पात्रतानुसार लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं के ग्राम असवां में अनाधिकृत कब्जा हटवाये जाने की मांग

104-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं परगना बरसठी ग्राम असंवा स्थित आराजी नं0 817/255 व आराजी नं0 816/312 तथा ग्राम पंचायत सिघवन विकास खण्ड रामपुर के आ0 सं0 546/49 पर कुछ लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा

कर लिया गया है तथा वहां से निकलने वाला गांव का आम रास्ता भी बाधित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनाधिकृत कब्जा हटवाकर आम रास्ता खुलवाये जाने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। जनपद जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं परगना बरसठी के ग्राम असंवा की अराजी नं0-817 तालाब खाते की भूमि है व आराजी नं0-816 भीटे के खाते की भूमि है जिस पर किसी का अनाधिकृत कब्जा नहीं है। ग्राम सिंघवन की आराजी नं0-546/49 की भूमि 0.006 हे0 पर अनाधिकृत कब्जा है, शेष 0.043 हे0 भूमि खाली है।

ग्राम सिंघवन की आराजी नं0-546/49 पर से अनाधिकृत कब्जा नियमानुसार हटाने के निर्देश जिलाधिकारी, जौनपुर को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की कतिपय ग्राम पंचायत की दुग्ध समितियों द्वारा निर्धारित दुग्ध मूल्य का भुगतान

105-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर की ग्राम पंचायत, भिटौरा एवं अम्बरपुर में संचालित दुग्ध समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को निर्धारित मूल्य नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की ग्राम पंचायत, भिटौरा एवं अम्बरपुर में संचालित दुग्ध समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा आपूर्ति किये गये दूध की गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित मानक के अनुरूप दुग्ध मूल्य का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अनेक जनपदों में तहसील दिवसों में प्राप्त शिकायती-पत्रों का निस्तारण

106-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, चित्रकूट हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर में वर्ष 2009-10 में प्रत्येक तहसील में कितने शिकायती-पत्र तहसील दिवसों में प्राप्त हुए हैं तथा कितने शिकायती-पत्रों का निस्तारण अब तक हो चुका है तथा कितने शिकायती-पत्र लम्बित हैं ? क्या सरकार लम्बित शिकायती-पत्रों को निस्तारित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वर्ष 2009-10 में जनपद बांदा के तहसील सदर में 1706, नरैनी में 1619, बबेरू में 3180 तथा अतर्रा में 2966 कुल 9471, जनपद चित्रकूट के तहसील कर्वी में 4167 तथा मऊ में 3187 कुल 7354, जनपद हमीरपुर के तहसील सदर (हमीरपुर) में 2633, मौदहा में 1239, राठ

में 1662 तथा सरीला में 1184 कुल 6718, जनपद महोबा के तहसील सदर (महोबा) में 1656, कुल पहाड़ में 1369 तथा चरखारी में 1746 कुल 4771 तथा जनपद फतेहपुर के तहसील फतेहपुर में 1148, बिन्दकी में 1223, खागा में 1356 कुल 3727 शिकायती प्रार्थना-पत्र तहसील दिवसों में प्राप्त हुए हैं। उक्त सभी शिकायती-पत्रों का निस्तारण हो चुका है तथा कोई भी शिकायती-पत्र लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में मण्डी परिषद् द्वारा गत वर्षों में सड़कों का निर्माण एवं उसकी लागत का विवरण

107-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में मण्डी परिषद् द्वारा पक्का एवं खड़ण्जा स्तर तथा किन-किन सड़कों का निर्माण किया गया है ? क्या विधान सभा क्षेत्र, थाना भवन में भी किसी मार्ग का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस मार्ग का एवं उसकी लागत क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद मुजफ्फरनगर में मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में लेपन स्तर तक के 47 मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसकी सूचना संलग्न[†] है। खड़ण्जा स्तर का कोई कार्य नहीं कराया गया है।

जी हां।

निर्मित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	सम्पर्क मार्ग का नाम	लागत (रु0 लाख में)
1	कैलाशिकारपुर मार्ग से पठानपुरा मार्ग	8.99
2	गोगवान मुख्य मार्ग से जमालपुर	14.50
3	विडौली चौसाना मार्ग से चौसाना जदीद लक्ष्मणपुरा	43.82
4	नाई लगला से नाई नगला नवीन	16.65

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में नया कारागार बनाने की व्यवस्था

108-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर के जिला कारागार में क्षमता से अधिक कैदी बन्दी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नयी कारागार बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] (देखिये नत्थी ''घ'' आगे पृष्ठ 367-368 पर)

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पराग डेरी लि0 द्वारा उत्पादित दुग्ध उत्पादों के नमूनों की जांच का विवरण

109-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित पराग डेरी लि0 द्वारा उत्पादित दुग्ध उत्पादों पर उत्पादन की तिथि एवं बैच नम्बर अंकित किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी की पराग डेरी लि0 द्वारा बेचे जा रहे दूध एवं दुग्ध उत्पादित वस्तुओं की पिछले दो वर्षों में कितनी बार और कब-कब जांच की गयी और उसके क्या परिणाम रहे ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

पी0सी0डी0एफ0 की केन्द्रीय गुणवत्ता एश्योरेंस प्रयोगशाला लखनऊ द्वारा पिछले 2 वर्षों से वर्षवार की गई दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नमूनों की जांच का विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	वर्ष	नमूना	
		दुग्ध	दुग्ध उत्पाद
1	2008-09	200	140
2	2009-10	190	200
	योग :	390	340

गुणवत्ता के निर्धारित मानक के अनुसार उक्त जांच के परिणाम संतोषजनक रहे हैं।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति की विकास योजनाओं हेतु अर्जित भूमि के सापेक्ष भूमि दिये जाने की व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी

110-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति/जनजाति के न्यूनतम जोत वाले किसानों की विकास योजनाओं में भूमि अर्जित कर भूमिहीन बनाने की नीति पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों की अर्जित जमीन के बदले उसी श्रेणी की उतनी ही भूमि दिये जाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि विशेष रूप से अर्जित कर भूमिहीन किये जाने की कोई नीति नहीं है। यदि किसी परियोजना के मध्य इन वर्गों की भूमि आती है तो अपरिहार्य परिस्थिति में ही उनका अर्जन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति-2003 के प्रस्तर-6.4 के अनुसार जिलों में भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में भूमि के बदले कृषि भूमि या कृषि योग्य बंजर भूमि आवंटन की व्यवस्था की गई थी। शासनादेश संख्या-361/1-13-2006-20(29)/2004-रा0-13, दिनांक 28-2-2006 में आवंटन योग्य भूमि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए इस व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किया जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा में गत वर्ष कृषि एवं आवासीय भूमि के पट्टों के आवंटन के सम्बन्ध में जानकारी

111-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कृषि एवं आवासीय भूमि के वर्ष 2009-10 में कुल कितने पट्टे अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य वर्गों को दिये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि कृषि एवं आवासीय पट्टे की सूची गलत ढंग से दी गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 में पट्टे नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करा कर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बांदा में वर्ष 2009-10 में कृषि आवंटन अनूसूचित जाति के 263 व्यक्तियों को क्षेत्रफल 69.190 हे0 जनजाति को शून्य एवं अन्य वर्गों के 98 व्यक्तियों को क्षेत्रफल 2.488 हे0 का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार आवास आवंटन में अनुसूचित जाति के 372 व्यक्तियों को रकबा 4.388 हे0, जनजाति को शून्य तथा अन्य वर्गों के 226 व्यक्तियों को रकबा 2.617 हे0 का आवंटन किया गया है।

जनपद बांदा में कृषि एवं आवासीय पट्टेदारों की सूची सही दी गई है तथा वर्ष 2009-10 में कृषि एवं आवासीय पट्टे उपर्युक्त विवरण के अनुसार करके पट्टेदारों को मौके पर कब्जा दखल दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रेटर नोयडा में औद्योगिक विकास हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव

112-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोयडा ग्रेटर नोयडा में भारी संख्या में ग्रामों की आबादी के पास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र में आने वाले कतिपय प्लाटों/फार्म हाउसों को प्राधिकरण द्वारा जान बूझ कर प्रस्ताव से अलग कर छोड़ा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें चिन्हित कर अधिग्रहीत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

नोयडा/ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में महायोजनानुसार सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु भूमि का अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व प्राधिकरण एवं भू-अर्जन कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण के उपरान्त उच्च अधिकारियों द्वारा परीक्षण कर यथासम्भव निर्मित एवं प्रयुक्त आबादी को अर्जन से पृथक रखते हुए नियोजन की दृष्टि से उपयोगी भूमि का अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर में कब्रिस्तान की भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने सम्बन्धी प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही

113-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित-पत्र संख्या 09/रालोद स0वि0स0/010 दिनांकित 22-01-2010 जो ग्राम चून्सा जनपद मुजफ्फरनगर में कब्रिस्तान की भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

परगना व तहसील शामली के ग्राम चूनसा में स्थित खसरा नं0 108/0.138, 168/0.389, 485/0.201 राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज है। खसरा नम्बर 168/0.389 ग्राम की आबादी के पास है व खसरा नम्बर 485/0.201 ग्राम सूचना व भाजू की सीमा पर है। वर्तमान में खसरा नम्बर 108/0.138, 168/0.389, 485/0.201 पर मौके पर कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम टोडा में धार्मिक स्थल से अवैध कब्जा हटाये जाने विषयक प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही

114-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित-पत्र संख्या 010/रालोद/ स0वि0स0/10 दिनांकित 22-01-2010 जो ग्राम टोडडा जनपद मुजफ्फरनगर में धार्मिक स्थल से अवैध कब्जा हटाये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जनपद मुजफ्फरनगर के परगना-विडौली के तहसील कैराना के ग्राम-टोडा में स्थित विवादित भूमि खाता सं0 141 खसरा नं0 276 रकबा 0.123 हे0 अभिलेखों में देशपाल, संसार सिंह पुत्रगण वीरू व इन्द्रपाल पुत्र मामचन्द्र आदि निवासीगण टोडा के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। खसरा नं0 276 में मौके पर पूर्ण रकबे में आबादी बनी हुई है। गांवा में जानकारी

करने पर ज्ञात हुआ है कि देशपाल आदि के द्वारा इस भूमि में दिलशाद पुत्र शरीफ आदि जाति तेल्ली निवासी टोडा को रहने के लिये मौखिक रूप से भूमि दी थी। दिलशाद आदि लगभग तीन वर्ष पूर्व ग्राम टोडा छोड़कर जिला सहारनपुर की तहसील नकुड़ के कस्बा नकुड़ चले गये। उसके उपरान्त संसार सिंह आदि के द्वारा भूमि खसरा नं0 276 को श्रीमती पवनी पत्नी रोशन लाल जाति कश्यप निवासी टोडा के पक्ष में दिनांक 24-7-2008 को बैनामा कर दिया गया था तथा इसी भूमि पर क्रेतागणों का वर्तमान में कब्जा है।

विवादित भूमि पर मोहम्मद इस्लाम पुत्र अल्लादिया का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। फिर भी मोहम्मद इस्लाम द्वारा विलेख संख्या 5487 वर्ष 1992 में 108 वर्ग गज खाली प्लाट का बैनामा मस्जिद के पक्ष में किया गया है।

विवादित भूमि के संबंध में वर्तमान में ए0सी0जे0एम0 सिविल कोर्ट कैराना के न्यायालय में वाद संख्या 2776/9/9 कालूराम बनाम मोहम्मद इस्लाम धारा-420, 467, 468 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत विचाराधीन है जिसमें दिनांक 06-10-2010 नियत है।

विवादित भूमि से संबंधित धार्मिक स्थल के संबंध में तहसील स्तर से किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विवादित भूमि आबादी की है और मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

जनपद पीलीभीत के तहसील पूरनपुर के ग्राम चंदिया हजारा के पुनर्वासित परिवारों को पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

115-श्री सुखलाल-

क्या सरकार को जानकारी है कि तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत के ग्राम चंदिया हजारा में लगभग 500 परिवारों को 3-3 एकड़ भूमि देकर पुनर्वासित किया गया है ? क्या यह सही है कि अभी तक उक्त परिवारों के नाम पट्टे नहीं हुये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पट्टों को शीघ्र ही पुनर्वासित परिवारों को प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां, पुनर्वासित किये गये परिवारों की सं0-415 है जिसमें से 303 परिवारों को 250-2.50 एकड़ भूमि देकर पुनर्वासित किया गया है।

जी हां, चंदिया हजारा के संबंध में शासन की विज्ञप्ति सं0-1042/14-3-981/5, दिनांक 29-7-78 के अन्तर्गत 315.72 एकड़, 285.59 एकड़ कुल 601.13 एकड़ भूमि हस्तान्तरित की गई थी। सहायता एवं पुनर्वासन विभाग को हस्तान्तरित वन भूमि उपयोग में तभी तक रहेगी जब तक उक्त विभाग (सहायता एवं पुनर्वास विभाग) को कथित प्रयोजन हेतु भूमि की आवश्यकता होगी। आवश्यकता समाप्त होने पर बिना किसी प्रकार के मूल्य एवं प्रतिकर आदि के भुगतान किये प्रश्नगत भूमि वन विभाग को स्वतः वापस हो जायेगी। इन परिस्थितियों से प्रश्नगत वन भूमि भारतीय वन अधिनियम की धारा-27 (उ0प्र0 की ऐक्ट संख्या-1965 अध्याय-2 द्वारा धारा-27 में जोड़ी गई उक्त धारा 27ए के अनुरूप) आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी। उक्त स्थिति के कारण पट्टे नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में पुनर्वासित परिवारों को पट्टे किया जाना सम्भव नहीं है।

116-श्री प्रदीप माथुर-

[पहले शुक्रवार के अता0प्रश्न सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश की कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग

117-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सरकार द्वारा मल्लाह, केवट, भर राजभर, कुम्हार (प्रजापति) कहार कश्यप, निषाद धीवर, बिन्द वाथम, तुरहा गौड, मॉझी, मछुवा आदि समुदायों को अनुसूचित जाति में सम्मलित करने हेतु दिनांक 4-3-2008 को मा0 प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा उसका विवरण क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

उक्त पत्र के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 11-4-2006 द्वारा उक्त समुदायों में से प्रत्येक जाति के बारे में निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत जातीय सूचना तथा उसकी स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई है जिसके क्रम में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण का कार्य

118-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले की बहेड़ी विधान सभा में लगभग 3-4 वर्ष पूर्व से संचालित आई0टी0आई0 कालेज के भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं धन का आवंटन भी हुआ था ? यदि हां, तो निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

जी हां।

जनपद बरेली में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहेड़ी के भवन निर्माण हेतु जिला प्रशासन से निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो गई है तथा निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत भेजा गया है।

उपरोक्तानुसार।

पी0आर0डी0 जवानों को बढ़ा हुआ मानदेय

119-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0आर0डी0 जवानों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड एवं प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री वेदराम भाटी)-

2-3-2009 को मानदेय रु0 75/- से बढ़ाकर रु0 126/-प्रतिदिन कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे व औद्योगिक विकास प्राधिकरण परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में जानकारी

120-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्कुलर सं0 (जे) 11013/5/2010- 1(ए)11(+) भारत सरकार (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) में क्रिटीकल क्षेत्र में 12वें क्रमांक पर नोएडा व 19वें क्रमांक पर आगरा स्थापित है ? यदि हां, तो नोयडा से आगरा तक विस्तार वाले ''यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण'' की विभिन्न अधिसूचित क्षेत्रों एवं परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्कुलर संख्या- (जे)11013/5/2010-1 (ए)II (I) भारत सरकार (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) में शामिल नोएडा (क्रमांक-12) व आगरा (क्रमांक-19) क्रिटीकल क्षेत्र यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास क्षेत्र से आच्छादित नहीं है।

121-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[पहले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के कतिपय जनपदों में विचाराधीन कैदियों की मृत्यु का विवरण

122-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन, बांदा, झांसी, इलाहाबाद, बरेली कारागारों में वर्ष 2009-10 में कितने विचाराधीन कैदियों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर किन कारणों से कैदियों की मृत्यु हुई ?

सुश्री मायावती-

जनपद जालौन, बांदा, झांसी, इलाहाबाद, बरेली की कारागारों में वर्ष 2009-10 में कुल 25 विचाराधीन कैदियों की मृत्यु हुई है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2009-10 के कुल 25 मृत बंदियों में से 18 कैदियों की मृत्यु कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, सेप्टीसीमिया, दिल की बीमारी, एस्फिक्सियो, एण्टीमार्टम इन्जरी तथा लटकने (एन्टीमार्टम हैंगिंग) से हुई है। 07 कैदियों की मृत्यु का कारण ज्ञात न होने के कारण उनका विसरा प्रिजर्व किया गया है।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत पतिजिया बुजुर्ग में पट्टा धारकों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

123-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पतिजिया बुजुर्ग के राजस्व ग्राम असन्हरा के गाटा सं0 10, 68, 114, 129, 132, 232 का राजस्व अभिलेखों में रकबा क्या है एवं किस श्रेणी में दर्ज है ? उक्त गाटा सं0 में किन-किन व्यक्तियों को पट्टा दिया गया है ? क्या सभी पट्टे धारक पात्रता की श्रेणी में आते हैं ? क्या सभी पट्टे धारकों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह सही है कि पट्टे धारकों द्वारा अन्य लोगों को बैनामा कर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पतिजिया बुजुर्ग के राजस्व ग्राम असनहरा के गाटा संख्या 10 का क्षेत्रफल 0.012 हे0 श्रेणी 5 (1) बंजर, गाटा संख्या 68 का क्षेत्रफल 0.680 हे0 श्रेणी-2 असंक्रमणीय भूमिधर श्रेणी-5 (3) बंजर, गाटा संख्या 114 का क्षेत्रफल 0.012 हे0 श्रेणी-5-(1) नवीन परती, गाटा संख्या 129 का क्षेत्रफल 0.032 हे0 श्रेणी-5(1) नवीन परती गाटा संख्या-132 का क्षेत्रफल 0.821 हे0 श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधर है एवं गाटा संख्या-232 कोई गाटा नहीं है।

गाटा संख्या-10 में श्री शान्ति प्रसाद पुत्र बंधू गाटा संख्या 68 में श्रीमती गौरा देवी उर्फ प्रानपती पत्नी बलेसर व श्रीमती कुमारी देवी पत्नी मुन्नी लाल, गाटा संख्या 114 में श्रीमती सुरसती पत्नी वाले, गाटा संख्या 129 में श्रीमती अनारा देवी पत्नी बालदास व मगन पुत्र रामदास व ईश्वरदीन पुत्र पटई को पट्टा दिया गया है। गाटा संख्या-132 में कोई पट्टा नहीं है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

कोई बैनामा न होने के कारण कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

124-श्री राम बिशुन आजाद-

[दिनांक 09-08-2010 को अता0प्र0सं0-188 द्वारा उत्तरित]

जनपद कन्नौज की तहसील छिवरामऊ में चकबन्दी विभाग के नये रिकार्ड तैयार करने की मांग

125-श्री अरविन्द सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज की तहसील छिबरामऊ में आज से 10 वर्ष पहले चकबन्दी विभाग के लगभग 23 गांवों के सभी रिकार्ड जल गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों के नये अभिलेख तैयार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की जेलों में गत वर्षों में हुई मौतें एवं उसके नियंत्रण हेतु उपाय

126-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जेलों में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में हुयी मौतों का विवरण क्या है ? इन मौतों पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश की विभिन्न जेलों में 01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक 297, 01 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 में 308, 01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 में 339 तथा 01 अप्रैल, 2010 से 14 जून, 2010 में कुल 62 मौतें हुईं।

बंदियों की मौतों पर नित्रंण हेतु कारागार में प्रवेश के समय बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर तद्नुसार उन्हें जेल अस्पताल में भर्ती कर उपचार की व्यवस्था की जाती है। उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध प्रत्येक बन्दियों को नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। गंभीर बीमारी से ग्रस्त बंदियों को आवश्यकतानुसार जेल चिकित्सालय में नियुक्त चिकित्सक द्वारा रेफर किये जाने पर जेल मैनुअल के प्रस्तर 1058 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों की राय पर मेडिकल कालेज, पी0जी0आई0 आदि उच्च शासकीय संस्थानों में स्थानान्तरित कर इलाज कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ के विकास क्षेत्र जोगिया में ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

127-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेन्द्र सिंह राजपूत, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 23-12-2008 जो ग्राम पंचायत नगर विकास क्षेत्र जोगिया, जनपद-सिद्धार्थनगर के ग्राम प्रधान द्वारा अवैध रूप से ग्राम पंचायत की भूमि गाटा सं0-336 रकबा 5.229 पर गड्ढा पाट कर कब्जा किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रकरण में जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर ने अवगत कराया है कि तहसील नोगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के विकास क्षेत्र जोगिया में ग्राम पंचायत नगर नाम का कोई ग्राम नहीं है। ग्राम

पंचायत जोगिया में गाटा संख्या-336 में कुल क्षेत्रफल 0.1440 भूमि है। उक्त भूमि संक्रमणीय भूमि है जो बाबू राम आदि के नाम से संक्रमणीय भूमिधर के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा के ग्राम मण्डरा में तालाब का सुन्दरीकरण करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

128-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के ग्राम भण्डरा में तालाब के सुन्दरीकरण करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-4-10 मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में सर्वश्री सुकैया पुत्र श्री हगिया ग्राम व पोस्ट भण्डरा की भूमि पर सुन्दरीकरण न कराये जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी महोबा से जांच कराई गई है। जांच आख्या दिनांक 19-7-10 के अनुसार सुन्दरीकरण का कोई प्रस्ताव भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा पारित नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि श्रेणी-3 आसामी खातेदार भू अभिलेखों में अंकित है, जिसके निरस्तीकरण का वाद उप जिलाधिकारी महोबा के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रदेश के कारागारों में हो रही अनियमितता की जांच विषयक प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही

129-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के कारागारों में हो रही अनियमितताओं की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-4-10 मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई, जांच में शिकायतें पुष्टित नहीं पाई गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में गरीब कन्या विवाह में अधिक सहायता हेतु स्वीकृत प्रस्ताव का विवरण

130-श्री राजेश यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2009-10 में गरीब कन्या विवाह के कुल कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए तथा उसमें से कितनी-कितनी कन्यायें अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त धनराशि को क्षेत्रीय विधायकों से बंटवाने हेतु नियमों में व्यवस्था है ? यदि हां, तो जनपद शाहजहांपुर में उक्त वर्ष में धनराशि के चेकों के वितरण हेतु किस विधायक को कब बुलाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

वर्ष 2009-10 में जनपद शाहजहांपुर में गरीब व्यक्तियों की कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के लिये कुल 2707 प्रस्ताव स्वीकृत हुए जिसमें 1424 अनुसूचित जाति के एवं 1283 पिछड़ी जाति से संबंधित थे।

प्रश्नगत धनराशि को क्षेत्रीय विधायकों से बंटवाने को नियमों में व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर की ग्राम सभा अमरेडी में तालाब पट्टे के आवंटन के संबंध में जानकारी

131-श्री राजेश यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ब्लाक जैतीपुर के ग्राम सभा अमरेडी में कितने तालाब हैं तथा उन तालाबों के पट्टे किन-किन समुदाय के लोगों को दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील तिलहर के विकास खण्ड जैतीपुर की ग्राम सभा अमरेडी में 03 तालाब है जिनका क्षेत्रफल आधा एकड़ (0.50ए0) से कम होने के कारण किसी समुदाय के व्यक्तियों को पट्टा नहीं किया गया है।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर में पशु चिकित्सालय स्थापित करने की मांग

132-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर में पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां। मानक के अनुरूप जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर के पशु चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

133-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, सादुल्लानगर, जनपद-गोण्डा के पशु चिकित्सालयों में मानक के अनुसार पशु चिकित्सक तैनात नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर में 03 पशुचिकित्सालय सादुल्लानगर, बभनजोत, अल्लीपुर है, जिन पर मानक के अनुसार पशुचिकित्सा अधिकारी तैनात है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा के ग्राम मैन्हवां लेहड़ा में पुनः पैमाइश कराये जाने की मांग

134-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम बिशुन आजाद, विधायक का पत्र सं0-296 दिनांक 23-4-2010 जो गंगाराम पुत्र श्री कोदई, निवासी ग्राम-मैन्हवां लेहड़ा, परगना-हवेली, तहसील फरेन्दा, जनपद-महराजगंज के ग्राम सभा में चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान आराजी नं0 484, रकबा-0.686 हे0, भूमि की पैमाइश के समय छूट जाने के कारण पुनः पैमाइश कराये जाने से सम्बन्धित है, मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

परिवाद श्री गंगा राम पुत्र श्री कोदई ग्राम मैनहवां, तप्पा लेहड़ा का पत्र मा0 विधायक के पत्र दिनांक 23-4-10 के साथ पुनः पैमाइश के संबंध में प्राप्त हुआ था। परिवादी गंगा राम का सही नाम गयाराम है। उक्त ग्राम की धारा-52(1) जो0च0 अधिनियम के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 11-7-2009 को हो चुका है, ऐसी स्थिति में तहसील एवं चकबन्दी स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 03-7-2010 को पुनः पैमाइश करा दी गई है, जिससे परिवादी संतुष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के राजदेव कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर सुराई सठियांव की भूमि की जांच में विरोधाभास का कथित प्रकरण

135-श्री उदयराज-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय उप जिलाधिकारी, सदर, आजमगढ़ के पत्रांक 561/एस0टी0- एस0डी0एम0 (एस) वि0 जांच 2009, दिनांक 08 मई, 2008 में एस0डी0एम0 द्वारा राजदेव कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर सुराई सठियांव, आजमगढ़ की जांच रिपोर्ट में महाविद्यालय की भूमि गाटा सं0-15,37,44,31 व I-च दर्शाया गया है तथा मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध है अंकित किया है ? क्या यह सही है कि पत्रांक 2094/एस0टी0-एस0डी0एम0 (एस) दिनांक 18 जनवरी, 2010 में एस0डी0एम0 सदर द्वारा उसी महाविद्यालय की भूमि गाटा सं0-37ख, 44, 52, 31क, 15अ, 15ख, 37 को दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या एक ही विद्यालय की भूमि संख्या व स्थान में पूर्णरूप से विरोधाभास है ? यदि हां, तो ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां, उक्त गाटे के साथ 37 के स्थान पर 37ख 37 व 31 के स्थान पर 31क तथा 15 के स्थान पर 15अ, 15ख दर्शाया गया है।

जी नहीं। ग्राम काशीपुर परगना मुहम्मदाबाद तहसील सदर चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है, जिसके कारण अभिलेखों के अनुसार पूर्व गाटों के आधार पर नये गाटे प्रस्तावित किये गये हैं। महाविद्यालय के भूमि संख्या व स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है न तो आख्या दिनांक 8-5-2008 व 18-1-2010 में कोई विरोधाभास है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के हरिशंकर जी महाविद्यालय रामपुर द्वारा मान्यता के समय गलत उद्धरण खतौनी प्रस्तुत करने का प्रकरण

136-श्री उदयराज-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय उप जिलाधिकारी, सदर, आजमगढ़ के पत्रांक 522/एस0टी0- एस0डी0एम0 (एस) दिनांक 20 फरवरी, 2008 में एस0डी0एम0 द्वारा श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय, रामपुर द्वारा गाटा सं0-105, 106, 722 के अतिरिक्त क्या कोई भू-खण्ड महाविद्यालय के नाम नहीं है अंकित किया है, किन्तु पत्रांक 734/एस0टी0- एस0डी0एम0 (एस) महाविद्यालय जांच 2009, दिनांक 09 जून, 2009 की रिपोर्ट के निष्कर्ष में अंकित किया है कि मान्यता लिये जाने के समय गलत उद्धरण खतौनी प्रस्तुत कर मान्यता प्राप्त की गई है ? यदि हां, तो दोनों रिपोर्ट में विरोधाभास है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं। आख्या दिनांक 20-2-2008 एवं 09-06-2009 में उल्लिखित गाटे का कोई अन्तर नहीं है। आख्या दिनांक 09-06-2009 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि मान्यता के समय गलत उद्धरण खतौनी प्रस्तुत किया गया है।

जनपद आजमगढ़ के धनपति धर्मा महाविद्यालय, खेमऊपुर की जांच रिपोर्ट में विरोधाभास की स्थिति पर कार्यवाही

137-श्री उदयराज-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय उप जिलाधिकारी, सदर, आजमगढ़ के पत्रांक 522/एस0टी0- एस0डी0एम0 (एस) दिनांक 20 फरवरी, 2008 की जांच आख्या में एस0डी0एम0 द्वारा धनपति धर्मा महाविद्यालय, खेमऊपुर, जनपद-आजमगढ़ के पास भूमि उपलब्ध है अंकित किया है, किन्तु दिनांक 09 जून, 2009, पत्रांक 733/ एस0टी0- एस0डी0एम0 (एस) की जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष में अंकित किया है कि गलत खतौनी दिखाकर मान्यता प्राप्त की है ? दोनों रिपोर्ट में विरोधाभास है ? यदि हां, तो एक ही महाविद्यालय की अलग-अलग भूमि सम्बन्धी रिपोर्ट देने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। प्रश्नगत जांच आख्या दिनांक 20-2-2008 में यह उल्लिखित है कि प्रश्नगत महाविद्यालय के नाम भूमि क्रय की गई है और नामान्तरण की कार्यवाही चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन है। यह स्थिति तत्समय (20-2-2008) के अनुसार थी।

जी हां। प्रश्नगत आख्या दिनांक 09-06-2009 की स्थिति के अनुसार है।

जी नहीं। दोनों आख्यायें पृथक-पृथक तिथि की होने के कारण जांच की तत्समय विद्यमान स्थिति को दर्शाती है।

जनपद आजमगढ़ के आर0बी0एस0 महाविद्यालय सैदवारा की मान्यता हेतु भूमि के उल्लेख के संबंध में जानकारी

138-श्री उदयराज-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर, आजमगढ़ के पत्रांक 522/एस0टी0- एस0डी0एम0 (एस), दिनांक 20 फरवरी, 2008 में एस0डी0एम0 द्वारा अपनी आख्या में आर0बी0एस0 महाविद्यालय सैदवारा आजमगढ़ महाविद्यालय के नाम भूमि दर्ज है अंकित किया है, किन्तु पत्रांक 731/एस0टी0-एस0डी0एम0 (एस) महाविद्यालय जांच-2009, दिनांक 09 जून, 2009 की जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष में एस0डी0एम0 ने स्पष्ट अंकित किया है कि गलत खतौनी दिखाकर मान्यता प्राप्त की है ? यदि हां, तो एक ही महाविद्यालय की अलग-अलग भूमि सम्बन्धी रिपोर्ट में दो अलग-अलग आख्या देने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं। आख्या दिनांक 20-2-2008 एवं 9-6-2009 में विद्यालय के नाम भूमि दिनांक 9-5-2008 से दर्ज है, और गाटा संख्या-33 चकमार्ग का भी उल्लेख किया गया है। जांच आख्या दिनांक 9-6-2009 द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया था कि मान्यता हेतु तत्समय भूमि से संबंधित खतौनी में विद्यालय के नाम खतौनी दाखिल की गई थी जिसमें गाटा संख्या-33 चकमार्ग की भूमि का उल्लेख है। महाविद्यालय द्वारा प्राप्त मान्यता गलत भूमि के विवरण पर की गई है जो गलत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विकास योजनाओं हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में जानकारी

139-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकास योजनाओं हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की अर्जित की जाने वाली जमीनों में अर्जन के बाद $3\frac{1}{8}$ एकड़ भूमि की बाध्यता समाप्त कर दी गई है ? क्या सरकार द्वारा उक्त के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0-1995/1-13-85-रा0-13, दिनांक 24 सितम्बर, 1985 को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो

अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को भूमिहीन होने से रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति/व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वृन्दावन में फूल एवं अनाज मण्डी के निर्माण विषयक प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही

140-श्री प्रदीप माथुर-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, कृषि विपणन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव के आदेश दिनांक 22-9-2009 सहित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1236, दिनांक 14-9-09 जो उप निदेशक, मण्डी समिति, आगरा तथा सचिव, मण्डी परिषद् मथुरा द्वारा वृन्दावन में फूल एवं अनाज की मण्डी/उप मण्डी निर्माण में रुचि न लिये जाने की जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

पत्र पर मा0 सभापति, स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति की अपेक्षाक्रम में दिनांक 22-3-2010 को बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें मा0 सभापति के पत्र दिनांक 22-3-2010 प्राप्त हुआ। यह पत्र जिलाधिकारी, मथुरा को दिनांक 30-3-2010 को प्रेषित कर प्रकरण में सम्यक् परीक्षण कर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय की मान्यता प्राप्त करने हेतु गलत उद्धरण खतौनी प्रस्तुत करने का प्रकरण

141-श्री उदयराज-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय उप जिलाधिकारी, सदर आजमगढ़ के पत्रांक 522/एस0टी0- एस0डी0एम0 (एस) दिनांक 20 फरवरी, 2008 में श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय रामपुर द्वारा फर्जी खतौनी लगाकर महाविद्यालय की मान्यता प्राप्त करने सम्बन्धी आख्या में गाटा सं0 105, 106, 722 के अतिरिक्त अन्य कोई भू-खण्ड महाविद्यालय के नाम नहीं है, अंकित किया है जबकि अपने पत्रांक 734/एस0टी0- एस0डी0एम0 (एस) महाविद्यालय जांच-2009, दिनांक 9 जून, 2009 में मान्यता लिये जाने के समय गलत उद्धरण खतौनी प्रस्तुत कर मान्यता प्राप्त करने का उल्लेख है ? यदि हां, तो एक ही महाविद्यालय की जांच में अलग-अलग रिपोर्ट देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं। आख्या दिनांक 20-2-2008 एवं 9-6-2009 में उल्लिखित गाटे का कोई अन्तर नहीं है। आख्या दिनांक 9-6-2009 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि मान्यता के समय गलत उद्धरण खतौनी प्रस्तुत किया गया।

प्रदेश में आलू का उत्पादन एवं उसकी भण्डारण क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

142-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 2008-09, 2009-10 में कितना आलू उत्पादित हुआ तथा उत्पादन के सापेक्ष भण्डारण की जनपदवार क्षमता कितनी है ? क्या सरकार आलू के समुचित भण्डारण हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

प्रदेश में वर्ष 2008-09 में 108.09 लाख मीट्रिक टन एवं वर्ष 2009-10 में लगभग 120.94 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है।

प्रदेश में वर्ष 2008-09 में 98.76 लाख मीट्रिक टन एवं वर्ष 2009-10 में 106.51 लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता उपलब्ध है, जिसका जनपदवार विवरण संलग्न[†] है।

प्रदेश में क्रियान्वित राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारत सरकार द्वारा भण्डारण क्षमता में वृद्धि हेतु शीतगृहों को अनुदान दिये जाने की योजना पूर्व से ही कार्यान्वित है।

प्रश्न नहीं उठता।

143-श्री सुखलाल-

[दिनांक 10-08-2010 को अता0 प्रश्न सं0-185 द्वारा उत्तरित]

जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में जी0टी0आई0 कालेज का निर्माण कराये जाने की मांग

144-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले की बहेड़ी विधान सभा के अन्तर्गत जी0टी0आई0 कालेज स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

जनपद बरेली में वर्ष 2006 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बहेड़ी, बरेली की स्थापना हुई थी। रा0औ0प्र0सं0 बहेड़ी के भवन निर्माण हेतु जिला प्रशासन से निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो गई है तथा निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्टिक डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 369-374 पर।

प्रदेश में सामयिक संग्रह अमीनों एवं सामयिक संग्रह अनुसेवकों के रिक्त पदों पर प्राविधानानुसार नियमित नियुक्ति के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में नियमित नियुक्ति प्रदान करने का विवरण

145-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग में कार्यरत सामयिक संग्रह अमीनों एवं सामयिक संग्रह अनुसेवकों के लिये क्रमशः रिक्तियों का 35 प्रतिशत व 50 प्रतिशत पदों पर नियमित नियुक्ति का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1987 से वर्ष 2010 तक वर्षवार कितने सामयिक संग्रह अमीनों एवं सामयिक संग्रह अनुसेवकों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1987 से 2010 तक कुल 26 सामयिक संग्रह अमीनों तथा 24 सामयिक संग्रह अनुसेवकों को नियमित नियुक्ति प्रदान की गई जिनका वर्षवार विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	सा0सं0 अमीन	सा0सं0 अनुसेवक
1	2	3
1987 से 1995 तक	--	--
1996	06	--
1997	--	11
2000	01	--
2001	04	--
2002	--	06
2003	03	02
2004	01	--
2005	01	--
2006	--	05
2007	03	--
2008	02	--
2009	05	--
2010	--	--

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में कतिपय योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त पत्रों एवं उनके निस्तारण तथा इसमें पात्रता के आधार की जानकारी

146-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2009-10 में कितने व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना व वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन किया गया ? आवेदकों में से कितनों के आवेदन-पत्र ब्लाकवार स्वीकार किये गये व कितने आवेदन-पत्र अस्वीकार किये गये ? क्या सरकार बतायेगी कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना व वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता का आधार क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत तहसील स्तर से कुल 835 आवेदन-पत्र एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारियों के स्तर से कुल 2124 व्यक्तियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

ब्लाकवार स्वीकृत एवं अस्वीकृत आवेदन-पत्रों का विवरण निम्नवत् है :-

योजना		राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना		वृद्धावस्था पेंशन योजना	
क्र0सं0	विकास खण्ड	स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत
1	सदर	115	--	178	--
2	मान्धाता	42	--	308	--
3	सण्डवा चन्द्रिका	60	--	156	--
4	पट्टी	78	--	115	--
5	आसपुर देवसरा	48	--	195	--
6	मंगरौरा	32	--	170	--
7	कुण्डा	48	--	48	--
8	बाबागंज	21	--	26	--
9	बिहार	29	--	137	--
10	कालाकांकर	08	--	21	--
11	शिवगढ़	96	--	60	--
12	गौरा	51	--	129	--
13	बेलखनाथ धाम	49	--	84	--
14	लालगंज	58	--	146	--

योजना		राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना		वृद्धावस्था पेंशन योजना	
क्र0सं0	विकास खण्ड	स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत
15	लक्ष्मणपुर	46	--	39	--
16	सांगीपुर	20	--	244	--
17	रामपुर संग्रामगढ़	28	--	70	--
	योग :	**835**	**--**	**2124**	**--**

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुखिया (18 से 64 वर्ष आयु के मध्य) की मृत्यु होने पर उसे आश्रित को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। आवेदक की आय सीमा गरीबी रेखा के अन्तर्गत होनी चाहिये अर्थात शहरी क्षेत्र में रु0 25,546/- प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19,884/- प्रति वर्ष की आय सीमा वाले परिवारों के मुख्य जीविकोपार्जन की मृत्यु होने पर यह सुविधा अनुमन्य की जाती है।

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को चिन्हित करने हेतु बी0पी0एल0 की वह सूची मान्य की गई है, जो राज्य सरकार द्वारा बी0पी0एल0 जनगणना 2002 के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई है तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को चयनित करने के लिये नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 का ही मानक अपनाये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार बी0पी0एल0 सूची 2002 में अंकित 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को नियमानुसार वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराये जाने संबंधी जानकारी

147-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के किन-किन आंगनबाडी केन्द्रों का भवन निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त भवनों के निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अंतर्गत 515 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण नहीं हुआ है। सूची संलग्न[†] है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] छापी नहीं गई।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मण्डी समिति द्वारा सड़कों के निर्माण का विवरण

148-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2006-07 से 30-4-10 तक कौन-कौन सी सड़कें डामरीकरण हेतु प्रस्तावित की गईं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मण्डी समिति प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 2006-07 से 30-4-10 तक डामरीकरण हेतु कुल 29 नग सड़कें डामरीकरण/मरम्मत हेतु प्रस्तावित की गई है तथा मण्डी समिति प्रतापगढ़ की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए 11 नग सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जिनका विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत लाभान्वित बालिकाओं की संख्या

149-श्री हुकुम सिंह-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु किन-किन जनपदों में योजनायें संचालित की गईं और अभी तक योजनाओं का लाभ कितनी बालिकाओं को मिल पाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

दिनांक 15-1-2009 से प्रदेश के समस्त जनपदों में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना संचालित है। अब तक कुल 1,89,740 बालिकायें लाभान्वित हो चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के मण्डी विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत मार्गों के सम्बन्ध में जानकारी

150-श्री प्रदीप माथुर-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में कलेण्डर वर्ष 2008 एवं 2009 में सम्प्रति मण्डी विभाग द्वारा किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में कितने-कितने मार्ग स्वीकृत किये गये हैं ? क्या प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र मथुरा वृन्दावन में मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव भी दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितने प्रस्ताव मिले तथा कितने की स्वीकृति उक्त वर्षों में की गई ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद मथुरा में कलेण्डर वर्ष 2008 एवं 2009 में सम्प्रति मण्डी विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मथुरा-वृन्दावन में 03 नग, गोकुल में 01 नग, मांट में 05 नग एवं छाता में 02 नग मार्ग स्वीकृत किये गये हैं।

[†] देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 375-376 पर।

जी हां।

17 नग मार्गों का प्रस्ताव मिले तथा 03 नग मार्ग स्वीकृत किये गये।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में एक मिनी स्टेडियम बनवाने की मांग

151-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार एक मिनी स्टेडियम बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

इस विशिष्ट मिनी स्टेडियम हेतु कोई बजट प्राविधानित नहीं है।

उपयुक्त समतल भूमि की अनुपलब्धता एवं बजट में धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोत्तरी की मांग

152-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सभी वृद्ध महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन देने व पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

राज्य सरकार प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले बी0पी0एल0 सूची में दर्ज 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के समस्त वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन योजना से आच्छादित कर रही है।

वर्ष 2007-08 में वृद्धावस्था/किसान पेंशन की दर रु0 150/- प्रति लाभार्थी प्रति माह को संशोधित करते हुए रु0 300/-प्रति लाभार्थी प्रति माह शासनादेश संख्या-791/26-2-2007-10(7)/06-टी0सी0-1, दिनांक 13-8-2007 द्वारा की गई है। उक्त स्थिति पेंशन धनराशि बढ़ाये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना अन्तर्गत धन वितरण के संबंध में जानकारी

153-श्री हुकुम सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत कितने धन का वितरण किया जा चुका है ? कितनी महिला मुखिया अभी तक इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

योजना का प्रारम्भ 01 अक्टूबर, 2010 से फिलहाल किया जाना प्रस्तावित है। अतः योजनान्तर्गत अभी कोई धनराशि वितरित नहीं की गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम रुपयनपुर के प्राथमिक विद्यालय में अवैध कब्जा हटाये जाने का कथित प्रकरण

154-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के ग्राम रुपयनपुर के गाटा सं0-335 पर प्रा0 विद्यालय स्थापित है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पशु चिकित्सालयों में प्रत्येक गर्भाधान केन्द्र पर उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध कराये जाने की मांग

155-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में कितने पशु चिकित्सालयों में उत्तम नस्ल के पशु गर्भाधान हेतु रखे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रत्येक गर्भाधान केन्द्र पर उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद प्रतापगढ़ में किसी भी पशु चिकित्सालय पर उत्तम नस्ल के पशु गर्भाधान हेतु नहीं रखे गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि विभाग में पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों एवं पैरावेंट्स द्वारा उत्तम नस्ल के अतिहिमीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।

जनपद प्रतापगढ़ में गत वर्षों में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण सम्बन्धी जानकारी

156-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है ? क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद प्रतापगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2007-08 में 667 छात्रों, 2008-09 में 604 छात्रों तथा वर्ष 2009-10 में 465 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है।

विवरण उपरोक्तानुसार प्रस्तुत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा वार मण्डी परिषद् द्वारा पक्की सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

157-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा वार वर्ष 2009-10, 2010-11 में मण्डी परिषद् द्वारा पक्का एवं खड़न्जा स्तर तक सड़क बनाने हेतु किन-किन सड़कों का चयन किया गया ? क्या विधान सभा क्षेत्र पट्टी में भी कोई मार्ग स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभावार वर्ष 2009-10, 2010-2011 में मण्डी परिषद् द्वारा पक्का (लेपन) स्तर तक के कार्य हेतु 11 नग सड़कों को बनाने हेतु चयनित किया गया है। खड़न्जा का कार्य मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया जाता है। उक्त 11 नग सड़कों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	विधान सभा क्षेत्र
1	सम्पर्क मार्ग किठावर रोड सिंहनी से कंजासा आजी के घर तक का निर्माण।	गड़वारा
2	सम्पर्क मार्ग ग्राम सभा गाजीपुर से नहर की पटरी से ग्राम सभा उड़ीकाडीह तक का निर्माण कार्य।	सदर
3	सम्पर्क मार्ग गाजी का बाग (विकास खण्ड गौरा) से परसा मऊ होते हुए पड़वा नसीरपुर तक का निर्माण कार्य।	बीरापुर
4	सम्पर्क मार्ग ग्राम सभा धनीपुर (बुझवा) से छोटी नहर की पटरी ग्राम सभा गाजीपुर तक का निर्माण कार्य।	सदर
5	सम्पर्क मार्ग जनेहरा से बीजूमऊ मार्ग का अवशेष भाग का मरम्मत कार्य।	रामपुरखास
6	सम्पर्क मार्ग गाजी की बाग परसामऊ होते हुए पड़वा नसीरपुर सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग का निर्माण।	बीरापुर
7	पहाड़पुर घुइसरनाथ रोड से इटौरा तक।	गड़वारा
8	बाबू का पुरवा विश्व बैंक रोड से पारा रेलवे फाटक तक।	गड़वारा
9	भगवा, खजुरनी मार्ग से पाण्डेय का पुरवा शिवपुर सम्पर्क मार्ग।	सदर
10	साड़ से परमापुर नहर की पटरी होकर बसिरहा का निर्माण।	बीरापुर
11	अनेहरा से बीजूमऊ मार्ग का अवशेष भाग सगरा नगर तक।	रामपुरखास

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी समिति प्रतापगढ़ की वित्तीय एवं अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता के दृष्टिगत विधान सभा पट्टी क्षेत्र में मार्ग की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी ।

जनपद प्रतापगढ़ में अनुसूचित जाति की बेटियों की शादी हेतु पाात्रता के आधार पर अनुदान स्वीकृत करने सम्बन्धी जानकारी

158-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में अनुसूचित जाति की बेटियों की शादी के लिये वित्तीय वर्ष 2008-09 में कितने लोगों ने आवेदन किया तथा कितने पात्र पाये गये ? पात्रता के आधार पर कितनी लड़कियों की शादी के लिये अनुदान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद प्रतापगढ़ की अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल 3123 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 2439 आवेदक अनुदान हेतु पात्र पाये गये।

पात्रता के आधार पर 2439 लड़कियों की शादी हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधवा को पुनः विवाह करने पर धनराशि दिये जाने के प्राविधान के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में पुनर्विवाह के द्वारा दी गई महिलाओं का विवरण

159-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 35 वर्ष की आयु तक की विधवा को पुनः विवाह करने पर प्रदेश सरकार द्वारा 10,000/-रुपये दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो वर्ष 2008-09, 2009-10 से अब तक जनपद प्रतापगढ़ में इस योजना के अन्तर्गत कितनी महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर रुपये 10,000/- की धनराशि दी गई है ? क्या सरकार उनके नाम व पते की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं, रु0 11000/- (रु0 ग्यारह हजार) दिये जाने का प्राविधान है।

वर्ष 2008-09 में प्रतापगढ़ में 04 महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर रु0 11 हजार प्रति लाभार्थी की दर से रु0 44 हजार तथा वर्ष 2009-10 में उक्त जनपद में 07 महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर 77 हजार रु0 की धनराशि दी गई।

वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 की महिलाओं के नाम व पतों की सूची संलग्न † है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 377-378 पर।

160-श्री छत्रपाल सिंह-

[दिनांक 11-08-2010 को अता0 प्रश्न सं0-187 द्वारा उत्तरित]

जनपद आजमगढ़ में अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु लाभार्थियों का चयन

161-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी के लिये वर्ष 2009-10 में कितने व्यक्तियों का चयन हुआ है ? उनमें से कितने लोगों को धन प्राप्त हो चुका है तथा कितने शेष हैं ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जाति के पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु 1418 लाभार्थियों का चयन किया गया।

चयनित समस्त व्यक्तियों को अनुदान राशि बैंक खाते के माध्यम से अन्तरित की जा चुकी है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में आंवला मण्डी बनवाये जाने की मांग

162-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री को जानकारी है कि जिला प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी, आंवला पट्टी घोषित होने के बावजूद आंवला की मण्डी न होने के कारण किसानों को अपना आंवला बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में आंवला मण्डी बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

उक्त समस्या को ही दृष्टिगत कर प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील को उपमण्डी स्थल घोषित किया जा चुका है। उत्पादकों की विपणन समस्याओं के निवारणार्थ उपमण्डी स्थल बनाने हेतु भूमि चयन की कार्यवाही हो चुकी है। पट्टी में उपमण्डी स्थल बनाने के लिये भूमि चयन की कार्यवाही जिला भूमि चयन समिति द्वारा की जा चुकी है। चयनित भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही आरम्भ की जा रही है। भूमि अधिग्रहण होने के उपरान्त उपमण्डी स्थल का निर्माण कराया जायेगा। उपमण्डी स्थल पट्टी में अन्य अधिसूचित कृषि उत्पादन के साथ आंवले का भी थोक व्यापार किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ तथा जौनपुर की कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाये जाने की मांग

163-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ तथा जौनपुर के मूल निवासियों गोड़, कहार, जायज आदि जाति के व्यक्तियों को वर्तमान में अनुसूचित जाति अथवा

अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है ? यदि हां, तो भारत सरकार के किस संविधान संशोधन द्वारा उपरोक्त जातियों के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का दर्जा दिया गया है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

सूचना एकत्र की जा रही है।

ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया है।

जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर के कतिपय राजस्व ग्रामों में भूमि अर्जन की कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

164-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर के राजस्व ग्राम चौगान, छलेसर एवं कुबेरपुर में भू-अर्जन की कार्यवाही क्या यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त भूमि अर्जन/अधिग्रहण का क्या उद्देश्य है तथा उक्त भू-अर्जन प्रक्रिया का निर्धारण किस अधिनियम के तहत किया जा रहा है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

ग्राम चौगान, छलेसर एवं कुबेरपुर में भूमि का अधिग्रहण यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिये किया गया है। उक्त भू-अर्जन की प्रक्रिया भू-अर्जन, अधिनियम, 1894 के प्राविधानों के अन्तर्गत है।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा टाउनशिप (हाईटेक सिटी) हेतु जनपद आगरा व अलीगढ़ में भूमि अधिग्रहण के संबंध में जानकारी

165-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा टाउनशिप (हाईटेक सिटी) हेतु क्या जनपद, आगरा व जनपद अलीगढ़ में भूमि अधिग्रहीत की जा रही है ? यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्राम व खातेदारों (किसानों) का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या भू-अर्जन हेतु करार नियमावली, 1997 का प्रयोग हो रहा है ? यदि हां, तो अधिग्रहीत किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल व करार हो चुका कुल क्षेत्रफल विभिन्न योजनाओं में कितना-कितना है ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद अलीगढ़ व आगरा में टाउनशिप (हाईटेक सिटी) हेतु किसी भूमि का अर्जन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जे0पी0 इन्फ्राटैक लि0 के सहयोग से भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी जानकारी

166-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जे0पी0 इन्फ्राटैक लि0 के सहयोग से कितनी आवासीय कालोनियां (टाउनशिप) विकसित की जानी है तथा उक्त टाउनशिप हेतु कितनी भूमि अधिग्रहीत की जानी है ? क्या सरकार द्वारा इस भूमि का कुछ भाग अभी तक अधिग्रहीत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जे0पी0 इन्फ्राटैक लि0 के सहयोग से कोई आवासीय कालोनी (टाउनशिप) विकसित नहीं की जा रही है। अतः इस कार्य हेतु कोई भूमि भी अधिग्रहीत नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के पशु चिकित्सालयों में निःशुल्क दवाओं का वितरण

167-श्री राजेश यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- शाहजहांपुर में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ? क्या पशुपालकों को अस्पताल में निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद शाहजहांपुर में 31 पशु चिकित्सालय संचालित हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के उद्यान विभाग द्वारा किसानों को आलू बीज का आवंटन

168-श्री राजेश यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- शाहजहांपुर में उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में किसानों को उचित दर पर कितने कुन्टल आलू का बीज मुहैया कराया गया ? क्या मांग के अनुरूप किसानों को बीज उपलब्ध कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जनपद शाहजहांपुर को वर्ष 2008-09 में 49.50 कुन्टल एवं वर्ष 2009-10 में 285.00 कुन्टल आलू बीज उपलब्ध कराया गया।

जनपदों में आलू बीज का आवंटन विभाग में आलू बीज की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। भारत सरकार से उपलब्ध कराये गये ब्रीडर आलू बीज का राजकीय प्रक्षेत्रों पर

संवर्धन कराने के उपरान्त विभाग के पास उपलब्ध आधारित श्रेणी के आलू बीज को शासन द्वारा प्रख्यापित आलू बीज वितरण नीति शासनादेश संख्या-2437/58-2009-100(2)/2006, दिनांक 01-10-2009 के अनुसार कृषक प्रक्षेत्रों पर प्रमाणित आलू बीज उत्पादन करने हेतु जनपदों को उपलब्ध कराया गया है।

जनपद कानपुर की तहसील सदर के ग्राम जाजमऊ के राजस्व अभिलेखों में राजा ययाति के किले को दर्शाये जाने के संबंध में जानकारी

169-श्री दीपक कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर की तहसील सदर स्थित ग्राम वाजिदपुर उर्फ जाजमऊ के राजस्व अभिलेखों में अंकित वर्ष 1940-41 में मानचित्र में गाटा सं0 4 ख, 9 ख, 10 ख, 11 ख और 12 ख क्षेत्रफल 10.0200 हे0 राजा ययाति के किले को चिन्हित दर्शाया गया है, किन्तु वर्ष 1980 से ग्राम वाजिदपुर उर्फ जाजमऊ सर्वे क्रियाओं के दौरान राजस्व मानचित्र 1990-91 में अंकित चिन्ह सर्वे विभाग उन्नाव द्वारा हटाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त चिन्ह को पुनः मानचित्र में अंकित कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अंकित चिन्ह गलत ढंग से हटाने वाले कर्मचारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम वाजिदपुर उर्फ जाजमऊ के आराजी संख्या-4ख, 9ख, 10ख, 11ख, और 12ख क्षेत्रफल 10.0200 हे0 वर्ष 1990-91 के सर्वे क्रियाओं के बाद बने नये आराजी नम्बरान है और वर्ष 1990-91 में सर्वे क्रियाओं के वाद राजस्व मानचित्र में भी किला चिन्हित प्रदर्शित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के ग्राम छिवैया के कृषकों द्वारा चकबन्दी पश्चात् भूमि का कब्जा परिवर्तन सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

170-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के ग्राम छिबैया उपरहार परगना झूंसी के कृषकों द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न शिकायती-पत्र जो मा0 विधायक श्री भोला पासवान द्वारा दिनांक 4-12-2009 को भेजा गया था, आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम में चकबन्दी वर्ष 1991 में कर दी गई थी, परन्तु आज तक कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? सरकार आवश्यक कार्यवाही कब तक करायेगी तथा इसके विलम्ब के लिये दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

ग्राम छिबैया उपरहार परगना झूंसी तहसील फूलपुर का धारा-4(2) का प्रकाशन दिनांक 16-2-1991 को हुआ है और चकों का पुष्टिकरण दिनांक 28-2-2000 को हुआ है। उक्त ग्राम में प्रत्येक वर्ष कब्जा परिवर्तन का प्रयास किया जाता रहा, किन्तु ग्राम में गुटबन्दी तथा विरोध होने के कारण कब्जा परिवर्तन नहीं हो सका। इस वित्तीय वर्ष में भी नाप हेतु जाने पर प्रधान ग्राम सभा एवं अन्य कृषकगण द्वारा नाप रोकवा लिया गया तथा प्रार्थना-पत्र दिया गया कि चकबन्दी प्रारम्भ होने से अब तक ग्राम में काफी भौगोलिक परिवर्तन हो चुका है। अतः चकबन्दी निरस्त कर दी जाये अथवा नये सिरे से चकबन्दी की जाये। जांच में काफी कास्तकारों द्वारा मूल्यांकन लगी भूमि में पक्का मकान बना लिया गया है तथा नाले एवं कछारी भूमि के कारण चकबन्दी योग्य भूमि कम रह जाती है। ग्रामवासियों द्वारा ग्राम में चकबन्दी न चाहे जाने के कारण धारा-6(1) का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित किया गया है। कास्तकारों द्वारा पैमाइश में कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार मामले में विभाग की ओर से कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकार द्वारा बेटियों की शादी में दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग

171-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी वर्गों की बेटियों की शादी हेतु दी जाने वाली धनराशि मात्र रु0 10,000/- को बढ़ाकर रु0 20,000/- करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्रश्नगत निर्णय निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत लाभार्थियों के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण

172-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में अब तक के सभी लाभार्थियों के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है और उन्हें देय रु0 20,000/- की धनराशि दे दी गई है ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

1354।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन अन्तर्गत शकुन्तला देवी के प्रार्थना-पत्र के निस्तारण की मांग

173-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर में वर्ष 2009-10 में प्राप्त वृद्धावस्था पेंशन के कितने आवेदन-पत्र अनिस्तारित पड़े हैं ? क्या यह सही है कि शकुन्तला देवी पत्नी रमेश चन्द्र अस्थाना निवासी चौकी हद्दफ तिलहरजई शाहजहांपुर का फार्म वर्ष 2008-09 से लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

आवेदिका का आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में मण्डी समिति द्वारा कतिपय ग्रामों की मरम्मत कराये जाने की मांग

174-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में मण्डी समिति द्वारा निर्मित रौनापार लाटघाट मार्ग से रसूलपुर नौकापुरा मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित लम्बाई 1.790 कि0मी0 में से 0.0905 किमी0 मार्ग का मरम्मत कार्य अन्य विभाग द्वारा करा दिया गया है। शेष 0.885 किमी0 मार्ग के मरम्मत हेतु मण्डी समिति, आजमगढ़ का जिलाधिकारी से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में कारागार भवन के निर्माण की मांग

175-श्री राजेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- शाहजहांपुर में कारागार भवन का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी लागत क्या है तथा किस एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? उक्त कारागार भवन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। जनपद शाहजहांपुर में नवीन कारागार के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में कृषकों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में याचिका योजित की गई है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये हैं।

जनपद शाहजहांपुर में विधवा पेंशन उपलब्ध कराये जाने संबंधी जानकारी

176-श्री राजेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर को वित्तीय वर्ष 2008-09 में विधवा पेंशन हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा कितनी विधवाओं को पेंशन दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद शाहजहांपुर को वित्तीय वर्ष 2008-09 में विधवा पेंशन हेतु रु0 1003.884 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई। जिसके सापेक्ष कुल 28024 विधवाओं को पेंशन उपलब्ध कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

177-डा0 अनिल चौधरी-

[दिनांक 11-08-2010 को अता0 प्रश्न सं0-188 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोण्डा की कतिपय क्षेत्र पंचायत में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनान्तर्गत कृषकों को निःशुल्क बोरिंग के लक्ष्य का निर्धारण

178-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मनकापुर, छपिया, वजीरगंज में स्पेशल कम्पोनेंट योजना के अंतर्गत अनूसूचित जाति के कृषकों को निःशुल्क बोरिंग का वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 में कितना-कितना लक्ष्य था ? लक्ष्य के सापेक्ष कितनी बोरिंग किन-किन ग्राम पंचायतों में कराई गई ? क्या सरकार को जानकारी है कि कराई गई बोरिंग एवं सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार कराई गई निःशुल्क बोरिंग का स्थलीय परीक्षण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत पंचायत मनकापुर, छपिया, वजीरगंज में स्पेशल कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत अनूसूचित जाति के कृषकों को निःशुल्क बोरिंग का वर्ष 2007-08, वर्ष 2008-09, 2009-10 का लक्ष्य जनपद स्तर से निम्न प्रकार निर्धारित किया गया :-

क्षेत्र पंचायत का नाम	2007-08	2008-09	2009-10
मनकापुर	25	30	40
छपिया	25	30	40
वजीरगंज	25	30	40

लक्ष्य के सापेक्ष निम्नांकित ग्राम पंचायतों में बोरिंग कराई गई :-

क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2007-08	2008-09	2009-10
मनकापुर	बेहटाहल बल	3	--	--
	झिलाही	1	--	--
	तुकाडिहा	8	--	--
	हड़हवा	10	--	13
	बन्जरिया	2	--	--
	गुनौरा	7	--	7
	महेवा गोपाल	--	--	7
	दुर्गापुर	--	--	4
वजीरगंज	सोहना	6	--	--
	माधोपुर	4	--	--
	जगदीशपुर कटरा	1	--	--
	हरिहरपुर	6	--	--
	भरहापार	1	--	--
	अचलपुर	2	--	--

कराई गई बोरिंग एवं सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुसार है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसीलों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ कराये जाने की मांग

179-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- गोण्डा की किन-किन तहसीलों में चकबन्दी का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ? क्या चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ एवं पुनः चकबन्दी कराने हेतु कोई समय सीमा शासन द्वारा निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के ग्राम शम्भूनगर में चकबन्दी कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रथम चक्र की चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, परन्तु उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-4क (1) के उपबन्धानुसार जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिले या उसके भाग में धारा-52 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, लोकहित में चकबन्दी कराना समीचीन है, वहां यह गजट में विज्ञप्ति द्वारा पुनः चकबन्दी प्रक्रिया प्रख्यापित कर सकती है। यह प्रख्यापन धारा-52 की विज्ञप्ति के 20 वर्ष के पूर्व

नहीं होगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लोकहित में धारा-52 की विज्ञप्ति की तिथि से 10 वर्ष के बाद घोषणा जारी कर सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर की नोएडा क्षेत्र में व्यय हुए उद्योगों को पुनः संचालित कराने हेतु कार्य-योजना

180-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा क्षेत्र में मार्च, 2010 तक कुल कितने उद्योग किन-किन कारणों से बन्द हुए हैं ? क्या सरकार उक्त उद्योगों को पुनः संचालित किये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद गौतमबुद्ध के नोएडा क्षेत्र में दिनांक 1-4-2007 से 31-3-2010 तक कुल 460 उद्योग निम्न कारणों से बन्द हुए हैं :-

1-आर्थिक कारणों के कारण।

2-कारखानों में प्रयोग की जाने वाली प्राचीन तकनीक।

3-उत्पादित वस्तु की मांग की कमी।

4-कच्चे माल की पूर्ण रूप से क्षेत्र में उपलब्ध न होना।

5-उत्पादित वस्तु की लागत अधिक आना।

6-कुशल श्रमिकों की कमी।

7-प्रबन्धकीय समस्या।

सरकार द्वारा उक्त उद्योगों को पुनः संचालित कराने हेतु निम्न कार्य योजना पर प्रयास किया जा रहा है।

1-प्राचीन तकनीक से बन्द इकाइयों की तकनीकी उन्नयन योजना से लाभान्वित किया गया है।

2-आर्थिक कारणों से बन्द इकाइयों के पुनर्वित्तपोषित कराने हेतु वित्तीय संस्थाओं से वार्ता कराते हुए लाभान्वित किया जा रहा है।

3-कुशल श्रमिकों की समस्या को दूर करने हेतु सरकार द्वारा स्किल्ड इनीशियेटिव योजना चलाई जा रही है, जिसमें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से बड़ी इकाइयों में श्रमिकों को प्रवेश दिलाकर तकनीकी रूप से कुशल किया जा रहा है।

4-बिक्री एवं वितरण की समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा विपणन विकास सहायता एम0डी0ए0 योजना संचालित है, जिसमें नोयडा की कई इकाइयां लाभान्वित हुई हैं।

5-यदि इकाई को अपने विस्तारीकरण के क्रम में अतिरिक्त भू-खण्ड की आवश्यकता होती है तो प्राधिकरण द्वारा इन्हें औद्यागिक भू-खण्डों की योजना में आरक्षित श्रेणी में रख कर वरीयता दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

181-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

[दिनांक 10-08-2010 को अता0 प्रश्न सं0-107 द्वारा उत्तरित]

जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ के ग्राम विजामपुर में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण के पश्चात स्टाफ की तैनाती की मांग

182-श्री अरविन्द सिंह यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ जनपद-कन्नौज के ब्लाक तालग्राम के ग्राम निजामपुर में पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण हुए लगभग एक वर्ष व्यतीत होने पर भी स्टाफ न होने के कारण पशुओं का इलाज नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पशु चिकित्सालय में स्टाफ की तैनाती करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी नहीं। पशु चिकित्सालय निजामपुर का भवन विभाग को अगस्त, 2009 को हस्तांतरित हुआ। पशु चिकित्साधिकारी की नियमित नियुक्ति अभी नहीं हुई। समीपस्थ पशु चिकित्साधिकारी तालग्राम द्वारा पशुओं का इलाज किया जा रहा है।

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 को रिक्त पदों का अधियाचन प्रेषित किया गया है। आयोग से चयनित पशु चिकित्साधिकारियों की उपलब्धता पर एवं अन्य रिक्त पदों पर चयन के उपरान्त नियमित तैनाती की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोयडा व ग्रेटर नोयडा में डी0एन0डी0 टोल टैक्स वसूली के सम्बन्ध में जानकारी

183-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गौतमबुद्ध नगर के नोयडा व ग्रेटर नोयडा में डी0एन0डी0 टोल टैक्स निर्धारण वसूली करने की क्या नीति है तथा कितनी जगहों पर यह वसूली कब तक की जायेगी ?

सुश्री मायावती-

निर्माण लागत के समायोजन के उद्देश्य से एक संस्था नोएडा टौल ब्रिज कम्पनी लि0 द्वारा फ्लाई-वे का अनुरक्षण करने के साथ-साथ टोल टैक्स की भी वसूली की जाती है।

वर्तमान में डी0एन0डी0 फ्लाई-वे के नोयडा एवं मयूर विहार द्वार पर टोल टैक्स वसूली किये जाने का प्राविधान है। डी0एन0डी0 फ्लाई-वे पर दिनांक 12 नवम्बर, 1997 से 30 वर्षों की अवधि के लिये टोल टैक्स वसूली हेतु समझौता प्रपत्र पर सहमति प्रदान की गई है।

निर्धारित अवधि में लागत वसूली न होने की दशा में समझौता अवधि में दो वर्षों की वृद्धि की जा सकती है।

जनपद मैनपुरी के लोहिया पार्क के रख-रखाव के सम्बन्ध में जानकारी

184-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में लोहिया पार्क बना हुआ है ? यदि हां, तो इसकी साफ-सफाई तथा रख-रखाव हेतु सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

राजकीय पौधशाला कम्पनीबाग के नाम से पार्क स्वीकृत हुआ है।

कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0 द्वारा अभी तक पार्क उद्यान विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के जी0टी0 रोड से ब्लाक जागीर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

185-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में भोगांव बेवर जी0टी0 रोड से बघेला होते हुए अधार ब्लाक जागीर तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

भोगांव-बेवर जी0टी0 रोड बघेला तक लम्बाई 200 किमी0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कराई गई है, बघेला से रोहिला होते हुए आधार तक लम्बाई 3.70 कि0मी0 का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 2002 में कराया गया था, जो क्षतिग्रस्त है।

जी नहीं।

मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित मार्ग के मरम्मत के संबंध में जिलाधिकारी से अनुमोदित मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण इस मार्ग की मरम्मत विचाराधीन नहीं है।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद की बन्द हो चुकी सहकारी कताई मिल के श्रमिकों को बी0आर0एस0 भुगतान में अवैध वसूली विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

186-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- सीतापुर के अन्तर्गत महमूदाबाद में बन्द हो चुकी सहकारी कताई मिल के श्रमिकों को बी0आर0एस0 भुगतान में की जा रही अवैध वसूली किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 28-4-2010 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रश्नकर्ता मा0 विधायक का शिकायती-पत्र दिनांक 28-4-2010 प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 25-4-2010 प्राप्त हुआ है।

मा0 विधायक के पत्र दिनांक 25-4-2010 में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहेड़ी की उ0प्र0 सहकारी कताई मिल लि0 हरसूनगला-वे बन्द होने के पश्चात कर्मचारियों के समस्त देयों का भुगतान एवं उनके समायोजन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री छत्रपाल सिंह-

187-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सहकारी कताई मिल लि0 हरसूनगला बहेड़ी बरेली के बन्द होने के क्या कारण है ? क्या उक्त मिल के मजदूरों व कर्मचारियों के समस्त देयों का भुगतान हो गया है ? क्या सरकार इन नियमित कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित/समायोजित करने तथा मिल को पुनः चलाने की कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

विद्युत कनेक्शन का अस्थाई विच्छेदन हो जाने के कारण फिलहाल मिल बन्द है।

शासन द्वारा डाउन साइजिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत मिल के इच्छुक एवं पात्र कर्मचारियों के बी0आर0एस0 हेतु शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2010 द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है जिससे संबंधित कार्यवाही गतिशील है।

मा0 उच्च न्यायालय, मुम्बई में दायर याचिका संख्या-2792/2000 में पारित आदेशानुसार बहेड़ी कताई मिल का नोशनल कब्जा मा0 न्यायालय के रिसीवर के पास है। उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में याचिका विचाराधीन है। इस प्रकार यह प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। कोर्ट रिसीवर द्वारा मिलों को संचालित रखने के लिये नोशनल कब्जा लेकर उन्हें महाप्रबन्धक, मिल को कब्जा दिया गया है जिसके आधार पर मिल संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। अब क्या व्यवस्था का प्रश्न है। कुबेर सिंह जी, आप बैठ जायं, तिवारी जी खड़े हो गये हैं। तिवारी जी बतायें क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण और गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न है और इस प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न यह है मान्यवर, कि यह अनाथ बच्चे आये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एन0जी0ओ0 को मौका दिया यहां आने के लिये। सरकार के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि सरकार ने उसके लिये बजट का प्राविधान किया लेकिन [x x x]

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाल दें और इस तरह की बातें विधान सभा में नहीं आनी चाहिए। मान्यवर, मजाक की एक सीमा होती है। हास-परिहास में इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। मान्यवर कोई भी सदस्य हो चाहे वरिष्ठ या कोई भी सदस्य। इसलिये मान्यवर, इसको कार्यवाही का अंग नहीं बनना चाहिए और इसको कार्यवाही से निकाल दीजिए। मान्यवर, इसी तरह से पटेल जी ने भी कुछ बातें इस तरह की आपत्तिजनक कही हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इसको दिखवा लूंगा और जो आपत्तिजनक होगा उसको कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपत्तिजनक है बहुत ज्यादा और इनके पास तो कोई सीमा नहीं है मजाक की। यह हर चीज को मजाक में लेते हैं। मजाक की एक सीमा होनी चाहिए कि किस सीमा तक हम जायेंगे। [x x x]

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब इस बात को बन्द करवाइये।

श्री अध्यक्ष-

अरे बन्द करवा रहे हैं पर यह बन्द होने वाले लोग नहीं है। चलिये खन्ना साहब बैठ जायं। चलिये कुबेर जी, आप पहले खड़े हुए थे। कहिये कुबेर जी कोई व्यवस्था हो प्रश्नों के सम्बन्ध में तो संक्षेप में कह दें।

नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की भांति अन्य दलीय नेताओं का सम्मान किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री कुबेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके आदेशों का अनुपालन होगा। हम लोग सम्मान लेना तो चाहते हैं पर सम्मान देना नहीं चाहते हैं। विषय यह है कि इस सदन में आपका पद तो महत्वपूर्ण है ही। दो और पद महत्वपूर्ण हैं एक नेता सदन का और दूसरा नेता प्रतिपक्ष का।

तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था बतायें।

श्री कुबेर सिंह-

जब-जब नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष आते हैं तो आपकी नियमावली में कोई ऐसा प्राविधान है कि दलीय नेता तो खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं परन्तु उनके सम्मान के हिसाब से यदि नियमावली में ऐसा प्राविधान है कि सब लोग सम्मान करें तब तो ठीक है उसका अनुपालन हो अगर नहीं है तो उसका समायोजन करने पर विचार करें।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-11 के त्रुटिपूर्ण उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सोबरन सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न तारांकित प्रश्न संख्या-11 पर लगा है मैंने प्रश्न पूछा है कि 'क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू उत्पादकों को उचित मूल्य न मिलने एवं आलू को फेंकने से बचाने के लिए समर्थन मूल्य तय करने हेतु क्या सरकार कोई योजना बनाने हेतु विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? माननीय अध्यक्ष जी आप हमारे संरक्षक हैं और बहुसंख्यक किसानों से हम लोग वायदा करके आते हैं उसका उत्तर जो हमें मिला है जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, कोई योजना बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वर्तमान में प्रदेश की प्रमुख मण्डियों में आलू के थोक बाजार भाव रु0 425 से 700 तक चल रहे हैं, जो उत्पादन लागत से अधिक है। मान्यवर, अपेक्षा करते हैं कि इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जो भी उत्तर हम लोगों को मिलेगा वह बड़ा सारगर्भित होगा अपनी जगह पर बिल्कुल सही होगा, आज यह जो न्यूनतम मूल्य सवा चार सौ लिखकर भेजा गया है और अधिकतम 700, मान्यवर, किसान का लागत मूल्य लगभग पचास हजार रुपया एक एकड़ में आता है।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था कहें।

श्री सोबरन सिंह-

मान्यवर, हम भी किसान हैं हम जानना चाहते हैं माननीय उद्यान मंत्री जी से जानना चाहते हैं जो आलू का न्यूनतम मूल्य 425 लिखा है वह प्रदेश की किसी मण्डी में न्यूनतम मूल्य के बराबर बिक रहा है तो बताने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दीजिए कि गलत उत्तर मिला है स्थिति यह है उसमें हम परीक्षण करके देखते हैं। अगर कोई प्रश्नों का उत्तर गलत देता है माननीय मंत्री जी या कोई भी उत्तर गलत आता है तो उसके लिए नियमों में व्यवस्था है आप हमको लिखकर दे दीजिए कि गलत उत्तर आया है मूल्य यह है लिखकर दे दीजिए हम परीक्षण करा लेंगे।

श्री सोबरन सिंह-

हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया, लोग समय ले लेते हैं दुर्भाग्यवश कह लीजिए प्रश्न नहीं आ पाया तो अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि प्रश्नों के बाद अनुपूरक करायें मंत्री जी से, आप फिर लगा लीजिएगा। आप लिखकर दीजिएगा माननीय मंत्री जी से बात करा लिया जाएगा।

आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-117 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

विशम्भर जी आपका क्या व्यवस्था का सवाल है ?

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, मेरा अतारांकित प्रश्न-117 लगा है इसमें मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है-'क्या समाज कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सरकार द्वारा मल्लाह, केवट, भर/राजभर, कुम्हार (प्रजापति) कहार, कश्यप, निषाद, धीवर, बिन्द, बाथम, तुरहा, गौड़, मांझी, मछुवा आदि समुदायों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु दिनांक 4-3-2008 को मा0 प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा उसका विवरण क्या है ?' मान्यवर, इसमें माननीय नेता सदन ने कहा था कि उनको समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे और इसकी रिपोर्ट भेज देंगे। भारत सरकार ने 11-4-2008 को प्रपत्र वहां पर भेज दिया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पर आप बताइए क्या आप इससे संतुष्ट हैं इस बारे में क्या व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, 2008 से अब 2010 है माननीय नेता सदन ने आश्वासन दिया था कि अनुश्रवण किया जाएगा। आपने पीठ से निर्देश दिया था कि इसका विस्तृत सर्वे करके भिजवा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न के संदर्भ में बतायें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, यह सरकार सर्वे कराकर रिपोर्ट नहीं भेजना चाहती है।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था बतायें यह गलत बात है यह व्यवस्था नहीं है आप तो भाषण देने के लिए खड़े हो गए यह व्यवस्था नहीं है।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-12 के त्रुटिपूर्ण उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, तारांकित प्रश्न संख्या-12 पर आज मेरा प्रश्न लगा था लेकिन उस पर माननीय मंत्री जी का बिल्कुल गलत जवाब आया है। मेरा प्रश्न था कि 'क्या खेलकूद मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम के तरणताल में विगत 3 वर्षों से एक मीटर एवं तीन मीटर के स्प्रिंग बोर्ड के अभाव में प्रदेश के खिलाड़ी पलायन कर रहे हैं ?' उत्तर आया है कि 'स्प्रिंग बोर्ड नहीं है परन्तु उसके कारण पलायन की बात ठीक नहीं है।' मान्यवर, यह उत्तर गलत है। वास्तविकता यह है कि स्प्रिंग बोर्ड के अभाव में खिलाड़ी पलायन कर रहे हैं। एक तरफ देश की सरकार खेलों पर करोड़ो-अरबों रुपये खर्च कर रही है और यहां पर स्प्रिंग बोर्ड के अभाव में खिलाड़ी पलायन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

पूरन प्रकाश जी, मेरी बात सुन लीजिए। नियमों में व्यवस्था है। आप इसको देख लें, यदि उत्तर से असंतुष्ट हैं और आपको यदि तथ्यों की जानकारी है तो नियमों के तहत आप हमें लिखकर दीजिए, मैं परीक्षण कराऊंगा और सही उत्तर दिलाने की जो प्रक्रिया है, उसके तहत उत्तर दिलाया जायेगा। अब आप बैठिए।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 अगस्त, 2010 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 37 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री शम्भू चौधरी की जनपद कुशीनगर में खरवार जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र न दिये जाने तथा अधिकारियों द्वारा सरकारी सुविधाओं से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की उत्तर प्रदेश में लगभग 20 डिग्री कालेजों को पूर्व में जिन्हें पी0 जी0 कक्षाओं की सम्बद्धता दी गयी है उनके नियुक्त प्राचार्यों को छठा वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जनपद जौनपुर में पिछले कुछ महीनों से चोरी, डकैती, हत्या की वारदात बढ़ने तथा डिप्टी डायरेक्टर किरनजीत सिंह के पुलिस द्वारा बरामद लाखों के आभूषण गायब किये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री विश्वनाथ की जनपद कुशीनगर के बिहार सीमा से लगे हुये हिस्से से खाद-बीज की तस्करी रोकने तथा जिले के सीमावर्ती किसानों को खाद-बीज सुविधापूर्वक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना चौ0 सत्यपाल सिंह की अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में सरकारी धन का दुरुपयोग तथा नियम विरुद्ध विभागीय निर्माण इकाई के नाम पर बिना टेण्डर के करोड़ों रुपये का काम कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद गोण्डा और बलरामपुर के जिला अस्पताल में एण्टी रैबीज इंजेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद फतेहपुर में डी0 एफ0 ओ0 संजीव कुमार द्वारा हरे पेड़ कटवाने एवं अवैध कोयला भट्ठी चलवाये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना शैलेन्द्र यादव ''ललई'' की जनपद मऊ में यू0 पी0 स्टेट स्पीनिंग कम्पनी लि0 जो 5 वर्षों से बन्द पड़ी है उसके लगभग 1000 कर्मचारियों का वी0 आर0 एस0 का भुगतान शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में।

नौवीं सूचना श्री लल्लू सिंह की जनपद फैजाबाद के ब्लाक पूरा अन्तर्गत मड़ना ग्राम पंचायत में ठोकर न बनने से सरयू/घाघरा नदी की कटान से बहकर बर्बाद हो रहे घरों एवं नष्ट हो रही फसलों को बचाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की जनपद बलरामपुर में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तुलसीपुर तथा उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवपुरा में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री कुवेर सिंह की जलेसर एटा में पेयजल हेतु टंकी बनवाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री आर0 के0 चौधरी राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज, सेमरी, नगराम, अमेठी, हरदोइया, करोरा तथा मोहनलालगंज में पूर्व की भांति 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना डा0 सिद्धार्थ शंकर की लखनऊ में मलिहाबाद क्षेत्र स्थित बेता नाला पर अस्थाई लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्का पुल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा की उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में खाली पड़े अधिकारियों के पद डी0 पी0 सी0 के माध्यम से भरने तथा चिकित्साधिकारियों को नान प्रैक्टिस अलाउंस दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय की उ0 प्र0 स्पीनिंग मिल मेजा, इलाहाबाद के कर्मचारियों के बकाया भुगतान तथा सेवायोजन एवं मृत पड़ी कम्पनी को प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर नयी कम्पनी लगाने के सम्बन्ध में है। उपस्थित माननीय सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुयी मानी गयीं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार हुईं-श्री शिवगणेश लोधी, श्री पूरन प्रकाश, श्री राजेश कुमार गौतम, श्री जोखू लाल यादव, श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री अनिल कुमार गुप्ता, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री राधेश्याम गुप्ता, श्रीमती कृष्णाराज, श्री राजेश यादव, श्री राजेश अग्रवाल, श्रीमती विमलेश, श्री प्रदीप माथुर, चौ0 रवीन्द्र प्रताप, श्री कैलाश चौरसिया, श्री विशम्भर सिंह यादव, श्री उदयराज यादव, श्री बैजनाथ दुबे, श्री रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री सुरेश्वर सिंह तथा श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप।

जनपद कुशीनगर में खरवार जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र न दिये जाने तथा अधिकारियों द्वारा सरकारी सुविधाओं से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शम्भू चौधरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद कुशीनगर में अनुसूचित जाति खरवार पर हो रहे सौतेला व्यवहार की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद कुशीनगर में तहसीलदारों, कानूनगो तथा लेखपालों द्वारा खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र लगातार तीन वर्षों से नहीं दिया जा रहा है, जबकि खरवार जाति भारत सरकार के सूची में अनुसूचित जाति के क्रमांक संख्या-46 पर अंकित है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा लगातार कई बार पत्रों तथा नियमों के माध्यम से इस गम्भीर विषय को सरकार के संज्ञान में लाया गया है। नियम के जवाब में मा0 मंत्री जी भी इस बात का जिक्र किया है कि खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा रहे हैं किन्तु सच्चाई यह है कि कुशीनगर जनपद में अनुसूचित जाति खरवार जाति के व्यक्तियों को तीन वर्षों में एक भी जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किये गये हैं और न तो अनुसूचित जाति के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं से खरवार जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है जिससे खरवार जाति के व्यक्तियों को अत्यन्त हानि हो रही है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद कुशीनगर के खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश में पी0जी0 कक्षाओं की सम्बद्धता दिये जाने वाले 20 डिग्री कालेज के प्राचार्यों को छठा वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[महोदय, मैं सरकार का ध्यान विधान सभा के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। सम्पूर्ण उ0 प्र0 के लगभग 20 डिग्री कालेजों को पूर्व में पी0जी0 कक्षाओं की सम्बद्धता प्रदान की गयी थी उसमें नियुक्त प्राचार्यों को विगत 20 वर्षों से लगातार पी0जी0 प्राचार्य का वेतनमान दिया जा रहा है किन्तु छठा वेतनमान लागू हो जाने के बाद उपरोक्त प्राचार्यों को छठा वेतनमान विचाराधीन है। जिससे गांधी पी0जी0 कालेज, सिधौली, सीतापुर एवं अन्य लगभग 20 महाविद्यालयों के प्राचार्यों को छठा वेतनमान नहीं मिल पा रहा है। जिससे उपरोक्त प्राचार्यों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए इनमें तथा इनके परिवारों में भारी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार से उत्तर देने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर में विगत माह से अपराध में बढ़ोत्तरी तथा डिप्टी डायरेक्टर किरनजीत सिंह के पुलिस द्वारा बरामद लाखों के आभूषण गायब किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

[महोदय, जनपद जौनपुर में पिछले कुछ महीनों से चोरी, डकैती, हत्या की वारदात बढ़ गयी है। जबकि पूर्वांचल में जनपद जौनपुर में अपराध न के बराबर था। हम आपको कुछ घटनाओं का संज्ञान लाना चाहेंगे। 01 अप्रैल, 2010 को थाना कोतवाली केराकत अन्तर्गत बिलावां घाट पर संजय निषाद की हत्या और उसी दिन सुजानगंज थाने में पप्पू पाण्डेय एवं राजकुमार की एक साथ हत्या। महराजगंज थाने में ग्राम मंझीठी में एक महीना पहले एक नवयुवक की हत्या और महाराजगंज थाने में ही रमदईया निवासी 25 वर्षीय एक यादव की हत्या। थाना खुटहन में ग्राम विकास अधिकारी की हत्या और अभी दस दिन पहले थाना सरपतहां के दो नौजवानों की हत्या और मान्यवर उससे भी बढ़कर जौनपुर मुख्यालय पर मेरा भी निवास है। मेरे निवास से चोरी और उसी दिन से लगातार एक हफ्ते तक शहर में 14-15 चोरियां हुई जिसमें बड़ी-बड़ी हस्तियां शामिल थीं। डिप्टी डायरेक्टर कृषि, किरनजीत सिंह, व्यवसायी के साथ-साथ कई प्रतिष्ठित लोगों के यहां चोरियां हुईं। 24 जनवरी, 2010 को अजय कुमार सेठ जो जौनपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं की रिवाल्वर एवं 1 किलो 12 ग्राम सोना, 20 हजार रुपया कैश की छिनौती हुई। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इन अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। जिले में पुलिस का अधिकारी भी अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है।

महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि पुलिस कहती है कि मैंने वर्कआउट किया। अगर वर्कआउट किया और मुल्जिम पकड़े गये तो किरनजीत सिंह जिनके यहां से लाखों के आभूषण बरामद हुये तो वह कहां गये ?

मैं आपके माध्यम से उपरोक्त प्रकरणों पर शासन से कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के बिहार सीमा से सटे भागों में खाद-बीज की तस्करी रोककर सरकार द्वारा वितरण व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्वनाथ-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जनपद कुशीनगर जिले के पूर्वी सीमा पर स्थित गांवों को खाद, बीज को लेकर रवि और खरीफ में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए प्रशासन को भी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। वितरण व्यवस्था की लचर और सीमावर्ती हिस्से में खाद और बीज की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तस्करी बड़े पैमाने पर वर्षों से जारी है। उत्तर प्रदेश के खाद व बीज बिहार में तस्करों द्वारा पहुंचायी जाती है। प्रदेश का सीमावर्ती किसान ब्लैक से खरीदने और बिना खाद के व सरकारी गोदामों से बीज पाने से वंचित रह जाता है। इससे शान्ति और व्यवस्था तार-सार हो जाती है और किसान दुखी आहत व क्षतिग्रस्त होता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के और जनजीवन से जुड़े अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की मांग करता हूं।]

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में नियम विरुद्ध विभागीय निर्माण इकाई के नाम पर बिना टेण्डर करोड़ों रुपये का काम कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

चौ0 सत्यपाल सिंह-

[महोदय, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में सरकारी धन का दुरुपयोग मनमाने तरीके से नियम विरुद्ध किया जा रहा है। डिपार्टमेन्टल कन्सट्रक्शन यूनिट के नाम पर बिना टेण्डर के ही करोड़ों रुपया के कार्य कराये जा रहे हैं। डिपार्टमेन्टल कन्सट्रक्शन यूनिट अन्तर्गत सिर्फ आपात कालीन स्थिति में कार्य किया जाता है। परन्तु यहां अधिकांश कार्य डिपार्टमेन्टल कन्सट्रक्शन यूनिट के नाम कराकर विभाग को करोड़ों का चूना लगाया गया है।

क्वार्सी बाईपास से नगला तिकौना तक सी0सी0 सड़क एवं नाला निर्माण कराया गया था, टूट चुका है।

विकास नगर सासनी गेट पर रणवीर कश्यप बसपा नेता के घर के सामने पार्क निर्माण कार्य।

किशोर नगर में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।

इन्जीनियरिंग कालोनी में फुआरा लगाने का कार्य।

बरौला जाफराबाद एवं स्वर्ण जयन्ती नगर में ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण कार्य।

खैर नगरपालिका में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।

प्रोफेसर कालोनी में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।

अवन्तिका फेस प्रथम में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य (अध्यक्ष जिला पंचायत घर के पास) आदि बहुत से सी0सी0 कार्य नियम विरुद्ध बिना किसी टेण्डर के करा दिये गये हैं। वि0प्रा0 के अभियन्ता गुप-चुप तरीके से धन का भुगतान करने की कोशिश में लगे हैं। विकास प्राधिकरण अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा सिर्फ धन को ठिकाने लगाने का कार्य किया जा रहा है। गुणवत्ता एवं नियम का कहीं अता-पता नहीं है।

इस प्रकरण की जांच अविलम्बनीय कराने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा और बलरामपुर के जिला अस्पताल में एण्टी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद गोण्डा और बलरामपुर के जिला अस्पताल में एण्टी रैबीज इंजेक्शन न होने के कारण जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद गोण्डा व बलरामपुर में रिजर्व फारेस्ट जंगलों के कारण जंगली पशु जैसे सियार, भेड़िया, जंगली सुअर एवं सांपों के काट लेने के कारण जनता को एण्टी रैबीज इंजेक्शन लगने से ही जीवन बच सकता है किन्तु दोनों जनपदों में एण्टी रैबीज का इंजेक्शन न होने के कारण जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए एण्टी रैबीज के इंजेक्शन की आपूर्ति किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर में डी0एफ0ओ0 संजीव कुमार द्वारा हरे पेड़ों के कटान एवं अवैध कोयला भट्ठी चलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। जनपद फतेहपुर में डी0एफ0ओ0 संजीव कुमार द्वारा वन विभाग के हजारों हरे पेड़ अवैध रूप से कटवा कर कानपुर मण्डी में बेचे जा रहे हैं तथा ग्राम कौह थाना चांदपुर में अवैध आरा मशीन से रात-दिन पेड़ों की चिरान करायी जा रही है तथा सैकड़ों ट्रक वन विभाग की अवैध लकड़ी का स्टाक आज भी जमा है। अमौली से हरिजनपुर से गौरा मार्ग सठिगवां से चांदपुर अमौली से खजुहा मार्ग अमौली से वरीपाल (हमीरपुर) मार्ग तथा अमौली से कोरिया मार्ग तथा कौह से नसेनिया मार्ग डिघरुआ चौराहे से खजुहा मार्ग, हरिजनपुर से गढ़ी मार्ग आदि में लाखों कटे पेड़ों के ठूठ खड़े हैं। जिन्हें अवैध रूप से काटा गया है। डी0एफ0ओ0 द्वारा जे0बी0सी0 मशीन लगाकर ठूठ उखाड़ निशानदेही खत्म की जा रही है। वन विभाग को करोड़ों रुपये का चूना वन विभाग के अधिकारियों द्वारा लगाया जा रहा है। संजीव कुमार, डी0एफ0ओ0 द्वारा खानापूर्ति करने के लिये एक फारेस्टर एक फारेस्ट गार्ड को निलम्बित कर दिया गया है। थाना चांदपुर में हरे हजारों पेड़ काटने पर मुकदमा अज्ञात लोगों के नाम दर्ज किया गया है। जबकि अवैध कोयला बनाने की भट्ठी ग्राम बारा, औरा, जाफरगंज, कोडा, जहानाबाद, सरहनडेरा, रूस्तमपुर, खजुरिया, केवई मऊदेव, तारानडेरा आदि सैकड़ों चल रही हैं। प्रतिमाह लाखों रुपये डी0एफ0ओ0 द्वारा लेकर अवैध कोयला भट्ठी एवं पेड़ काटने पर लिया जा रहा है जिससे फतेहपुर की जनता आन्दोलित हो रही है इसलिये शासन स्तर से समीक्षा कर डी0एफ0ओ0 के ऊपर कार्यवाही कर जांच कर कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ में बन्द पड़ी यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0 के कर्मचारियों का वी0आर0एस0 का भुगतान शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''-

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद मऊ में यू0पी0 स्टेट स्पेनिंग कम्पनी लिमिटेड विगत पांच वर्षों से बन्द पड़ी है जिससे उक्त मिल में चार हजार कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें से लगभग तीन हजार कर्मचारियों का बी0आर0एस0 भुगतान कर दिया गया है, बाकी लगभग एक हजार कर्मचारियों का बी0आर0एस0 का भुगतान नहीं किया गया है जिससे इनका परिवार भुखमरी के कगार पर है और इन लोगों में काफी असन्तोष की भावना उत्पन्न हो गयी है। तत्काल बचे हुए नियमित कर्मचारियों के बी0आर0एस0 का भुगतान किया जाना जनहित में होगा। यह गम्भीर विषय है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद की ग्राम पंचायत मड़ना में ठोकर न बनने से सरयू/घाघरा नदी की कटान से घरों एवं फसलों को बचाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लल्लू सिंह-

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद के ब्लाक पूरा अन्तर्गत मड़ना ग्राम पंचायत के बलुइया ग्राम जिसमें लगभग 150 घर हैं। सरयू (घाघरा) नदी के कटान के कारण इस गांव के कई घर बह गये हैं। इसके पूर्व वर्षों में भी इसी नदी के कटान से कई घर बह गये जिनको इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया गया था। इस गांव की सुरक्षा हेतु तीन ठोकर बनाने की मांग जिला एवं शासन स्तर के अधिकारियों से की जा रही है परन्तु शासन एवं प्रशासन इस गांव की सुरक्षा के प्रति मूकदर्शक बना हुआ है। सरयू (घाघरा) नदी की कटान से केवल गांव के घर ही नहीं बल्कि सैकड़ों एकड़ फसल भी बरबाद हो जाती है। जिससे यहां के निवासी के लिए भोजन एवं मवेशियों के लिए चारा की समस्या प्रतिवर्ष उत्पन्न हो जाती है। मेरी यह मांग है कि जिन लोगों के घर बह गये हैं अथवा गिर गये हैं उन्हें इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने के साथ ही आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करायी जाय यहां पर तीन ठोकरों का निर्माण न होने के कारण यहां के निवासियों को घोर निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब 3 ठोकर बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तुलसीपुर तथा शिवपुरा में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलरामपुर में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुलसीपुर, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवपुरा में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति न होने से अधिकांश महिलायें चिकित्सा सुविधा के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। प्रदेश का सबसे अविकसित क्षेत्र होने के कारण निजी चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से महिला चिकित्सकों की नियुक्ति क्षेत्र के व्यापक हित में अत्यावश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जलेसर एटा में पेयजल टंकी बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुबेर सिंह-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र जलेसर, जनपद एटा में गांव महापुर पूर्णतः खारे पानी से प्रभावित है। उस गांव में अधिकांश लोग पानी की टंकी की कमी के कारण तालाब के पानी से स्नान करते हैं। इतना ही नहीं पिछले वर्ष एक लड़का तालाब से पानी लेने गया और उसमें डूब कर उसकी मौत हो गयी। इससे पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है तथा जनता आये दिन आन्दोलन करती रहती है जिससे कभी भी स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। गांव महापुर में पेयजल का गम्भीर संकट व्याप्त है।

अतः जनजीवन से जुड़े इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लखनऊ के मोहनलालगंज, गोसाईगंज, अमेठी आदि क्षेत्रों में पूर्व की भांति 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 के0 चौधरी-

[महोदय, राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज क्षेत्र शहरी क्षेत्र से बिलकुल सटा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में सौतेला बर्ताव हो रहा है। विशेष रूप से गोसाईगंज, समेसी, नगराम, अमेठी, हरदोइया, करोरा जैसे हिस्से में विद्युत आपूर्ति की समस्या सबसे ज्यादा खराब है। इस क्षेत्र में 4-5 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं आती। पहले पूरे मोहनलालगंज क्षेत्र में 24 घण्टे बिजली मिलती थी। परन्तु राजनीतिक विद्वेष की भावना से वर्ष 2002 से 2003 तक और अब 2007 से इस क्षेत्र में घोषित-अघोषित कटौती करके विद्युत आपूर्ति में भारी कमी कर दी गयी है। मोहनलालगंज के किसान, दुकानदार, शिक्षक, छात्र-छात्राओं सहित क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ता पीड़ित हैं। उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। लखनऊ शहर से सटा होने के नाते यहां के विद्युत उपभोक्ताओं से शहरी दर पर विद्युत बिल भेजकर पैसा वसूला जाता है। परन्तु राजनीतिक विद्वेष की भावना के कारण ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार भी विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती। 24 घण्टा पूर्ववत् विद्युत बहाली की मांग करने पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जाता है। सुल्तानपुर राजमार्ग से उत्तर कासिमपुर गांव के खेतों में पण्डाल लगाकर क्षेत्र के किसान, दुकानदार और विद्युत उपभोक्ता दिनांक 14-5-2008 को जनसभा करके क्षेत्र में 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बहाली की मांग कर रहे थे, मैं भी जन सभा में मौजूद था। जनसभा राजमार्ग से अलग खेतों में हो रही थी। एकाएक पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू कर दिया। बिजली मांगने वाले उपभोक्ताओं को सड़क और गांव तक दौड़ा-दौड़ा कर मारा और उसी दिन देर रात शासन के निर्देश पर मेरे नाम सहित 25 किसानों, दुकानदारों और उपभोक्ताओं के विरुद्ध अपराध संख्या-199/08 पर तमाम धाराओं के साथ 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्टमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत थाना गोसाईगंज में मुकदमा कायम कर दिया गया।

महोदय, विषय अतिलोक महत्व का है। मेरे क्षेत्र मोहनलालगंज की जनता में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश सरकार और उसके विद्युत विभाग के सौतेलेपन और विद्युत उपभोक्ताओं के प्रति दमन एवं उत्पीड़नकारी रवैया से क्षेत्र में घोर असन्तोष है। अतः आपसे अनुरोध है कि लखनऊ राजधानी के गोसाईगंज, समेसी, नगराम, अमेठी, हरदोइया, करोरा सहित पूरे क्षेत्र मोहनलालगंज में 24 घण्टा पूर्ववत् विद्युत आपूर्ति हेतु तथा बिजली की मांग करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध थाना गोसाईगंज में अपराध संख्या-199/08 थाना 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट ऐक्ट में दर्ज मुकदमा वापस लेने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

लखनऊ के मलिहाबाद में बेता नाले पर पक्का पुल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सिद्धार्थ शंकर-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में कई ग्राम सभाएं जैसे-कुण्डरा कलां, शेरपुर, भौसा, अटौरा, पहाड़पुर, दतली, नबीनगर, गोड़वा भुलसी आदि जिन गांवों के लोग किसी तरह से बेतानाला जो हमारे विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद से होकर गुजरता है को पार कर मलिहाबाद पहुंचते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लकड़ी का पुल बनाकर वे ऐसा करते हैं परन्तु वर्षा के दिनों में बेतानाला का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि लकड़ी का पुल डूब जाता है जिससे किसी भी समय पुल टूट कर कोई गम्भीर दुर्घटना घट सकती है। दूसरे रास्ते से मलिहाबाद आने के लिए लोगों को लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उपरोक्त गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण महिलाओं के प्रसव के समय उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलिहाबाद ही लाना पड़ता है, कभी-कभी महिलाओं के प्रसव के समय उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलिहाबाद लाने में विलम्ब हो जाता है जिससे उनकी जान चली जाती है। उपरोक्त गांवों के लोगों को बहुत कठिनाई होती है। जनमानस की सुविधा हेतु बेतानाला पर (कुण्डराकलां से गढ़ी संजर खां तक) का पुल बनाना अत्यन्त आवश्यक है एवं जिससे उपरोक्त ग्राम सभा के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा।]

उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग में अधिकारियों के रिक्त पद डी0पी0सी0 के माध्यम से भरे जाने तथा चिकित्साधिकारियों को नान प्रैक्टिस एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा-

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-[महोदय, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश में 137 पद संयुक्त निदेशक एवं 20 अपर निदेशक ग्रेड-II एवं पांच अपर निदेशक ग्रेड-I का पद विगत 3-4 वर्षों से रिक्त चल रहा है जिसको डी0पी0सी0 के माध्यम से तत्काल भरा जाना अति आवश्यक है।

2-नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउन्स (एन0पी0ए0) आज तक पशुचिकित्सकों को नहीं मिला है, जिसे देना अति आवश्यक है जबकि देश के कई प्रांतों में जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि में एन0पी0ए0 दिया जा रहा है तथा प्रदेश में चिकित्सकों (स्वास्थ्य विभाग) को एन0पी0ए0 सरकार द्वारा दिया जा रहा है तथा साथ में वाहन भत्ता भी शासन में लम्बित है जिसे तत्काल निर्गत किया जाए।

3-पशुपालन निदेशालय के अन्दर स्थित बी0पी0 संस्थान के प्रांगण में उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ भवन का शिलान्यास 15 वर्षों पूर्व शासन द्वारा किया गया था तथा जमीन भी उपलब्ध करायी गयी थी परन्तु आज तक उसका अधूरा निर्माण पूरा नहीं हो सका। जिसका निर्माण पूर्ण कराने हेतु सरकार आर्थिक अनुदान तत्काल निर्गत करे ताकि उ0 प्र0 पशु चिकित्सा संघ भवन का निर्माण हो सके। यह भवन प्रदेश के पशुपालकों एवं पशुचिकित्साविदों से जुड़ा हुआ है।]

उत्तर प्रदेश स्पिनिंग मिल मेजा, इलाहाबाद के कर्मचारियों का अवशेष भुगतान कर प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर अन्य उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि वर्ष 1980 के दशक में जनपद इलाहाबाद के मेजा तहसील मुख्यालय पर बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के निमित्त उ0 प्र0 शासन का उपक्रम स्पीनिंग मिल (काटन मिल) की स्थापना की गयी थी लेकिन बहुत ही जल्द यह कम्पनी बन्द हो गयी जिससे श्रमिकों का भुगतान, एरियर भुगतान तथा बी0आर0एस0 का भुगतान आज तक नहीं हो पाया। जिसके मांग स्वरूप उत्पीड़ित कर्मचारीगण (श्रमिक) तहसील मुख्यालय पर कई बार धरना-प्रदर्शन करते रहे। यहां तक कि पिछले माह कई दिनों तक अत्यन्त ठंडी में धरना पर बैठे रहे। इस सम्बन्ध में मैं स्वयं जाकर इन श्रमिकों से धरना समाप्त करने का आग्रह किया। इतना ही नहीं मा0 मुख्य मंत्री जी को कई बार पत्र लिखकर इस सम्बन्ध में निवेदन भी किया था तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों का उपयोग प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर दूसरा कोई उद्योग लगाने का अनुरोध भी किया था।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त कम्पनी के कर्मचारियों का अवशेष बकायों का भुगतान तथा कम्पनी के सम्पत्तियों का उपयोग कर प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर अन्य उद्योग स्थापित कराने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आज दिनांक 12 अगस्त, 2010 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 14 सूचनायें प्राप्त हुयीं :-

पहली सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री प्रमोद तिवारी, श्री उदयभान करवरिया, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की पूर्वांचल जिलांश की मद में धन का विभागीकरण किये जाने में पेयजल की मद में कोई आवंटन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के संचालन को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 की अध्याय 11 (विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमानना के प्रश्न) में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री जोखू लाल यादव की उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियमों में संशोधन कराकर बजट समितियां गठित किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री प्रदीप माथुर की विधान सभा के वर्तमान सत्र की अल्प अवधि को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हेतु शासन को निदेश दिये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री विद्या सागर गुप्ता की दिनांक 19 फरवरी, 2009 को नियम-51 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित दी गयी सूचना का उत्तर अभी तक माननीय सदस्य को शासन की ओर से प्राप्त न होने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री अम्बिका चौधरी, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री सनातन पाण्डेय तथा डा0 आर0ए0 उस्मानी की उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2010 धारा-2 के प्रावधानों और राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना में विरोधाभास होने से उत्पन्न संवैधानिक संकट के सम्बन्ध में है इन सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुना जायेगा।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी।

श्री प्रमोद तिवारी, श्री इकबाल महमूद, श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू', श्री सुरेश्वर सिंह, डा0 पी0के0 राय, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री मदन चौहान।

(श्री ओम प्रकाश सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

पूर्वांचल जिलांश की मद में धन का विभागीकरण कर पेयजल की मद में कोई आवंटन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, यदि अनुमति हो तो मैं शुरू कर दूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्वांचल विकास निधि के नाम पर प्रदेश में विभिन्न मदों में पैसे दिये जाते हैं। मान्यवर, राज्यांश का अंश मूलतः यह माना जाता है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके प्रस्ताव पर दिया जाएगा और ऐसा होता भी रहा है लेकिन मान्यवर, पूर्वांचल जिलांश का जो अंश दिया जाता है उसमें जनपद में जो धन आवंटित किया जाता है उसको जनपद के जनप्रतिनिधियों माननीय विधान परिषद् और माननीय विधान सभा के सदस्यों के बीच में बराबर विभाजित कर दिया जाता है। लेकिन मान्यवर, इस बार सी0डी0ओ0 साहब के यहां से एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यालय ज्ञाप प्राप्त हुआ, मेरा ख्याल है कि उत्तर प्रदेश के सभी विधान सभा सदस्यों के पास इसकी कापी पहुंची होगी जिसमें पूर्वांचल जिलांश को भी मात्राकृत कर दिया गया है। मान्यवर, अब उसमें जो सदस्य हैं जिनको विकास कार्य के लिए उस पैसे का उपयोग करना है उनको इस सीमा तक बांध दिया गया कि वह किस मद में कितना पैसा खर्च करेंगे। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। इसके पहले जो भी धन का आवंटन होता था। मान लीजिए कि एक माननीय विधायक के हिस्से में 20-22-25 लाख रुपये आया तो वह जिस मद में चाहता था वह उस मद में उस पैसे को व्यय करता था। यह बहुत आवश्यक चीज है। मान्यवर, उसको हम किसी भी योजना में ले सकते थे। उसमें मात्र एक चीज थी कि मात्र एक लाख रुपये से कम की योजना न हो और दस लाख रुपये से अधिक की न हो। मान्यवर, शासन ने इस बार क्या किया कि ये तो ठीक है कि एक लाख रुपये से कम की योजना न हो लेकिन उसकी सीमा पचास लाख तक बढ़ा दी और मान्यवर, जिन मदों में पैसा दिया मैं उनका विवरण देना चाहता हूं। मान्यवर, सड़क निर्माण की मद में पैसा दे दिया गया, उसमें निर्धारित कर दिया गया कि इतने रुपये की ही सड़क आप बनवा सकते हैं। अब मान्यवर, मेरे जनपद में सड़क निर्माण में सामान्य श्रेणी में पांच लाख रुपये है, पांच लाख सात हजार रुपये दिये गये। मान्यवर, इग्जैक्ट पांच लाख सात हजार रुपये। अब मान्यवर, सामान्य श्रेणी की बस्ती में, क्या यह संभव है कि इग्जैक्ट पांच लाख सात हजार रुपये की ही सड़क का निर्माण कराया जाय। मान्यवर, यह पांच लाख का भी हो सकता था, पांच लाख पन्द्रह हजार का भी बन सकता था। मान्यवर, सड़क निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, पर्यटक स्थल, स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षा और वन सबको दिया। एक तरफ जो यह मात्राकरण किया गया, इसमें शासनादेश में सीधी सी बात से पाबन्दी लगा दी गयी कि उपरोक्त मात्राकरण के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन मदों में मात्राकृत धनराशि रुपये एक लाख से कम है, उससे सम्बन्धित परियोजनायें स्वतंत्र रूप से मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्वीकृत नहीं की जायेंगी। मान्यवर, यह भी पाबन्दी लगा दी गयी कि अगर एक लाख रुपये से कम की परियोजना है कोई, तो स्वीकृत नहीं की जायेगी और इसके बाद जो इन्होंने मात्राकृत किया, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिये चौरासी हजार रुपये इन्होंने दे दिया, ये एक लाख रुपये से कम की सीमा में आ गया। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में हम जो धन दे सकते हैं, वह चौरासी हजार रुपये है, वह भी आ गया, वह भी एक लाख से कम का हो गया। मान्यवर, वन के विस्तार के लिये पैंतालिस हजार रुपये का मद दिया गया।

मान्यवर, ये तीन मद ऐसे हो गये जो एक लाख रुपये से कम की सीमा के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप पूर्वांचल जिलांश का उपयोग नहीं कर सकते। मान्यवर, इसके अलावा जल का संकट है, इस ओर मैं विशेष ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, इसके शासनादेश में कहा गया कि इसमें योजना स्वीकृत की जायेगी लेकिन इसमें अधिक लागत की परियोजनायें राज्यांश के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु विचार की जायेंगी। इण्डिया मार्का हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कार्य एक लाख रुपये की न्यूनतम सीमा से मुक्त होगा। मान्यवर, एक तरफ तो लिखते हैं कि इण्डिया मार्का हैण्डपम्प इस सीमा से मुक्त होगा और इसमें जो मात्राकृत किया गया है, इसमें जल की व्यवस्था के लिये मात्राकरण में कोई कॉलम नहीं बनाया गया है। मैं औचित्य के इस प्रश्न पर बल देते हुये फिर एक बार कहूंगा कि इस पर सरकार विचार कर ले।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग संक्षिप्त में कहा करिये क्योंकि 300 में और इतनी सूचनायें ले ली गयी हैं, जबकि नहीं लेना चाहिए था। लेकिन आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुये मैंने ले लिया है, इसलिये अपनी बात संक्षिप्त में रख लिया कीजिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि की स्थापना के कुछ निश्चित उद्देश्य रहे हैं और अब तक जो हम लोग देखते आये हैं जिलांश के सन्दर्भ में, मा0 विधायकों को चाहे वह किसी पक्ष के हों चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों। यह जो हुआ है यह किसी एक पक्ष के साथ नहीं सबके साथ हुआ है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने क्षेत्र की योजनाओं के बारे में, जो उन्हें लगता है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ चीजें छूट गयी हों, वह अपनी प्राथमिकता तय कर लें और अपनी तयशुदा प्राथमिकता के आधार पर उन कामों को करवा लें। यह मा0 विधायकों को इस सदन के द्वारा क्योंकि बुन्देलखण्ड की निधि और पूर्वांचल की निधि सदन के द्वारा स्वीकृत निधि है और मा0 विधायकों को इस निधि के उपयोग में अबाध स्वतंत्रता का अधिकार इस सदन के द्वारा दिया गया था और स्वाभाविक रूप से उसमें कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था। हुआ क्या है कि समस्या यह है कि हर विधान सभा क्षेत्र की अपनी-अपनी समस्यायें होती हैं। जैसे मैं नगर क्षेत्र का विधायक हूं, अब आप अगर मुझसे यह कहियेगा कि हमने इसको मात्राकृत कर दिया और नगर क्षेत्र का विधायक वनों के सुदृढ़ीकरण में पैसा खर्च करे। इसी तरह से हम शिक्षा के सुदृढ़ीकरण में हम 89 हजार रुपया खर्च कर दें, अब 89 हजार रुपया खर्च करके भी हम शिक्षा का सुदृढ़ीकरण कैसे करने जा रहे हैं, हमें यह नहीं मालूम है या तो सरकार यह बता दें कि 89 हजार रुपये का क्या होने वाला था। यह जो बायफरकेशन कर दिया गया, उससे मा0 विधायक चाहे जो इधर के हों या उधर के हों, हम सभी जनता के बीच में जाते हैं, हम लोग इस पैसे का उपयोग नहीं कर पायेंगे। इसका फल यह होगा कि यह पैसा वापस होगा। उदाहरण के लिए इलाहाबाद के सी0डी0ओ0 ने प्रति विधायक 39 लाख रुपये बांटे, गोरखपुर के सी0डी0ओ0 ने प्रति विधायक 22 लाख रुपये बांटे, मैंने उनसे फोन करके पूछा कि यह अन्तर क्यों आ गया तो वह बोले कि डा0 साहब, आपको खाली सड़क का और ऊर्जा का पैसा दे दिया गया है, बाकी का पैसा जो अन्य विभागों का था, वह हम लोगों तक नहीं।

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं उनके आदेश लेकर आया हूं, मैं कोई बात बरबली नहीं कहता हूं। मान्यवर, बाकी के हिस्सो का हम लोगों का पैसा भी नहीं आया है, इसमें समस्या कहां हुई है। समस्या बजट के पारित करते समय आ गई है। हम लोगों ने इसी सदन में बजट पारित किया है और हम सब इस बजट को पारित किये हैं, इसलिए इस बजट से बंधे हैं। इसका समाधान हमको इन्हीं बजटों में परिवर्तन करके, इसी सदन के माध्यम से निकालना पड़ेगा, अन्यथा हमारे कहने से यह परिवर्तन भी नहीं होगा। मान्यवर, हम लोगों ने यह जो बजट पारित किया है, हम सब जानते हैं कि बजट का एक साहित्य मिलता है, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं कि पूर्वांचल विकास निधि के लिए 275 करोड़ रुपये, बुन्देलखण्ड के लिए 70 करोड़ रुपये और उतना हम पारित कर लेते हैं, लेकिन जो डीटेल साहित्य उसे नहीं देखते। जब ऐसा परिवर्तन आया तो मैंने डीटेल साहित्य निकलवाया। अब पता यह चल रहा है कि पूर्वांचल विकास निधि के इस बजट को ही सरकार ने पारित करवाते समय, मैं इस बात को मानता हूं कि इसकी पुस्तकें छपवा कर दी जाती हैं, पारित करते समय सड़क निर्माण कार्य 30 परसेन्ट, ऊर्जा 30 परसेन्ट, बाढ़ नियंत्रण निकासी 20 परसेन्ट,

पर्यटन 10 परसेन्ट, स्वास्थ्य सेवा 5 परसेन्ट और शिक्षा 5 परसेन्ट दिया गया है। मैं आग्रह करूंगा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से क्योंकि यह अनुदान हम लोगों ने स्वयं स्वीकृत किया है। यह कहना कि सरकार के विभाग में बैठे लोगों ने बदल दिया यह कहना सही नहीं है, लेकिन सारे विधायकों के सामने समस्यायें आ रही हैं। मान्यवर, अभी सदन एक आध दिन के लिए और चलने वाला है। मा0 सदस्य इधर के हो या उधर के हो, उन सबकी भावना एक जैसी होगी। अध्यक्ष अगर संभव हो तो आप एक निर्देश दें, कल के सदन में इस विषय को जोड़ते हुए इसमें यदि संभव हो तो परिवर्तन करा लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठ जाएं।

* श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और इसीलिए मान्यवर, मैंने इस पर हस्ताक्षर किये हैं। मान्यवर, एक व्यावहारिक कठिनाई सबके सामने आ रही है। पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि, यह दो विकास निधियां हैं। मान्यवर, इनमें दो तरह की व्यवस्था है, एक तो जिलांश है और एक राज्यांश है। मान्यवर, जो राज्यांश होता है वह सरकार क्षेत्र की परिस्थतियों के अनुसार सुनिश्चित करती है और राज्यांश की राजाज्ञा राज्य से जारी होती है। मान्यवर, जहां तक जिलांश की बात है उसमें एक निश्चित धनराशि रख दी जाती है, एक जिले के लिए और फिर उसे बराबर-बराबर विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार बांट दिया जाता था। सम्मानित विधायक अपने क्षेत्रों की आवश्यकता को देखते हुए वहां की मांग को समझते हुए वहां की जरूरत को समझते हुए उसी सीमा के अन्दर अपने सुझाव दे देते थे। मान्यवर, कभी सड़कों पर आवश्यकता अधिक होती थी, तो कभी बंधे पर आवश्यकता होती थी, कभी बिजली पर आवश्यकता होती थी। मान्यवर, यह पूरी तरीके से विधायकों के विवेक पर छोड़ दिया गया था और विधायक के सामने सबसे बड़ी आवश्यकता होती है क्षेत्रीय लोगों की मांग और उनकी आवश्यकता तो मान्यवर, इस व्यवस्था से क्षेत्रीय लोगों की मांग, क्षेत्रीय लोगों की आकांक्षाएं और विधायक का जो अधिकार था, कि वह प्राथमिकता के आधार पर इसे करे, वह निश्चित रूप से कहीं से हुआ है। मान्यवर, मैं इस संदर्भ में बहुत ज्यादा बात न करके एक आग्रह आपसे करूं, क्योंकि इस पर केन्द्र से भी एक गाइडलाइन आयी हुयी है और वह सरकार के रास्ते में एक बाधा हैं मान्यवर, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि इस पर बैठक करा लीजिए। सरकार की कठिनाई को हम समझ रहे हैं और हम लोगों की कठिनाई को आप समझिए और कृपया आप अपने स्तर पर बुन्देलखण्ड विकास निधि और पूर्वांचल विकास निधि के संदर्भ में आप बैठक बुला लें। सम्बन्धित सम्मानित मंत्रीगण को बुला लें और आप यहां से जिसको बुला लें। आपकी अध्यक्षता में आपके कक्ष में बैठकर इसका एक निस्तारण जो नियमानुसार हो सके। हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो नियम के विपरीत हो तो मान्यवर, आपका विवेक हो, अधिकारियों की उपस्थिति हो, उनका पक्ष आ जाये, हमारा पक्ष आ जाये और बैठ कर हम इसका एक कोई न कोई हल निकाल लें। तो मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बुन्देलखण्ड विकास निधि और पूर्वांचल विकास निधि के लिए आप अपनी अध्यक्षता में एक बैठक बुला लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि के कार्यान्वयन हेतु पहले से ही मार्गदर्शी सिद्धान्त और निर्देश जारी है। मान्यवर, इस निधि का जो मूल उद्देश्य है, स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन सम्बन्धी ऐसी योजनाएं कार्यान्वित किये जाने के लिए है जो क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को कम करने में सहायक हों साथ ही उनका वित्त-पोषण अन्य योजनाओं से नहीं हो पा रहा है, इस प्रकार निधि से वित्तपोषित योजनाएं क्षेत्र के विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों के पूरक के रूप में होंगी। वर्णित स्थिति में निधि के अधीन क्षेत्र के क्रिटिकल व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक योजनाएं ली जा सकती हैं। मान्यवर, प्रायः यह देखा गया कि जिला अंश में भी ज्यादातर कार्य सड़कों के सम्बन्ध में आते रहे जबकि इसकी जो गाइड लाइन है उसके अनुसार सड़क अन्तिम वरीयता है और इसी के कारण महालेखाकार द्वारा निधि के सम्बन्ध में यह आपत्ति उठाई गई कि निधि में प्राविधानित धनराशि का अधिकतम उपयोग सड़कों पर किया जा रहा है जबकि क्षेत्र की आवश्यकता और निधि के मूल उद्देश्य को देखते हुए अन्य क्षेत्रों को अपेक्षित वरीयता नहीं मिली है। मान्यवर, इसके कारण कुछ क्षेत्रों में कुछ चीजों के लिए इसका वर्गीकरण किया गया लेकिन मान्यवर, यह आवश्यक नहीं है बहुत जरूरी नहीं है जिला अंश में आवश्यकतानुसार उस गाइड लाइन के अनुसार जो प्रस्ताव आयेंगे उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि जो विभाजन किया गया, उसके अनुसार ही हो, वह जिला स्तर पर वहां की आवश्यकताओं के अनुसार जो भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे उसमें उसका वित्तपोषित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने उदयभान करवरिया साहब को सुना, तिवारी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। तब भी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने गाइड लाइन के और कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दिया है, इस पर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दलीय नेताओं की हम एक बैठक बुला लेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

इस पर आप एक राजाज्ञा जारी करवा दें।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय-11 (विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमानना के प्रश्न) में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 में बनाई गई थी और इसके अध्याय-11 में विशेषाधिकार के प्राविधान दिये गये और 16 जून, 1998 को माननीय सदस्यों को विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि, विधायक निधि के संचालन के लिए अधिकार दिया गया। माननीय विधायकगण या माननीय सदस्यगण अपने क्षेत्र में आवश्यकता की पूर्ति के लिए संतुलित विकास के लिए, त्वरितगति से काम कराने के लिए वह अपने प्रस्ताव देते हैं और इसी सदन से बजट पास होता है। मान्यवर, आपके संज्ञान में है कि 07 अगस्त को मैंने अपनी विधायक निधि वापस ली थी कि जो गाइड लाइन्स हैं उसके अनुसार हमारे क्षेत्र में वहां के अधिकारीगण काम नहीं करा रहे हैं, 45 दिन के अन्दर प्रस्ताव

स्वीकृत/अस्वीकृत होने चाहिए, डेढ़ साल, पौने दो साल तक प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो रहे थे और इसलिए मैंने उस विधायक निधि को आपके यहां समर्पित कर दिया। मान्यवर, यह विधायक निधि एक विशेषाधिकार है जो केवल माननीय विधायक ही उसको प्रस्ताव दे सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दूसरा उनकी जगह इस पर काम को नहीं कर सकता। यह विशेषाधिकार है और यह विधायी कर्तव्य भी है अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो गाइड लाइन्स में है कि अगर कोई गड़बड़ी या दुरुपयोग होगी तो विधायक से उसको वसूला जायेगा। इस प्रकार यह एक विशेषाधिकार है। इसके सदुपयोग या दुरुपयोग के अधिकारी विधायक ही होंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मैं आपसे इस सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप नियम समिति जो 249 में है आप उसके अध्यक्ष हैं, इसको विशेषाधिकार के रूप में सम्मिलित किया जाय और मैंने जो 07 अगस्त को प्रस्ताव दिया था, मैंने यहां पर समर्पित की थी विधायक निधि, उस पर जांच भी हुई, आपने अध्यक्ष पीठ से निर्देश दिया था। मान्यवर, जांच करायी जायेगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि जांच करायी जायेगी। 25 जनवरी, 2010 को एक कमेटी बनी थी ग्राम्य विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिसमें ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त सचिव और अपर मुख्य लेखाधिकारी सम्मिलित थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 10 मार्च, 2010 कौ सौंप दी। जिसमें तीन अधिकारी पी0डब्लू0डी0 के और तीन अधिकारी आर0ई0एस0 के दोषी पाये गये। 29 अप्रैल को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग ने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना मुख्य मंत्री कार्यालय को दे दी है कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। उन्होंने 2 जून को अपनी रिपोर्ट मुख्य मंत्री कार्यालय को भेज दी। एक वर्ष से अधिक हो गया लेकिन मान्यवर, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, अगर यह कार्य हमारे विशेषाधिकार के अन्तर्गत होता तो कार्य प्राथमिकता पर होता। चूंकि यह सभी विधायकों का, चाहे इधर के हों या उधर के हों सभी के वैधानिक दायित्व एवं विशेषाधिकार का मामला है इसलिए मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में सदन के समक्ष रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी। मैं इस सूचना को औचित्य के प्रश्न के रूप में अग्राह्य करता हूं। लेकिन जिस विषय की ओर आपने इंगित किया है उसे मैं स्वयं दिखवा लूंगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में संशोधन कराकर बजट समितियां गठित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैंने अपने इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह मांग रखी है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में संशोधन करके बजट समितियों के गठन का प्राविधान सम्मिलित किया जाय। इसकी व्यवस्था इसमें की जाय। मान्यवर,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह अत्यन्त उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश का चाहे सामान्य बजट हो या अनुपूरक बजट हो यह देखा गया है कि वह बगैर चर्चा के पारित करा दिया जाता है। यह हमारे लिये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मान्यवर, हमारे देश में ब्रिटिश पार्लियामेंटरी सिस्टम को एडाप्ट किया गया है और उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत मान्यवर लोक सभा है वहां पर भी यह व्यवस्था है। वहां बजट कमेटियां हैं जो बजट के प्रस्ताव आते हैं कमेटियां उस पर विचार करती है और अपनी संस्तुति करती है और जब वह अपनी रिपोर्ट सुपुर्द करते हैं तब जाकर बजट पारित हो जाता है। मान्यवर, हमारी पीड़ा है कि सदन की बैठकें भी कम होती हैं। वर्ष 1993 से लेकर आप देखें बैठकें तो कम हो ही रही हैं चर्चायें भी कम होती हैं। इससे पूरी जानकारी बजट की नहीं हो पाती है हम लोगों को। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि साधारण सदस्यों को तो छोड़ दें कभी-कभी माननीय मंत्रिगण को भी बजट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है क्योंकि बजट तो अधिकारीगण बनाते हैं। हम सब लोगों के समक्ष यह बाध्यता होती है कि बजट सदन से पारित हो। उसमें प्रक्रिया के रूप में सत्ता पक्ष के सदस्य हों कहते हैं और विपक्ष के सदस्य नहीं कहते हैं और वह एक बाध्यता होती है कि बजट को पारित होना है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस नियमावली में संशोधन करके बजट कमेटियों का प्राविधान किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री जोखू लाल यादव जी को सुना। इस पर विचार-विमर्श भी हो रहा है, इस परिस्थिति में मैं इसे नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में अग्राह्य करता हूं।

विधान सभा के वर्तमान सत्र की अल्प अवधि के दृष्टिगत स्वीकृत प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हेतु शासन को निदेश दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में एक महत्वपूर्ण विषय को आपके समक्ष रख रहा हूं। मान्यवर, सदन के सत्र अल्प समय के लिये हो रहे हैं। इसलिए मा0 अध्यक्ष के निदेश संख्या-28 (1) के अन्तर्गत स्वीकृत प्रश्नों का उत्तर दिये जाने हेतु निदेश की मांग कर रहा हूं। मान्यवर, सदन के सदस्यों द्वारा बड़ी मेहनत करके प्रश्न लगाये जाते हैं। निचले स्तर से अधिकारी उसका उत्तर बनाते हैं। लेकिन सदन का सत्र अल्प समय का होने के कारण माननीय सदस्यों को उनके जवाब नहीं मिल पाते हैं। मान्यवर, कम समय तक सत्र चलने की प्रथा चल जाने के कारण वह प्रश्न वारों के अनुसार आ नहीं पाते हैं और सत्र समाप्त हो जाता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निदेश के अन्तर्गत उत्तरों का दिया जाना संदर्भित है किन्तु शासन द्वारा सत्र समाप्ति के उपरान्त शत-प्रतिशत उत्तर सदस्यों को नहीं भेजे जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप पुनः उसी प्रश्न को सदस्य को तैयार कर विधान सभा सचिवालय को देना पड़ता है और स्वीकृत के उपरान्त पूर्व से शासन में उपलब्ध उत्तर, यदि प्रश्न अगले सदन में आ गया, तो दे दिया जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, ऐसा करने से सदस्यों को बड़ी असुविधा होती है तथा विधान सभा सचिवालय का श्रम व समय निरर्थक हो जाता है तथा शासन को पुनः वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। ऐसे में विधायिका व शासन दोनों का ही धन इस प्रक्रिया में लगे कार्मिकों के उपयोग तथा प्रेषण में व्यय से निरर्थक जाता है। यही श्रम व धन सार्थक हो सकता है यदि सत्र समाप्ति पर शासन उनका उत्तर सदन के सदस्यों तथा यथाविधि विधान सभा सचिवालय को दे दे किन्तु इसका कड़ाई से पालन नहीं होता है। सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाते हुए अध्यक्ष पीठ से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देश के क्रम में शासन को सदस्यों के स्वीकृत प्रश्नों के शत-प्रतिशत उत्तर उनको उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया जाना निवेदित है जिसमें सदस्यों का विधान सभा कार्मिकों व शासन का श्रम व धन दोनों का अपव्यय रूके तथा सदन का सम्मान बढ़ सके।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रदीप माथुर जी को सुना वैसे यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती इसे मैं अग्राह्य करता हूं। इस संदर्भ में प्रक्रिया हमारे निदेश संख्या-28 क्लाज (1) के अन्तर्गत दी हुई है पूरी व्यवस्था उसमें है इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

दिनांक 19 फरवरी, 2009 को नियम-51 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित सूचना का उत्तर अभी तक शासन से प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री विद्या सागर गुप्ता-

मान्यवर, मैंने 16 फरवरी, 2009 को नियम-51 में एक प्रश्न दिया था कि प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों की लीज समाप्त होने के सम्बन्ध में इनका फ्री-होल्ड करा दिया जाय। 9-7-2009 को मैंने इसके लिए एक रिमाइन्डर भी दिया और विशेष सचिव, विधान सभा ने प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को भी इसके लिए रिमाइन्डर दिया लेकिन आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। मेरा निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विकास प्राधिकरण हैं उनमें औद्योगिक प्लाट बहुत सारे हैं और यदि उनको फ्री-होल्ड, 90 साल जिनके हो गये हैं उनको फ्री-होल्ड जब कर दिया जाता है तो सरकार के पास 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत धनराशि प्राप्त होगी जिससे सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार के पास विकास के लिए आयेगा और जो औद्योगिक प्रतिष्ठान इस समय 90 साल का टाइम पूरा कर चुके हैं उनको फ्री-होल्ड करने का सरकार से निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय विद्या सागर गुप्ता जी की नियम-300 की सूचना को सुना जो नियम-300 में नहीं आती है इसे अग्राह्य करता हूं। फिर भी जिस विषय की सूचना माननीय गुप्ता जी ने दिया है 19 फरवरी, 2009 को ध्यानाकर्षण किया गया है। इसका वास्तव में उत्तर आना चाहिए था। माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लें कि इतना समय ध्यानाकर्षण का हुआ और इनको अभी तक इसका उत्तर नहीं मिला है। इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2010 की धारा 2 के प्राविधानों और राजस्व अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना में विरोधाभास होने से उत्पन्न संवैधानिक संकट के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

छठी सूचना माननीय अम्बिका चौधरी जी की है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-300 के अन्तर्गत हमने यह सूचना दी है बहुत साधारण मामला है और समझने के लिए किन्तु मान्यवर, बड़ा असाधारण कृत्य हो गया इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको गम्भीरता से सुन ले और कानूनी तौर पर जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक कराने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें। निवेदन पहले और घटना बाद में। श्रीमन् यह सदन अपने अधिकारों के अन्तर्गत पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा में कानून बनाने के लिए सर्वोच्च है। कांस्टीट्यूशन ने हमको जो अधिकार दिये हैं उसमें हम जो कानून बनाते हैं उनको पारित करने की जिम्मेदारी जो उसके नीचे के लोग हैं उन लोगों के जिम्मे हैं, शासन के जो लोग हैं हम यहां से कानून बनाते हैं और उसके अनुसार वह उसको जारी करते हैं लेकिन एक ऐसी घटना हो गयी कि असेम्बली में बिल जो मंत्री जी लेकर आये वह दूसरा था असेम्बली ने पारित किया कुछ और अधिकारियों ने उस पर अपना अधिकार दिखाते हुए आपके पारित किये हुए विधेयक को छोटा कर दिया और अपने अधिकार को बड़ा कर दिया यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी यह बहुत गम्भीर है इसको आप देख लें। श्रीमन् उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-4, 2010, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विशेष उपबन्ध अधिनियम, 2010 यह मान्यवर, पारित हुआ इस सदन में 15 फरवरी, 2010 को। 15 फरवरी, 2010 को महामहिम राज्यपाल की इस पर सहमति हो गयी आर्टिकल 200 में और यह कानून बन गया। इसमें मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार ने एक व्यवस्था यह की थी कि टुकड़ों का बैनामा, जिसको हम लोग पार्ट बैनामा कहते हैं, मेरी इस सम्बन्ध में आपसे भी व्यक्तिगत तौर से कई बार बात हुयी है और आम तौर पर पूरे सदन ने इसका स्वागत किया था, पूर्ववर्ती सरकार ने इसको रखा था उसकी अवधि बीत गयी और जब इस सरकार ने उसको रखा तो हमने इसका स्वागत किया और कहा कि ठीक आप इसको ले आ रहे हैं, जिन लोगों का टुकड़े के बैनामा के कारण दाखिल खारिज नहीं हो पाया, उन लोगों के लिये सरकार ने प्रावधान किया कि 2 साल के अन्दर अगर उनकी दरख्वास्त पड़ जायेगी तो वह नियमित हो जायेगा।

मान्यवर, मैं पढ़ देता हूं इसमें लिखा है, प्रतिबन्ध यह है कि यह विशेष उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगा। इस प्रकार दो साल का प्रावधान असेम्बली ने किया और माननीय मंत्री जी क्लेरिकल मिस्टेक कितनी बड़ी होती है जरा इसको देखिये कि कोई पुराना शासनादेश जो इस सम्बन्ध में निर्गत था, उसी को पढ़कर केवल तिथियां बदल दी गयीं और ठीक से पढ़ा भी नहीं कि क्या आप संशोधन ले आये हैं, इतनी गम्भीर भूल हो गयी। उन्होंने जो जारी किया यह मान्यवर, असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग 4 खण्ड ख का है, यह 5 अप्रैल, 2010 को अधिसूचना जारी हुयी। माननीय मंत्री जी आपके पास कापी होगी नहीं तो मैं भेज देता हूं। उन्होंने इसमें क्या कर दिया कि विधिमान्यकरण हेतु आवेदन

पत्र इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 माह के भीतर परगना के प्रभारी असिस्टेन्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। आप बिल ले आये 2 साल का, सदन ने पारित किया 2 साल और राजस्व के सेक्शन के सेक्शन आफिसर ने लिख दिया और उसको ऊपर तक प्रमुख सचिव जी ने और शायद मंत्री जी ने भी हस्ताक्षर किये होंगे, यह आपने जो अधिसूचना जारी की, यह किया 6 महीने की। अब मान्यवर, इससे ज्यादा गड़बड़ी और कोई हो नहीं सकती। मान्यवर, इस सदन के अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। मैं यह भी आरोप नहीं लगाता कि उन्होंने इसको चुनौती देने का काम किया है। लेकिन इसकी गम्भीरता यह है कि उनकी इस अधिसूचना से सदन के अधिकारों को स्वयं चुनौती प्राप्त हो गयी। मान्यवर, जो अधिकार संविधान ने दिया है पार्लियामेंट को कानून बनाने का, देश के मामले में, जो राज्य को, हमारे इस विधान सभा को, विधान परिषद् को, हमारे इस विधान मण्डल को जो अधिकार मिला है, कानून बनाने के सम्बन्ध में, उसको अगर शासन में बैठे हुये अधिकारी किसी तरीके से उलट देंगे तो इससे गम्भीर बात और कौन सी हो सकती है। इसलिये मैं आपसे यह चाहूंगा कि इस औचित्य के प्रश्न को आप स्वीकार करें या न करें, खारिज कर दें, कोई तर्क दे दें, मैं अपनी बात भी वापस ले लूंगा। लेकिन माननीय मंत्री जी इस बारे में आपको गम्भीर कार्यवाही करानी चाहिए ताकि इस तरह की गलती शासन में बैठे लोग नहीं करें और मैं एक दूसरी प्रार्थना आपसे करूंगा कि यदि कार्यवाही सचमुच सरकार कर देती है तो उस कार्यवाही से इस सदन को भी अवगत कराना चाहिये क्योंकि हमने कोई ऐसी बात नहीं उठाई है कि व्यक्तिगत रूप से हमको हैण्डपम्प नहीं मिले या कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इस सदन की मर्यादा का और कानून बनाने के जो प्रावधान हैं, उन सबकी अवहेलना हुयी है। इसलिए इससे ज्यादा औचित्य का प्रश्न और कोई हो नहीं सकता। मान्यवर, नियमावली में संविधान में जो प्रावधान है इन सबका खुलेआम उल्लंघन हुआ है और माननीय मंत्री जी इन दोनों को देख लेंगे। अधिसूचना भी और जो एक्ट हमने पास किया था, यह अधिनियम 4, इन दोनों को देख लें, गम्भीर गड़बड़ी हुयी है, इसको तुरन्त ठीक किया जाना चाहिये और दोषी लोगों को दण्डित किया जाना चाहिए। मैं इस औचित्य के प्रश्न को आपके सम्मुख उपस्थित करता हूं। आप इस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य कर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप बता दें कि क्यों नहीं बनता ? इस सदन में बनाये गये अधिनियम के विपरीत अगर अधिसूचना जारी होती है तो यह भी क्या औचित्य नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप नियम-300 देख लें। औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा। मान्यवर, तत्समय जो कार्य हैं, उसके सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाया जा सकता है। तो मान्यवर, यह कहां से आ गया औचित्य प्रश्न ? मान्यवर, मैं फिर से पढ़ दूं, मा0 चौधरी साहब देख लें कि औचित्य प्रश्न नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या परिवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें

ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो, औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में हो।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, परम विद्वान मंत्री जी से पढ़ने से छूट गया है वह नीचे आ गये। मान्यवर, ''नियम-300 औचित्य प्रश्न और उस पर विनिश्चय'' को देख लें। (1) औचित्य प्रश्न उन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या परिवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा, जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। अध्यक्ष के संज्ञान में लाने के लिए मैंने यह सूचना दी। संविधान के जिन नियमों की मैंने बात की यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अधीन जिन नियमों में हम विनियमन करते हैं और मान्यवर, यह भारत का संविधान जिसके लिए हमारी नियमावली में सिर्फ संविधान लिखा गया है उसके आर्टिकिल-245, आर्टिकिल-200 के तहत है। मान्यवर, औचित्य की शर्तों को हमारी सूचना शत-प्रतिशत पूरी करती है। मा0 मंत्री जी अगर केवल टेक्निकल तौर पर यह बात कहना चाहते हों या उन पर संकट हो कि इन बातों को स्वीकार करने से उनका मंत्री पद समाप्त हो जायेगा तो मैं अपना प्रश्न वापस ले लूंगा। मान्यवर, ऐसा मंत्री यदि हमारे पास नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। मान्यवर, यदि कोई संकट हो तो उसे खारिज कर दीजिए। अगर यह औचित्य का प्रश्न नहीं है तो इस नियमावली में ऐसे औचित्य के प्रश्न के नियम की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। इसलिए श्रीमन् चाहें तो आज इस पर निर्णय न दें बाद में विचार करके निर्णय ले लें क्योंकि यह शत-प्रतिशत औचित्य का प्रश्न है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चौधरी साहब विद्वान सदस्य हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। विद्वता में कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। मान्यवर, यह अपनी वकालत में कभी-कभी इतनी विद्वता दिखा देते हैं कि गलत बात भी सही दिखायी देने लगती है। मान्यवर, पहला और दूसरा दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं या करके नहीं लिखा हुआ है। इसके लिए कारण पहला जो है ''इन सम्बन्धों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा। मान्यवर, निश्चित रूप से औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के इस नियमावली के नियमों या संविधान के अनुच्छेदों जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है निर्वचन या परिवर्तन के सम्बन्ध में होगा। उसी के साथ यह भी जुड़ा है लेकिन वह विषय कौन से होंगे जो तत्समय सदन के कार्य के सम्बन्ध में हों। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपने संज्ञान में ला दिया है। मैंने मा0 चौधरी साहब को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो नियम-300 का एक और दो है यह दोनों मिलाकर नहीं पढ़े जाते। कानून के किसी प्रावधान में उसकी जितनी उप धाराएं हैं कभी मिलाकर नहीं पढ़ी जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी हमें धन्यवाद देंगे और इस गलती को ठीक करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अन्दर से धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, वह अफसरों से फीस लेकर उनके वकील की हैसियत से यहां नहीं खड़े हैं। अफसर उनका सबार्डिनेट है, आप उनकी गलतियों को ठीक करने के लिए हैं। सदन की मर्यादा छोटी, अफसर उनका बड़ा उसकी वकालत करने के लिए आप खड़े हैं तो आपने हमारे औचित्य के प्रश्न को खारिज किया तो ठीक खारिज किया, धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-3 पुकारे जाने व संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न मेरा था। अगर आपको लगे, जैसे इनका लगा तो मेरा भी रिजेक्ट कर दीजिएगा। मान्यवर, भारत का संविधान का अनुच्छेद-164 (2) देखने की कृपा करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया है या तिवारी जी को आपने इजाजत दे दी है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी, कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मेरा भी एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, मेरा भी नियम-300 में प्रश्न है। मेरा व्यक्तिगत है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप सब बैठिये। तिवारी जी, कल उठा लीजिएगा। सुरेश्वर सिंह जी व्यक्तिगत है तो आप कल दे दीजिएगा।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 में कुछ नहीं है। मद संख्या-5।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-5 पुकारे जाने व प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति के मा0 सभापति के तत्समय उपस्थित न होने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सभापति जी नहीं हैं, मद संख्या-6 ले लें।

जनपद जौनपुर में पेसारा रजबहा खण्ड-23 मेहरावां हेड से मढ़ी टेल तक (दो शाखा औड़िहार व अमुआरा) तथा पलिया रजबहा में पानी की आपूर्ति (हेड से टेल तक) विषयक श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री बिरजू राम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद-जौनपुर पेसारा रजबहा खण्ड-23 मेहरावां हेड से मढ़ी टेल तक (दो शाखा औड़िहार व अमुआरा) तथा पलिया रजबहा में पानी की आपूर्ति (हेड से टेल तक) विषयक श्री अरुण कुमार सिंह निवासी जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित नौ (9) मामलों में उन्होंने निर्णय ले लिया है और उनमें सदन की अवमानना अथवा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण समस्त सूचनायें अग्राह्य कर दी गयी हैं :-

1-माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, श्री ए0के0 सिंह, सी0ओ0, श्री बी0पी0 अशोक तथा अन्य पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 08 फरवरी, 2008,

2-माननीय श्री अनिल कुमार सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 10 अगस्त, 2009,

3-माननीय श्री अनिल कुमार सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री, श्री अलोक टण्डन, श्री अरुण कुमार, मुख्य अभियन्ता (तत्कालीन) एवं यू0पी0 पावर कारपोरेशन के कतिपय अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अधिसूचित सूचना, दिनांक 11 अगस्त, 2009,

4-माननीय श्री विवेक कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अधिसूचित सूचना, दिनांक 19 अगस्त, 2009,

5-माननीय श्री दूधराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, बस्ती के विरुद्ध अधिसूचित सूचना, दिनांक 29 जनवरी, 2010,

6-माननीय श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा परियोजना निदेशक, बस्ती के विरुद्ध अधिसूचित सूचना, दिनांक 29 जनवरी, 2010,

7-माननीय श्रीमती सीमा द्विवेदी, सदस्या, विधान सभा द्वारा श्री राम भरोसे, पुलिस अधीक्षक जौनपुर के विरुद्ध अधिसूचित सूचना, दिनांक 03 फरवरी, 2010,

8-माननीय श्री इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा सुश्री असमा माजिद, थानाध्यक्ष, चमनगंज, कानपुर के विरुद्ध अधिसूचित सूचना, दिनांक 04 फरवरी, 2010 तथा

9-माननीय श्री नीरज ''कुशवाहा'' मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा बरेली मण्डल के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, श्री राजेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध अधिसूचित सूचना, दिनांक 16 अप्रैल, 2010 ।

विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की उक्त नौ सूचनाओं पर उनके द्वारा लिये गये निर्णय सदन के दिनांक 12 अगस्त, 2010 के उपवेशन की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे।

के0के0सी0 डिग्री कालेज लखनऊ में दिनांक 8 जनवरी, 2008 को हुए लाठीचार्ज के सम्बन्ध में श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2008 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ श्री ए0के0 सिंह, सी0ओ0 श्री बी0पी0 अशोक तथा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

श्री शिवपाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, श्री ए0के0 सिंह, सी0ओ0, श्री बी0पी0 अशोक तथा अन्य पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 08 फरवरी, 2008 को अभिसूचित की गयी थी।

माननीय सदस्य द्वारा अपनी उक्त सूचना में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 08 जनवरी, 2008 को के0के0सी0 डिग्री कालेज में लाठी चार्ज से घायल हुए छात्रों को घायलावस्था में ही बलरामपुर अस्पताल से निकालकर जेल भेजने के विरोध में वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के आवास के समक्ष जारी धरने में शामिल होने रात्रि लगभग 10:30 बजे गये थे। धरने में कई विधायक व सांसद भी शामिल थे। थोड़ी देर बाद सी0ओ0 हजरतगंज श्री बी0पी0 अशोक एवं पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण श्री ए0के0 सिंह वहां उपस्थित अन्य पुलिस कर्मियों के साथ उनके व अन्य साथी विधायकों के साथ अशालीन आचरण करने पर उनके द्वारा प्रतिकार किया गया जिस पर उन्होंने विधान सभा एवं विधायकों के प्रति आपत्तिजनक एवं अमर्यादित बातें करते हुए यह कहा कि यह कप्तान का बंगला है। मैंने बहुत विधायकों को ठीक किया है, तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगा और तुम्हारी विधान सभा को भी देख लूंगा। उक्त सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि उन लोगों ने माननीय सदस्य के गनर, श्री रवीन्द्र सिंह को पकड़कर उसकी गन उससे छीन ली और गनर को मारते-पीटते हुये वहां से लेकर चले गये। माननीय सदस्य ने जब इसका प्रतिवाद किया तो श्री ए0के0 सिंह व श्री बी0पी0 अशोक पूरी तरह से अभद्र आचरण पर उतारू हो गये और उन्होंने अत्यन्त आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें व उनके साथी विधायकों के साथ मारपीट की तथा अपमानित किया। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि इस घटना के समय उनके साथ श्री अखिलेश यादव, सांसद, श्री उदयराज, विधायक, श्री अरविन्द सिंह गोप, नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद्, श्री अहमद हसन, श्री अजय कुमार, श्री विशाल वर्मा, सदस्य, विधान परिषद् भी मौजूद थे। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि उपरोक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा

उनके तथा अन्य माननीय विधायकों के साथ जो दुष्कृत्य किया गया वह स्पष्टतया विशेषाधिकार-हनन और सदन की अवमानना को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। माननीय सदस्य ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, श्री ए0के0 सिंह, सी0ओ0, श्री बी0पी0 अशोक तथा अन्य पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी थी।

माननीय सदस्य के उक्त आरोपों के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस उप अधीक्षक, लखनऊ व श्री ए0के0 सिंह एवं श्री वी0पी0 अशोक, पुलिस उपाधीक्षक, तथा अन्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्पष्टीकरण मांगे गये जिसके सन्दर्भ में माननीय संसदीय कार्य मंत्री से विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई एवं सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराये गये।

श्री वी0पी0 अशोक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि दिनांक 08 जनवरी, 2008 को श्री जय नारायन स्नातकोत्तर कालेज का स्थापना दिवस था इस आयोजन के सम्बन्ध में ऐसे छात्र नाराज थे जो समाजवादी पार्टी से सम्पर्क रखते थे और कालेज के वर्तमान में छात्र भी नहीं थे। कार्यक्रम को सकुशल कराने हेतु पर्याप्त बल एस0एस0आई0 श्री गणेश शंकर बाजपेयी के नेतृत्व में लगा हुआ था। कार्यक्रम स्थल पर अशान्ति की शंका को देखते हुए उन्हें कन्ट्रोल रूप द्वारा सूचित किया गया कि कार्यक्रम की गम्भीरता को देखते हुए वह तथा ए0सी0एम0 प्रथम, श्री आर0एस0 प्रेम, एस0एच0ओ0, हजरतगंज एवं एस0 एच0 ओ0, हुसैनगंज धरना स्थल, विधान सभा के सामने से 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंच गये। लगभग 12:45 बजे माननीय मंत्री के आगमन पर उनके हाल में प्रवेश करते ही कुछ तथाकथित छात्रों ने सिर पर लाल टोपी लगा ली और समाजवादी पार्टी नेताओं के समर्थन में सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। विद्यालय के हाल में उपस्थित ऐसे छात्र जो कार्यक्रम में आमंत्रित थे, ने इन लोहिया वाहिनी के छात्रों का विरोध जताया। इसके फलस्वरूप लोहिया वाहिनी के सदस्यों/छात्रों ने गमले उठाकर फेंकना शुरू किया। नारेबाजी के साथ कुर्सियां फेंकी तथा अफरातफरी का माहौल पैदा कर दिया व पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने इन अराजक तत्वों को बाहर खदेड़ना शुरू किया, जिस पर अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया। इन लोगों ने शांति व्यवस्था छिन्न-भिन्न कर दी और सुरक्षा व्यवस्था को खराब कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक बल का प्रयोग करते हुये इन्हें काबू किया गया। इस घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 11/08 धारा 147/506/307/ 427/452/ 352/353/336 भा0 द0 वि0 व 7 क्रि0 ला0 अमेन्डमेन्ट ऐक्ट का अभियोग किया गया।

उक्त गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों में से 6 लोगों को तोड़-फोड़ एवं पथराव में चोट आयी। जिनका इलाज/डाक्टरी मुआयना आवश्यक चिकित्सा सुविधा बलरामपुर अस्पताल में उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त डिस्चार्ज कर दिया गया। उक्त घायलों के साथ आये स0पा0 के अन्य तमाम नेता एवं अराजक तत्वों द्वारा जबरदस्ती डाक्टरों एवं पुलिस पर दबाव बनाने लगे कि यह लोग घायल हैं, जेल नहीं जायेंगे अस्पताल में ही रहेंगे। जिस पर चिकित्सकों द्वारा आपत्ति प्रकट की गयी। इन्हें प्राथमिक चिकित्सा के बाद अब अस्पताल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर पुलिस कर्मी जेल ले जाने के लिये चलने लगे तो सपा के अराजक तत्वों द्वारा हमलावर होकर बलपूर्वक/जबरदस्ती पुलिस के साथ बदसलूकी/गाली गलौज/ मारपीट/धक्का-मुक्की/राजकीय कार्य

में व्यवधान उत्पन्न किया गया तथा सरकार विरोधी एवं समाजवादी पार्टी समर्थित नारे लगाने लगे तो ड्यूटी में लगाये गये कर्मियों द्वारा संयम का परिचय देते हुए किसी तरह उन्हें वहां से खदेड़ा गया और उक्त अराजक तथ्वों को जेल पहुंचाया गया और थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0-07/08 धारा 143/186/353/504/506 भा0द0वि0 एवं 7 क्रि0लॉ0 अमेन्डमेन्ट एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

उसी दिन के0 के0 सी0 एवं बलरामपुर अस्पताल में घटी घटनाओं एवं मुकदमों के विरोध में समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद श्री अखिलेश यादव, माननीय विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव, माननीय विधायक श्री अरविन्द सिंह गोप, माननीय सदस्य, विधान परिषद् श्री अहमद हसन अपने समर्थकों के साथ डनलप तिराहा, थाना-हजरतगंज पर रोड जाम करने का प्रयास किया गया जिससे शांति व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ पुलिस के तमाम अधिकारियों एवं पुलिस बल को उक्त स्थान पर भेजा गया। डा0 बी0पी0 अशोक तत्कालीन सी0ओ0 के अतिरिक्त उक्त स्थल पर कई पुलिस अधिकारी शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए माननीय जनप्रतिनिधियों एवं उनके समर्थकों द्वारा न हटने पर इस विधि विरुद्ध कार्य के लिये उन्हें नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

डा0 अशोक ने यह भी उल्लेख किया है कि माननीय सदस्य के प्रति शालीन व्यवहार न करने एवं अभद्रता करने का उन पर लगाया गया आरोप निराधार है। समस्त मीडिया चैनल के प्रतिनिधि उक्त घटना स्थल पर मौजूद थे। वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार मीडिया कर्मियों से वार्ता की जा रही थी फोटो खिंचवाये जा रहे थे, सरकार विरोधी नारे बुलन्द किये जा रहे थे। उक्त गिरफ्तारी के समय माननीय विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा में नियुक्त कान्सटेबिल 153 ए0पी0 रविन्द्र सिंह पुलिस लाइन इटावा द्वारा गिरफ्तारी में अवरोध उत्पन्न करते हुए पुलिस का सहयोग न करके पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की गयी एवं अपनी सरकारी नाइन एमएम कारबाईन निकाल कर कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप पुलिस बल के सहयोग से उक्त आरक्षी की कारबाईन कब्जे में लेकर पुलिस लाइन लखनऊ आरमरी में जमा कराई गयी जिसके सम्बन्ध में उक्त आरक्षी की अनुशासनहीनता एवं बरती गयी लापरवाही पुलिस के साथ किये गये दुर्व्यवहार एवं गाली गलौज के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही हेतु टेलीफोन से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को सूचित किया गया एवं आख्या प्रेषित की गयी। आरक्षी रवीन्द्र सिंह यादव की कारबाईन जमा कराने के बाद तत्काल जनपद लखनऊ से आरक्षी 2809 सीपी मनोज कुमार को नाइन एमएम कारबाईन नं0 16077026 मय तीन मैगजीन व 90 अदद कारतूस के साथ रपट नं0 5 समय 2.30 बजे दिनांक 09-01-08 को माननीय विधायक श्री शिवपाल यादव की सुरक्षा में रवाना किया गया।

माननीय सदस्य का यह कथन कि जनप्रतिनिधियों को धमकाया गया इनसे अभद्रता की गई या अशालीन आचरण किया गया यह बात सर्वथा निराधार है जिसका साक्षी सम्पूर्ण मीडिया है। जाम स्थल पर किसी के भी द्वारा बोली हुई एक-एक बात रिकार्ड हो रही थी, कैमरों में कैद हो रही थी मौके पर किसी भी पुलिस कर्मी द्वारा कोई अभद्र आचरण जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं

किया गया। अपमानित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। गिरफ्तारी के समय भी माननीय सांसद श्री अखिलेश यादव, माननीय विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव, माननीय विधायक, श्री अरविन्द सिंह गोप, माननीय सदस्य, विधान परिषद् श्री अहमद हसन को ससम्मान सहारा देकर गाड़ी में बैठाया गया तथा उन्हें लखनऊ पुलिस लाइन ले जाया गया, वहां भी सभी को सम्मानपूर्वक सम्मेलन कक्ष में बैठाया गया, उन्हें समर्थकों के साथ दिनांक 08/09-07-2008 को करीब 10.00 बजे रात्रि धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत हिरासत में ले लिया गया और समय 1.45 बजे रात्रि में मुचलके पर सभी (93) को रिहा कर दिया गया।

तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ श्री ए0के0 सिंह द्वारा भी अपने स्पष्टीकरण में उक्त तथ्यों को ही दोहराया गया है तथा यह भी कहा गया है कि यह आन्दोलन राजनीतिक था और इसका मूल उद्देश्य दल के विरुद्ध जन भावनायें भड़काना था। पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाने से इस उद्देश्य की पूर्ति आसान हो जाती है तथा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों में कोई तथ्य नहीं है।

प्रश्नगत मामले में मैंने मा0 संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री के पत्र दिनांक 23 मार्च, 2010 के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, लखनऊ से प्राप्त तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, श्री ए0 के0 सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं श्री बी0पी0 अशोक, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी के स्पष्टीकरणों का अवलोकन किया। मा0 श्री शिवपाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई उक्त सूचना 08 फरवरी, 2008 में उसमें उल्लिखित पुलिस अधिकारियों जिनके स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, के अवलोकन से ऐसा परिलक्षित होता है कि दिनांक 08 फरवरी, 2008 की उक्त घटना परिस्थितिजन्य थी और यदि धैर्य से काम किया गया होता तो स्थिति नियंत्रण में रहती। जहां तक उक्त घटना से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों द्वारा मा0 शिवपाल सिंह यादव के प्रति किये गये दुष्कृत्य के आरोपों का प्रश्न है उसकी पुष्टि मा0 संसदीय कार्य मंत्री के उक्त पत्र दिनांक 23 मार्च, 2010 के साथ प्राप्त डा0 बी0पी0 अशोक, पुलिस अधीक्षक, नगर, आगरा (तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाजार खाला, लखनऊ) द्वारा विशेष टीम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सम्मुख दिये गये बयान से भी नहीं होती है। उक्त प्रकरण के तथ्यों के परिशीलन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में विशेषाधिकार-हनन अथवा सदन की अवमानना अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः विशेषाधिकार-हनन तथा सदन की अवमानना के इस प्रश्न को अग्राह्य करते हुए इस प्रकरण को निस्तारित करता हूं।

ऊर्जा मंत्री श्री रामवीर उपाध्याय, श्री आलोक टण्डन, श्री अरुण कुमार, मुख्य अभियन्ता (तत्कालीन) एवं यू0पी0 पावर कारपोरेशन के कतिपय अन्य अधिकारियों (जिनके नाम सूची में नहीं हैं) के विरुद्ध श्री अनिल कुमार सिंह यादव द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2009 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री अनिल कुमार सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय ऊर्जा मंत्री श्री रामवीर उपाध्याय, श्री आलोक टण्डन, श्री अरुण कुमार, मुख्य अभियन्ता (तत्कालीन) एवं यू0पी0 पावर कारपोरेशन के कतिपय अन्य अधिकारियों (जिनके नाम सूचना में नहीं दिये गये हैं)

के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 11 अगस्त, 2009 को अभिसूचित की गयी थी।

उक्त सूचना उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2009 के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-01 का सदन में दिया गया उत्तर भ्रामक एवं भ्रष्टाचार को छिपाने वाला बतलाते हुए माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार सिंह यादव द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री पर भ्रष्टाचार व अपराधिक गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों को संरक्षण देने सहित कई आरोप लगाते हुए दिनांक 11 अगस्त, 2009 को विशेषाधिकार-हनन की सूचना में इस आशय का उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रश्न के उत्तर में माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा यह स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 व उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम, 2000 एवं उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0-348/पी-1/2001-24, दिनांक 25 जनवरी, 2001 से एवं यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मिनिस्ट्रियल इस्टेबलिसमेंट (आफिस आफ दि चीफ इंजीनियर एण्ड अदर सबार्डीनेट आफिस) रेगुलेशन, 1970 लागू है इसके बावजूद भ्रष्टाचार को संरक्षण देने एवं ऐसे अधिकारियों को बचाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई गयी है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि माननीय श्री अनिल कुमार सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछा गया उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या-1 जो माननीय भूतपूर्व सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के पत्र दिनांक 13 मार्च, 2009 के सम्बन्ध में है तथा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक सूचना के आधार पर दिया गया है जो उचित तथ्यपरक एवं वस्तुस्थिति पर आधारित है।

प्रश्नगत मामले में माननीय श्री अनिल कुमार सिंह यादव द्वारा अभिसूचित उक्त सूचना एवं उसके सम्बन्ध में माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी से यह परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार-हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध श्री अनिल कुमार सिंह यादव द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2009 को अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री अनिल कुमार सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 10 अगस्त, 2009 को अभिसूचित की गयी थी।

विधान सभा के वर्ष 2009 के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार को अतारांकित प्रश्न संख्या-95 के उत्तर के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार सिंह यादव द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों को संरक्षण देने वाला है इसके अतिरिक्त भी माननीय ऊर्जा मंत्री एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध दी गयी उक्त सूचना में इस आशय का उल्लेख किया गया है कि सदन में दिया गया उत्तर सदन को गुमराह

करने वाला है और आरोप लगाते हुए यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्न के उत्तर में माननीय भूतपूर्व सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के पत्रों का उल्लेख तो किया गया है किन्तु उन पत्रों में दिये गये साक्ष्यों के बारे में विस्तृत विवरण न देकर मामले को माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा सदन को गुमराह करने वाला उत्तर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा अपने अभिकथन दिनांक 13 जनवरी, 2010 में कहा गया है कि अतारांकित प्रश्न संख्या-95 माननीय सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के 05 पत्र, क्रमशः दिनांक 04 अप्रैल, 2009, 10 अप्रैल, 2009, 11 अप्रैल, 2009, 13 अप्रैल, 2009 एवं 21 अप्रैल, 2009 के सम्बन्ध में है, जिसमें इन पत्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के तथाकथित घोटालों की जांच, विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा श्री नन्दलाल जायसवाल, कनिष्ठ लिपिक की अनिवार्य सेवानिवृत्त के आदेशों को निरस्त करने की मांग की गई है, का उत्तर, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक सूचना के आधार पर उनके द्वारा दिया गया है, जो उचित है।

प्रश्नगत मामले में माननीय श्री अनिल कुमार सिंह यादव द्वारा अभिसूचित सूचना में उल्लिखित बिन्दुओं एवं माननीय ऊर्जा मंत्री के तत्सम्बन्धी अभिकथन का अवलोकन करने से यह परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार-हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के विरुद्ध श्री विवेक कुमार सिंह द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2009 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री विवेक कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की एक सूचना दिनांक 19 अगस्त, 2009 को अभिसूचित की गयी थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि वर्ष 2009 के द्वितीय सत्र के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-16 के उत्तर के सम्बन्ध में श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा भ्रामक सूचना दी गयी है जिसके आधार पर माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में भ्रामक सूचना दी गयी। उक्त उत्तर में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद् लखनऊ एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद के पत्र सं0 60/लखनऊ/2009, दिनांक 11 मार्च, 2009 द्वारा वैदिक कन्या पाठशाला इण्टर कालेज के प्रबन्धन कमेटी द्वारा किया गया परीक्षण एवं शासन तथा शिक्षा निदेशक द्वारा किन तथ्यों का परीक्षण किया गया उसकी रिपोर्ट मांगी गयी थी जो आज तक नहीं मिली जबकि सदन में दिये गये उत्तर में माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा था कि उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार श्री मुकेश, परिचारक, वैदिक कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, लखनऊ के सेवा विवरण के सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया है। श्री मुकेश, परिचारक सम्प्रति विद्यालय में कार्यरत नहीं हैं।

माननीय सदस्य का आरोप था कि श्री मुकेश को ड्यूटी पर नहीं लिया गया है। उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री को गलत सूचना भेजी गयी है।

इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश से उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश (तत्कालीन) द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रश्न सं0 16 का उत्तर अत्यन्त गम्भीरता से दिया गया है तथा माननीय सदन को गुमराह किये जाने अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न किये जाने का किंचित भी प्रयास नहीं किया गया।

प्रश्नगत मामले में शासन की ओर से प्राप्त जानकारी के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, बस्ती के विरुद्ध श्री दूधनाथ द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री दूधराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की प्रश्नगत सूचना दिनांक 29 जनवरी, 2010 को अभिसूचित की गयी थी।

माननीय सदस्य, श्री दूधराम द्वारा दी गयी सूचना एवं उसके साथ लगाये गये संलग्नकों से यह विदित होता है कि उन्होंने श्री बद्री प्रसाद मेमोरियल एकेडमी जनजन कला कुदरहा, बस्ती के आंशिक निर्माण के सन्दर्भ में मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती को दिनांक 06 जून, 2009 को पत्र लिखा था किन्तु मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक द्वारा उसमें रुचि नहीं ली गयी और इसी कारण माननीय सदस्य ने अपनी उक्त सूचना में अपने विशेषाधिकार-हनन का उल्लेख करते हुए मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, बस्ती के विरुद्ध अनुशासनात्मक कठोर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में माननीय ग्राम्य विकास मंत्री के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक बस्ती का स्पष्टीकरण मांगा गया। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री के पत्र दिनांक 15 जून, 2010 द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय दूधराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 06 जून, 2009 के क्रम में पत्र दिनांक 11 जून, 2009 द्वारा तथा श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, सदस्य, विधान सभा के प्रस्ताव दिनांक 15 जुलाई, 2009 के क्रम में पत्र, दिनांक 25 जुलाई, 2009 द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों से अभिलेख मांगे गये जिसे विद्यालयों द्वारा क्रमशः दिनांक 16 सितम्बर, 2009 तथा 12 अगस्त, 2009 को प्रस्तुत किया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि डी0 आर0 डी0 ए0, बस्ती द्वारा दिनांक

30 जनवरी, 2010 के पूर्व प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावलियां उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयीं। विलम्ब से पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए सम्बन्धित पटल सहायक को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है। यह भी अवगत कराया गया है कि शासन से प्राप्त निर्देशानुसार प्रस्ताव के सापेक्ष दिनांक 16 फरवरी, 2010 को प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री के उक्त पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्राप्त आख्या एवं अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के परीक्षणोपरान्त माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही न कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने तथा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही न करने व अपने शासकीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने के लिए श्री आर0 पी0 यादव, परियोजना निदेशक, बस्ती को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य द्वारा दिये गये जनहित के उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में किये गये विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण हो गयी है। जहां तक प्रश्नगत मामले में मा0 सदस्य के विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न है, माननीय सदस्य की सूचना के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक बस्ती के विरुद्ध श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत परियोजना निदेशक, बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की प्रश्नगत सूचना दिनांक 29 जनवरी, 2010 को अभिसूचित की गयी थी।

माननीय सदस्य, श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी द्वारा दी गयी सूचना एवं उसके साथ लगाये गये संलग्नकों से यह विदित होता है कि उन्होंने स्व0 राम सुन्दर चौधरी, स्व0 श्रीमती धर्मादेवी बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय करनपुर, बस्ती के भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप धन आवंटित करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती से अनुरोध किया गया था किन्तु मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक द्वारा उसमें रुचि नहीं ली गयी और इसी कारण माननीय सदस्य ने अपनी उक्त सूचना में अपने विशेषाधिकार-हनन का उल्लेख करते हुए मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, बस्ती के विरुद्ध अनुशासनात्मक कठोर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में माननीय ग्राम्य विकास मंत्री के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक बस्ती का स्पष्टीकरण मांगा गया। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री के पत्र दिनांक 15 जून, 2010 द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय दूधराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 06 जून, 2009 के क्रम में पत्र दिनांक 11 जून, 2009 द्वारा तथा श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, सदस्य, विधान सभा के प्रस्ताव दिनांक 15 जुलाई, 2009 के क्रम में पत्र

दिनांक 25 जुलाई, 2009 द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों से अभिलेख मांगे गये जिसे विद्यालयों द्वारा क्रमशः दिनांक 16 सितम्बर, 2009 तथा 12 अगस्त, 2009 को प्रस्तुत किया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि डी0 आर0 डी0 ए0, बस्ती द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 2010 के पूर्व प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावलियां उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी। विलम्ब से पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए सम्बन्धित पटल सहायक को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है। यह भी अवगत कराया गया है कि शासन से प्राप्त निर्देशानुसार प्रस्ताव के सापेक्ष दिनांक 16 फरवरी, 2010 को प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री के उक्त पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्राप्त आख्या एवं अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के परीक्षणोपरान्त माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही न कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित रखने तथा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही न करने व अपने शासकीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने के लिए श्री आर0 पी0 यादव, परियोजना निदेशक, बस्ती को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य द्वारा दिये गये जनहित के उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में किये गये विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण हो गयी है। जहां तक प्रश्नगत मामले में मा0 सदस्य के विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न है, माननीय सदस्य की सूचना के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री राम भरोसे, पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के विरुद्ध श्रीमती सीमा द्विवेदी द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीया श्रीमती सीमा द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत श्री राम भरोसे, पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के विरुद्ध दिनांक 03 फरवरी, 2010 को सूचना अभिसूचित की गयी है।

माननीया सदस्य ने अपनी सूचना में उल्लेख किया है कि उन्होंने श्री राम भरोसे, पुलिस अधीक्षक, जौनपुर से दूरभाष पर दिनांक 02 फरवरी, 2010 को सम्पर्क करना चाहा। जब सरकारी फोन नहीं उठा तो उन्होंने लैण्ड लाइन पर बात की और फोन न उठने की शिकायत की तो श्री राम भरोसे ने जवाब दिया कि जरूरी नहीं कि उनका फोन हमेशा उठाया जाय। माननीया सदस्य ने कहा कि जनता की समस्या के सन्दर्भ में बात करना चाहती हूं, बात सुननी ही पड़ेगी। तब उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। मा0 सदस्य ने अपनी सूचना में कहा है कि पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के इस आचरण से उन्हें बहुत ठेस पहुंची है। माननीय सदस्य द्वारा पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के विरुद्ध तत्काल विशेषाधिकार-हनन की कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रश्नगत मामले में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, जौनपुर का स्पष्टीकरण, दिनांक 20-03-2010 प्राप्त हुआ। श्री राम भरोसे द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक

20 मार्च, 2010 में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि उनका व्यवहार मा0 सदस्य के प्रति सदैव शालीनपूर्ण रहा है और उनके स्तर से मा0 सदस्य के प्रति अमर्यादित व्यवहार कभी नहीं किया गया। अपने स्पष्टीकरण में उक्त पुलिस अधीक्षक ने आगे यह भी कहा है कि जहां तक दिनांक 02 फरवरी, 2010 को उनके द्वारा मा0 सदस्य का तीन बार फोन न उठाये जाने का प्रश्न है, उनका लैण्ड लाइन का फोन अटेण्ड करने हेतु आरक्षी शिफ्टवार 24 घण्टे ड्यूटी पर रहते हैं और जब भी कोई व्यक्ति उनसे वार्ता करना चाहता है तो फोन ड्यूटी पर नियुक्त कर्मियों द्वारा उनसे वार्ता कराई जाती है। उक्त दिनांक को मा0 सदस्य का फोन आने के सम्बन्ध में टेलीफोन पर नियुक्त कर्मियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त तिथि को उनसे वार्ता हेतु कोई फोन नहीं आया था।

श्री राम भरोसे ने आगे उल्लेख किया है कि वास्तविकता यह है दिनांक 17 जनवरी, 2010 को थाना पवांरा, जनपद-जौनपुर पर नियुक्त आरक्षी 1041, श्री भोला दुबे को एक शिकायत के कारण प्रशासनिक आधार पर पुलिस लाइन्स के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया था। उक्त आरक्षी का स्थानान्तरण रुकवाने हेतु विगत माह फरवरी, 2010 के प्रथम सप्ताह में मा0 सदस्य द्वारा उन पर दबाव बनाया गया था, जिस पर उनके द्वारा मा0 सदस्य से कहा गया था कि उक्त आरक्षी के कृत्य से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है। प्रशासनिक एवं जनहित में उक्त आरक्षी का स्थानान्तरण आदेश निरस्त करना उचित नहीं होगा। श्री राम भरोसे ने यह भी उल्लेख किया है कि उक्त कार्य के लिए असमर्थता प्रकट करते हुए उनके द्वारा विनम्रतापूर्वक मा0 सदस्य को फोन पर ही मर्यादा को ध्यान में रखते हुए शिष्टाचारपूर्वक अवगत करा दिया गया था। अपने स्पष्टीकरण के अन्त में उक्त पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा है कि फोन पर वार्ता के दौरान यदि अनजाने में उनसे कोई भूल-चूक हो गयी हो, जिससे मा0 सदस्य की भावनाओं को कोई ठेस पहुंची हो तो इसके लिए वह (श्री राम भरोसे द्वारा) खेद प्रकट करते हैं।

प्रश्नगत मामले में मा0 सदस्य, श्रीमती सीमा द्विवेदी एवं आरोपित पुलिस अधीक्षक, श्री राम भरोसे के स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 सदस्य द्वारा उक्त पुलिस अधीक्षक से सदन अथवा उसकी किसी समिति के कार्य से सम्पर्क नहीं किया था जिससे मा0 सदस्य के किसी विशेषाधिकार का हनन हुआ हो, इसलिए इस प्रकरण में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है बल्कि यह क्षेत्रीय समस्या से सम्बन्धित प्रकरण है। अतः श्री राम भरोसे, पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में व्यक्त किये गये खेद प्रकाश को दृष्टिगत रखते हुए मैं विशेषाधिकार-हनन की इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

सुश्री असमा माजिद, थानाध्यक्ष चमनगंज, कानपुर के विरुद्ध श्री इरफान सोलंकी द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत सुश्री असमा माजिद, थानाध्यक्ष, चमनगंज, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 04 फरवरी, 2010 को अभिसूचित की गयी थी।

माननीय श्री इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपनी सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है कि दिनांक 26 सितम्बर, 2009 को थाना-चमनगंज, कानपुर में दो पक्षों में जुआ खेलने को लेकर फायरिंग हो गयी और क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो गया। उक्त क्षेत्र माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में होने के कारण उन्होंने थानाध्यक्ष सुश्री असमा माजिद से उनके टेलीफोन नं0 9454403721 पर टेलीफोन कर घटना के सम्बन्ध में जानकारी चाही तो उन्होंने माननीय सदस्य से अपशब्दों का प्रयोग करते हुए वार्ता की। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में आगे कहा कि सुश्री असमा माजिद द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उन्हें वह लिख नहीं सकते। माननीय सदस्य ने उनके विशेषाधिकार-हनन के इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से सुश्री असमा माजिद, थानाध्यक्ष, चमनगंज, कानपुर का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। सुश्री माजिद द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि दिनांक 26 सितम्बर, 2009 को थाना-चमनगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 242/09 धारा 147/148/149/506/384 भा0द0वि0 (प/ख) के सन्दर्भ में फोर्स के सहित अभियुक्त वन्टू पुत्र कबीर अहमद, निवासी 88/219, नाला रोड के घर पर वह दबिश देने गयी थी। दबिश के दौरान उन्हें एक मोबाइल फोन नं0 9415044813 से धमकी दी गयी और यह कहा गया कि वह विधायक इरफान सोलंकी बोल रहे हैं। यह भी कहा गया कि माननीय सदस्य के कार्यकर्ता के घर दबिश देने की उनकी (सुश्री असमा माजिद) हिम्मत कैसे पड़ी। उसके बाद फोन बन्द हो गया। दबिश के बाद सुश्री माजिद द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को प्रश्नगत प्रकरण की जानकारी दी गयी तथा वापसी में रो0 आम के रपट नं0 56 समय 23.55 बजे पर तस्करा अंकित किया गया। अपने स्पष्टीकरण के साथ सुश्री माजिद ने थाने के सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की हैं और यह उल्लेख भी किया है कि उनके द्वारा विधायक जी से किसी प्रकार की कोई बदसलूकी या अभद्रता नहीं की गयी और न ही अपने कर्तव्य में कोई कोताही की गयी।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय सदस्य की सूचना सुश्री असमा माजिद, थानाध्यक्ष के स्पष्टीकरण एवं तत्सम्बन्धी दस्तावेजों के अध्ययन से सुश्री असमा माजिद की ओर से प्रश्नगत प्रकरण में अपने कर्तव्यों के विपरीत माननीय सदस्य के प्रति किसी प्रकार की बदसलूकी या अभद्रता परिलक्षित नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त प्रश्नगत मामले में चूंकि विशेषाधिकार-हनन अथवा सदन की अवमानना का कोई प्रश्न भी अन्तर्ग्रस्त नहीं है अतः प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करते हुए मैं इस प्रकरण को निस्तारित करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, बरेली मण्डल के विरुद्ध श्री नीरज 'कुशवाहा' मौर्य द्वारा दिनांक 16 अप्रैल, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत माननीय श्री नीरज ''कुशवाहा'' मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा बरेली मण्डल

के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक श्री राजेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की एक सूचना दिनांक 16 अप्रैल, 2010 को अभिसूचित की गयी थी।

माननीय श्री नीरज ''कुशवाहा'' मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा सूचित किया गया है कि बरेली मण्डल के आर0एफ0सी0 श्री राजेन्द्र कुमार सिंह द्वारा फोन पर उनसे अशिष्ट भाषा शैली में बात की गयी। माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2010 से 13 अप्रैल, 2010 के बीच में उनके मोबाइल फोन नं0 9838503612 पर कई बार फोन मिलाया गया जो पहले तो रिसीव नहीं किया परन्तु कई बार मिलाने के बाद जब फोन रिसीव किया तब माननीय सदस्य ने अपना परिचय देते हुए अपने क्षेत्र जलालाबाद के किसानों की समस्याओं जैसे गेहूं खरीद केन्द्र की धांधली से उन्हें अवगत कराया। श्री सिंह द्वारा माननीय सदस्य की बात को गम्भीरता से नहीं लिया गया। माननीय सदस्य दूसरे दिन फिर अनेक लोगों की शिकायत पर माननीय सदस्य ने श्री सिंह को पुनः फोन किया तो उन्होंने (श्री राजेन्द्र कुमार सिंह) से कहा कि विधायक जी ज्यादा चक्कर में मत पड़िये लगता है पहली बार विधायक बने हो। गेहूं केन्द्र कैसे चलते हैं या कैसे चलेंगे यह वह स्वयं देखेंगे और माननीय सदस्य की बात अनसुनी करते हुए फोन काट दिया। माननीय सदस्य ने दिनांक 11/12 अप्रैल, 2010 शाम लगभग 8-9 बजे के बीच फिर बात करनी चाही तो उन्होंने लगभग टालते हुए गैर जिम्मेदारीपूर्वक जवाब देकर फोन बन्द कर दिया। तब से उनके द्वारा माननीय सदस्य का फोन रिसीव नहीं किया। माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि गेहूं खरीद में बहुत धांधली हो रही है जिसके लिए पूर्णतया उक्त आर0एफ0सी0 ही जिम्मेदार है। माननीय सदस्य द्वारा ऐसे भ्रष्ट व गैर जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने माननीय सदस्य की बात अनसुनी की व उनके मान-सम्मान को भी ठेस पहुंचायी हो तथा परेशान किसानों का बिचौलियों के माध्यम से शोषण कर रहे हों एवं विधान सभा के सदस्य के साथ-साथ विधान सभा की गरिमा का भी मजाक उड़ाया हो, उसके खिलाफ विशेषाधिकार-हनन के तहत सख्त कार्यवाही करते हुए निलम्बित कर दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत मामले में माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री के माध्यम से श्री राजेन्द्र कुमार सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, बरेली मण्डल द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 05 जून, 2010 द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय विधायक, जलालाबाद द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2010 को उनके मोबाइल फोन पर काल किया गया था तथा उनसे उनकी वार्ता भी हुई थी तथा माननीय सदस्य का यह कथन कि उनके द्वारा अशिष्ट भाषा में वार्ता किया गया, पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। माननीय विधायक, जलालाबाद द्वारा रबी विपणन वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत जनपद-बरेली में खाद्य विभाग के गेहूं क्रय केन्द्र, रिठौरा पर श्री प्रशान्त पटेल को हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार के रूप में नियुक्त करने के लिए तथा जनपद-शाहजहांपुर के खाद्य विभाग के गेहूं क्रय केन्द्र, जलालाबाद पर वैश्य फारवर्डिंग एजेन्सी द्वारा मोहित गुप्ता को हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार नियुक्त करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में श्री सिंह द्वारा माननीय विधायक जी को अवगत कराया गया था कि खाद्य विभाग के गेहूं क्रय केन्द्रों पर हैण्डलिंग एवं

परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति निविदा समिति के द्वारा की जाती है जिसमें वह प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हैं। समिति द्वारा शाहजहांपुर के खाद्य विभाग के गेहूं क्रय केन्द्र जलालाबाद पर हैण्डलिंग का ठेका मे0 साईं बाबा का0 तथा परिवहन का ठेका मे0बी0के0का0 के पक्ष में लाटरी द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2010 को किया जा चुका था तथा दिनांक 31 मार्च, 2010 को नियुक्ति आदेश भी निर्गत किया जा चुका है। इसी प्रकार जनपद-बरेली के खाद्य विभाग के गेहूं क्रय केन्द्र रिठौरा पर दिनांक 6/8 अप्रैल, 2010 को निविदा द्वारा हैण्डलिंग का ठेका श्री अनिल शर्मा का तथा परिवहन का ठेका ब्रिज फारवर्डिंग एजेन्सी के पक्ष में लाटरी द्वारा किया जा चुका है तथा नियुक्ति आदेश दिनांक 09 अप्रैल, 2010 को निर्गत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उनके स्तर से उक्त दोनों क्रय केन्द्रों पर हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं था।

माननीय विधायक जी द्वारा उक्त दोनों क्रय केन्द्रों पर निविदा समिति द्वारा लाटरी के माध्यम से चयनित ठेकेदारों के चयन को निरस्त करने तथा उनके उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के नाम ठेका स्वीकृत करने हेतु दबाव बनाया गया तथा उनके द्वारा निविदा एवं लाटरी के माध्यम से चयनित हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों के चयन को निरस्त करने से मना करने पर माननीय विधायक जी उत्तेजित हो गये तथा उनके द्वारा मोबाइल पर ही गाली-गलौज किया जाने लगा तथा देख लेने की धमकी दी गयी। माननीय विधायक जी ने उनको भ्रष्ट बताते हुए कहा कि यदि उन्होंने उनके उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के नाम से हैण्डलिंग एवं परिवहन का ठेका स्वीकृत नहीं किया तो वह अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। माननीय विधायक जी द्वारा मोबाइल पर उनको अनेक ऐसी अशिष्ट बातें कही गयीं जिसे हूबहू व्यक्त करना उचित नहीं होगा। श्री राजेन्द्र कुमार सिंह द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इससे पहले भी माननीय विधायक जी द्वारा माह दिसम्बर, 2009 में रात्रि करीब 8.00 बजे मोबाइल पर काल किया गया था तथा दुर्गा राइस मिल, शाहजहांपुर के लेवी चावल को संचरण कार्यक्रम से हटकर भण्डार गृह, जमौर (ए), शाहजहांपुर पर पृथक से गाड़ियां उतारने एवं भण्डारण कराने हेतु दबाव डाला गया था। उस समय भी माननीय सदस्य द्वारा अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए वार्ता की गयी थी।

अग्रतर श्री सिंह द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि माननीय विधायक जी द्वारा नियमों एवं प्राविधानों के विपरीत कार्य करने हेतु हमेशा दबाव बनाया जाता रहा है तथा अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है, फिर भी उनके द्वारा माननीय विधायक जी को कभी भी अशिष्ट भाषा में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया और न ही इस बाबत कोई शिकायत ही की गयी। माननीय विधायक जी की यह शिकायत कि उनके द्वारा जलालाबाद में गेहूं खरीद में धांधली के निराकरण के सम्बन्ध में वार्ता की गयी थी, पूर्णतया असत्य है। उनके द्वारा नियमों एवं शासनादेशों के विपरीत जाकर माननीय विधायक जी के उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को खाद्य विभाग में हैण्डलिंग एवं परिवहन का ठेका न देने के कारण मात्र उनको परेशान करने तथा दबाव बनाने हेतु बढ़ा चढ़ाकर शिकायत की गयी है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। श्री राजेन्द्र सिंह, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बरेली मण्डल द्वारा अपने उक्त स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया गया है कि बरेली मण्डल के बरेली, बदायूं,

पीलीभीत, शाहजहांपुर के माननीय सांसदों एवं विधायकों द्वारा जनहित के कार्यों के सम्बन्ध में उनको समय-समय पर दूरभाष पर वार्ता कर अथवा पत्र लिखकर अवगत भी कराया जाता रहा है तथा पद एवं प्रतिष्ठा की गरिमा का पूर्ण ध्यान रखते हुए उनके द्वारा उठाई गयी समस्याओं का नियमों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत समाधान कराने का पूरा प्रयास किया गया है। उनके द्वारा माननीय विधायक, जलालाबाद के प्रति दूरभाष पर न तो अशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया और न ही उ0 प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3 (I) व (II) में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है।

प्रश्नगत मामले में माननीय खाद्य मंत्री के माध्यम से प्राप्त श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बरेली मण्डल, बरेली के स्पष्टीकरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि माननीय सदस्य एवं श्री राजेन्द्र कुमार सिंह के मध्य हुई वार्ता का सम्बन्ध सदन या उसकी किसी समिति से नहीं है और न ही श्री सिंह द्वारा सदन या उसकी किसी समिति के कार्य में बाधा पहुंचायी गयी। उक्त वार्ता का विषय माननीय सदस्य की क्षेत्रीय समस्या से सम्बन्धित है जिसमें विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

भाजपा सांसद श्री वरुण गांधी द्वारा भारत सरकार के खाद्य मंत्री एवं मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के विरुद्ध की गई अमर्यादित टिप्पणी के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2010 को उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री प्रमोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2010 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की एक सूचना अभिसूचित की गयी थी जिस पर मेरे द्वारा निर्णय सुरक्षित रखा गया था। मैंने इस मामले में निर्णय ले लिया है और उसमें औचित्य का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करते हुए उक्त प्रकरण को निस्तारित कर दिया है।

उक्त औचित्य के प्रश्न की सूचना पर मेरे द्वारा लिया गया निर्णय सदन के दिनांक 12 अगस्त, 2010 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा, जो निम्नवत् है :-

''माननीय श्री प्रमोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2010 को नियम-300 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना में उल्लेख किया गया कि दिनांक 06 फरवरी, 2010 को श्री वरुण गांधी, सांसद, भा0ज0पा0 ने बुलन्दशहर के शिकारपुर की एक जनसभा में भारत सरकार के खाद्य मंत्री एवं माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के लिए जिस तरह से अमर्यादित एवं अभद्र टिप्पणी की गयी है उससे लोकतंत्र की मर्यादा का हनन ही नहीं अपितु विधान सभा की भी अवमानना होती है। सूचना में यह भी कहा गया है कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, माननीय नेता सदन एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष के पद संवैधानिक पद हैं एवं पूरी तरह से सदन की गरिमा

से जुड़े हैं और इन संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के प्रति यदि कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो वह सदन की गरिमा को गिराता है।

उक्त सूचना पर मैंने सदन में माननीय श्री प्रमोद तिवारी, माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह, माननीय श्री अम्बिका चौधरी एवं अन्य माननीय सदस्यगण, विधान सभा तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी। यह सही है कि इस प्रकार का अमर्यादित आचरण नहीं होना चाहिए जिससे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा पर आंच आये। इस मामले में भिन्न-भिन्न विचार मेरे समक्ष आये थे। इस प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए और इस बिन्दु को भी दृष्टिगत रखते हुए कि प्रश्नगत मामला औचित्य के प्रश्न की परिधि में नहीं आता है, मैं इस सूचना को अग्राह्य करते हुए इस प्रकरण को निस्तारित करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की स्थानीय निकायों के लोक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2009-10) का तृतीय प्रतिवेदन

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लोक लेखा परीक्षक प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (श्री प्रदीप माथुर)-

अध्यक्ष जी, मुझे आज प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था मैं आ गया हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मैं सभापति, 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2009-2010) का तृतीय प्रतिवेदन, जो पर्यटन विभाग के नियंत्रणाधीन निकाय उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 व 9 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010[†]

व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (चौ0 लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

[†] दिनांक 20-8-2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 अगस्त, 2010 को नियम-311 की 08 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 63 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी हैं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री शिवबालक पासी, श्री रामसेवक, श्री अजयपाल सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री अजय कपूर, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री अशोक सिंह तथा श्रीमती अमीता सिंह की प्रदेश में नकली कारोबार करने वालों एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री कौकब हमीद तथा डा0 अनिल चौधरी की प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को आलू का उचित मूल्य दिलाने एवं भण्डारण की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री लल्लू सिंह, श्री सुरेश्वर सिंह, श्री उदयभान करवरिया, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्रीमती कृष्णा राज की तथा इसी विषय पर महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी, श्री जसवन्त सिंह की प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव की गतिविधियों के बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अरविन्द सिंह गोप, श्री अनूप सण्डा, श्री अवधेश प्रसाद, श्री जगदीश सोनकर तथा श्री जावेद अन्सारी की जनपद सुल्तानपुर में प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री सतीश महाना तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश में खाद्यान्न एवं पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री इकबाल महमूद की मुरादाबाद के थाना बहजोई अन्तर्गत सैफियान सरकारी अस्पताल के पीछे रईस अहमद सैफी का अपहरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री अशोक सिंह चन्देल की हमीरपुर थाना कोतवाली निवासी दुकानदार श्री राकेश साहू की गोली मारकर हत्या करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री शाहिद मंजूर की मेरठ के ग्राम फतेहपुर नारायण में ट्यूबवेल के गड्ढे में गिरकर मृतक दो बच्चों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की जनपद हरदोई की दलित महिला के साथ किये गये सामूहिक बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री मदन चौहान की प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ में विद्युत आपूर्ति

20 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की प्रदेश के शिक्षकों एवं कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी नगर में बाइकर्स गैंग द्वारा महिलाओं के गले से चेन छीनने तथा लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री जगदीश सोनकर की लखनऊ स्थित जानकीपुरम् के खसरा नं0-1262 पर भू-माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की जनपद खीरी के ग्राम लालपुर निवासी श्री विजय कुमार वर्मा का पुलिस द्वारा की जा रही उत्पीड़न की कार्यवाही के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की आजमगढ़ के ग्राम मोलनापुर निवासी मंहगू निषाद को प्रताड़ित करने वाले दबंगों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री जावेद अंसारी की जौनपुर शहर में विद्युत आपूर्ति 16 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठाहरवीं सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की लखीमपुर खीरी में घाघरा एवं शारदा नदी के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की प्रतापगढ़ में वर्ष 2009-10 में बोर किये गये हैण्डपम्पों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अतीउर्रहमान खां पर हुये हमले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह की गोरखपुर में बाल विकास परियोजना उरूवां में तैनात परियोजनाधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की जौनपुर की नगरपालिका शाहगंज में विद्युत समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तेइसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री महेन्द्र सिंह झीन बाबू, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री कुलदीप सिंह सेंगर, श्री रामपाल राजवंशी तथा श्री अनूप सण्डा की प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में रैबीज इंजेक्शन की कमी एवं करोड़ों के हो रहे घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत

सै0 शादाब फातिमा की गाजीपुर स्थित मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे आवासों का निर्माण मानक के विपरीत किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना को विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सुना जायेगा।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुईं। अतः अस्वीकृत हुईं :-

श्री विद्या सागर गुप्ता,

श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, श्री अरविन्द सिंह गोप, श्री विनोद सरोज, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,

श्री जोखू लाल यादव,

श्री मदन चौहान,

श्री राजेश यादव,

चौ0 रवीन्द्र प्रताप,
श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,
श्री अशोक कंसल,
श्री उदयभान करवरिया,
डा0 राजेन्द्र सिंह,
श्री सर्वेश कुमार सिंह,
श्री जगन प्रसाद गर्ग,
श्री दीप नारायण सिंह यादव,
श्रीमती मधुबाला पासी,
श्री आरिफ अनवर हाशमी,
श्री पंकज मलिक,
श्री इमरान मसूद,
श्री आर0 के0 चौधरी,
श्री सुखलाल,
श्री अब्दुल वारिस खां,
श्री पूरन प्रकाश,
श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,
डा0 अजय तोमर,
श्रीमती मिथिलेश पाल,
श्री अनूप कुमार गुप्ता,
श्री प्रदीप माथुर,
श्री इरफान सोलंकी,
श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल,
श्री उदयराज यादव,
श्री अनुग्रह नारायण सिंह,
श्री कैलाश चौरसिया,
श्री बैजनाथ दूबे,
श्री विश्वनाथ सिंह,
श्री राधेश्याम जायसवाल,
श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप,
श्री संजीव दरियाबादी तथा
श्री जमीर उल्ला खां।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

इकबाल महमूद साहब आपकी सूचना आ गई है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मेरा विधायक निधि का था।

श्री अध्यक्ष-

मुरादाबाद की आपकी सूचना है तो।

श्री इमरान मसूद-

माननीय अध्यक्ष जी, उर्दू प्रेस के साथ दोहरा बर्ताव हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने सूचना दी थी यह सूचना नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष-

अब जो सूचना आ गई वह आ गई। पत्रकार वाला नहीं आया तो क्या करें ? सब थोड़ी ही आ जायेगा। चलिये ठीक है हो गया। बहुत ज्यादा ले लिया है, अब कल दे दीजियेगा। आपसे कह भी दिया था महाना साहब कि कल दे दीजियेगा। इकबाल साहब आपकी तो ली गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुरादाबाद का आपका है तो। 56 में आपका आया था।

श्री इकबाल महमूद-

नहीं, तो मैंने 300 में दिया था मान्यवर, उसमें आपने मुझसे कहा था, यह मेरा विधायक निधि का था।

श्री अध्यक्ष-

तो यह क्या सूचना है आपकी मुरादाबाद के अन्तर्गत सैफियान सरकारी अस्पताल की।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, यह मेरी 56 में थी। एक मेरा निजी मामला था 300 में।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका निजी होगा तो हम इसके बाद सुन लेंगे। बस हो गया। अब कोई सूचना नहीं। जितना निर्णय हो गया, हो गया। अब कल दे दीजियेगा। सतीश महाना जी, आपका है, पढ़ने में छूट गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आज आपने एक ऐसा विषय मेरे आग्रह पर लिया है जिससे पक्ष भी प्रभावित है और विपक्ष भी प्रभावित है। प्रदेश का शहरी अंचल भी प्रभावित है और ग्रामीण अंचल भी प्रभावित है। अगर मैं साफ कहूं कि इससे प्रदेश का 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा प्रभावित हैं। मैंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय को कार्य-स्थगन के माध्यम से लाने का प्रयास किया है तो गलत नहीं होगा। मान्यवर, इस प्रश्न को लाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि सरकार इस पर जागे और इस पर प्रभावी तथा त्वरित कार्यवाही करें। मान्यवर, आज जितनी मौतें एक्सीडेंट से,

घातक बीमारियों से और मान्यवर अन्य कारणों से इस पूरे प्रदेश में हो रही हैं, अगर उन सब को भी जोड़ लिया जाय मान्यवर, तो जहरीले खाद्य पदार्थों से होने वाली धीमी-धीमी मौतों से उनकी संख्या कम है। मान्यवर, अगर देखा जाय जो आज शायद ही समाज में कोई ऐसी चीज बची हो खाने-पीने की जो कहीं न कहीं से मिलावट से प्रभावित नहीं हो रही है। मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण देशी घी की बात करें तो मान्यवर, अब यह साफ हो गया है और सरकारी छापों में भी यह बात सामने आ गई कि जो लोग पकड़े गये हैं छापों में आगरा में, हापुड़ में, उससे भी यह बात सामने आ गई है कि जो देशी घी तैयार किया जा रहा है मान्यवर, उसमें चर्बी मिलाई जा रही है, उसमें अन्य चीजें मिलाई जा रही है। मान्यवर, चर्बी तो अपनी जगह है इसके अलावा एक केमिकल मिलाया जा रहा है उसको किसी तरीके से इस प्रकार रूप लाने का जिससे वह शुद्ध दिखाई पड़े और इसके लिये जिस केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है यह घातक है। जो घी खाया जा रहा है शुद्ध घी के रूप में वह भी मान्यवर, एक जहरीला जहर है और धीरे-धीरे असर कर रहा है। हिन्दुस्तान के मसाले दुनियाभर में मशहूर थे। पाकिस्तान के मसाले दुनियाभर में मशहूर थे। लेकिन आज हिन्दुस्तान के मसाले मिलावट से ग्रस्त है। हल्दी में क्या मिलाया जा रहा है सबको मालुम है। लाल मिर्च में मान्यवर, ईंट का चूरा मिलाया जा रहा है। धनिया में अखाद्य चीजें मिलाई जा रही हैं जीरे में जिस तरह की चीजें मिलाई जा रही है उसे कहने में भी मुझे संकोच हो रहा है। आज ज्यादातर मसालों में मिलावट हो रही है। दूध ऐसी महत्वपूर्ण चीज है मान्यवर, जिसे बच्चा भी लेता है मां के दूध के बाद अगर वह कुछ लेता है तो दूध पर निर्भर करता है। मान्यवर, आज जो दूध बेचा जा रहा है चाहे वह राजधानी हो चाहे प्रदेश में हो, उसमें यूरिया और कैमिकल्स मिलाने की शिकायत आ रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है दुखद है। मैं यह कहना चाहता हूं मान्यवर, कि जो दूध, अमृत माना जाता है वह दूध जहर साबित हो रहा है। मान्यवर, इसका सीधा-साधा प्रभाव चाहे वह दूध हो, चाहे घी हो उसका सीधा प्रभाव लीवर पर पड़ रहा है। मान्यवर, दूध में पाउडर मिलाया जा रहा है, यूरिया मिलाया जा रहा है, सोडा मिलाया जा रहा है, सस्ता रिफाइन्ड मिलाया जा रहा है आरारोट मिलाया जा रहा है। सिन्थेटिक चीजों को मिलाया जा रहा है।

अभी इलाहाबाद में एक फैक्ट्री पकड़ी गई उसमें एक लाख शीतल पेय की नकली बोतलें मिली जो हम शीतल पेय पी रहे हैं वह भी नकली है। इन सबसे आगे बढ़ें तो सरसों का तेल इसमें जो मिलावट हो रही है उससे लोग ड्राप्सी का शिकार हो रहे हैं। ड्राप्सी जैसी घातक बीमारी हो रही है। मान्यवर, अरहर की दाल जो प्रोटीन का शाकाहारी लोगों के लिए सबसे बड़ा केन्द्र है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह हुआ है कि अरहर की दाल में मध्य प्रदेश से आने वाली खेसरिया मिलाकर उत्तर प्रदेश में बेचा जा रहा है। मान्यवर, सबसे ज्यादा दुरुपयोग सब्जियों में हो रहा है यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सब्जियों का साइज बढ़ाने के लिए उनकी चमक बढ़ाने के लिए उसमें कैमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। तोरई, लौकी में आक्सीटोन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। यह प्रश्न बहुत पहले विधान सभा में उठाया भी जा चुका है। मान्यवर, मैं कहना चाह रहा हूं यह तो अपनी जगह है सबसे बड़ी घातक बात तो यह है कि दवायें तो इंसान को तब दी जाती हैं जब वह किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। लेकिन अगर आज देखा जाए तो एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जितनी दवायें बाजार में असली बिक रही हैं लगभग उतनी ही दवायें

बाजार में नकली बिक रही हैं अगर असली और नकली दवायों का प्रतिशत बराबर है तो उत्तर प्रदेश में जो आदमी मान्यवर बीमार है उस पर क्या बीतती होगी। जो लोग मर जाते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान इन नकली दवाओं का है। खून की बात कहना चाहूंगा जिसके लिए लोग कहते हैं कि खून से आदमी की पहचान होती है। आज व जाने कितने सेन्टर पकड़े गए हैं जिसमें नकली खून बेचा जा रहा है। खून भी असली नहीं रहा उसमें भी मिलावट हो गई। मान्यवर, अति तो तब हो गई जब उसे नकली दूध पिलाकर, नकली घी पिलाकर, नकली अरहर खिलाकर, नकली दवायें देकर नकली खून देकर मारा गया और जब वह आदमी चिता पर पहुंचा अभी भैंसाकुंड की बात है, जो उसे सामग्री जलाने के लिए दी गई वह भी नकली निकली। जब से आदमी पैदा हो रहा है मरते तक नकली सामान हमारी व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं यह पूरा के पूरा हमें कहीं न कहीं से बीमार बना रहे हैं। यह प्रश्न आलोचना का नहीं है यह प्रश्न यह भी बताने का नहीं है कि हमने कितने छापे मारे। यह समय इसका भी नहीं है कि सरकार सचेत है केवल सरकार के सचेत हो जाने से काम चलता तो यह रुक चुका होता। इसमें सरकार को भी सचेत होना है समाज को भी सचेत होना है और उपभोक्ता को भी सचेत होना है। यह मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि समाज में फैले जहर को, जिस जहरीले वातावरण में, जिस जहरीली चीजों को खाकर जिस तरह लाखों उत्तर प्रदेश के लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक कहानी सी बन गयी है। मान्यवर, कार्य-स्थगन के माध्यम से इसे लाने के पीछे मेरा मकसद तो सिर्फ इतना था।

श्री इकबाल महमूद-

अध्यक्ष जी, मुझे भी सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप व्यथित न होइये, हम आयेंगे, खुद सुन लेंगे।

(इस समय 1 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता श्री त्रिभुवन दत्त पीठासीन हुए)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, देखिए, पीठ में भी मिश्रण हो गया।

(हंसी)

मान्यवर, मैंने शुरू किया था अध्यक्ष जी से, अधिष्ठाता तक पहुंच गया। श्रीमन् कार्य-स्थगन के माध्यम से इस विषय को लाने का मेरा उद्देश्य कहीं से भी मात्र आलोचना ही नहीं है, इसके साथ-साथ मैं सकारात्मक रूप से आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इस पर जन-जागरण अभियान चलाये। सरकार उपभोक्ताओं को सचेत करे, सरकार इसकी पहल करे और समाज का हर वर्ग, हर दल के लोग इसमें शामिल हों और अगर समाज की इस बीमारी को दूर नहीं किया जायेगा तो आने वाले दिनों में एक बीमार उत्तर प्रदेश उभर कर आयेगा। आने वाले दिनों में जहरीली चीजों को खाकर, मिलावटी चीजों को खाकर एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनेगा जो पूरी तरह असक्त होगा, कुपोषण का शिकार होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक आग्रह करूंगा कि इस पर वह संवेदनशील रवैया अपनाये, केवल टालू जवाब न दे बल्कि प्रभावी कार्यवाही करने के लिए कदम उठाये, धन्यवाद।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, कार्य-स्थगन के इस प्रस्ताव पर मैं अपने नेता मा0 प्रमोद तिवारी जी के साथ सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहूंगा कि आज स्थिति यह हो गयी है कि इन्सान पैसा कमाने की दौड़ में इस कदर अपने आपमें गिर चुका है कि किसी भी हद तक जाने से बाज नहीं आता। आज स्थिति यह है कि पैसा कमाने की इस दौड़ में इन्सान, इन्सान को मार रहा है। आज नकली दूध, नकली मसाले, नकली घी, नकली दाल, नकली शीतल पेय नकली दवाएं और यहां कि जो सड़कें बन रही हैं उसमें लगने वाले तारकोल में भी मिलावट की जा रही है जिसके कारण सड़कें जल्दी टूट जाती हैं। मान्यवर, आज स्थिति यह हो गयी है, हमारे यहां गिरिराज जी पर भी नकली दूध चढ़ाया जा रहा है, विश्वनाथ मन्दिर में भी जो दूध चढ़ाया जा जाता है, वह भी नकली है तो आज समाज का जमीर मर चुका है, इस तरह के मिलावट खोरों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। अभी जैसा हमारे नेता मा0 प्रमोद तिवारी जी ने कहा, संवेदन शून्य सरकार को संवेदनशील बनना पड़ेगा। इसके लिए उन लोगों को इनाम देना चाहिए जो मिलावट को रोकने में मदद करें, मिलावट करने वालों के विषय में सूचना दें और उन लोगों की सूचना को गुप्त रखा जाए। मा0 अधिष्ठाता जी, स्थिति यह है कि आज जान खतरे में है, खून भी मिलावटी मिल रहा है। हमारे मथुरा में मिलावटी खून चढ़ाया गया जिसके कारण एक बच्चे का इन्तकाल हो गया। स्थिति यह हो गयी है कि कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता है, शुद्ध दूध नहीं मिलता है, शुद्ध सब्जी नहीं मिलती है, लोकी और तोराई में केमिकल का इंजेक्शन लगाकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और इसके लिए सरकार को समाज को जागृत भी करना चाहिए, इस हेतु जगह-जगह होर्डिंग्स लगायी जानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस तरह की कार्यवाही करके वर्तमान सरकार समाज को दिशा दे, उसे जागृत करें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण एक गम्भीर समस्या है और इसको रोकने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर विशेष ध्यान देने का काम किया और इसीलिए उन्होंने खाद्य औषधि विभाग की अलग से स्थापना करके अपने नियंत्रण में कार्यवाईयां शुरू कराया। मान्यवर, उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकने एवं अधोमानक, मिथ्याछाप औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाने/प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा नियमावली, 1955 के अन्तर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मुख्य खाद्य निरीक्षकों/खाद्य निरीक्षकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में तथा नगर विकास विभाग के खाद्य निरीक्षकों द्वारा शहरी क्षेत्रों में संदिग्ध/अपमिश्रित खाद्य पदार्थों, सब्जियों, फलों, खोवा, नमक, तेल, आटा तथा अपमिश्रित/नकली दूध तथा दुग्ध पदार्थों की बिक्री तथा दूध में मिलावट रोकने की कार्यवाही छापामार कर एवं नियमित अभियान चलाकर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करायी जा रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टास्कफोर्स टीम द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में विभागीय टास्कफोर्स टीम द्वारा सूचनाओं को प्राप्त कर अपमिश्रण में संलिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही कर अपमिश्रण कार्यों में संलिप्त दोषी व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार

कराकर कार्यवाही की जा रही है। विशेष अभियान के अन्तर्गत मुख्य खाद्य निरीक्षकों/खाद्य निरीक्षकों द्वारा प्रदेश में अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के संग्रहीत नमूनों की जांच राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करायी जा रही है। अपमिश्रण पर अंकुश लगाने हेतु समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को प्रभावी योजना बनाकर प्रवर्तन की कार्यवाही करने तथा जनपदों में प्रतिदिन की गयी कार्यवाही की सूचना/दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूचना/गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना/जब्त की गयी सामग्री के मूल्यों की सूचना आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को अपराह्न 4.00 बजे तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश में माह जुलाई, 2010 में अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं कारोबार में संलिप्त 190 व्यक्तियों को नामित करते हुए 134 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर 84 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा रु0 3,49,4200/-की खाद्य सामग्री को जब्त/नष्ट किया गया। फलों को कृत्रिम रूप से उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही कार्बाइड आदि रसायनों से पकाये जाने एवं विभिन्न सब्जियों को कृत्रिम रूप से रंग कर बिक्री किये जाने आदि के प्रकरणों में दिनांक 01-07-2010 से 31-7-2010 तक की अवधि में 85 व्यक्तियों को नामित करते हुए 61 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर 61 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

प्रदेश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के गठन के पश्चात से माह जुलाई, 2010 तक नकली औषधियों की बिक्री एवं कारोबार के मामलों में 1465 छापे डाले गये, 3304 नमूने लिये गये, जिसमें 36 नमूने नकली पाये गये एवं 122 नमूने अधोमानक पाये, 96 मामलों में मुकदमें पंजीकृत किये गये तथा 236 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए 203 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

माह जुलाई, 2010 से 05-08-2010 तक आक्सीटोसिन के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही में कुल 87 अभियुक्तों के विरुद्ध 73 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर 63 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं रु0 2,39142/-मूल्य की आक्सीटोसिन जब्त की गयी। मान्यवर, इस तरह से लगातार अपमिश्रण के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। जहां तक इस पर कार्य-स्थगन का सवाल है इस पर प्रश्न के माध्यम से भी सदन में चर्चा हो चुकी है इसलिए कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं बनता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि मैंने कहा था कि मैं सरकार से एक सुधारात्मक कदम की ओर अपेक्षा कर रहा था। अब इतने छापे पड़े, सही है। गिरफ्तारियां हुयीं सही, आप ये नहीं बता पायेंगे कि कितने लोगों को सजा हुयी। कितने लोगों पे सजा हुयी है, मैंने इसको किसी आक्षेप के रूप में नहीं उठाया था, इसे एक सुझाव के रूप में उठाया था। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इससे काम चलता तो मिलावट बन्द होती। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि मुझे लेकर या 5 सदस्यों को लेकर आप बाजार में चले जायें। आप दूध देख लें, घी देख लें, सब देख लें मान्यवर, हर जगह अगर मिलावट इस

समय हो रही है तो कहीं न कहीं सरकारी प्रयास के बावजूद भी यह हो रहा है। मैं यह समझता हूं मान्यवर और मेरा यह सुझाव है कि सरकार इस पर विचार करे कि दवाओं में, मान्यवर, मैं फिर से दोहरा दूं कि दवाओं में जो नकली दवायें बना रहे हैं, खून में जो नकली खून मिला रहे हैं, बना रहे हैं। कम से कम इन दोनों चीजों पर पकड़े जाने पर मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास देने के सरकार विचार करे, क्योंकि जब लोग मर रहे हों और उनको अगर आप नकली दवा दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप एक वही काम कर रहे हैं, जो एक दानव करता है और ऐसे दानवों को जीने का अधिकार नहीं है। इन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड दिया जाय। इस पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने उस दिन एक प्रश्न के माध्यम से भी इसका उत्तर दिया था कि कहां-कहां पर आजीवन कारावास हुआ है, इसका भी जिक्र किया था। मान्यवर, सरकार इस विषय में बिल्कुल गम्भीर है और कृतसंकल्प है और हम अपमिश्रण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिये मान्यवर, हम जनजागरण के लिये दैनिक समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन देकर और लोगों को उसके प्रति सचेत भी किया जा रहा है, उन्हें जागरूक करने का काम किया जा रहा है और लोगों से इस बात के लिये भी उसमें अपील की गयी है कि कहीं पर भी यदि इस तरह के अपमिश्रण की जानकारी प्राप्त होती है तो उसमें हमारे अधिकारियों को तत्काल सूचना दें, जिससे इसमें कार्यवाही हो सके। इसमें काफी हद प्रयास किया जा रहा है और इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। हमें यहां भी जानकारी प्राप्त होती है और आप भी इसमें योगदान करें, जिससे कि खाद्य सामग्री और औषधियों में अपमिश्रण को रोका जा सके। मान्यवर, ऐसा लगता है कि सरकार इस पर गम्भीर नहीं है और इस मुद्दे पर मैं सरकार के इस उत्तर के खिलाफ सदन का बर्हिगमन करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री प्रमोद तिवारी ने अपने सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसको दिखवा लेते हैं। मैंने मा0 मंत्री जी को सुना, मा0 प्रमोद कुमार तिवारी जी को सुना, यह सूचना ग्राह्य योग्य नहीं है, इसे अग्राह्य करता हूं।

जैमर व्यवस्था के बावजूद राज्यपाल दीर्घा में मोबाइल फोन का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, कृपया सुन लें। इस परिसर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबन्धित है और बाकायदा यह व्यवस्था की गयी है कि यहां पर जैमर लगा हुआ है। हालांकि लॉबी का संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन राज्यपाल दीर्घा में बैठे हुए एक सज्जन को मैं देख रहा हूं कि बार-बार वह मोबाइल टेलीफोन का यहां से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका संज्ञान लेते हुए कृपया आप व्यवस्था देने की कृपा करें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह मोबाइल फोन वाली बात गम्भीर विषय है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, मोबाइल फोन को जमा करवा लेते हैं। इसको देख लीजिए और जमा करवा लीजिए।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

डा0 अनिल चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे एक बहुत जरूरी मसले पर, ग्राह्यता पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, जैसा कि आप सब लोग प्रबुद्ध हैं और जानते हैं कि वर्ष 2008 पूरे विश्व में आलू वर्ष की तरह मनाया गया था और पूरे विश्व के कृषि वैज्ञानिकों ने और खाद्य वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया कि बढ़ती हुयी आबादी के भोजन का विकल्प आगे से सिर्फ आलू होगा और हमें, हमारे भारत वर्ष को यह गौरव प्राप्त है कि हमारे भारत वर्ष के प्रत्येक सूबे में हर परिस्थिति में आलू का उत्पादन होता है और राष्ट्र की जितनी उपजें हैं, उनमें गेहूं और धान के बाद तीसरे नम्बर पर उत्पादन आलू का ही होता है। मान्यवर, दोबारा से हमें यह भी गौरव प्राप्त है कि हमारा प्रदेश पूरे राष्ट्र के सकल उत्पादन का चालीस से पैंतालिस फीसदी आलू पैदा करता है। यानी आलू एक ऐसा उत्पाद है जिसके लिये विश्व भर में उसके संरक्षण के लिये चिन्तायें प्रकट की जा रही है। हम प्राकृतिक तौर पर इस उपज के उत्पादक के रूप में है। मान्यवर, इस वर्ष जो बजट आया था कि उद्यान विभाग का उसमें बताया गया था कि लगभग 125 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन इस वर्ष हुआ है और आगे आने वाले वर्ष में हम 151 लाख मीट्रिक टन आलू पैदा करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि यह घोषणा बड़ी उत्साह देने वाली होनी चाहिए लेकिन इससे किसान कहीं भी उत्साहित नहीं है क्योंकि किसान को इस वर्ष आलू का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जैसा आज तारांकित 11 नम्बर प्रश्न के उत्तर में मा0 उद्यान मंत्री जी ने यह बताया कि प्रदेश की प्रमुख मण्डियों में आलू के थोक बाजार भाव रुपये 425 से 700 रुपये तक प्रति कुण्टल चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि उद्यान मंत्री जी के अधिकारियों ने मण्डियों में जाकर तो पता नहीं किया, कालोनी में जो ढकेल वाले बेंच रहे होंगे, उनसे पूछ के शायद यह रेट कोट कर दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है और सदन में बहुत से सदस्य आलू के उत्पादक किसान हैं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि किसान को इस वक्त किसी भी सूरत तीन सौ और साढ़े तीन सौ से अधिक दाम मण्डी में नहीं मिल रहा है, जो कि उसकी लागत मूल्य है उससे भी नीचे आता है। मान्यवर, यह देखने में आता है कि लागत मूल्य आलू का 400 रुपये प्रति क्विंटल हुआ करता था और तीन सौ और साढ़े तीन सौ के दाम उसे मण्डी में मिल रहे हैं। इसके पीछे एक तथ्य का संज्ञान हम लोग नहीं लेते कि इस तीन सौ, साढ़े तीन सौ रुपये क्विंटल जो भाव मिल रहा है यह कोल्ड स्टोरेज से निकलने के बाद में मिल रहा है। यह किसान के खेत से निकलने के बाद यह भाव नहीं मिल रहा है और कोल्ड स्टोरेज वाले का 130 रु0 क्विंटल को अगर निकाल दिया जाये तो बरचुअली किसान को तो 170 रु0 से लेकर के 220 रुपये क्विंटल तक का ही दाम मिल रहा है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कोई यह अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं मानता हूं कि अकेले उद्यान मंत्री जी की भी जिम्मेदारी नहीं है, इस विषय पर पूरे सदन को चिन्तित होना चाहिए और हमें सोचना चाहिए, सरकार की तरफ से हम कुछ सुझाव भी

लिखे हैं अपने नोटिस में कि पूरे विश्व के अन्दर जो आलू की पैदावार होती है, उसका 50 प्रतिशत प्रोसिसिंग में जाता है और 50 प्रतिशत ही फ्रेश इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश के अन्दर अगर स्थिति देखें तो आलू का प्रोसिसिंग केवल एक फीसदी होता है तथा 15 प्रतिशत आलू हम अगले वर्ष के बीज के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, 84 फीसदी आलू हमारे यहां फ्रेश ही सब्जी इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि इस 84 फीसदी के लिए अगर बाजार में रेट न मिले तो उस किसान के क्या हालात होगी।

मान्यवर, बहुत बार ये गम्भीर बातें कहीं जाती हैं कि किसान आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहा है, किसान घाटे में जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि शायद हम सारी घटनाओं पर अंकुश न लगा सकें, लेकिन अगर नीतियों में थोड़ा परिवर्तन कर लें तो यह हो सकता है। मैं यह देख रहा हूं कि आजादी के 60 वर्ष बाद भी पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर, मान्यवर, आप मेरी बात का संज्ञान लें कि पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में आलू प्रोसिंसिग के लिए कोई बड़ी यूनिट नहीं लगायी गयी है कि हम किसान को रिलीफ दिला सकें। मेरा मानना है कि सरकार ऐसी नीति बनाकर लाए जिससे आलू के प्रोसिंसिग को बढ़ावा दें। विकसित देशों में अगर 50 फीसदी प्रोसिसिंग होता है तो हम अगर अपने 20 फीसदी को भी प्रोसिस कर देंगे, तो किसान हर वर्ष लाभ में रहेगा, आलू का उत्पादन बढ़ेगा। और फौरीतौर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कार्यस्थगन हमने फरवरी में लगाया था इसी सदन में और हमने मांग की थी कि शीतगृह भण्डारण की दर कोल्डस्टोर मालिकान अनाप-शनाप बढ़ा कर 130 रुपये प्रति कुन्तल तक ले रहे हैं। मान्यवर, सन् 1997 तक हाल्ट्रीकल्चर ऐक्ट में धारा-29 में यह प्राविधान था कि शीतगृह भण्डारण की दर सरकार तय किया करती थी और वैज्ञानिकों के और बिजली विभाग के इन्जीनियर्स के कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से उस दर को तय किया जाता था। सन् 1997 में शीतगृह भण्डार की दर पर से यह पाबन्दी हटाई और शीतगृह मालिकों को आजाद कर दिया गया कि वह अपनी भण्डारण की दर स्वयं तय करें। उसके बाद कई बार मैंने भी उठाया इस मसले को और लोगों ने भी उठाया और यह बात आई कि चूंकि हमारे पास शीतगृह की कैपेसिटी कम थी इसलिए हमने जो है इस पर से दर हटा दी ताकि यह जो हमारा बिजनेस है कोल्डस्टोर ज्यादा से ज्यादा सूबे में बन जायें। आज हमें यह गौरव प्राप्त है कि सवा सौ लाख मीट्रिक टन हमारी उपज है।

सरकार के यह आंकड़े बताते हैं जिसमें से साढ़े इक्यान्नबे लाख मीट्रिक टन शीतगृहों में हमारा भण्डारित है। तो जो पोजीशन सन् 97 में थी वह आज नहीं है, आज हमारे पास कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो चुकी है तो क्यों न हम पहले वाली व्यवस्था को लागू करें और अगर यह कहें कि शीतगृह अधिनियम में संशोधन की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए संशोधन की भी कोई जरूरत नहीं है, उसी धारा-29 में सब क्लाज-3 में यह प्राविधान किया गया है कि अगर शीतगृह स्वामी और भण्डारकों के बीच में विवाद होता है तो सरकार भी भण्डारण की दर को तय कर सकती है। माननीय उद्यान मंत्री जी मैं बड़ी संवेदनशीलता आपकी चाहूंगा इस प्रश्न के ऊपर, आपके व्यक्तिगत संज्ञान में है कि आज किसान और शीतगृह मालिकों के बीच में इस पर बहुत बड़ा टकराव होता है। जिस वर्ष किसान को लाभ होता है उस वर्ष किसान ज्यादा नहीं बोलता है चुपचाप जो मांगा जाय दे देता है, लेकिन जो घाटे का साल होता है, मेरा निवेदन है कि शीतगृह

मालिक और आपने यह आश्वासन भी शासन की तरफ से आया था फरवरी में हमने कार्य-स्थगन लगाया था तब कि जब भी इस तरह की कोई स्थिति हमारे सामने आयेगी तो सरकार भण्डारण की दर स्वयं तय करना निश्चित करेगी। मेरा मानना है कि 80 रुपये प्रति कुन्तल भण्डारण की दर अगर तय कर दी जाय किसान को 50 रुपये प्रति कुन्तल का उसमें लाभ भी मिल जायेगा, उसकी बचत हो जायेगी और हो सकता है कि वह आज जिन परिस्थितियों में जी रहा है, उससे कुछ बेहतर परिस्थिति में जियेगा। आगे आने वाले वर्ष में 151 लाख का जो आपने टारगेट रख दिया है सरकार ने और जी0डी0पी0 की भी बात कल आई थी कि 5.1 का आपने एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा है और प्राप्त आपको केवल 1.25 प्रतिशत हुआ है तो उसको भी बढ़ाने में आप सहयोग करेंगे और उस टारगेट को अचीव कर पायेंगे, आपके ही निर्धारित किये गये लक्ष्य हैं। मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए शासन से यह चाहूंगा कि इस विषय पर बड़ी ही संवेदनशीलता पर विचार कर के और यह हमारी न सिर्फ नीति बल्कि यह प्रदेश की वैभव खुशहाली से जुड़ा हुआ प्रश्न है मैं चाहूंगा कि शासन इस पर बड़ी ही संवेदनशीलता पर विचार करे। मैं अपनी बात पर बल देते हुए स्थान ग्रहण करता हूं, धन्यवाद।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, डा0 अनिल चौधरी ने बहुत विस्तार से आलू उपज के बारे में, आलू के भण्डार के बारे में बताया, मैं सिर्फ यह बताना चाहूंगा मान्यवर, कि आलू की फसल का हमारी भूख से हमारे जिन्दा रहने से और हमारी उपलब्ध जमीन से क्या रिश्ता है मान्यवर, गेहूं और चावल के बाद आलू की एक फसल है जो पूरी दुनिया में और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा होती है। जो हस्र जमीन का होता जा रहा है और खासतौर से हमारे प्रदेश के अन्दर सभी जगह ईमारतें बनने जा रही हैं, हाई-वे बनने जा रहे हैं तो मान्यवर, जमीन का दौर तो रहना ही रहना है और मैं बात यहां की नहीं कर रहा हूं, आप अगर गौर करें।

मान्यवर, जब यहां पहली बार नारा लगा कि खाने की किल्लत होने वाली है तो शकरकंदी और आलू लोगों ने खाना शुरू कर दिया था यह पचास साल पहले की बात है। अब किस्मत देखिये कि 50 साल बाद हमें कहां होना चाहिये था परन्तु हम कहां पर खड़े हैं। आज फूड शार्टेज की बात आ रही है, हमें फूड सिक्योरिटी चाहिये यह सारी बातें आ गयी हैं। इसलिए आज आलू की फसल को हमें बेहतर बनाना पड़ेगा। मान्यवर, आलू की फसल एक ऐसी फसल है जो हर जगह हो जाती है दुनिया में हर कहीं हो जाती है। यह फसल ठण्ड में हो जाती है गर्मी में हो जाती है। यह रेगिस्तान में पैदा हो जाता है पहाड़ में हो जाता है लेह में हो जाता है। लाहूल-स्फिति, शिमला में इसकी अच्छी पैदावार हो जाती है। बाकी सब जगहों पर भी यह पैदा हो जाता है। इसलिए आलू के संरक्षण के लिये सरकार कोई नीति बनाये और उस नीति को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाये। क्योंकि आगे आने वाले समय में जो गरीबों के जिन्दा रहने की वजह बनेगी वह आलू ही होगा उसी को खाकर वह जिन्दा रह पायेंगे। बाकी चीजें तो इतनी मंहगी हो जायेंगी कि उनके बारे में वह सोच नहीं सकेंगे। अतः नीति के तौर पर सोच समझकर कोई प्रस्ताव लाने का काम आप करें। यहां टाल देने से कि इस नियम के अन्तर्गत नहीं आता उससे बात नहीं बनेगी। आप ठोस नीति बनायें और आलू के किसानों का आप संरक्षण करें।

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, प्रदेश में वर्ष 2009-10 में 120 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है और जिसमें से 90 लाख मीट्रिक टन आलू शीतगृहों में भण्डारित हुआ है। मान्यवर, पहली बार हमारी सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना अप्रैल, 2010 में शुरू की। मान्यवर, जहां तक इसके मूल्य की बात है, वर्तमान में इसका थोक भाव रु0 440 से लेकर रु0 570 के मध्य चल रहा है। मान्यवर, जहां तक इसके भण्डारण की बात है, डा0 अनिल चौधरी जी ने इस पर अपनी बात रखी है। इनको स्वयं भी स्मरण होगा कि प्रदेश में सारे कोल्ड स्टोरेज धीरे-धीरे करके बन्द होते जा रहे थे और जिसके कारण किसानों के सामने एक गम्भीर समस्या आ गयी थी। इसलिए कि आलू का उत्पादन ज्यादा है और उतना कोल्ड स्टोरेजों में रखा नहीं जा सकता है। इसलिए किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कि जिससे कोल्ड स्टोरेजों की संख्या घटने न पाये इस बात का निर्णय लिया गया था जिसके अन्तर्गत सामान्य स्थिति में उसमें उनको किराया निर्धारण करने की शक्ति दी गयी थी। लेकिन वह अधिक किराया वसूलने न पाये इसलिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वह अपने-अपने जनपदों में कोल्ड स्टोरेजों के मालिकों के साथ बैठक करके इस बात का परीक्षण कर लें कि किराया युक्तिसंगत हो। और अगर ज्यादा है तो उस पर नियन्त्रण करें। मान्यवर, इस बात के निर्देश दिये गये हैं। मान्यवर, आज आलू के भण्डारण और आलू के भाव के बारे में कोई समस्या नहीं है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है। तात्कालिक कोई समस्या नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, सरकार इस बारे में सोच नहीं रही है, आलू किसानों के बारे में कोई नीति बनाने की बात नहीं कर रही है, इससे आलू किसानों को दिक्कतें होंगी इस वजह से मैं और मेरा दल सदन का बहिगर्मन करता हूं।

(श्री कौकब हमीद खां अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस सूचना पर डा0 अनिल चौधरी, श्री कौकब हमीद खां जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये अग्राह्य करता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय वस्तुतः कानून व्यवस्था का विषय बनता जा रहा है। मान्यवर, प्रदेश की वर्तमान सत्ता की जो राजनीतिक प्राथमिकतायें हैं जिससे सबसे परिलक्षित होता है कि इनके विचार क्या हैं। मान्यवर, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सर्व धर्म समभाव में विश्वास करते हैं। हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते हैं हम लोग चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो। यह देश सबका है, सबको मिलकर रहना है सबके अपने-अपने विश्वास हैं, विचार हैं, सभ्यता है, संस्कृतियां हैं सब अपने अपने तरीके से अपना-अपना जीवन जिये अपने विचार का प्रचार कर सकते हैं लेकिन विचारों के प्रचार के नाम पर जबरन धर्मान्तरण करने का

अधिकार उन्हें इस देश का संविधान नहीं देता है। विगत कुछ दिनों से इस प्रदेश में यह गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। आज से 3 साल पहले इस समय आपके शासन में मंत्री हैं वह स्वयं उनकी सूचना पर हम लोग बड़हलगंज गये थे धर्मपरिवर्तन की घटनाओं को ले करके और एक हत्या कर दी। लेकिन इधर पहले 8-9 महीने से वह गोरखपुर का बड़हलगंज हो, महराजगंज का निचलौल हो, कोल्ही बाजार हो, कुशीनगर का पडरौना हो, बहराइच का अभी माननीय योगी कौशलेन्द्र नाथ जी स्वयं हस्तक्षेप करके अपनी बड़ी प्रभावी भूमिका कर सके हैं हमारे हस्ताक्षरकर्ता हैं वह अपना विषय रखेंगे। चाहे लखनऊ का तेलीबाग हो, चाहे लखीमपुर खीरी में इस प्रकार की घटनाएं हो, पूरे प्रदेश में चारों ओर ऐसा लगता है कि धर्मान्तरण करने की अबाध छूट संविधान के विपरीत जाकर इस शासन ने एक निश्चित वर्ग को दे दी है। धर्मान्तरण को ले करके देश का संविधान, सर्वोच्च न्यायालय का अनुश्रवण और जो न्यायविद है या जो देश समाज में काम कर चुके हैं उनकी बहुत स्पष्ट मान्यता रही है। भारत का संविधान अगर धारा 25 ए के अन्तर्गत हमें प्रोपेगेशन प्रसार का अधिकार देता है तो वह अपने विचारों को रखने का अधिकार देता है समाज तक पहुंचाने का अधिकार देता है लेकिन लालच, लोभ, भय, अज्ञानता, गरीबी, अशिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं को दे करके और उनको घुमाफिरा लेना इस आधार पर धर्मान्तरण कराने का अधिकार भारत का संविधान कतई नहीं देता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान की धारा 25 की पूरी निर्वचन प्रक्रिया से गुजरते हुए राइट टू प्रोपेगेट प्रसार के अधिकार एण्ड राइट टू कनवर्ट धर्मान्तरित करने के अधिकार दोनों के बीच में स्पष्ट अन्तर किया है अध्यक्ष महोदय, अगर किसी हिन्दू की बात न मानी जाय देश के सर्वोच्च पत्रिका है। समाचार-पत्र इण्डियन एक्सप्रेस जिसमें एक बहुत सुप्रसिद्ध कालम लिखने वाले जो फ्रांस तक लिखते हैं फ्रेंकेश गोटा उन्होंने इस बात को लिखा है कि भारत को रिक्रूटिंग बोर्ड के रूप में बना लिया गया है। भारत के गरीब नागरिकों को छल करके, कपट करके उनके विचारों को जबरन बदल लेना मूर्ख बना करके उन्हें पादरी बना देना और पादरी बना करके आज उनकी स्थिति यह है कि उनके देशों में कोई पादरी बनने वाला तैयार नहीं होता 6-6, 7-7 गांवों के बीच में एक पादरी काम करता हैं उन्हें पादरी के रूप में प्रेरित करके काम करने का प्रयास कराना। अध्यक्ष महोदय, हम सब हमारे सामने महात्मा गांधी की फोटो टंगी है हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं महात्मा गांधी के कलेक्टेड वर्ष को जिसने पढ़ा होगा उन्होंने इस बात को लिखा है कि आज की स्थिति यह है कि यह जो मिशनरियां काम कर रही हैं समाज में, काम उनका सेवा लक्ष्य नहीं है बल्कि काम एक माध्यम बन करके रह गया है लक्ष्य है धर्मान्तरण। मैं श्रद्धेय महात्मा गांधी, स्वर्गीय महात्मा गांधी को कोड कर रहा हूं और उनके लिखित आर्टिकिल के आधार पर कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक पादरी किसी गांव में जाता है उसकी जेब में पैसा होता है उसकी जेब से पैसा निकलकर किसी और की जेब में चला जाता है वह आदमी धर्मान्तरित हो जाता है और उसी आदमी से उसके मंदिर को तुड़वा दिया जाता है। महात्मा गांधी ने इस बात को कहा और उन्होंने कहा कि यदि मुझे अधिकार होता उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, यदि मुझे अधिकार होता तो मैं इस बात का प्राविधान कराता कि देश के अन्दर कोई भी धर्मान्तरण की गतिविधियां न होने पाये। मैं ईसाई मिशनरियों को इस बात के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह अगर कहते हैं कि हम विचारधारा बदल करके धर्मान्तरण कराते हैं तो वह आयें मेरे पास, मेरी विचारधारा बदल लें, मैं खुला हूं मैं बनने को तैयार हूं ईसाई वह बना लें इसीलिए अध्यक्ष

महोदय, इस देश के कई प्रान्तों ने उड़ीसा ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने गुजरात ने, हिमांचल प्रदेश ने, अरुणांचल प्रदेश ने और यहां तक कि तमिलनाडु ने अपने अपने प्रान्तों में फ्रीडम टू राइट अलग-अलग नामों से पारित किये और धर्मान्तरण जो छल, कपट, बल, लोभ, लालच के आधार पर होता था उसको पूरी तरह से प्रतिबन्धित करने का काम किया। आज जब चारों ओर से उन्हें लगता है कि कहीं वह अपनी गतिविधियों को संचालित नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें रिक्रयूटरिंग बोर्ड के सदस्य के रूप में नये पादरियों के रूप में, देश के विभिन्न प्रान्तों में राइट टू फ्रीडम ऐक्ट लागू होने के नाते वह अपनी गतिविधियों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं तो मजदूर होकर वह चले आते हैं और उत्तर प्रदेश को उन्होंने अपना हब बना लिया है। इतनी सारी गतिविधियों के बीच में हम जानते हैं, अध्यक्ष महोदय कि यह जो मिशनरी गतिविधियां सीमान्त क्षेत्रों में चली है, पूर्वोत्तर राज्यों में चली है, झारखण्ड में चली है, जहां भी जिस प्रकार का परिवर्तन है, आई0बी0 की रिपोर्टिंग इस बात की गवाह है कि इन मिशनरी गतिविधियों के प्रत्यक्ष और सीधे सम्बन्ध माओवाद संगठनों से होते हैं। माओवादी संगठन, मिशनरी की गतिविधियां, आई0एस0आई0 की गतिविधियां, सिमी की गतिविधियां, यह सब मिलकर एक चंक बनाकर काम करती है। चेहरे इनके अलग-अलग होते हैं, इनके काम करने के तरीके अलग-अलग होते हैं लेकिन उद्देश्य एक होता है।

हिन्दू जब परिवर्तित होगा तो देश विखंडित होगा और यही एक सच्चाई है जो लगातार भारत के इतिहास के साथ होता चला आ रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय यह जो स्थितियां पैदा की गयी हैं पिछले 2 सालों से लगातार कि उन्हें अबाध रूप से धर्म परिवर्तित करने की छूट दी गयी है, जो अन्य स्थितियां पैदा की गयी है, जिससे लगता है कि यह शासन मूलतः हिन्दू विरोध मानसिकता के साथ काम कर रहा है बरेली का दंगा हम लोगों ने देखा जो दंगाई था, उसे गिरफ्तार करना उसे छूट देना, मैं नाम इस सदन में नहीं लेना चाहता हूं, वह परिस्थतियां कि बरेली में 12-12 दिन के दंगे हुए या जो रायबरेली में शिव बारात नहीं निकल पायी या जो किसी अन्य जिले में अम्बेडकर टुडे की एक पत्रिका में जिस प्रकार के लेख छप गये, यह सारी गतिविधियां जिस प्रकार से यह शासन केन्द्र सरकार की चिट्ठियों के बावजूद सिमी की गतिविधियों के बारे में, आतंकवादी संगठनों के बारे में केन्द्र सरकार को कुछ बताने से इंकार करता है जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि धीमे-धीमे नक्सलवादी गतिविधियां इस प्रदेश के 35 जिलों में बढ़ती चली जा रही है कांग्रेस के बंधु यहां नहीं है, जब माननीय राहुल गांधी जी की विजिट हो रही थी तो पता चला कि 300 नक्सलवादियों का समूह उनके कार्यक्रम के इर्द-गिर्द मंडरा रहा था। अर्थात् जितना भी धर्म परिवर्तन करने की छूट, साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की छूट, हिन्दू इस प्रान्त के अन्दर अपने धार्मिक कृत्यों का निर्वहन न कर सके, ऐसी परिस्थितियों को मदद करने का कार्य, सिमी की गतिविधियों को प्रश्रय देने का काम यह सरकार खुलेआम कर रही है और इसीलिए हम लोग आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और मांग करते हैं कि शासन अपनी मंशा को स्पष्ट करें कि इस प्रदेश का शासन वस्तुतः वह सिर्फ हिन्दू विरोध के आधार पर चलाना चाहता है या उसके मन में कहीं इस बात की चिन्ता है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिन्दू रहते हैं वह इस प्रान्त के नागरिक हैं और उनके भी कुछ संवैधानिक अधिकार है, उन्हें भी धर्म के अधिकार की छूट है, यह सारी बातें इस सरकार को बहुत स्पष्ट रूप से सदन में

रखनी होगी जिससे हम जनता को इस सरकार का असली चेहरा दिखा सकें। इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपनी बातें रखने की छूट दी है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे माननीय सदस्य कौशलेन्द्र नाथ योगी स्वयं बहराइच के क्षेत्र में इस विषय पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो जबरन बनाये गये थे, आपने उन्हें पुनः अपने धर्म में वापस लाने का काम किया है, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए आपसे आग्रह करेंगे कि यह बहराइच का मामला है, आप उनकी बांतों को सुनें।

महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे नियम-56 के इस विषय पर ग्राह्यता पर बोलने का आपने अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, धर्मान्तरण और मतान्तरण गम्भीर और संवेदनशील विषय है इस विषय को लेकर हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं यह एक ऐसा विषय है जो पूरे समाज के लिये घातक है आज पूरे भारतवर्ष में ईसाई मिशनियों के द्वारा धर्मान्तरण करने का जो प्रयास चल रहा है और उन लोगों ने काफी हद तक इस पर सफलता पाई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज भारतवर्ष के 12 राज्य पूर्ण रूप से ईसाई बाहुल्य हो चुके हैं। धर्म एक आस्था का विषय है मान्यवर, जब हमारी आस्था किसी धर्म से निकलकर दूसरे धर्म में निहित होती है तो धर्मान्तरण होता है और जब किसी का धर्मान्तरण होता है तो उसकी आस्था बदलती है। मान्यवर, जब किसी का धर्मान्तरण होगा उसकी आस्था बदलेगी तो एक दिन वह राष्ट्रान्तरण का रूप लेगी। भारत के तमाम टुकड़े हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण धर्मान्तरण का ही रहा है। धर्मान्तरण के कारण ही आज देश के कई राज्य ईसाई बाहुल्य है और ईसाई बाहुल्य होने के नाते आप नागालैण्ड नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए आपको वहां के कलेक्टर से परमीशन लेना पड़ता है तब वहां आप प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप ईसाई है तो आपको वहां जाने का अधिकार है, यदि आप हिन्दू हैं या मुस्लिम हैं तो आपको वहां जाने का अधिकार नहीं है। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं आज उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रलोभन देकर, उनकी आर्थिक बदहाली और उनकी मुफलिशी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों के खासकर दलित समाज के लोग जो धर्मान्तरित हो रहे हैं। आज इस प्रदेश में दलितों की सरकार है। दलित मुख्य मंत्री हैं लेकिन आज उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में अनेक ऐसे गांव हैं, नवाबगंज ब्लाक के अन्दर निगहरा, बेलभरिया, भेलपुरवा, भरतपुरवा, लखीमपुर में मैलानी बिसवां तहसील के अन्तर्गत अनेक गांव हैं, जिनमें धर्मान्तरण का कार्य किया जा रहा है।

मान्यवर, यह इतना गम्भीर विषय है जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि धर्मान्तरण होने के बाद आस्था बदलेगी और एक दिन वह राष्ट्रान्तरण का रूप ले लेगी। अगर उस पर प्रदेश सरकार अकुंश नहीं लगायेगी, यह सदन इस पर कानून नहीं बनायेगा तो एक दिन उत्तर प्रदेश भी ईसाई बाहुल्य प्रदेश हो जायेगा और यहां पर हिन्दू अल्पसंख्यक हो जायेंगे। जब मैं बहराइच और श्रावस्ती के अन्दर और इसी लखनऊ के अन्दर तेलीबाग के और तमाम मोहल्लों के अन्दर गया और बाल्मीकि समाज के लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि आज तक हमारी उपेक्षा समाज करता था और अब सरकार भी हमारी उपेक्षा कर रही है। मान्यवर, समाज भी उपेक्षा करे और सरकार भी

उपेक्षा करे तो हम लोग कहां शरण लें। इसलिए हमारी मजबूरी है हम लोग धर्मान्तरित हो रहे हैं। समाज उपेक्षा करे तो एक हद तक सहा भी जा सकता है लेकिन जब सरकार उपेक्षा करे तो सहा नहीं जा सकता है। आज भारत सरकार की प्रदेश सरकार की बहुत सी योजनाएं जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। जीविका चलाने के लिए वह पंजाब, महाराष्ट्र और भी अन्य प्रदेशों में जाकर नौकरी-चाकरी करके अपना भरण-पोषण करते हैं और वहां पर ईसाई मिशनरी की तमाम एजेन्सियां लगी हुई हैं ऐसे लोगों को धर्मान्तरित करने के लिए। धन का प्रलोभन देकर, चिकित्सा और शिक्षा का प्रलोभन देकर वह उन्हें धर्मान्तरित करते हैं। मान्यवर, मैं एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि जहां भी ईसाई मिशनरी के अस्पताल हैं, उतरौला में मैं स्वयं गया था, प्रेम सेवा संस्थान के नाम से वहां पर एक ईसाई मिशनरी का अस्पताल चलाया जाता है। हमारे क्षेत्र के मा0 विधायक जी भी हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं कि सुबह से लेकर 12 बजे तक वहां पर मरीजों का इलाज चलता है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वहां सारे कार्य को बन्द करके एक सभागार में ईशू प्रभु की प्रार्थना होती है और उस ईशू प्रभू की प्रार्थना में पूरे कर्मचारी और वहां के सारे रोगियों को शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। मान्यवर, सारे लोगों को शामिल करके उस सभागार में बिठाकर प्रभु ईशू के उपदेश सुनाये जाते हैं और प्रभु ईशू के उपदेश सुनाकर उन्हें धर्मान्तरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ईसाई मिशनरी के लोग इस समय हिन्दुओं के धर्मान्तरित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, यह बहुत ही लोकमहत्व एवं अविलम्बनीय विषय है। अगर सरकार इस पर काम नहीं करेगी, इस पर कोई फैसला नहीं लेगी, कोई कानून नहीं बनायेगी तो जैसे मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैण्ड व पूरे भारतवर्ष के 12 राज्य ईसाई बाहुल्य हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश भी आने वाले समय में ईसाई बाहुल्य हो जायेगा और जब यह स्थिति होगी तो हिन्दू अल्पसंख्यक होता चला जायेगा। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो आज बाल्मीकि समाज के लोग, महावत समाज के लोग, मुसहर जाति के लोग चाहे वह महराजगंज जनपद हो, चाहे वह कुशीनगर जनपद हो, बहराइच, श्रावस्ती जनपद हो, सीतापुर या लखीमपुर खीरी जनपद हो, इन सारी जगहों पर ईसाई मिशनरियां खुले आम काम कर रही है। मान्यवर, यह जो मीडिया व समाचार-पत्रों में छपा है वह आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। सारे पत्रों में ईसाई मिशनरी के लोग धर्मान्तरण करा रहे हैं इसको आप देख सकते हैं। लेकिन जिला प्रशासन और शासन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मान्यवर, इसको स्वीकार करना होगा और कोई ठोस कदम उठाना होगा तभी ईसाई मिशनरियों को हम यहां से हटा सकते हैं। हम अपने समाज को अपने से कटने नहीं देंगे, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह हमारा भाई है, हमारा भाई हमसे अलग न हो इसलिए हम लोगों ने गांव-गांव जाकर सहभोज का कार्यक्रम किया है। श्रावस्ती जनपद में जो धर्मान्तरित हुये थे, वहां पर 3 तारीख को कार्यक्रम लगाकर उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी बड़े आदमी के दरवाजे पर पानी पीने जाता हूं, उनके हैण्डपम्प व कुंए से पानी पीता हूं तो मुझे पानी पीने नहीं दिया जाता है, किसी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है तो मैंने कहा कि आपके लिए मंदिर के द्वार खुलेंगे और आपके गांव में मन्दिर बनाया जायेगा। मान्यवर, वहां पर एक शिव मंदिर था वह अर्द्धनिर्मित है उसको पूर्ण करने का हमने संकल्प लिया था। हमने उन लोगों को वचन दिया। जब उस दिन उनके साथ सहभोज का

कार्यक्रम करने गये तो वहां पर मंदिर निर्माण का काम आया तो जिलाधिकारी और वहां के प्रशासन के अधिकारियों ने उस कार्य को करने से रोका। जब अर्द्ध निर्मित मंदिर है और उसको पूर्ण व भव्य स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है ? कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मंदिर और मस्जिद बिना परमीशन के नहीं बन सकती। जब वह बना हुआ है तो उसे बनने का अधिकार देना चाहिए और एक बात उन्हें मन्दिर में जाने से रोका जा रहा है यह सबसे बुरी बात है। उनके गांव में ही हम लोग मंदिर निर्माण कराने के लिए अपने कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ पहुंचे तो प्रशासन ने रोका और कहा कि परमीशन ले करके आईये तभी बना सकते हैं। मान्यवर, जिन लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित हो और आज इस प्रदेश में दलित की सरकार हो, इसके बावजूद भी आज दलित का सम्मान नहीं हो रहा है। मा0 मुख्य मंत्री जो अपने आपको दलित की बेटी कहती है दलितों को कब सम्मान दिला सकेंगी, कब उन्हें उनका अधिकार दिला सकेंगी।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी-

मान्यवर, पूरी बात हो जाने दीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज दलित की बेटी मुख्य मंत्री है।

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

योगी जी, जो विषय है उस पर अपनी बात रखिये। यह सर्वजन की सरकार है। आप जो मुद्दा है उस पर बोलें तो कोई आपत्ति नहीं है। आपकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि आज दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं। आप लोग निपटते जा रहे हैं। वर्ष 2012 के चुनाव में आप साफ हो जायेंगे। यही पीड़ा है। माननीय सदस्य ने अपनी बात रख दी अब वह भ्रमित हो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी-

तमिलनाडु ने धर्म परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि धर्मान्तरण पर रोक लगाने के लिए सरकार कानून बनाए।

श्री अधिष्ठाता-

आपका अब लिखा नहीं जाएगा।

श्री उदयभान करवरिया-

अधिष्ठाता महोदय डा0 राधामोहन दास जी ने और स्वामी जी ने जिन बातों को रखा है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, अखण्ड भारत की परिकल्पना हमारे धर्मान्तरण का कार्य आज से प्रदेश में नहीं प्रारम्भ है बल्कि बहुत पुराना और सदियों से है। मुगल शासन में भी हिन्दुओं को दूसरे धर्म में शामिल करवाया गया। उसके बाद धर्मान्तरण कराने के काम में केवल तरीके में अन्तर है। मुगल शासन काल में जोर जबरदस्ती के

साथ हिन्दुओं को धर्मान्तरित कराया गया जब अंग्रेजों का शासन आया जब उन्होंने हमारे देश पर राज करना शुरू किया तो कूटनीतिक तरीके से आपस में हमारे भाइयों को बांटने का काम किया और धीरे-धीरे अपने धर्म में उनका परिवर्तित कराने का काम किया। आजादी के बाद किस प्रकार से वीर सपूतों ने भारतवर्ष को गुलामी की जंजीरों से हटाया। उसके बावजूद ईसाई मशीनरियां हैं वह अपने कार्य से बाज नहीं आ रही है और धर्मान्तरण का कार्य अभी भी वैसे का वैसा प्रारम्भ है। यह अलग बात है कि पूरब के राज्य हैं उन राज्यों में धर्म परिवर्तन का कार्य ज्यादा है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे बनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने हिन्दू भाइयों को जो दूसरे धर्म में जबरदस्ती परिवर्तित करवा दिये गये थे उनको वापस लाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को वापस मूल धर्म में लाने का काम करते हैं। मैं इसके बारे में थोड़े आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1951 से 61 के बीच धर्मान्तरण में बढ़ोत्तरी हुई चमोली जिले में ईसाइयत में धर्मान्तरण 110 प्रतिशत ज्यादा हुआ बाराबंकी में 221 प्रतिशत ज्यादा हुआ। जौनपुर में 221 प्रतिशत, सुल्तानपुर में 112 प्रतिशत, उन्नाव में 153 प्रतिशत ज्यादा धर्म परिवर्तन कराया गया। अगर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है तो ईसाइयत इतनी तेजी से प्रदेश भर में कैसे पैर फैला रही है इसके बारे में हमारे महापुरुषों ने भी पहले भी चिन्ता की थी। स्वामी विवेकानन्द जी ने चेतावनी दी थी मैं उनके शब्दों को कोड करना चाहता हूं एक व्यक्ति के हिन्दू से ईसाई या मुसलमान बनने से केवल हिन्दू जनसंख्या में एक की कमी ही नहीं होती देश का एक शत्रु भी बढ़ जाता है। यह धर्मान्तरण जो चल रहा है इससे केवल ऐसा नहीं है कि हिन्दू धर्मान्तरित हो रहा है बल्कि देश का एक नागरिक जो अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है वही अपने देश का शत्रु बनने को भी तैयार हो जाता है। मान्यवर, इस प्रकार के प्रकरण आए हैं। अधिष्ठाता महोदय, गरीबी इसके पीछे मूल कारण है। जब तक गरीबी को दूर नहीं किया जायेगा, जब तक लोगों को शिक्षित नहीं किया जायेगा तब तक शायद इस धर्मान्तरण को रोक पाना असम्भव सी बात है। सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने एक समिति बनाई थी। मैं उस समिति का जिक्र करना चाहता हूं। 1952 में न्यायमूर्ति भवानी शंकर नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी कि इस धर्मान्तरण के कारण क्या हैं ? उस पर वह समिति अपनी रिपोर्ट प्रेषित करे।

महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार भी यहां नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

है। बैठै हैं माननीय मंत्री जी। करवरिया जी समय के अन्दर बोलें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैं समय का पूरा ध्यान रख रहा हूं। मैं उन बातों को नहीं कहूंगा जो पूर्व में मेरे साथियों ने कही है। समिति ने जो अपनी बात कही उसमें यह आया कि मिशनरी बलपूर्वक और लाभ तथा लालच से धर्मान्तरण कराते हैं। मान्यवर, लोभ देकर, लालच देकर और बलपूर्वक हिन्दुओं को यह मिशनरीज धर्मान्तरण कराते हैं। ईसाइयों की शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाएं जिनको वो सेवा कार्य बताते हैं उनका मूल उद्देश्य धर्मान्तरण है। मान्यवर, तीसरा उन्होंने कहा कि

ईसाई मशीनरी अलगाव की भावना को बल देकर पाकिस्तान की तरह अलग ईसाई होम लैण्ड की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। यह जो सरकार ने सर्वेक्षण कराया, यह समिति जो बनी केन्द्र सरकार के द्वारा यह उसकी रिपोर्ट है। यह हमारी पार्टी या हमारे दल के द्वारा कही गई बात नहीं है। यह अलग बात है कि हमारा दल, भारतीय जनता पार्टी इस बात से चिन्तित रहती है कि हिन्दू कम से कम हिन्दू रहे उसका धर्म परिवर्तित न कराया जा सके ताकि वह देशभक्त है तो देशभक्त बना रह सके। बाकी पार्टियों को हो सकता है इसकी चिन्ता न हो न हो। मान्यवर, उसी समिति ने यह कहा कि धर्मान्तरण द्वारा राष्ट्रीयकरण होता है अर्थात् व्यक्ति देश की संस्कृति से दूर हो जाता है। जब व्यक्ति देश की संस्कृति से दूर हो जायेगा तो देश के प्रति उसका लगाव कितना होगा यह कह पाना मुश्किल है। मान्यवर, यीशु दरबार की बात आई थी। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता दूं। मेरे यहां मेरें जिले में एक दिन मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था, एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे बेटे की फीस माफ करवा दीजिये वो अपने नाम के आगे सिंह लिख रखी थी और उनके लड़के के नाम के आगे कोई क्रिश्चियन जो सरनेम होते हैं वह लिखा था। मैंने कहा कि आप तो सिंह हैं यह ऐसा क्यों ? तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिखलाया मान्यवर और उस सर्टिफिकेट में ईसाई धर्म उन्होंने केवल इसलिये एडाप्ट कर लिया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो इलाहाबाद में जो एग्रीकल्चर की है उसमें उसको एडमीशन प्राप्त हो जायेगा। मान्यवर, हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और इस वजह से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लोग इस वजह से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कि हम कम से कम शिक्षित हो जायें तो यह हम सबके लिय बड़े शर्म की बात है। इसको रोकने के लिये सरकार और सत्ता को और हम सबको एकजुट होकर प्रयास करना होगा। मान्यवर, जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर बात करते हैं तो लोग अभी माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर कह दिया कि हिन्दू, मुस्लिम राइट नहीं हो रहे हैं इसलिये यह आपका मकसद है। मान्यवर, हमारा मकसद यह नहीं है। हमारा मकसद केवल यह है कि राष्ट्र की जो विरोधी गतिविधियां हैं हम उन पर रोक लगायें। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्त पार्टी है, राष्ट्रभक्ति के विषय में बात करती है। मान्यवर, मैं एक लाइन और आगे कह दूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की एक टिप्पणी मैं बता दूं। जिनके आप अनुयायी हैं और हम सब हैं। वो हमारे भारत वर्ष के संविधान के रचयिता हैं। मान्यवर, डा0 अम्बेडकर ने दलित ईसाई द्वारा साईमन कमीशन के सम्मुख प्रस्तुत स्मरण-पत्र को उल्लिखित किया। मान्यवर, मैं उनके द्वारा उल्लिखित भाषा का विवरण आपको दे रहा हूं। हम सभी ईसाई हैं चाहे रोमन कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट। मतान्तरण के द्वारा जो लोग ईसाई बने हैं उसमें हिन्दू दलित की संख्या 60 प्रतिशत है। मान्यवर, हिन्दू दलित की संख्या जो ईसाई बने वह 60 प्रतिशत है और मान्यवर, वह केवल इसलिये है कि गरीबी, लाचारी, शिक्षा का अभाव, लालच दे करके उनको इसाई बनाया गया।

मान्यवर, यह मैं नहीं कह रहा हूं यह बाबा साहब के ही शब्द हैं मैं जो आपके और इस सदन के सामने रख रहा हूं। मान्यवर, आगे उन्होंने कहा कि हमारी दशा वैसी ही है जैसी इसाई बनने से पूर्व थी। हम आज भी अस्पृष्य है। देश में मिलने वाले सामाजिक अधिकारों से वंचित हैं। इसाई द्वारा भी अपेक्षित किये हुए हैं। अन्य हिन्दू जो इसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं और अब तो हमारे पुराने दलित हिन्दू साथियों ने भी हमको अपने से दूर कर दिया है। मान्यवर, यह उनके शब्द हैं, हमारे इसाई साथी हमारे साथ चर्च में भी उपेक्षा का भाव करते हैं। चर्च में हमारे लिये

रेलिंग बनाकर हमारे लिये बड़े-बड़े बाड़े बना दिये हैं। हमारे बच्चों के साथ विद्यालयों में होटलों में, अस्पतालों में अस्पृश्यता जैसा व्यवहार किया जाता है। मान्यवर, बाबा साहब के शब्द हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं। जब तक शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिलेगा, जब तक हम समाज में अच्छी सोच पैदा नहीं करेंगे। तब तक धर्मान्तरण रुकने वाला नहीं है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो धर्मान्तरण को रोकने की बात करते हैं तो उसको बाकी दल अपने किसी राजनैतिक लाभ को लेने के लिए दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं वह उसको दूसरी दिशा में ले जाते हैं लेकिन मान्यवर हम राष्ट्रभक्त लोग हैं हम इस पर कहते रहेंगे। धर्मान्तरण कैसे रुके इस पर कहते रहेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। मान्यवर, यह जो धर्मान्तरण हुआ यह शायद उसी का नतीजा है कि भारत में वन्देमातरम् का विरोध होने लगा। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में यह मामला सुर्खियों पर रहा हमने वन्देमातरम् कहकर देश को आजाद कराया, आज उसी वन्देमातरम् को लेकर चर्चा छिड़े कि वन्देमातरम् होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो मान्यवर, इससे ज्यादा बुरी स्थिति इससे ज्यादा जटिल स्थिति नहीं आएगी। मैं तो सत्ता पक्ष के लोगों को भी कहता हूं कि आप इस पर सचेत हों। इस पर आप न जाएं कि यह कार्य-स्थगन का प्रश्न है या नहीं है लेकिन इसको सोचने का प्रयास करें कि हिन्दुस्तान का व्यक्ति अगर दूसरे धर्म में चला जाएगा तो...

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, अन्त में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याध,

जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध।

श्री अधिष्ठाता-

दो मिनट में अपनी बात रखें।

श्रीमती कृष्णा राज-

मैं आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया लेकिन दो मिनट नहीं पूरा विषय आ जाना चाहिए क्योंकि हमारे जनपद लखीमपुर खीरी का प्रकरण है मान्यवर, दिनांक 8 तारीख की घटना है जनपद लखीमपुर खीरी के मैलानी क्षेत्र में जो अत्यन्त पिछड़ा है वहां पर लिटिल रोजेज स्कूल में प्रातः 10 बजे 300 लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास किया गया लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं नगर अध्यक्ष वहां के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन के लोग जैसे ही इन लोगों को भनक पड़ी उन्होंने तुरन्त चर्च में जाकर के उन तमाम लोगों के बीच में जाकर जानना चाहा कि आप सब यहां एकत्रित क्यों हैं। प्रार्थना सभा में जब कोरियाई ग्रेस ग्रेस मुन्फ

सुमी संत एवं पार्क ज्वाय हदम ब्रदर जॉन ने हिस्सा लिया तो निश्चित तौर पर यह देश का सवाल बनता है जनपद लखीमपुर खीरी में ही नहीं विदेशी लोग आ करके हमारे देश के, प्रदेश के उन गरीब दलित और पिछड़े लोग जो हैं उनको किस तरह से प्रलोभन देकर एक साजिश के साथ धर्मान्तरण करने का प्रयास जारी रहा। यह घटना कोई नई नहीं है यह पहले भी होता रहा है। रविवार को सामूहिक रूप से बाइविल आधारित प्रवचन के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में दलित, पिछड़े एवं अत्यन्त गरीब थे लेकिन वहां पर जो बैठे चर्च के पादरी थे उन्होंने कहा कि अगले रविवार को फिर आना। मान्यवर, वहां आने वाले लोग इतने भोले-भाले और सरल थे उनको यह समझ में नहीं आया कि हमें इतने लोगों को चर्च में क्यों बुलाया जा रहा है। भा0ज0पा0 के कार्यकर्ताओं ने एवं हिन्दू संगठनों ने एकत्र लोगों से जानकारी ली तो सीतापुर के बिसवां तहसील के गांव केवलपुर के 18 वर्षीय अमित एवं 60 वर्षीय फकीरे तथा 40 वर्षीय गिरधारी का कहना था कि जामपुर गांव के वृद्ध तथा हरिकिशन जीवन ज्योति नाम की संस्था चला रहे हैं गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं उन्होंने ही कहा था कि मैलानी में चलना है। उन्हें बहुत दुख हुआ इस बात का कि यदि उनको यह पता होता कि हमारी दवा नहीं कराई जाएगी और धर्मगुरूओं द्वारा उपदेश दिया जाएगा जिसके कारण हमारा सब दुख और कष्ट दूर हो जाएगा।

जब उन्हें पता चला कि हमारा धर्मान्तरण कराया जायेगा तो उन्होंने मीडिया को भी बताया, वहां की जनता को भी बताया और उन्होंने इस पर दुख व्यक्त किया। यह घटना मान्यवर, सिर्फ लखीमपुर खीरी की नहीं है, देश के तमाम राज्यों में लगातार जैसा कि योगी जी ने बताया है, ऐसी घटनाएं होती रही हैं लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे इर्द-गिर्द हो रही हैं, यह बहुत ही चिन्ता की बात है। मान्यवर, पोलैण्ड और कोरियाई लोग हमारे देश में घुस आए हैं और हमारे गांवों की जो 70 फीसदी आबादी है, उसको प्रलोभन देकर बड़ी सहजता के साथ उसका धर्मान्तरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, जब वहां पर यह पूरा प्रकरण प्रकाश में आया तो स्थानीय लोगों ने मैलानी पुलिस और वहां के प्रशासन को बताया। तब जाकर एल0आई0यू0 के भी होश उड़े कि कोरियाई लोग यहां पर हैं। इससे पहले सतर्कता विभाग को पता ही नहीं था कि इस प्रकार का कोई जमावड़ा यहां पर हो रहा है। मान्यवर, लोग बाहर से आ रहे हैं लेकिन वहां का प्रशासन और खुफिया विभाग इसके प्रति बेखबर था। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगी कि मैलानी की आबादी 14 हजार और ईसाई 14 परिवार लेकिन वहां पर 6 चर्च बनी हैं और इन चर्च का निर्माण भी बिना परमीशन के हुआ है। वहां पर जो अण्डरग्राउन्ड सभागार है, उसमें 300-500 तक लोग एकत्रित हो सकते हैं, यह साजिश नहीं तो और क्या है ? मान्यवर, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों और स्थानीय लोगों ने दबाव बनाया तो पुलिस प्रशासन ने स्कूल प्रबन्धक राबर्ट और उनकी पत्नी को बुलाया, उन्हें हिदायत दी कि इस तरह का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। मान्यवर, विषय की गम्भीरता को देखें धर्मान्तरण तो हो रहा है लेकिन विदेशी ताकतें यहां पर आ करके साजिश के तहत ऐसा करें, ऐसा न सत्ता पक्ष और सरकार को नहीं सहन करना चाहिए न और हम किसी को। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। मान्यवर, इतनी बड़ी घटना के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसा धर्म-परिवर्तन केवल लखीमपुर खीरी में ही नहीं हो रहा है बल्कि सीतापुर, बहराइच, महराजगंज में तो है ही हम शाहजहांपुर जनपद की भी बात बतायेंगे, वहां पर एक गांव धमौतार धाम मोबही (खीरी) के मिथलेश कुमार ने लोगों को प्रलोभन देकर

धर्म-परिवर्तन कराया, जलालाबाद की तहसील के आत्माराम नामक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया गया। अभी तक हमने अपने देश और राज्यों की बातें कर रहे थे लेकिन हम अपने गलियारों और अपने घरों में झांक कर देखें, किस तरह की साजिश रची जा रही है और ईसाइयों की प्रायोजित नीति के तहत यह सब किया जा रहा है। मान्यवर, मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहूंगी, अभी योगी आदित्य नाथ जी बोल रहे थे तो उन लोगों को लग रहा था कि योगी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जिन दलितों ने बहन कु0 मायावती जी को चुनकर यहां भेजा है, उन्हीं लोगों के साथ यह सबसे ज्यादा हो रहा है। यह बहुत गम्भीर विषय है, इस पर सरकार सख्त कार्यवाही कराये।

श्री नकुल दुबे-

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, यह ग्राह्यता पर चर्चा चल रही है और हमारा आपसे अनुरोध है कि जितने संयम से हम बैठते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि उतने संयम से आप भी रहें। मैंने तो योगी जी से यही अनुरोध किया कि बार-बार किसी शब्द विशेष का उल्लेख करके हमारी भावनाओं को न छेड़ें। यह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की सरकार है और आदरणीया बहन कु0 मायावती जी सबको साथ लेकर चल रही है, आप सबको लेकर चल रही हैं, इसलिए कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिससे हम लोगों को उसका प्रतिवाद करना पड़े।

श्री अधिष्ठाता-

योगी जी, करवरिया जी, आप बैठ जाइये।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे कार्य-स्थगन पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी का समाज में समतामूलक समाज की स्थापना करने का उद्देश्य है। कट्टरपंथी, राष्ट्रविरोधी ताकतों के गठजोड़ के कारण सामाजिक समरसता आज ध्वस्त हो रही है। यह हमारे इधर या उधर बैठे हुए सदस्यों का सवाल नहीं है। आज हम लोगों को बहुत चिंतन-मनन करने की आवश्यकता है कि आज एकाएक 2-3 वर्षों में जो धर्मान्तरण हो रहे हैं, एक वर्ग से हटकर दूसरे वर्ग में धर्मान्तरण करने की ऐसी कौन सी व्यवस्था हो गयी कि एक ही धर्म में लोग जाकर धर्मान्तरण कर रहे हैं। पीलीभीत से लेकर गोरखपुर तक पूरी तराई में मिशनरियां तेजी से बढ़कर अपना काम कर रही हैं। चाहे वह चिकित्सालय के रूप में हों, चाहे शिक्षण संस्थान के रूप में हों, वह अनुदान लेते हैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार से और लोगों को प्रलोभन देकर कि हम आपको मुफ्त दवा दे रहे हैं, हम आपको मुफ्त शिक्षा देंगे, यह कहकर धार्मिक उन्माद फैलाकर धर्मान्तरण कराते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मिहिनपुरवा के ग्राम खड़िया में 50 लोगों को, ग्राम पड़रिया में 200 लोगों का अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। कैसरगंज में ग्राम सोनारी, ग्राम कोनारीबगला के 30-35 लोगों को जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के थे उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। यह गत वर्ष की बातें हैं। इस वर्ष नवाबगंज में ग्राम भगतपुरवा, भटपुरवा, नीमनिहारा, मनसुखपुरवा, श्रावस्ती के चमारनपुरवा, बेलभरिया, पारामोदाही, भैयापुरवा में 787 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया जो अनुसूचित जाति के महावत जाति के थे, उन लोगों ने धर्म

परिवर्तन कराया है। जनपद रामपुर में, रामपुर खीरी में 500 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। बाल्मीकि, खटिक समाज के लोगों का 06 अगस्त, 2010 को धर्म परिवर्तन कराया गया। जनपद लखनऊ के तेलीबाग में बाल्मीकी बस्ती के 400 से 500 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया और यह सारे के सारे लोग ईसाई धर्म ही क्यों स्वीकार कर रहे हैं इस पर हमें और पूरे सदन को एक होकर इस पर चिन्ता और चिंतन-मनन करना चाहिए। मान्यवर, यही नहीं आजमगढ़ के डेढ़ सौ लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया। मान्यवर, अगर प्रदेश में सर्वे करा लिया जाये तो आज की स्थिति में 5000 लोगों ने ईसाईयत को स्वीकार करने के लिए प्रलोभन में आकर ऐसा किया है और भारतीय जनता पार्टी और हिन्दू संगठनों ने उसमें से कम से कम 4000 लोगों को वापस लाने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी स्वयं सेवी संगठन और हमारे जो धार्मिक संगठन हैं उनको धन्यवाद, साधूवाद देता हूं और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पर पूरी तौर से चिंतन-मनन करके यह धर्म परिवर्तन क्यों हो रहे हैं इस पर विचार करके ऐसी कोई व्यवस्था दें जिससे धार्मिक परिवर्तन न हो सकें और प्रदेश में सामाजिक समरसता का माहौल कायम रहे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं केवल इस चर्चा को कन्क्लूड करते हुए आपके निर्णय के लिए बैठ जाऊंगा। सही अर्थ में यह राजनीतिक विषय है ही नहीं, यह शुद्ध रूप से राष्ट्रीय एकता के आधार का विषय है। इस देश में इस बंधुत्व सर्वधर्म सम्भाव और सहिष्णुता इस देश की संस्कृति की विशेषता है और जो धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, यह समाज के उस वर्ग का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जो हमारी सदियों की सामाजिक बुराई के कारण ही, विकृतियों के कारण ही अशिक्षा और गरीबी का शिकार हैं जो समाज जागरूक है, शिक्षित है लेकिन गरीब है, उसका धर्मान्तरण कोई नहीं करा पाता, जिसमें विवेक हैं अर्थात् यह सिद्ध करता है कि मनुष्य अपने जीवन में अपने धर्म की आस्था, अपने जीवन के मूल्यों के साथ बराबर का रखता है, वह उसे जल्दी नहीं छोड़ता और इसीलिए जब धर्म छुड़वाया जाता है तो कहीं न कहीं राष्ट्रीयता भी उसकी कमजोर होती है। इसलिये कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन राष्ट्रीय एकता के लिये भी बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की राजनीति, पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं, दल की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं न कहीं कुछ वोट की ओर सीमित हो रही है, तुष्टीकरण की ओर सीमित हो रही है। हम राष्ट्रीय प्रश्न में भी यह देखते हैं इसके विरुद्ध कोई कदम उठाने से कोई नाराज तो नहीं होगा, कोई वर्ग नाराज तो नहीं हो जायेगा, अन्तर राष्ट्रीय नाराजगी का कोई विषय तो नहीं उठ जायेगा। अर्थात् राष्ट्रीय आस्था के प्रश्न पर हम कहीं न कहीं समझौतावादी हो जाते हैं। हमारा स्वहित प्रमुख हो जाता है, लेकिन कुछ प्रदेशों ने इसे घातक माना, समाज के विघटन का आधार माना है, आपस के द्वन्द की शुरूआत माना है। यह निश्चित है कि धर्म परिवर्तन अगर होगा तो कहीं न कहीं किसी के आस्था पर चोट पहुंचती है और जिसकी आस्था पर चोट पहुंचती है, वह उग्र होगा और फिर कानून व्यवस्था उससे खण्डित होगी। फिर एक खाई खिंचती है, इन सबसे इस प्रदेश को बचाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, कोई अपने विचारों से प्रभावित करके किसी को परिवर्तित कर ले तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की करीब दो महीने पहले की बात कर रहा हूं, दो महीने भी नहीं बल्कि पिछले महीने की बात कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र के पास दूसरे जिले चन्दौली वगैरह में लोगों को उस वर्ग के लोगों को जिसमें अशिक्षा भी है गरीबी भी है, अज्ञानता भी है, वे हर रविवार को एक जगह एकत्रित होते हैं कभी चन्दौली में, कभी रामनगर में तो लोग ये समझते थे कि ये किसी सत्संग आदि में जाते हैं और सत्संग आदि में यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो ठीक है। लेकिन एक दिन 10 परिवारों ने एक छोटी सी जमीन जो एक महीने पहले विद्यालय खोलने के नाम पर खरीदी गयी थी, वहां एकाएक रातोरात कमरे का निर्माण शुरू कर दिया और तीन दिन में उस कमरे का निर्माण हो गया और तीसरे दिन उस पर एकाएक क्रास लगा दिया गया, वहां हंगामा मच गया। वह बिल्कुल मजदूर वर्ग है जो उसके विरुद्ध खड़ा हो गया, वहां पंचायत हुयी। मैं ये सब उदाहरण केवल इसलिये दे रहा हूं क्योंकि यह सब कैसे चुपके से हो रहा है। अगर किसी को आप अपने ज्ञान से, अपने विचार से, अपने आध्यात्म से आकर्षित करके परिवर्तित कर रहे हो तो गोपनीयता किस बात की, इसके पीछे किसी दूसरी चीज की आड़ किस बात की। यह एक नियोजित ढंग से गरीबी का, अशिक्षा का, उपेक्षा का, तिरस्कार का जो समाज ग्रसित है और परिस्थितियों से पीड़ित हैं। उनके बीच यह परिवर्तन का कार्य हो रहा है। इसीलिए बाबा साहब की बात आई, जितना सम्मान बाबा साहब का आप करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम सम्मान करते हैं बाबा साहब का, आपसे कम नहीं करते। उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया और दूसरों को बौद्ध धर्म में जाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि अन्य धर्मों में सुविधाएं बहुत ज्यादा थी, सम्मान बहुत था, पैसा बहुत था, क्योंकि इस बौद्ध धर्म की जड़ भी इस भारत भूमि से और इस भारतीय संस्कृति से है। इसलिए वह संस्कृति से नहीं छुड़ाना चाहते थे। उस समय समाज में तिरस्कार की जो स्थिति पैदा हो गयी थी, उससे तो मुक्त कराना चाहते थे, जो हिन्दू धर्म में विकृतियां पैदा हो गयी थीं, उनसे तो मुक्त कराना चाहते थे, लेकिन भारत की संस्कृति के मूल से नहीं अलग करना चाहते थे, ये बाबा साहब का मत था। यह धर्म परिवर्तन संस्कृति से अलग करने का है। इसलिए यह धर्म परिवर्तन उत्तर प्रदेश की एकता, संस्कृति, सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव इस सब पर आक्रमण है। इसे रोकने के लिए सरकार को कड़ाई से कदम उठाने चाहिए। यह किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि इस समाज के हित के लिए है। हरेक को स्वतंत्रता प्राप्त हो, लेकिन किसी को स्वतंत्रता के अन्तर्गत छलने का काम कोई न कर सके, यह सुरक्षा हो, इतना हो यह कहते हुए मैं अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव को बल देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि सरकार गरीब और अशिक्षा से ग्रसित समाज को जो छलने का काम हो रहा है, इससे समाज की सुरक्षा की कोई व्यवस्था करेगी, धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्यों ने धर्म-परिवर्तन के एक विषय को लेकर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर ग्राहिता पर अपने विचार रखे। मान्यवर, जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान इसके अनुच्छेद-25 में इस बात की व्यवस्था है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म का अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने

का समान अधिकार है। मान्यवर, इस संविधान के माध्यम से धर्म स्वीकार करने, धर्म में रहने का स्वतः स्वीकार करने पर किसी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है। मान्यवर, आज प्रदेश में बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इस सरकार का जो मुख्य लक्ष्य है, वह है समतामूलक समाज की स्थापना और उसके परिप्रेक्ष्य में 'सर्वजन हिताए, सर्वजन सुखाए' के आधार पर सरकार काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि प्रदेश में कोई भी साम्प्रदायिक तनाव नहीं हुआ। सांम्प्रदायिक स्थिति नियंत्रण में है।

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, जहां तक यह विषय है, इस विषय की कोई प्रासंगिकता, जो विषय भारतीय जनता पार्टी ने आज उठाया है, उसकी आज कोई प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन मान्यवर, लम्बे समय तक समाज में जो विकृति पैदा करने का काम किया और जिसने इस बीमारी को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी है, क्या उसके पहले यह नहीं था।

श्री लालजी वर्मा-

उसके पहले इसके रूप रहे होंगे। मा0 सदस्य अब आप बीच में न बोलें। मान्यवर, आज यह विषय यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। यह विषय यहां इसलिए आया क्योंकि जब कुछ लोगों की जमीन खिसकने लगती है, तो कोई न कोई मुद्दा खोदने लगते हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती देना ठीक नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 सदस्य बीच में न बोलें, आपने जितनी बात कही, उसमें हमने बीच में बोलने का काम नहीं किया। जब कुछ लोगों की जमीन खिसकने लगी तो उनको कुछ प्रेम याद आया उनको कुछ लोगों की याद आने लगी, उसी तरह से मान्यवर, इनकी भी जमीन खिसकने लगी तो इनको भी कुछ इस तरह की बातें याद आने लगी और मान्यवर, एक अफवाह फैलाने का, कोई बात मान्यवर, मैं जब छोटा था।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य एक साथ विरोध स्वरूप अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैंने बड़ी ही शालीनता से अपनी बातें रखी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी शालीनता का परिचय नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, शालीनता से अपनी बात कहें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं शालीनता से ही अपनी बात कह रहा हूं, मान्यवर, यह बात अब इनको अच्छी नहीं लगेगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह गलत बयानी कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री के गलत बयानी के विरोध में सदन का बर्हिगमन करता हूं।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से त्याग किया)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, धन्यवाद। मान्यवर, अगर मेरी किसी बात से व्यक्तिगत चोट पहुंची हो तो मुझे उसके लिए खेद है, लेकिन मान्यवर जो असलियत है, उसे कहना पड़ेगा। मान्यवर, अभी कल इसी तरह की बातें आई। आज इनको भी ऐसा लग रहा है कि अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, हमने जनता को गुमराह करने का पहले जो प्रयास किया उसको जनता समझ गई है, तो एक नयी अफवाह लेकर आने का काम किया जाय और उस अफवाह को लेकर मान्यवर, आज सदन में यह बात आई है, सदन में यह लाने का काम किया गया है, कहीं भी कोई जबरन धर्मान्तरण कहीं नहीं हो रहा है लेकिन मान्यवर, जो संविधान की मूल भावना है जो संविधान में लिखा है, हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है इस पर कोई प्रतिबन्ध भी नहीं लगाया जा सकता, निश्चित रूप से जबरन कहीं पर इस तरह की घटनायें नहीं हो रही हैं और आज बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके कारण लोगों के सरकार पर भी विश्वास है और समतामूलक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में एक कदम आगे बढ़ने का हमने काम किया है। हमारी यह चाहत है कि इन्सान को इन्सान समझा जाय, उसको जाति और धर्म के आधार पर विभेद न किया जाय, उस विचार के अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो मुद्दा जो विषय लाया गया था, यह नियम-56 के किसी भी कोण पर सही नहीं उतरता है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय ओम प्रकाश सिंह जी को सुना एवं अन्य माननीय सदस्यगण को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना जनपद सुल्तानपुर में प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। माननीय नेता शिवपाल सिंह यादव जी।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, पहले माननीय विधायक अनूप सण्डा जी को बोल लेने दें, मैं उनके बाद बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

*श्री अनूप सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आभारी हूं कि आपने मुझे सुल्तानपुर के उन हजारों परिवारों की पीड़ा को इस सम्मानित सदन में उठाने का अवसर दिया, जिनके ऊपर बराबर प्रशासन का डण्डा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलता रहता है। जिनको बराबर रोजी-रोटी से वंचित किया जाता रहता है और यह समस्या सिर्फ सुल्तानपुर के हजारों दुकानदारों की समस्या नहीं है पूरे प्रदेश के उन लाखों गरीबों की समस्या है जिनके पास अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए सड़क के किनारे खड़े हो करके या बैठकर के अपना व्यवसाय करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मान्यवर, सुल्तानपुर जनपद में 19 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर जिस तरीके से सुल्तानपुर के जिला प्रशासन ने वहां के गरीबों के ऊपर अन्याय और अत्याचार किया है कि तीन दिन तक सुल्तानपुर में लगता था कि कानून का राज नहीं है सुल्तानपुर के कुछ सनकी अधिकारियों का राज था, मान्यवर, ऐसे-ऐसे दुकानदारों को जिनको न्यायालय से स्टे प्राप्त था मान्यवर, मेरे पास सूची मौजूद है। मान्यवर, मो0 कलीम, विजय कुमार, अली अहमद, मो0 अफसर, राधेश्याम, शफीक अहमद, शब्बीर अहमद, अब्दुल कय्यूम, हकीक अहमद, कलीम, शाहजहां बेगम, छोटे लाल, मंगल प्रसाद, माता प्रसाद ऐसे दर्जनों दुकानदारों को जिनको न्यायालय से स्टे प्राप्त था, मान्यवर, स्टे आदेश जब दिखाने की कोशिश की तो स्टे आदेश फाड़ करके फेंक दिये गये और लाठियों से पीटा गया। मान्यवर, मुन्शीरजा आदि 65 लोगों ने फ्री-होल्ड के लिये पैसे का भुगतान किया हुआ है। इसी तरह से कुछ दुकानदारों ने तो बकायदा नक्शा पास करवाया हुआ है नियत प्राधिकारी के यहां से, उनके पक्के निर्माण गिराये गये। मान्यवर, वहां पर अधिकारियों की सनक के आधार पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया हैं। मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुल्तानपुर के गरीबों की तरफ से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को, उनको जब पता चला कि सुल्तानपुर के पटरी दुकानदारों के प्रति अत्याचार हो रहा है तो अगले दिन ही 29 जुलाई को जांच दल के साथ सुल्तानपुर आये। तब जाकर जिला प्रशासन की समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो गया है। तब जाकर के सुल्तानपुर के गरीब दुकानदारों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा था उसे रोकने का काम हुआ। मान्यवर, इसमें इस तरह से काम किया गया कि 21 तारीख को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा था उसमें जे0सी0बी0 मशीन जब कहर ढा रही थी उसमें इतना भी संभल कर काम नहीं किया गया कि बिजली की आपूर्ति काट देते। उस जे0सी0बी0 मशीन से बिजली का तार टूट गया और वह एक दुकान की टीन पर तार गिर गया उसमें विद्युत करन्ट लगने से एक दलित युवक रामू सोनकर की मृत्यु हो गयी। जब वहां की जनता को इसका पता चला तो वह इसको लेकर आक्रोशित हो गयी और सड़कों पर उतर आयी। इस पर सुल्तानपुर के जिला प्रशासन ने वहां जुटी जनता पर लाठियां चलवाने का काम किया। यही नहीं जिसकी मौत हो गयी थी उसके परिवार के लोगों को भी मारा पीटा गया।

मान्यवर, इसमें जिला प्रशासन के दोषी अधिकारियों पर तो कोई कार्यवाही नहीं हुई उल्टे जिस दुकानदार के यहां वह रामू सोनकर काम करता था उस व्यापारी के ऊपर हत्या का मुकदमा कायम करा दिया गया। मान्यवर, उसके बाद भी उस मृत दलित युवक की तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नहीं गया कि उसे कोई राहत दी जाय जबकि यह सरकार दलितों की सरकार होने का दम भरती है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को जिन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से उस दलित रामू सोनकर को एक लाख रु0 दिलाने का काम किया। जिससे यह संदेश गया कि जब भी दलितों के ऊपर और गरीबों के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। मान्यवर, आज हालत यह है कि जब इस सम्बन्ध में वहां

के अधिकारियों से बात की गयी तो उन्होंने कहा कि न्यायालय का आदेश है कि इनको हटा दिया जाय। मान्यवर, जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है वह उन शापिंग काम्प्लेक्सेस के सम्बन्ध में है जहां पर पार्किंग नहीं है उनके खिलाफ तो कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि उसमें बहुत से सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों के हैं। बल्कि कार्यवाही जो कि गयी वह उन गरीब दुकानदारों के खिलाफ की गयी। मान्यवर, जहां तक अतिक्रमण की बात है स्वयं प्रशासन द्वारा तहसील व कोतवाली की बाउण्ड्री पी0डब्लू0डी0 की जमीन पर 16-16 फीट कब्जा करके बनायी गयी है। डी0एम0 आवास के सामने बैरीकेटिंग जो की गयी वह इसी तरह से की गयी है। इसी प्रकार से विकास भवन एवं कचहरी के सामने की बैरीकेटिंग है वह अतिक्रमण करके बनायी गयी है, पी0डब्लू0डी0 की जमीन पर कब्जा करके बनायी गयी है। क्या वह अतिक्रमण नहीं है। दूसरी तरफ गरीब दुकानदारों की दुकानों को अतिक्रमण के नाम पर हटाने की कार्यवाही की गयी। मान्यवर, वहां चिलचिलाती धूप में 80-80 वर्ष के बूढ़े लोग अपना रोजगार करते हैं और अपना सामान बेचने का काम करते हैं। उनको हटाने का काम किया गया। मान्यवर, अन्त में मजबूर होकर 5 अगस्त को मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा।

मान्यवर, हिन्दुस्तान में लोकतंत्र का राज है कोई अंग्रेजों का राज नहीं है। सुल्तानपुर के जिला प्रशासन ने जिस मनमाने ढंग से काम किया है उन्होंने तो जनरल डायर के कामों को भी मात दे दी है। मान्यवर, आज वहां पर हालत यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने जाता है तो उसको लाठी से पीट कर भगा दिया जाता है। मान्यवर, पिछला जो बजट सत्र हुआ था उसमें 16 फरवरी को मैंने यह समस्या उठायी थी, पटरी दुकानदारों के उत्पीड़न का मामला उठाया था। मान्यवर, आप संवेदनशील है। आपने इस सम्बन्ध में पीठ से निर्देश भी दिया था सरकार को और यह कहा था कि किसी के खिलाफ कोई भी उत्पीड़न नहीं किया जायेगा लेकिन मान्यवर, आपके निर्देशों का भी पालन नहीं हुआ। मान्यवर, इस घटना में लाखों करोड़ों रु0 की सम्पत्ति नष्ट की गयी है। मैं चाहता हूं कि आपकी ओर से इसमें निर्देश दिये जायें कि जिन अधिकारियों ने इसे किया है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से निर्देश हो जाय कि जिन अधिकारियों ने अराजकता पैदा की है, गरीब दुकानदारों को नियम विरुद्ध ढंग से उजाड़ा है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। जिन दुकानदारों का सामान उठाया गया है उनको मुआवजा दिया गया और जो दलित रामू सोनकर की मौत हुईं है उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और जिस व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उत्पीड़न किया जा रहा है वह मुकदमा वापस लिया जाय। मुकदमा उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हो जिनकी लापरवाही से एक दलित की जान गयी है। आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बाकी का खारिज कर दें, इसको अस्वीकार कर दें कार्य-स्थगन न माने काम चलाये लेकिन जो इनकी प्रार्थना है कि दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय और गरीबों को मुआवजा दिया जाय इन दो चीजों का निर्देश दे दे बाकी मंत्री जी जो उत्तर देना चाहें, यह पीठ से निर्देश हो जाय।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, सुल्तानपुर में जब यह घटना हुई उसके बाद हमारे नेतृत्व में हमारे विधायकों की टीम मौके पर गयी और मौके पर जब देखा तो छोटे-छोटे व्यापारी और व्यापारी लगभग 1 हजार व्यापारी जो रोड के किनारे लगभग 40 साल, 50 साल और हो सकता है उससे भी ज्यादा समय से अपनी छोटी-छोटी दुकानें लगाये हुए थे। उन गरीबों को अगर किसी गरीब के पास कोई व्यवस्था नहीं है तो उनको बसाया जाता है उजाड़ा नहीं जाता है और अगर कोई जरूरत थी वैसे तो जरूरत नहीं थी तो उनको शासन के लोगों को व्यवस्था करना चाहिए था जिससे उनकी रोजी-रोटी चल रही थी लेकिन प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया उधर न्यायालय का आदेश भी था और न्यायालय के आदेश के साथ-साथ फ्री-होल्ड का पैसा भी बहुत से व्यापारियों ने जमा कर दिया था और पहले से फ्री-होल्ड करा चुके थे लेकिन उसके बाद भी एक हजार परिवार को उजाड़ने का काम किया है आज वह लोग सड़क पर हैं पूरे परिवार सहित सड़क पर हैं और उनकी कोई व्यवस्था नहीं की है, बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सारे के सारे गरीब लोग हैं और सरकार कहती है कि हमें गरीबों की बहुत चिन्ता है लेकिन अभी तक उनको बसाने की उनकी दुकानों को रखवाने की व्यवस्था नहीं की गयी, पहले तो अगर कहीं जरूरत थी तो सरकार को व्यवस्था करना चाहिए था। सुल्तानपुर में मैंने देखा कि बहुत सी जगह ऐसी है उनको पहले से एलाट करके उनको बसा दिया जाता उनकी दुकानें बनवा दी जाती लेकिन यह कोई काम नहीं किया गया, उजाड़ दिया गया सीधा-सीधा। जो रामू सोनकर जो बिजली के करेन्ट से मरा है वह भी लापरवाही। अतिक्रमण जब हटाया जा रहा था तो कम से कम बिजली का करेन्ट तो हटा देना चाहिए था वह भी नहीं हटाया, मौत हो गयी। अब इन उजाड़े हुए दुकानदारों को पहले तो सरकार इन्हें बसाने का काम करें। मेरी मांग है कि जो लोग उजाड़े गये हैं, पहले सरकार उनको बसाने का काम करे और जो नुकसान हुआ है जितने भी व्यापारियों का छोटे-छोटे व्यापारियों का नुकसान हुआ है। वह पूरा करें और उसे पूरा करना भी चाहिये और जो रामू सोनकर मरा है उसके परिवार को कम से कम 10 लाख की मदद करना चाहिये जिससे उसका पूरा परिवार बस जाय और उसका गुजारा ठीक से चल सके। इसलिये यह लोकमहत्व के अविलम्बनीय सवाल पर कार्यस्थगन करके चर्चा कराई जाय और जिन अधिकारियों ने इन्हें उजाड़ने का काम किया है और सीधे-सीधे हत्या करने का काम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और जितने भी व्यापारी हैं, उन्हें फिर से बसाया जाय, यह हमारी मांग है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जिलाधिकारी सुल्तानपुर की आख्या के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-11963 एम0बी0/2009 श्री नीरज उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23-12-2009 के क्रम में श्री नीरज उपाध्याय द्वारा जनपद सुल्तानपुर में राष्ट्रीय मार्ग एवं अन्य मार्गों पर विभिन्न व्यावसायिक भवनों द्वारा किये गये यातायात असुविधा को हटाये जाने हेतु अपना प्रत्यावेदन दिनांक 21-01-2010 को प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 15-2-2010 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रत्यावेदन का अन्तिम निस्तारण करते हुए मुख्य

मार्गों से अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश दिये गये। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग व अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् सुल्तानपुर द्वारा सार्वजनिक मार्ग व अन्य राजकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने की नोटिस निर्गत की गई तथा इसका लाउडस्पीकर से भी अधिक प्रचार-प्रसार किया गया। व्यापार मण्डल प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न चरणों में व्यापक वार्ता की गई तदुपरान्त नगर के राजमार्ग व अन्य प्रमुख मार्गों से यातायात असुविधा हटाये जाने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान कतिपय व्यक्तियों के द्वारा शान्ति व्यवस्था में व्यवधान डालने का प्रयास किया गया, उन्हें शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये समझाया गया, तदुरापरान्त निरोधात्मक कार्यवाही की गई। दिनांक 21 जुलाई, 2010 को रामू सोनकर निवासी कबड़िया, सुल्तानपुर की मृत्यु के संबंध में भी अवगत कराया गया है उसकी माता श्रीमती कुमारी पत्नी स्वर्गीय सतनू सोनकर द्वारा मेसर्स गर्ग साइकिल स्टोर, सुल्तानपुर के स्वामी के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का अभियोग थाना कोतवाली नगर में अपराध संख्या-1382/10 धारा 304ए भारतीय दण्ड विधान व 3110 एस0सी0एस0टी0 एक्ट तद्दिनांक दर्ज कराया गया। मृतक रामू सोनकर की पत्नी को राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत 20 हजार रुपये एवं अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न के मामले में एक लाख पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। पटरी गुमटी दुकानदारों द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर व्यवसाय किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं एक निवेदन अलग से करना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष से भी और माननीय सण्डा जी से भी कि एक भयंकर स्थिति है पूरे प्रदेश में। हर नगरों में अतिक्रमण है और यातायात की दृष्टि से उस अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है। मान्यवर, एक तो अतिक्रमण किया उसके लिये तो दण्ड की कार्यवाही होना चाहिए अगर अतिक्रमण हटाने के मामले को भी राजनीति से जोड़कर देखने का काम किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा वातावरण और एक अच्छी स्थिति बनने में यह भूमिका सार्थक साबित नहीं होगी। इस सूचना के बारे में मुझे जो जानकारी थी वह मैंने बता दिया। मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि हम सब लोग अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के चलते अतिक्रमण जैसे कार्य को भी अगर प्रोत्साहित करेंगे तो आपको और आम जनता को भी असुविधा होती है अतिक्रमण 10-20 लाख करते हैं, 25 लोग करते हैं और एक आदमी भी करता है और उसका नुकसान पूरे समाज को, लाख दो लाख लोगों को उठाना पड़ता है। इसलिये मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि इस विषय पर तो सभी को सहयोग करना चाहिये। अतिक्रमण अगर शासन के प्रतिनिधि हटा रहे थे तो लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिये था। अगर इस प्रकार के कामों में भी राजनीति को जोड़ा जायेगा तो किसी भी अच्छे काम में सफलता नहीं मिल सकेगी। मान्यवर, जहां तक ग्राह्यता की बात है तो जुलाई माह की घटना है और आज अगस्त है, तात्कालिक नहीं है और आज स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, जहां तक सहायता का सवाल है तो एक लाख सत्तर हजार रुपया उन्हें मिल भी चुका है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में जिस रिट याचिका का उल्लेख किया। उस रिट याचिका में श्री नीरज उपाध्याय ने पक्के व्यावसायिक भवनों द्वारा किये गये अतिक्रमण हटाने की बात की थी। मा0 मंत्री जी कृपया यह बता दें कि कितने पक्के व्यावसायिक भवनों के

खिलाफ प्रशासन ने कार्यवाही की है। मान्यवर, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है और गरीब दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है और आप अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं। यह अतिक्रमण हटाना नहीं है यह गरीबों के पेट पर लात मारना है। मुझे इस बात को कहने में बड़ा खेद है कि मा0 मंत्री जी अपने प्रशासन द्वारा किये गये अन्याय का बचाव इस ढंग से करके ऐसे अन्यायी अधिकारियों का मनोबल और बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह सवाल था गरीबों को बसाने का, जिन्हें उजाड़ा गया है और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया था बड़े-बड़े व्यापारियों के लिये जिनके माल हैं। मैंने तो मौके पर देखा है, उस जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं था। 50 साल पहले जहां पर जगह खाली रहती थी लोग दुकान बना लेते थे और दुकान चलाते रहते थे तो वह दुकान उसकी हो जाती थी। अगर ऐसा नहीं था तो मा0 मंत्री जी विधेयक ले आते। मान्यवर, वहां पर अवरोध था ही नहीं, कलेक्ट्रेट के आसपास जमीन पड़ी है जिसका कोई उपयोग नहीं है उसके बाद भी जब छोटे-छोटे व्यापारियों को उजाड़ा गया है तो मा0 मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दे देते तो लगता यह सरकार गरीबों की हितैषी सरकार है। लेकिन मा0 मंत्री जी ने ऐसा नहीं किया है और हम मंत्री जी के जवाब से सहमत नहीं हैं, इसलिये हम सब अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 नेता प्रतिपक्ष जी को, मा0 अनूप सण्डा जी को और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मुझे सदन को सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 अगस्त, 2010 की बैठक में यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 पर विचार एवं उसके पारण संबंधी मदें आज दिनांक 12 अगस्त, 2010 को ही ले जी जायं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री सतीश महाना और श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश में खाद्यान्न एवं पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने मंहगाई जैसे मुद्दे पर मुझे ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मंहगाई का मुद्दा चाहे पक्ष में बैठे हों, चाहे, इधर बैठे हों, सभी लोगों को मंहगाई का मुद्दा पूरी तरह से प्रभावित किये हुए है। दुनिया के जो सबसे सम्पन्न देश हैं जहां पर, पर-कैपिटा इन्कम ज्यादा है अमेरिका और यूरोप, वहां पर मंहगाई मात्र 2 प्रतिशत है। यह प्राइस इंडेक्स है और प्लानिंग कमीशन का माह जुलाई का आंकड़ा है हिन्दुस्तान में 13.90 लगभग 14 प्रतिशत मंहगाई है। दुनिया के दूसरे देश अमेरिका और यूरोप, चीन जैसे देश वहां पर मात्र 2 से 3 प्रतिशत मंहगाई है। हमारी अपेक्षा है और प्रदेश की जनता की अपेक्षा कि वर्तमान सरकार जो अपने-आप को गरीबों की हितैषी, गरीबों की नुमाइन्दगी करने वाली बताती है तो मंहगाई का बोझ जनता पर कम से कम पड़े, ऐसी नीति अपनाये और ऐसी टैक्स पालिसी अपनाये। इसी उद्देश्य से मैं कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाया। प्रदेश की जनता पर मंहगाई का बोझ कम से कम पड़े। मान्यवर, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आजादी से लेकर अब तक कभी दलहन के क्षेत्र में कभी आत्मनिर्भर नहीं हुआ और इसके लिये कोई प्रोत्साहन देने की योजना भी नहीं है। मा0 मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अर्जुन सेन गुप्ता आयोग बनाया था उसकी रिपोर्ट है कि हिन्दुस्तान के 80 करोड़ लोग 20 रुपये से कम पर गुजारा करते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो 20 रुपये से कम पर गुजारा करते हैं वह रोटी के संग दाल कैसे खा सकते हैं, सब्जी कैसे खा सकते हैं ? जो लोग नमक और चटनी से रोटी खा लिया करते थे।

आज स्थिति यह है कि नमक के दाम पिछले 2 सालों में 3 गुना पहुंच गया। चटनी की यह स्थिति है कि आज बाजार में धनिया का दाम 150 रु0 किलो है, हल्दी का दाम 120 रुपये से 240 रुपये हो गया है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, 50-60 रुपये प्रति किलो मिर्च मिल रही है, 50 रुपये किलो टमाटर है, पुदीना 40 रुपये किलो है जो लोग रोटी चटनी के साथ खाना चाहे तो आज चटनी के साथ रोटी नहीं खा सकते, यह स्थिति वर्तमान सरकार में है। मान्यवर, दवाओं के दाम 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत बढ़े। रोगी के लिये भी सबसे बड़ी समस्या मंहगाई है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि डीजल जिसके ऊपर आज भी सबेरे चर्चा हुई। वर्तमान सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में, कल उत्तर दिया गया था कि 17.23 प्रतिशत डीजल के ऊपर टैक्स लगा रखा है। डीजल के ऊपर टैक्स लगाने से पूरी मंहगाई का सितारियों बढ़ाता है। कृषि, उद्योग और ट्रान्सपोर्टेशन इन तीनों चीजों को डीजल प्रभावित करता है। आपके माध्यम से 4 बातें मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर ये चारों बातें मान लें तो मंहगाई का बोझ प्रदेश की जनता पर कम हो सकता है। पहला, दलहन और सब्जी को प्रोत्साहन देना, दूसरा, समय पर खाद और उचित दाम पर उपलब्ध कराना, तीसरे फूड ग्रेन्स की ऑन लाइन ट्रेडिंग जिसको वायदा करोबार कहते हैं, उस वायदा कारोबार को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित करना ....

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब आपकी बात आ गई।

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो खाद्य पदार्थ है या डीजल है इसके ऊपर जो टैक्स की पालिसी है उसके ऊपर पुनर्विचार करें जो गेहूं चावल और जितने खाद्य पदार्थ हैं उसके ऊपर टैक्स है उसके रेट कम करें। विशेष रूप से जो डीजल है उसके ऊपर टैक्स रेट कम कर देंगे तो मंहगाई का प्रतिशत कम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब समय सीमा का ख्याल रखें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मेरी सूचना पर ध्यान आकृष्ट कर लें। मैं नहीं बोलूंगा।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महगाई के समय में आम आदमी का जीना दूभर है। मंहगाई इतनी ज्यादा है कि आम आदमी को दाल रोटी नहीं मिल रही है। आम आदमी के घर का चूल्हा ठंडा होता जा रहा है और पेट की आग तेज होती जा रही है। गैस मंहगी है, ईंधन मंहगा है, मिट्टी का तेल मंहगा है केन्द्र में बैठी हुई सरकार ने दाम बढ़ा दिये हैं प्रदेश की सरकार अपने अधिकारियों को ब्लैक मार्केटिंग कराना शुरू कर देती है। आपकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं है। प्रदेश की सरकार जिलाधिकारियों को, कमिश्नरों को चिट्टी लिखना शुरू कर देती है। सबेरे हमारे प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि उन्होंने कब-कब चिट्ठी लिखी उन्होंने बतया कि उन्होंने 1.1.9, 14.7, 30.7, 21.7 व 11.11 को पत्र लिखे प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों को केवल चिट्ठी लिखती जा रही है कि मंहगाई कम करो लेकिन मंहगाई बढ़ती जा रही है। आज राशन मंहगा, मंहगा तेल, यह देखो सरकार का खेल। आप कहेंगे कि जिम्मेदारी नहीं है यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर कौन जिम्मेदार है।

मुख्यमंत्री जी का बयान है मेरे पास है इसमें लिखा हुआ है कि मंहगाई से गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है जब मुख्य मंत्री का यह कहना है कि मंहगाई से गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है तो यह मानना पड़ेगा कि मंहगाई से जीना दूभर है और सरकार किसी प्रकार से अंकुश नहीं लगा सकती है। आप कहेंगे कि यह नियम-56 में नहीं आता नियम 301 में नहीं आता नियम 300 में नहीं आता लेकिन जब पेट की आग जलती है तो नियम नहीं देखती है। अगर पेट की आग जलेगी तो व्यक्ति अपराध भी करेगा, गलत रास्ते पर भी चलेगा उसको मजबूरी में यह काम करना पड़ता है। गरीब आदमी किसी तरह से मजबूर न किया जाय। पेट भरने के लिये आटा, दाल, चावल, चीनी मंहगी है। 16 रुपये किलो आटा है गरीब के मुह में चांटा है। कैसे चलेगा इसको आप देखिये मैं सरकार के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता हूं। आरोप प्रत्यारोप में जनता पिस रही है। जनता का बुरा हाल है। किसकी जिम्मेदारी है लोग आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो रहे हैं मंहगाई के कारण लोग अपना और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं और आत्म हत्या करने के लिये मजबूर हैं। नौकरी न मिलने के कारण, पेट न

भरने के कारण, घर में चूल्हा न जलने के कारण, बच्चों को शिक्षा न दे पाने के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे के पूरे परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे यहां कानपुर में परिवार के परिवार ने आत्महत्या की मुखिया कहता है कि हमारे बाद बच्चों और पत्नी का पेट कौन भरेगा। यह दर्दनाक है अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी, चिन्ता नहीं करेगी तो सारा का सारा कायदा-कानून यहीं पर रखा रह जायेगा जनता हमसे पूछेगी।

[इस समय 3 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह) पीठासीन हुए]

यह केन्द्र की जिम्मेदारी है, यह केन्द्र में बैठी हुई सरकार जाने। प्रदेश में बैठी हुई सरकार यहां पर बैठी हुई है। हम सरकार में हैं या नहीं हैं, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि हैं। चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते से जनता हमसे भी सवाल करती है कि आप बतायें महंगाई क्यों है ? हम उनको नहीं कह सकते कि आपको गैस सिलेण्डर नहीं मिल रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम उनको नहीं कह सकते कि महात्मा गांधी जिन्होंने दांडी आन्दोलन किया था नमक के ऊपर टैक्स लगाने के लिये उस गांधी को मानने वाली केन्द्र में बैठी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। नमक के ऊपर भी टैक्स मान्यवर, चले गये। उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आपस में मेलजोल है सबका। यह भी मान्यवर, इस समय हमारी बैठी हुई प्रदेश की सरकार जिस समय केन्द्र में, संसद में महंगाई पर चर्चा होती है तो कह देते हैं कि हम वॉक आउट करते हैं हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार बढ़िया से चलती रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जनता के बीच में जाकर जरूर बतायें कि महंगाई क्यों है लेकिन सरकार को समर्थन जारी रखेंगे। सरकार को इनका भी समर्थन जारी रहता है और इनका भी जारी रहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस आधार के ऊपर आप सरकार को समर्थन देते हैं अगर वह आधार महंगाई नहीं हो सकती है, अगर आम आदमी की जरूरत वह आधार नहीं हो सकती, अगर गरीब आदमी के पेट की आग उसका आधार नहीं हो सकती तो किस बात का आप आधार लेते हैं। मान्यवर, इस बात की चिन्ता आपको करनी चाहिये। मैं समझ रहा हूं। मैं केवल दो बातें कहकर कि प्रदेश सरकार को जो इनके शेयर के टैक्सेस हैं अब मैं नहीं कहना चाहता कि इनके कौन-कौन से टैक्सेस हैं लेकिन उन पर इनको पुनर्विचार करना चाहिये। उनको कुछ कम करिये, उनको सब्सिडी दीजिये। आप जो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, वह कुछ गरीब आदमी को बांट दीजिये।

मान्यवर, आदरणीय अम्बेडकर जी, जो इस समय ऊपर बैठे होंगे उनको आज यह देखकर तकलीफ हो रही होगी कि जिस गरीब आदमी की छत की उन्होंने चिन्ता करी थी, जिस गरीब आदमी की रोटी की उन्होंने चिन्ता करी थी, जिस गरीब आदमी के उत्थान की चिन्ता उन्होंने करी थी, जबकि इस गरीब आदमी को पानी देने की चिन्ता उन्होंने करी थी उसकी चिन्ता न करके बड़े-बड़े महल खड़े कर रहे हैं मान्यवर, उससे गरीब आदमी का पेट भरने वाला नहीं है। आप उनके ऊपर टैक्स की कमी करें। जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही करें। आज सबेरे यहां पर बहुत सारे प्रकरण आये कि इतने हजार छापे मारे गये। सभी हजारों में आये, 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार छापे मारे गये। छापे मारे गये इतने और 100 लोगों के खिलाफ ही एफ0आई0आर0 हुई और 12 लोगों को गिरफ्तार किया। 50 हजार छापे मारे 500 के खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई और 15 लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया वह भी हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। मान्यवर, आपको सख्ती करनी पड़ेगी। ऐसे जमाखोरों के खिलाफ किसी भी प्रकार के कानून की

आवश्यकता नहीं है। उनको दण्ड मिलना चाहिये। अगर उनको दण्ड मिलेगा तो आम बस्तुएं आम आदमी तक पहुंचेंगी और महंगाई पर नियंत्रण लग सकेगा।

मान्यवर, यह तात्कालिक विषय है, महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा है उसके पेट की आग तेज है। इसलिये मान्यवर, यह तात्कालिक विषय है, लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्य रुचि रखते हैं, उसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिये, इस पर चर्चा की मांग करता हूं। मान्यवर, आजकल एक गाना भी चल रहा है कि सैंया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाय जात है।

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय खन्ना साहब तो चले गये। बहुत गम्भीर विषय उठाया था। महाना साहब हैं। डीजल के बारे में खन्ना साहब बहुत परेशान हैं तो मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से सम्पूर्ण सदन को बता देना चाहता हूं कि अप्रैल, 2000 से 2004 तक जब सेल्स टैक्स ऐक्ट था प्रदेश में तब डीजल पर 20 परसेंट टैक्स था और पेट्रोल पर 20 परसेंट टैक्स था। 2004 में यह 21 परसेंट हुआ। 2004 से लेकर 2007 तक यह 21 परसेंट रहा पेट्रोल पर 25 प्रतिशत रहा। जब वैट लगा जनवरी, 2008 में तो डीजल पर 21 परसेंट था। जून, 2008 में यह घटकर 16.16 प्रतिशत हो गया। जनवरी, 2009 में यह 17.23 परसेंट डीजल पर है। एल0पी0जी0 पर कोई टैक्स नहीं है। आटा पर कोई टैक्स नहीं है। जो कारण हैं, माननीय सदस्य आ गये हैं मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारी केन्द्र सरकार की नीतियां हैं वह नीतियां आज प्रदेश में महंगाई बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। अगर वह वहां बैठकर गैस सिलेण्डर का दाम 300 से 400 रुपये कर देते हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम 400 रुपये में बेंचे। मान्यवर, जहां तक प्रदेश सरकार का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि पेट्रोल अगर आप आन्ध्र प्रदेश में देखेंगे तो वहां 35 परसेंट टैक्स है। तमिलनाडु में 30 परसेंट टैक्स है, केरल में 29 परसेंट टैक्स है यह मैं पेट्रोल बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में 28.75 परसेंट टैक्स है राजस्थान में 28 परसेंट है पंजाब में 27.50 परसेंट टैक्स है। (शोर) (दिल्ली, हरियाणा का बतायें की आवाजें) दिल्ली और हरियाणा में क्यों कम है यह आप लोगों को मालूम है वहां जिन करणों से कम है आप लोगों को मालूम है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि वैट लगाने के बाद भी हमें अन्य राज्यों से भी इस प्रथा में बने रहना पड़ता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

पड़ोसी राज्यों का बतायेंगे तो ज्यादा मुनासिब है। हरियाणा दिल्ली का बता दें। बिहार का भी बता सकते हैं।

श्री नकुल दुबे-

बड़ी दिक्कत है जब उधर के माननीय सदस्य बोलते हैं तो हम लोग बड़े चैन से सुनते हैं कि ठीक है जब हमारी बारी आयेगी तो हम बोलेंगे। लेकिन जब हम बोलते हैं तो चारों तरफ से हमला हो जाता है। मान्यवर, मैं कहना यह चाहता हूं कि जो भी महंगाई इस प्रदेश में है ... (शोर)। डीजल के बारे में बता चुके हैं खन्ना साहब चले गये थे हमारी कोई गल्ती नहीं है। जहां तक अन्य वस्तुओं का सवाल है मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ पर कोई टैक्स नहीं है।

गेहूं, धान, चावल पर चार परसेंट है आटा, मैदा, सूजी, बेसन पर कोई टैक्स नहीं है। इसलिये माननीय अधिष्ठाता महोदय यह नियम 56 में नहीं आता है इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने माननीय सदस्य श्री सतीश महाना जी को सुरेश कुमार खन्ना जी को सुना, मैंने माननीय मंत्री जी को सुना। यह नियम 56 में नहीं आता है मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

*श्री इकबाल महमूद-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं और विशेष तौर पर अध्यक्ष विधान सभा का, जिन्होंने कई दिन से प्रयास करने के बाद मेरे समुदाय यानि मुस्लिम समुदाय जो पिछले तीन साल से बेचारगी की जिन्दगी गुजार रहा है इस प्रदेश के अन्दर उसको सुनने का और इस सदन में हम मुसलमानों के लिये क्या हो रहा है यह बताने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अधिष्ठाता महोदय, 26-6-10 का वाक्या है, जनपद मुरादाबाद के बहजोई में रईस नाम का एक व्यक्ति जो लकड़ी का कारोबार करता था, उसके घर पर सुबह आठ बजे अमर सिंह नाम का एक व्यक्ति जो बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखता है वह आया और उससे यह कहा कि अपनी फलां जमीन जो कीमती है वह हमारे नाम कर दो। उसने कुछ हीला हवाली की तो उसके घर से ही अमर सिंह के साथ आये हुए 4-5 लोग रईस अहमद नाम के व्यक्ति को उठाकर ले गये। जिसका पता आज तक नहीं है। उसके परिवार के लोग थाने जाते हैं, थाने में जाकर उसका लड़का कहता है कि हमारे वालिद को उठाकर ले गये हैं, अमर सिंह तथा 4-5 और आदमी यह अनूसूचित जाति का व्यक्ति है जो बहजोई में रहता है। अधिष्ठाता महोदय, पुलिस ने उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की, गुमशुदगी की एफ0आई0आर0 दर्ज की। उसी दिन ही जब यह मामला एस0एस0पी0 और डी0आई0जी0 के पास पहुंचा तो उन्हें लगा कि मुसलमानों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने आदेश दिया कि अपहरण की रपट लिखी जाए, तब अपहरण की रपट लिखी गई। मगर आज तक रईस अहमद का कोई पता नहीं है। मान्यवर, रईस अहमद बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति था, उसके बेटे ने अपने क्षेत्र के विधायक से जाकर कहा कि विधायक जी, मेरे पिता जी का अपहरण हो गया है, आप कुछ कोशिश कीजिये और हमारे वालिद को पुलिस के द्वारा बरामद कराइये। मगर बेचारगी की हालत उनकी भी थी, उन्होंने यह कहा कि अमर सिंह नाम का यह व्यक्ति अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखता है, अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो बहन जी नाराज हो जायेगी, मेरा टिकट कट जायेगा। इसलिये मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आप किसी पर इस तरह से आरोप न लगायें।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।

(श्री अकीलुर्रहमान खां और श्री इकबाल महमूद के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अकीलुर्रहमान खां-

अधिष्ठाता महोदय, यह बिल्कुल मनगढंत बात है, यह उस क्षेत्र के विधायक भी नहीं हैं, उस क्षेत्र का विधायक मैं हूं। यह गलत कह रहे हैं, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री इकबाल महमूद-

उसका परिवार चीख रहा है, उसकी मां चीख रही है, उसकी औरत चीख रही है, उसके बच्चे चीख रहे हैं, शर्म आनी चाहिये कि जिससे वोट लेते हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसके परविार की आप हालत देखें। अधिष्ठाता महोदय, जिसकी लकड़ी की एक दुकान है, वह उसको चलाता था, उसको उठाकर ले गये। मान्यवर, लखनऊ में घुमाया जा रहा है, पुलिस पकड़ नहीं रही है, दबिश भी नहीं डाल रही है। अगर किसी और के साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है तो मुकदमा लिख लिया जाता है, उसकी सम्पत्ति की कुर्की कर ली जाती है, लेकिन इस सिलसिले में कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व का और कोई प्रश्न नहीं हो सकता। मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंत्री जी को निर्देश दें कि वह पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर रईस अहमद नाम के व्यक्ति को बरामद करायें। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है, मैं इस पर बल देता हूं।

* श्री अकीलुर्रहमान-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि संबंधित माननीय सदस्य जो अपनी बात आपके समक्ष रख रहे थे वह उस क्षेत्र के विधायक भी नहीं हैं। लेकिन कुछ दिनों से उनका वहां आना-जाना चल रहा है। चूंकि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं और इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे इंगित किया है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने पर सदन में व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप बैठ जायें, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री अकीलुर्रहमान खां-

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के विधायक को इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया है इसलिये मेरा स्पष्टीकरण आना जरूरी है और स्पष्टीकरण यह है कि उस दिन जब यह घटना हुई थी तो उस वक्त समाजवादी पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा था। उस क्षेत्र का विधायक मैं अकीलुर्रहमान के सिवा वहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वहां मुकदमा पंजीकृत कराया उसके परिवार के लोगों ने जिसको नामजद किया उसको नामजद कराया, डी0आई0जी0 और आई0जी0 से बात की गई, हमारे द्वारा उसकी पूरी मदद की गई। चूंकि माननीय विधायक समाजवादी पार्टी के हैं इसलिये मुसलमानों की बात पर सदन को गुमराह करने का काम किया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र से इनका संबंध ही नहीं है, यह सदन को गुमराह करके, तथ्यों को तोड़मरोड़कर पेश करके सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो तथ्य इन्होंने रखे हैं उन तथ्यों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, श्री इकबाल महमूद साहब ने किसी का नाम नहीं लिया और अगर किसी का नाम नहीं लिया तो दो कहावतें हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने किसी पर आक्षेप नहीं लगाया। माननीय अधिष्ठाता जी, अकेले वहां नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार और इसके लोगों का जो सलूक है वह पूरी तरह से प्रदेश के मुसलमानों की विरोधी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

बैठिये।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब जो जिक्र कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। चूंकि इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। मुसलमानों ने पहचान लिया है कि हमारा हितैषी बहुजन समाज पार्टी के अलावा और कोई नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्त रहें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनको यह पीड़ा सता रही है और इसके लिये यह तमाम हथकण्डे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी माफी मांगने का हथकण्डा, कभी इस तरह से असत्य बात को उठाने का हथकण्डा और मान्यवर, चौधरी साहब ने कहा कि नाम नहीं लिया है तो मान्यवर, अगर यह कहें कि अमुक क्षेत्र के विधायक या उस क्षेत्र का विधायक, तो मान्यवर, विधायक में कौन होगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

नाम नहीं लिया।

श्री लालजी वर्मा-

नाम लिया, शायद आपने सुना नहीं। तो मान्यवर, निश्चित रूप से इस तरह की बातें उठाकर अपना जनाधार बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको जनता समझ चुकी है। कानून के आधार पर कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो अगर वह कानून का उल्लंघन करके कानून को अपने हाथ में लेता है तो कानून के आधार पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने माननीय सदस्य श्री इकबाल महमूद को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। अतः इसे अग्राह्य किया जाता है।

(शोर के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, क्या सरकार अपहृत को बरामद करायेगी ? मेरा यह कहना है कि जो अपहृत है उसको बरामद कराईये। उसके बारे में सरकार एक शब्द नहीं कहना चाहती। मा0 अधिष्ठाता जी, मा0 मंत्री जी अपहरण करने वालों के साथ है, गरीब जिसका अपहरण हुआ

है यह उसके साथ है या अपहरण करने वालों के साथ हैं। ये जवाब दें हम नहीं समझ पाये इनकी बात।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी ने कहा तो कि कानून अपना कार्य करेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

अधिष्ठाता जी, मंत्री अपहरणकर्ताओं के साथ है और उनको संरक्षण देना चाहते हैं यह अपहृत की मदद करना चाहते हैं, यह बता दें।

श्री अधिष्ठाता-

इन्होंने कहा कि कानून अपना कार्य करेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम-56 की ग्राह्यता पर बात हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है और ग्राह्यता पर केवल दो सूचनाओं को सुनने का नियमों में प्राविधान है। मान्यवर, आपकी कृपा दृष्टि है कि सभी को आप सुन रहे हैं। मान्यवर, आपके सामने मैं इस बात का तथ्य रख रहा हूं कि यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है। जहां तक मान्यवर, सवाल है कि कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून के अनुसार जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमारा सवाल यह नहीं है। हमारा प्रश्न है कि यह नियम-56 में नहीं आता है खारिज, कार्य-स्थगन बिल्कुल रद्दी, कूड़े में। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार अपहरणकर्ताओं की मदद करना चाहती है या अपहृत को बरामद कराना चाहती है। यदि यह भी गलत सवाल है तो इसको भी वापस कर लेते हैं। मान्यवर, हमारा यह पूछना है कि सरकार अपहरणकर्ताओं की मदद करना चाहती हैं या अपहृत को बरामद कराना चाहती है। बता दीजिये, इसमें क्या दिक्कत है। यह बहुत जटिल सवाल नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अपहरणकर्ताओं को संरक्षण ये लोग दिया करते थे।

श्री अम्बिका चौधरी-

संरक्षण तो आप देते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कभी भी, किसी अपहरणकर्ता को संरक्षण देने का सवाल नहीं उठता। मान्यवर, हमने देखा था कि इसी विधान सभा में एक मा0 विधायक भी अपहृत हो गये थे और कुछ लोगों ने उठाया था। कहीं उसी तरह का न हो मान्यवर, जैसे एक मा0 विधायक अपहृत हुए थे।

श्री अम्बिका चौधरी-

अधिष्ठाता जी, इतने गंभीर मामले पर जो सरकार का दृष्टिकोण है, वह इतना अफसोस जनक है कि बजाय यह कहने के, कि हम पीड़ित को मदद करेंगे, ये दुनिया भर का लम्बा भाषण दे रहे हैं। लेकिन अगर एक वाक्य भी इस सरकार के पास उस गरीब परिवार की मदद करने का नहीं है और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम चलाना चाहते हैं तो इसमें बड़ी शर्मिंदगी की बात इस

सरकार के लिये और कुछ नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में मान्यवर, हम और हमारा दल सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् श्री अम्बिका चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बाहर चले गये)

श्री अकीलुर्रहमान खां-

ये लोग पीड़ित की मदद नहीं करना चाहते हैं बल्कि इसका इश्यू बनाकर इसका लाभ उठाना चाहते हैं। अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, ये उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जिस तरह समाजवादी पार्टी चेक भुनाया करती है, ये चेक भुनाना चाहती है हमदर्दी से। चूंकि उसकी मदद वहां के प्रशासन ने की, वहां के विधायक ने की और ये लोग उस समय वहां कोई नहीं आये, अब वहां पर पैठ बनाने के लिये सदन में गलत तथ्यों को उठाकर गुमराह करने का काम करना चाहते हैं और इसीलिये इन्होंने इस सदन से बहिष्कार किया है। मैं इतना ही कहना चाहता था, धन्यवाद।

*श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें इस लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जो कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। मेरा प्रश्न भी उसी से सन्दर्भित है।

दिनांक 23-5-10 को पत्तू नाम के एक व्यक्ति ने एक दुकानदार से जबरन वसूली करनी चाही और जब उसने पैसा नहीं दिया तो उसे गोली मार दी। वे तीनों भाई घायल हो गये और घायल होने के बाद उस अपराधी के विरुद्ध जब इंसपेक्टर ने कार्यवाही करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की तो उसको वहां के एक नामी अपराधी राजीव शुक्ला ने धमकी दी और उसे छुड़ाने का प्रयास किया, जब वह छुड़ाने के प्रयास में असफल हो गये तो उन्होंने इन्सपेक्टर को सी0यू0जी0 मोबाइल पर धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हारा 3 घण्टे के अन्दर स्थानान्तरण करा दूंगा और सुबह जब हुई तो इंसपेक्टर का स्थानान्तरण हो चुका था। इसी परिप्रेक्ष्य में मान्यवर, हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक श्री डी0सी0 मिश्रा ने पत्र अपर महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) को लिखा वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

कृपया अवगत कराना है कि थाना कोतवाली हमीरपुर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त श्री सुबेदार सिंह का स्थानान्तरण अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 के पत्र संख्या-डीजी-चार-101(970)/2007 दिनांक 18 जून, 2010 के द्वारा जनहित में हमीरपुर से झांसी परिक्षेत्र में किया गया है।

उपरोक्त स्थानान्तरण की पृष्ठभूमि के संबंध में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 23-05-10 को मु0 रमेड़ी, कस्बा व थाना हमीरपुर के एक अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति योगेश उर्फ पुत्तू पाण्डेय पुत्र बालकराम पाण्डेय, नि0मु0 रमेड़ी तरौस थाना कोतवाली जनपद हमीरपुर जिसके विरुद्ध 4-5 आपराधिक मामले दर्ज है को दिनांक 23-05-2010 को समय 8.30 बजे शाम योगेश उर्फ पुत्तू द्वारा जान से मारने की नीयत से अपने पड़ोसी राजेश साहू एवं उसके भाई छंगा व राजेश पुत्र पुतान साहू, निवासी रमेड़ी तरौस को नाजायज शस्त्र से कई फायर किये किन्तु फायरिंग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से यह तीनों भाई भाग्यवश बच गये। गोलियां उनके मकान की दीवार और दुकान के काउण्टर में लगी। इस घटना को लेकर हमीरपुर कस्बे में सनसनी फैल गई। इस घटना के संबंध में थाना कोतवाली मु0अ0सं0 1364/10, धारा 307/323/504 के भारतीय दण्ड विधान के विरुद्ध योगेश उर्फ पुत्तू पाण्डेय पुत्र बालकराम पाण्डेय, अंकुर पाण्डेय पुत्र रमेश कुमार निवासीगण मुहल्ला रमेड़ी, कस्बा व थाना हमीरपुर पंजीकृत किया गया। इस घटना के संबंध में मेरे द्वारा तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हमीरपुर श्री सुबेदार सिंह को अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। उपरोक्त प्रकरण की छानबीन से पता चला कि अभियुक्त योगेश उर्फ पुत्तू पाण्डे, श्री राजीव शुक्ला पुत्र श्री भीष्म प्रसाद शुक्ला नि0 रमेड़ी तरौस थाना कोतवाली जो इनका पड़ोसी है के संरक्षण में रहता है और उनकी ही गाड़ी में चलता है। श्री राजीव शुक्ला को शासन द्वारा गनर प्रदत्त है और उनके जान माल की सुरक्षा हेतु स्थानीय थाना पुलिस भी सचेत रहती है। श्री राजीव शुक्ला बालू की ठेकेदारी का कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी वे योगेश उर्फ पुत्तू जैसे अपराधी को अपने साथ लेकर चलते है। इस पर मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली से आपत्ति प्रकट की गई तो ज्ञात हुआ कि श्री राजीव शुक्ला की संरक्षणता के कारण यह अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है।

श्री सूबेदार सिंह प्रभारी, निरीक्षक कोतवाली को कड़े निर्देश दिये गये कि योगेश उर्फ पुत्तू को तत्काल गिरफ्तार किया जाय। इसी बीच श्री राजीव शुक्ला ने जिलाधिकारी हमीरपुर से मिलकर उपरोक्त अभियुक्त योगेश उर्फ पुत्तू की पत्नी, श्रीमती अर्चना पाण्डेय द्वारा अभियोग संख्या 1519/10 धारा 452/323/504/506 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत विनोद साहू पुत्र पुतान साहू, छंगा साहू पुत्र पुतान साहू, राजेश उर्फ बाराती लाल पुत्र पुतान साहू, राकेश साहू पुत्र पुतान साहू निवासीगण मु0 रमेड़ी थाना कोतवाली हमीरपुर दिनांक 15-06-10 को झूठा अभियोग पंजीकृत करा दिया गया था। इस फर्जी केस की जानकारी से मीडिया द्वारा जब मुझे अवगत कराया गया तो इसको स्पंज कर दिया गया। योगेश उर्फ पुत्तू पाण्डेय की पत्नी का मनोबल टूट गया। कल दिनांक 18-6-10 को मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री सूबेदार सिंह को निर्देश दिये गये। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, हमीरपुर द्वारा अभियुक्त योगेश उर्फ पुत्तू को दिनांक 18-6-2010 को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त योगेश कुमार उर्फ पुत्तू की गिरफ्तारी को लेकर बालू व्यवसायी श्री राजीव शुक्ला द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हमीरपुर को प्रभाव दिखाकर अभियुक्त को छुड़वाने का प्रयास किया गया किन्तु इस कार्य में सफलता न मिलने पर श्री राजीव शुक्ला द्वारा श्री सूबेदार सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के सी0यू0जी0 मोबाइल पर देख लेने एवं स्थानान्तरण कराने की धमकी दी गई।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में विनम्र अनुरोध है कि कृपया हस्तक्षेप कर निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री सुबेदार सिंह के स्थानान्तरण को निरस्त कराने की कृपा करें। अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के फलस्वरूप इस प्रकार स्थानान्तरण होने से जहां एक ओर पुलिस विभाग के कर्मठ पुलिस कर्मियों का मनोबल गिरेगा, वहीं दूसरी ओर अपराधियों एवं उनको संरक्षण देने वाले व्यक्तियों का मनोबल ऊंचा होगा। यह लिखा गया डी0सी0 मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर और इसी को जी0डी0 में भी इंसपेक्टर ने दर्ज किया, उसी शाम को 18 तारीख को ही। अब मान्यवर, मैं केवल इतना आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक इतने बड़े

अपराधी को आपका गनर मिला है जो खुद एक गैंग चला रहा है। खुद पुलिस अधीक्षक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और पूरा पुलिस प्रशासन हमीरपुर का पुलिस अधीक्षक सहित असहाय है और उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस गैंग के भी विरुद्ध और इस राजीव शुक्ला के विरुद्ध तत्काल कड़ी से कड़ी कार्यवाही सरकार करे। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। इसके बाद सारे ध्यानाकर्षण के हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं दिखवा लूंगा जो सही होगा उसी के अनुसार उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने माननीय अशोक सिंह चन्देल जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसे मैं अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना अब यह सभी ध्यानाकर्षण के लिये हैं, सब अपनी बातों को कहेंगे, लेकिन सदन में सरकार का ध्यान आकर्षण किया जायेगा यह निश्चित माननीय अध्यक्ष जी कर गये हैं।

(श्री शाहिद मंजूर का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक अनुरोध है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक चीज ध्यान में रखिये, मान्यवर, एक निवेदन आपसे है मान्यवर, एक व्यक्ति एक ही सूचना पर बोल सकता है, जिन माननीय सदस्यों ने किसी दूसरी सूचना पर अपनी बात रख ली हो, ऐसे सदस्यों को मान्यवर, नियमानुसार बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मान्यवर, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैं सिर्फ आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं कि मैं तीन दिन से लगातार नियम-56 में एक विशेष विषय पर आपको सूचना दे रहा हूं, मुझे कुछ बोलना नहीं है केवल मेरी नोटिस का ध्यान आकर्षण आप करवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, करा देंगे, अगर नियम-56 में है तो इस पर ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आ गया हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आप इनके बाद में बोल लीजियेगा अब मैंने पुकार लिया है अगली मद आ गई है।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं आपका और अपनी बात बिल्कुल संक्षेप में रखूंगा यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह एक नौजवान किशोर की पीड़ा है और ऐसी पीड़ा है कि पूरा सदन भी इसका संज्ञान लेने का काम करेगा। ये राम किशोर नाम का एक युवक है जनपद हरदोई के ग्राम अतरौली का और एम0बी0बी0एस0 का छात्र है नौजवान छात्र है यह

एस0सी0 छात्र है, जाति का चमार है। यह लखनऊ से अपनी बीबी को लेकर दिनांक 19-2-2002 को ससुराल से लखनऊ से अपनी पत्नी को लेकर कानपुर जा रहा था जहां से यह एम0एस0 पढ़ने का काम कर रहा है। नौजवान है, डाक्टर की पढ़ाई करना चाह रहा है, रास्ते में इसकी गाड़ी को रोककर तीन नौजवान मोटर साइकिल से इसको लूटने का काम करते हैं और जब यह लूटने का विरोध करता है तो वह तीनों बदमाश इसको साथ में खेत में जंगल में ले जाने का काम करते हैं और 50-60 हजार रुपये का इसका सामान लूट लिया जाता है जेवर, विरोध करने पर वह तीनों युवक उस नौजवान राम किशोर के सामने उसकी पत्नी के साथ बारी-बारी बलात्कार करने का काम करते हैं उसकी पत्नी पांच माह की गर्भवती थी, जिसका वहां पर गर्भ गिरने का भी काम हो गया। इतना ही नहीं मान्यवर, कानपुर मेडिकल डाक्टरी में मेडिकल डाक्टरों में साइंस के आधार पर यह कह दिया कि वह भविष्य में अब कभी शायद मां नहीं बन पायेगी, उसकी पत्नी के लिये। जब यह अपना मुकदमा पंजीकृत कराने के लिये जाता है वहां से, वहीं के आस-पास के दो आदमी उसको साथ में लेकर जाते हैं जिसको यह जानता नहीं, इसके क्षेत्र की घटना नहीं है यहां का यह रहने वाला नहीं है। इसका मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत नहीं होता। उन गवाहों को जो दो लोग इसके साथ में गवाह के रूप में थे, उसको बन्द करने का काम कोतवाल कर देता है। इसके बाद तमाम अधिकारियों से बात करने के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया।

मान्यवर, लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में यह रिट लगाने का काम करता है युवक कि मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया और मेरे साथ ऐसी-ऐसी घटना घटित हुई है, जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को, इसका मुकदमा कायम हो गया। मान्यवर, इसी सिलसिले में लखनऊ में अपनी पैरवी करने के लिये दिनांक 02-7-2010 को मान्यवर, लखनऊ हाईकोर्ट में आकर तीनों उन्हीं युवकों ने इसको पकड़ लिया हाईकोर्ट के गेट पर कि आज वह अपनी हाईकोर्ट से रिट वापस ले लो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। मान्यवर, पुलिस वाले जो गेट पर थे, उनसे अपनी पीड़ा इसने बताई और उसके बाद हाईकोर्ट में अपने वकील को बताई और वकील ने इससे कहा कि तुम आज अपने घर मत जाओ और मेरे पास मेरे घर में ही रुक जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ कोई घटना घट जायेगी। मान्यवर, शाम को जब वह युवक लखनऊ से कानपुर जा रहा था तो उस पर गोली चलाने का काम किया गया। पहली गोली उसके सीने पर लगी दूसरी गोली उसके हाथ पर लगी और तीसरी गोली उसके कूल्हे पर लगी। वह किस्मत से बच गया। मान्यवर, जहां पर बलात्कार की घटना हुई थी वहां पर एक ड्राइविंग लाइसेंस और पेन कार्ड मिला है जिससे वह आइडेन्टीफाइड हो गये हैं कि किसका है। वह अभियुक्त आइडेंटीफाइड हो गये हैं। वह दोनों पति पत्नी किसी के माध्यम से मेरे लखनऊ आवास पर आये थे और पूरी घटना बताई। उन्होंने यह भी कहा कि जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसके बाद उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि हम दोनों पति पत्नी आत्महत्या कर लें। मान्यवर, आज बदमाश आईडेन्टीफाइड हो गये हैं लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मान्यवर, वह युवक कोई आपराधिक किस्म का व्यक्ति नहीं है न ही उस पर कोई मुकदमा है। वह एम0बी0बी0एस0 कर चुका है और एम0एस0 कर रहा है। वह दर-दर की ठोकरें खा रहा है न्याय पाने के लिये।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि कोतवाली मलिहाबाद के सी0ओ0 ने तीन लड़कों को बुलाने का काम किया और इस युवक को यह बताया कि यह 60 हजार रु0 है इन्होंने सामान

बेचने का काम किया है। यह पैसे ले लो और सुलह कर लो। उसने पैसे वापस नहीं लिये। मान्यवर, इस तरह से पुलिस उन अपराधियों को बचाने का काम कर रही है और उस कार्यवाही में मदद कर रही है। मान्यवर, इस पर आप कार्यवाही करवा दें। नहीं तो मान्यवर, जब यह दुबारा से प्रकरण विधान सभा में आयेगा तो उनकी आत्महत्या करने की बात उठेगी। मान्यवर, वह होनहार युवक है सर्जन बनेगा। उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। एस0पी0 क्राइम ने शपथ-पत्र बयान भेजा है कि इन व्यक्तियों को फंसाने के लिये यह कार्यवाही कर रहा है। मान्यवर, उसे तीन गोलियां लगी हैं। दो गोली रिवाल्वर से और एक गोली राइफल से लगी है। यह मेडिकल रिपोर्ट में है। वह किस्मत से बच गया है। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि आप इस पर कार्यवाही करवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

सरकार इसको दिखवा ले।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, सरकार को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिये। यह गम्भीर मामला है। इसमें केवल ध्यान आकृष्ट करने से काम नहीं चलेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, चूंकि माननीय सदस्य इसमें प्रत्यक्षदर्शी हैं और उनके सामने आकर दोनों व्यक्तियों ने पूरी बात कही है। दो-दो बार उस पर आक्रमण हुआ है। पुलिस की कार्यवाही के बारे में इन्होंने बताया। पुलिस प्रत्यक्ष रूप से उनको बचाने का काम कर रही है। पुलिस ने उसको पैसा वापस दिलाने का काम किया लेकिन उसे नहीं लिया। इसमें केवल ध्यान आकृष्ट करने से बात नहीं बनेगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कल सदन को सूचित करने का कष्ट करें कि इसमें क्या कार्यवाही की गई। इससे सरकार की साख ही बढ़ेगी। इस पर कार्यवाही न होने से सरकार के प्रति अविश्वास ही बढ़ेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खुद ही स्वीकार कर लें कि कल सदन को सूचित कर देंगे कि इस घटना में क्या हुआ। यह मेरा संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम इसे दिखवा लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें कड़ी कार्यवाही करा दें। मैं इस सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं।

*श्री शाहिद मंजूर-

मान्यवर, वैसे तो इस सरकार ने बहुजन दुखाय स्वयं सुखाय का सिद्धान्त अपना रखा है। गरीबों के हित की बात करना उनके न्याय के लिये लड़ना वैसे ही है जैसे अंधे के आगे रोना, अपने नयन खोना। मान्यवर, चाहे कल विषय आया था या आज आया सरकार की ओर से बराबर यही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों की जमीन खिसक गई है। यह वोटों को इकट्ठा करने के लिये ऐसी बातें कह रहे हैं। इनका मामला खराब हो गया है, बादल फट गये हैं, वोट खत्म हो गये हैं, वोटों को इकट्ठा करने के लिये अब यह अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं इसके अलावा और कोई मसला है नहीं। वर्तमान परिस्थितियों में बात करना तो है बेकार लेकिन यह विधान सभा है इसमें अपनी बात कहने के लिये जनता ने हम लोगों को चुना है इसलिये विधान सभा में अपनी बात रखता हूं। मान्यवर, 6-8-2010 का वाक्या है 2 बच्चे हमारे क्षेत्र में एक गांव है फतेहपुर नरायन मजदूरी करने के लिये जाते हैं। साढ़े 9 बजे के करीब एक दीवार खिसकती है और वह दोनों के दोनों बच्चे उस मिट्टी में दब के मर जाते हैं। घण्टे दो घण्टे गांव के लोग प्रयास करते हैं। ढ़ाई तीन घण्टे चार घण्टे के बाद में वहां पर एस0डी0एम0 पहुंचते है, सी0ओ0 पहुंचते हं। लाश निकाली जाती है कई घण्टे के बाद वह लाश सौंप दी जाती है पुलिस वालों को पोस्टमार्टम के लिये इस आश्वासन के बाद कि इन गरीब परिवारों को भरपूर आर्थिक सहायता दी जायेगी। तत्काल 20 हजार रुपये इनको दिलवाने की बात होती है और माननीय मुख्य मंत्री की सहायता कोष से उनको कुछ दिलवाने का आश्वासन दिया जाता है। बरसात का महीना है न घर पर उनके छत है मजदूरी करके पेट का पालन पोषण करते थे। एक की उम्र 19 साल है एक की 20 साल है एक तो ग्यारहवीं का ही छात्र था उस हालत में वह मजदूरी करने के लिये गया था। बार-बार वहां पर लोगों में यह चर्चा बनी हुई है कि जब आश्वासन दिया है डी0एम0 के यहां से रिकमेन्डेशन हो करके गई है तो शायद इन गरीबों की कुछ आर्थिक मदद हो जाय। ऐसा लगता नहीं कि सरकार उसमें तत्काल कुछ करने जा रही है। आपके माध्यम से यह जरूर चाहूंगा जहां जहां यह दुर्घटना हो रही है सरकार एक मापदण्ड अपनाये। कहीं पर दो लाख दिये जाते हैं कहीं पर तत्काल 4 लाख रुपये दिये जाते हैं और वहीं पर जहां ये गरीब लोग चाहें वह अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों उन लोगों की आर्थिक सहायता उतनी नहीं की जाती जितनी दूसरे वर्ग के लोगों की की जाती है। मेरा आग्रह और यह निवेदन है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे और ऐसे मरने वालों को तत्काल सम्भव जो भी सहायता हो मुख्य मंत्री कोष से तत्काल दिलाने की व्यवस्था करे।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

*श्री मदन चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नियम-56 के इस महत्वपूर्ण विषय पर जिसमें जहरीली शराब से काफी लोग हमारे प्रदेश में मर रहे हैं इस पर बोलने का मौका दिया गया मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आबकारी विभाग वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और बहुत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ा राजस्व आता है और इस राजस्व के लालच में इतना जरूर है कि आबकारी विभाग जितनी अनधिकृत दुकानें चल रही है और तो और परचून की दुकानों पर भी पौवे मिल रहे हैं आज कल और उस पौवे मिलने में जब इतनी महंगी शराब हो गई और गरीब आदमी पीना चाहता है क्योंकि शराबी बहुत हो गये अब शराब जब पीना चाहता है तो सस्ती शराब के लालच में कभी-कभी नकली बोतल खरीद देता है, नकली पौवे खरीद लेता है या तस्करी में लाई हुई शराब खरीद लेता है। उसी तरह का प्रकरण एक बार वाराणसी में 23 लोगों की मृत्यु हुई और उसी तरह का प्रकरण मेरे क्षेत्र में लगभग 27 लोगों की मृत्यु हुई होली के दौरान क्योंकि शराब का ज्यादा जोर रहता है और गांव-गांव में जहां पर लगता है आबकारी विभाग को और ठेकेदारों को कि यहां पर ज्यादा चलेगी दुकान चाहे वह स्कूल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो कुछ भी हो वहां दुकान खुल जाती है। कभी कभी हम विरोध करते हैं तो वह कुछ दिन के बाद उस दुकान का अथराइजेशन ले आता है। तो इस तरह से कोई रोकटोक नियंत्रण नहीं है। पुलिस विभाग को भी फुरसत नहीं है। इसी तरह का प्रकरण होली के दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर विधान सभा में हुआ। जिसमें कनौरपुर गांव, नानपुर गांव, गांव ढाना, गांव देवली, गांव भगवानपुर, गांव डिबाई, गांव शरीफपुर, गांव लिसड़ी इन गांवों में वह जहरीली शराब जो नकली बनी थी या किस प्रकार की बनी थी बढ़िया ढंग से बांटी गई और इनमें 26 लोगों की मृत्यु हो गई। उन लोगों की इस तरह से तड़प-तड़प कर मृत्यु हुई कि कहीं से भी उनको मजबूती से सहायता नहीं मिली। आज उसी प्रकरण को इस विधान सभा के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, इसी तरह से फतेहाबाद में तीन लोगों की मृत्यु हुई और यह प्रकरण इतनी तेजी से चल रहा है अगर इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया तो इसके और गम्भीर परिणाम होंगे। और इसका असर उस गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों पर ही पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से ठेकों पर शराब बिक नहीं है उसमें प्रिंट होता है अगर 20 रुपये तो वह बोतल 30 रुपये की बिकती है। उसको कोई कम नहीं कर पा रहा। कई बार हमने एस0डी0एम0 महोदय, डी0एम0 महोदय ओर पुलिस से भी कहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम तो सर्वविदित होगा। यह प्रकरण इतना महत्वपूर्ण है और जितने लोग इसमें मारे गये उनके संबंध में मेरा आपकी पीठ से अनुरोध है कि इसमें 5-5 लाख रुपये उनके परिजनों को दिया जाय और आबकारी विभाग के जो लोग इस पर निगरानी रखते हैं, कि नकली शराब न बने, तस्करी की न आये, नकली शराब न बेची जाय, कम से कम इस प्रकरण में उन अधिकारियों को हटा दें कोई इंस्पेक्टर है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, उन लोगों को हटा दिया जाय ताकि वहां की जनता को लगे कि हमारे साथ कुछ न्याय हो रहा है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपया सहायता राशि के रूप में दे दिया जाय। मैं इस नियम-56 की सूचना पर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश में बिजली की समस्या है। खासतौर पर मैं आजमगढ़ जिले की बात करना चाहता हूं। आजमगढ़ जिला एक मण्डल भी है, इसके बावजूद भी वहां शहर में बिजली नहीं मिल पाती। मुश्किल से 2-4 घण्टा बिजली आती है और इसके बाद

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कट जाती है। कोई इस बात का मानक नहीं है कि कितने घण्टे बिजली की कटौती हो रही है। हमारे आजमगढ़ शहर के अन्दर राजकीय पालीटेक्निक सब स्टेशन है और उससे कई मोहल्ले जुड़े हुए हैं। वहां दो-दो, तीन-तीन दिन तक बिजली नहीं रहती है। यदि दो-चार घण्टा आ भी गई तो उस समय कोई तार टूटकर गिर जाता है, कभी कोई केबिल टूटकर गिर जाता है। इसी तरह पूरे शहर के हालात हैं। मान्यवर, ऐसे ही पुरानी कोतवाली का सब-स्टेशन है, भंवरनाथ का है जो शहर से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ हमारा सोफीपुर सब-स्टेशन है, जहां पर महीनों से बिजली नहीं आ आ रही है। वहां पर बराबर कटौती होती है और इसका कोई अधिकारी अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय 18 से 20 घण्टे बिजली दी जाती थी। इसी तरह से मान्यवर, हमारा बनकट फीडर है। वहां भी कई दिनों तक बिजली गायब रहती है। इस समय किसान परेशान है। शहर के अन्दर यह हालात है कि रमजान का महीना आ गया और समय से बिजली नहीं मिलेगी तो पानी भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार पानी की समस्यायें होगी, इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता था वह है नहीं कहीं चले गये। लेकिन यह बहुत गम्भीर विषय है, मेरी मांग है कि कम से कम 20 घण्टे शहर के अन्दर बिजली दी जाय और जो राजकीय पालीटेक्निक सब-स्टेशन है वहां बिजली क्यों खराब हो जाती है, उसको ठीक कराया जाय और शहर के जो सब स्टेशन खराब पड़े हैं उनको ठीक कराया जाय। जो ट्रान्सफार्मर खराब हो जाता है वह दो-दो, तीन-तीन दिन तक बदला नहीं जाता है। इस सरकार के अधिकारी लापरवाह हो गये हैं। लखनऊ से ले करके बाहर के जिलों तक के अधिकारी अपने मन से काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में सोफीपुर सब-स्टेशन में महीनों से बिजली नहीं आ रही है। यह समझ में ही नहीं आता है कब वहां पर कटौती की जाती है और कब बिजली आती है। इसलिये मान्यवर, इस पर गम्भीरता से विचार करें और सदर क्षेत्र में चाहे राजकीय पॉलीटेक्निक सब-स्टेशन हो, भवरनाथ सब-स्टेशन हो, सोफीपुर सब-स्टेशन हो, बनकट सब-स्टेशन और जितने भी सब-स्टेशन है उन पर तत्काल जितनी बिजली देने का आपका नियम हो उतनी बिजली दी जाये। इस समय सूखा पड़ा हुआ है, नहरों में पानी नहीं है, इसलिये बिजली की बहुत आवश्यकता है। इसलिये मेरे आजमगढ़ जिले में शहरी क्षेत्र में 20 घण्टे बिजली और ग्रामीण क्षेत्र में 14 घण्टे बिजली दी जाय।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों से बार-बार वार्ता करने के बाद भी समझौता करने के बाद भी प्रदेश सरकार उन समझौतों को लागू नहीं कर रही है इसी कारण से आज उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के लोग बैठक कर रहे हैं और वह एक लम्बी हड़ताल पर जाना चाह रहे हैं। मान्यवर, हम सब लोग जानते हैं कि 19 जनवरी, 2010 को इसी लखनऊ में कर्मचारियों और शिक्षकों पर बेतहाशा लाठी चलाई गई थी, वाटर कैनन के गोले छोड़े गये थे और उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। उसके बाद हड़ताल हुई और 23 जनवरी को कर्मचारियों और यहां के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ता हुई थी जिसमें श्री विजय शंकर पाण्डेय, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी, श्री डी0पी0 मिश्रा और एस0पी0 तिवारी थे। इन लोगों ने बैठ

करके बातचीत की और एक समझौता किया। फिर उसके बाद 25 जनवरी को एक वार्ता हुई जिसमें काफी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। श्री वी0के0 शर्मा, मुख्य सचिव, श्री विजय शंकर पाण्डेय एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी, श्री मंजीत सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त श्री प्रशान्त त्रिवेदी, मण्डलायुक्त लखनऊ और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों की ओर से श्री अजय सिंह, श्री वी0पी0 मिश्रा, श्री एस0पी0 तिवारी, श्री जे0एन0 तिवारी, श्री सतीश पाण्डेय, श्री अमरनाथ सिंह आदि कर्मचारी नेता उपस्थित थे। इन लोगों के बीच में एक समझौता हुआ कि पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में गठित वेतन समिति 1997-99/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों/व्यवस्था में दृष्टिगोचर विसंगतियों के राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति को संदर्भित 62 विशिष्ट प्रकरणों के सम्बन्ध में वेतन समिति, 2006 के आठवें प्रतिवेदन के माध्यम से दी गई संस्तुतियों पर विचार कर 20 फरवरी तक निर्णय ले लिया जायेगा। इसी तरह से विभिन्न विभागों में सामान्यतः एक ही जैसे संवर्ग पदनाम से स्वीकृत समान कोटि के पदों/संवर्गों के माध्यम से वेतन समिति की रिपोर्ट को भी 20 फरवरी तक लागू कर दिया जायेगा। इसी प्रकार से केन्द्र सरकार के जो ए0सी0पी0 के नियम हैं 8 साल 10 साल और 20 साल के आधार पर प्रोन्नति के मामले को भी 20 फरवरी तक पूरा कर लिया जायेगा। वर्कचार्ज एवं संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण एवं नियमित नियुक्ति प्रदान करने हेतु विभागों में अधिसंख्य पद सृजित कराने की मांग के संबंध में विचार कर यथोचित निर्णय 15 मार्च तक ले लिया जायेगा। इस प्रकार से लगभग आठ बिन्दुओं पर समझौता हुआ था और यह समझौता हुए लगभग 6 महीना हो गया है लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों/शिक्षकों में भारी असंतोष है। वह लोग लामबंद हो रहे हैं। इसी प्रकार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् एवं राज्य कर्मचारी शिक्षक समन्वय मोर्चा ने भी 7 सितम्बर को हड़ताल की घोषणा की। मान्यवर, इसी प्रकार पूरे प्रदेश में शिक्षक और कर्मचारियों में असंतोष है। उनकी मांगों के प्रति सरकार की उपेक्षा हो रही है। इधर एक चीज नई हो रही है, पहले भी सरकारें थीं, कर्मचारियों से, मजदूरों से, शिक्षकों से जो भी वार्ता होती थी वह मंत्रि-स्तर पर होती थी। चाहे मुख्य मंत्री जी करें या मा0 मंत्रिगण करें लेकिन इधर एक नई परम्परा आ गई है कि अधिकारियों को लगा दिया जाता है। जो अधिकारी इन चीजों को लागू नहीं करने के लिये सारे तर्क देते हैं, वही लोग इन समझौता वार्ता में बैठते हैं और यह वार्ता समझौता लागू नहीं हो पाता। इसीलिये असंतोष रहता है और उसका प्रभाव सार्वजनिक जीवन के कामकाज में, सरकार के कामकाज में और अध्यापन में पड़ता है। इसलिये इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन को रोककर चर्चा कराई जाय और जो समझौता किया गया है उसको लागू कराये जाने की मैं मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने मा0 सदस्य को सुना, इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। अब मा0 सदस्य श्री श्यामदेव राय चौधरी जी अपनी बात रखें।

श्री लालजी वर्मा

मान्यवर, 6 विधेयक हैं उन्हें विधान परिषद् को भेजा जाना है क्योंकि कल वहां पर भी आखिरी दिन होगा। वहां पर 5.00 बजे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है, चूंकि इन विधेयकों को वहां भेजना है इसलिये मेरा आग्रह है कि जिन मा0 सदस्यों की सूचनायें रह गई हैं उनको इन

विधेयकों के पारित हो जाने के बाद सुन लीजियेगा। मैं मा0 सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसमें सहयोग कर दें।

(प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने आग्रह किया कि संक्षेप में दो-दो मिनट में सुन लिया जाये)

श्री अधिष्ठाता-

दो-दो मिनट में ध्यानाकर्षित करा देता हूं।

श्री जावेद अंसारी-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि दो-दो मिनट में सुन लिया जाए। आज रोजे का पहला दिन है और मैंने रोजा रखा हुआ है, मुझे रोजा खोलने जाना भी है इसलिए संक्षेप में पहले सुन लिया जाए नहीं तो दिक्कत होगी।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य संक्षेप में अपनी-अपनी बात रखें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इधर एक जुमला बहुत सुन रहा हूं कि ''लॉ इज टैक्स इन ओन कोर्स''। कानून अपना काम पूरा करेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कानून को अपना काम करना चाहिये, पूरी निष्पक्षता करनी चाहिये, पूरी दृढ़ता से करनी चाहिये और कर रहा हूं, यह जनता को दिखना भी चाहिये। मान्यवर, मैं जहां से चुन करके आता हूं वह एक आध्यात्मिक नगरी है, तीर्थ की नगरी है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। वहां जो आबादी है उसके अलावा भी फ्लोटिंग आबादी बहुत बड़ी संख्या में है जो तीर्थ के लिये, पर्यटन के लिये, उद्योग आदि-आदि कार्यों के लिये आती है। लेकिन वहां अगर कानून अपना कार्य करता होता तो यह बहुत छोटा सा बिन्दु है, शायद सरकार के लिये यह कुछ नहीं है। वहां एक-डेढ़ महीने के अन्दर दो दर्जन से अधिक बाइकर्स गैंग के द्वारा महिलाओं के गले से राह चलते हुए मार्निंग वाक करते हुए सिकड़ी छीन ली गई। मा0 अधिष्ठाता महोदय मैंने कोई संख्या देना इसलिये उचित नहीं समझा कि संख्या पर इस सरकार का विश्वास नहीं है। इनके पास रेडीमेड जवाब है कि सब ठीक है। तो ठीक है, तो ठीक है। लेकिन फिर भी किसी सदस्य ने कहा कि आखिर यहां चुन करके भेजे गये हैं, जनता की परेशानी उसकी पीड़ा को यहां रखना अपना धर्म है, दायित्व है। जिनके कंधों पर सत्ता की जिम्मेदारी है वह कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो इसकी जवाबदेही उन पर होगी। सैकड़ों की संख्या में छोटी-मोटी चोरियां हो रही हैं। बनारस जो महत्वपूर्ण नगर है उसको देखते हुए यहां अच्छे अधिकारी भेजे जाते हैं डी0एम0 और एस0एस0पी0 अच्छे भेजे जाते हैं लेकिन मुझे इतना कहना है कि उन सारे अच्छे अधिकारियों के रहने के बाद भी पुलिसिंग सिस्टम कहीं न कहीं फेल है जिसके कारण महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पा रही हैं इनकी इज्जत-आबरू सुरक्षित नहीं है उनकी चैन सुरक्षित नहीं है। लोगों के घर और दुकानें सुरक्षित नहीं हैं वह कथा सुनने जा रहे हैं कि इस बीच चोरी हो जाती है संक्षेप में मेरा सरकार से निवेदन है कि कानून अपना काम करे पूरी निष्पक्षता के साथ करें। चोरियां कम हों, अपहरण कम हों, डकैती कम हों सिगड़ी छीनने की घटनायें कम हों, बाइकर गैंग का प्रकोप कम हो।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(श्री जगदीश सोनकर का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री लालजी वर्मा-

अधिष्ठाता महोदय, मैंने नेता भाजपा से और पाण्डेय जी से आग्रह किया है कि पहले विधेयक ले लिये जायं बाद में चर्चा होती रहेगी।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

सदन दो दिन ज्यादा चला लीजिये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

पहले रोजा वालों को सुन लें उसके बाद स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

पहले मद संख्या-13 ले लेते हैं।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, मुझे केवल दो मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

*श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम-56 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र निघासन के थाना सिंगाई की ओर ले जाना चाहता हूं। यहां पर 7-4-10 की रात्रि में विजय कुमार जो कि एक सम्भ्रान्त व्यक्ति है उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं है लेकिन उनके घर में जबरदस्ती रात को 10 बजे एस0ओ0 सिंगाई घुस गये और उनके साथ मारपीट किया जब उन्होंने शोर मचाया तो गांव के अन्य लोग भी आ गये जब अन्य लोग आ गये तो पुलिस के लोग उनका बैग जो अटैची नुमा था उसको लेकर भागने लगे उन्होंने पूछा कि हमारा बैग क्यों लिये जा रहे हो तो उनसे कहा गया कि हम इसकी तलाशी लेंगे इसमें क्या है हथियार हैं या अन्य चीजें हैं। उस बैग में 60-70 हजार रुपये और गहने थे वह बैग उठाकर ले गये और उनको धमकाया गया कि अगर शिकायत की तो आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया जायेगा और आपको जेल भेज दिया जायेगा। इस तरह की घटनायें रोजाना हो रही हैं। उसके बाद इसके बारे में डी0एम0, डी0आई0जी0 को प्रार्थना-पत्र दिया गया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज तक सिंगाई के एस0ओ0 मिश्रा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई न ही पैसा वापस किया गया न ही जेवर वापस किये गये इस तरह की घटनायें पुलिस वाले कर रहे हैं मेरा सरकार से अनुरोध है मंत्री जी से अनुरोध है कि इस तरह की घटनायें पूरे प्रदेश में हो रही हैं। शाहजहांपुर में ए0टी0एम0 उठाकर ले गये। अपराध हो रहे हैं और पुलिस उनको रोक नहीं पा रही है। पलिया शहर के अन्दर एक थाने के अन्तर्गत डेढ़ महीने में 8 हत्यायें हो चुकी हैं चोरी, डकैती, राहजनी यह तो अलग से है। मैं चाहता हूं कि एस0ओ0 सिंगाई के खिलाफ कार्यवाही हो व जो जेवर व पैसा पुलिस वाले ले गये हैं उसको वापस कराया जाय। एस0ओ0 ने इस बीच समझौते के लिये बुलाया था वह समझौता करने पर लगा हुआ है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहता है कि हमसे गलती हो गई समझौता किस तरह से हो पहले आप उनका जेवर और पैसे वापस करिये।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री जावेद अंसारी-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि कार्य-स्थगन की ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि रोजे की महत्ता को आपने समझा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी समझते हुए इस तरह से मुझे अवसर दिया है। अपनी बात रखने से पहले मैं समझता था कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। आज रोजे का पहला दिन होने के नाते हर तरफ से जो मांग आ रही है कि रमजान के महीने में बिजली की विशेष व्यवस्था की जाय ? मैं खुश हो रहा था कि मंत्री जी बैठे हैं उदारता का परिचय देंगे। सरकार की नीति है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की। उस नीति का पालन करते हुए आज उनकी घोषणा से यह बात परिलक्षित भी होगी। बहरहाल मैं जनपद जौनपुर से आता हूं। अधिष्ठाता महोदय, जनपद जौनपुर विकास के मामले में तो पीछे है ही। मैं समझता हूं कि बिजली के मामले में प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ यह जिला है। शहरी क्षेत्र में 16 घण्टे बिजली दिये जाने की घोषणा वहां पर है लेकिन आप किसी भी माध्यम से इस बात की जानकारी अगर करा लें तो सिराज-ए-हिन्द कहा जाने वाला जौनपुर जो ऐतिहासिक नगरी है आप सब लोग जानते हैं कि वहां पर पुरातत्व और ऐतिहासिक इमारतें इतनी हैं कि उसको देखने के लिये विदेशी पर्यटक भी वहां आते हैं और कभी पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता था यहीं पर है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, आज उसका स्वरूप छोटा हो गया है। शिक्षा का केन्द्र रहा यह जनपद जहां पर शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने शिक्षा ग्रहण की है। वहां पर कभी आधे घण्टे कभी एक घण्टे कभी दो घण्टे के अन्तराल के बाद 24 घण्टे में 8-10 घण्टे बिजली मिलती है। कोई कल कारखाने वहां पर नहीं हैं। यहां तक कि जो वाणिज्यिक संस्थान हैं, जो दुकानें हैं वह न तो अपना कारोबार कर सकती हैं न कोई काम और सबसे बड़ी जो मुसीबत होती है गर्मियों के दिनों में देखने को जो मिला है। पानी के लिये लोग तीन-तीन चार-चार दिन तरसे हैं। ट्रान्सफार्मर अगर जल गया तो 4 दिन 6 दिन से लेकर 10-15 दिन तक बदला नहीं गया। उसका नतीजा यह हुआ कि जो शाही पुल है, शहंशाह अकबर का बनवाया हुआ उसके उत्तर की तरफ की तीन चौथाई शहर की आबादी हफ्ते हफ्तों अंधेरे में रहती है और पीने के लिये गोमती का गंदा पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं। रमजान के पवित्र महीने में कम से कम 16 घण्टे बिजली की आपूर्ति का जो आपने वायदा किया हुआ है अगर शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक और दोपहर में 11 बजे से 3 बजे तक दे देते हैं, उसको 16 घण्टे यथावत् रखते हुए अगर यह व्यवस्था कर देते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य होगा और हम महसूस करेंगे कि सर्वजन हिताय के दायरे में आपने हमें भी शामिल कर रखा है। अधिष्ठाता महोदय, जौनपुर शहर के फीडर-3 की जो दुर्दशा है। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद वह लगा होगा। 50 हजार से ज्यादा की आबादी उससे फीड की जाती है और वह 50 साल से ज्यादा पुराना हो चुका होगा। कहने को तो वह नाम का फीडर है लेकिन इतनी बड़ी आबादी को कवर करता है वहां की मशीनें जर्जर, वहां के तार

जर्जर वहां के पोल जर्जर हैं। नतीजा यह है कि अगर आपने 8 से 10 घण्टे बिजली भेजी थी तो वह लोकल फाल्ट की नजर हो जाता है, बिजली नहीं मिल पाती है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। बहुत सारे धरने हुए, प्रदर्शन हुए। यहां तक कि मुझे भी 8 घण्टे तक बंधक बनाकर रखा गया। बिजली के मामले में। माानीय मंत्री जी मेरे ऊपर कृपा कर दीजिये कि अब मुझे न बंधक होना पड़े रोजे में बिजली मिल जाय तो लोग आपको दुवायें देंगे और आपका इकबाल भी बुलन्द होगा। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(डा0 आर0 ए0 उस्मानी का नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

श्री अधिष्ठाता-

विशेष उल्लेख में है माननीय सदस्य श्रीमती शादाब फातिमा जी। आप भी रोजे से हैं ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

कोई शंका है ?

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इसलिये कहा कि यह 56 के बाद लिया जायेगा।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद मेरी विधान सभा गाजीपुर सदर में, शहर में एक मोहल्ला है बड़ा बाग उसमें मान्यवर, कांशीराम गरीब शहरी आवास योजना के अन्तर्गत कुछ मकान बने और 6 महीने पहले उनका निर्माण कार्य पूरा हुआ और अभी दो महीने पहले इसका कब्जा दिया गया। स्थिति आज यह है कि जगह-जगह से उन मकानों के प्लास्टर गिर रहे हैं यह सिर्फ गाजीपुर की समस्या नहीं है और भी तमाम हमारे साथ के विधायक बैठे हैं, हो सकता है उनके जनपदों में भी यह समस्या हो। चूंकि गम्भीर विषय है, इसलिये इसकी गम्भीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। 6 महीने पहले जो बिल्डिंग बनकर खड़ी हुई हो और उसको सार्टिफिकेट दिया गया है कि ठीक है, उसके 6 महीने के अन्दर प्लास्टर बड़े-बड़े टुकड़ों में गिर जाना, अभी एक बारिश भी उस मकान ने नहीं देखी, क्योंकि दुर्भाग्य से बारिश गाजीपुर में नहीं हुई है यहां पर सूखे की बहस चली रही थी यह अलग बात है लेकिन हकीकत यह है कि बारिस नहीं हुई अगर बारिस हो जाये तो मकानों की छतें बचेंगी या नहीं बचेंगी यह कहना बहुत मुश्किल है और जो लोग उस मकान के अन्दर रह रहे हैं उनकी जान जाने की पूरी सम्भावना है इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच कराई जाए और जांच कराकर जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए क्योंकि लोगों की जन हानि होने की पूरी-पूरी सम्भावना है मैं आपसे अनुरोध करती हूं उनकी जांच जरूर कराकर जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको दण्डित किया जाए। इसी के साथ मैं अपने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री वेंकेटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेश धर त्रिपाठी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि वेंकेटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

विश्वविद्यालय सम्बन्धी सभी पांचों विधेयक एक साथ लिये जाने का अनुरोध

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

पांचों एक साथ ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न कैसे उपस्थित होगा ?

(इस समय 4 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, पांचों विधेयक के केवल शीर्षक, नाम अलग-अलग हैं, शेष सब कुछ प्राविधान जो किये गये हैं, वह समान हैं।

श्री वेंकेटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (क्रमागत)

ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अभी 10 तारीख को इस सरकार ने इसी सदन को यह सूचना दिया कि राज्यपाल महोदय को पहले प्रस्तुत किये गये 3 विधेयक, जो निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित थे, वह मा0 राज्यपाल जी ने कुछ शर्तों के साथ वापस कर दिया है। उसमें से एक विधेयक जो सभी निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान रूप से, एक अम्ब्रैला विधेयक था, जैसे उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 है, वर्तमान सभी राजकीय विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिये उसी तरह से निजी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए या माडल कोड बनाया था जिसका नाम था उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 वह भी वापस आ गया। तीनों विधेयक वापस आ गये, संविधान की धारा-2001, परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल जी ने वापस कर दिया, इन्होंने वापस ले लिया। उसमें से एक विधेयक जो माडल कोड के रूप में था, जो सभी को नियंत्रण करने वाला था, उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2010, जिसके अन्तर्गत इनकी मंशा सभी निजी विश्वविद्यालयों को लाने की थी और उसी के प्राविधान के अन्तर्गत सभी निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता देने और उसको संचालन करने के लिये प्राविधान बनाने की थी। उस अधिनियम को तो सरकार ने वापस ले लिया। पुनः पास नहीं कराया, लेकिन दो अधिनियम जिसको मा0 राज्यपाल ने वापस किया था, उसको पुनः पास करा दिया क्योंकि बहुमत है। अब यह नहीं सोचा कि जिस अधिनियम को जिन शर्तों को लगाकर राज्यपाल महोदय ने वापस किया है, बिना उन शर्तों को पूरा किये हुए हम फिर से बहुमत के आधार पर पास करा कर भेज रहे हैं तो क्या मा0 राज्यपाल जी उसको पास करायेंगे ? लेकिन पास करायेंगे ? अब उसी आधार पर इन पांच विश्वविद्यालयों को फिर यहां से बहुमत के आधार पर पास कराना चाहते हैं, संस्तुति कर दी, मान्यवर, आपने भी आश्वस्त किया है।

मान्यवर, हमने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से बात की, भई शर्त तो यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति बनाई है। वह

इसलिये बनाई है कि देश के सभी निजी विश्वविद्यालयों को किस आधार पर मान्यता दी जाये। उनके लिये कोई कामन कोड हो इसकी संस्तुति करने के लिये बनाया है। जो हमारी जानकारी है, महामहिम राज्यपाल जी ने यही कहा है जब उस समिति की संस्तुति आ जाये तो उसी के आधार पर आप भी बनाओ, इसीलिये उन्होंने वापस करने की बात कही। लिखित में वापस नहीं किया। आपने मर्यादा के अनुसार स्वयं उनसे वापस मंगा लिया। जिसमें एक को तो बिल्कुल वापस कर दिया, दो को पास करा रहे हैं। हमें समझ नहीं आता कि इन 5 के लिये क्या जल्दी है, जिसके बारे में निश्चित है कि राज्यपाल महोदय इसको फिर से अपनी सहमति नहीं देंगे और हम भी इस सदन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी से यह कहना चाहते हैं कि यह सरकार किसी को लाभ पहुंचाने के लिये बहुत जल्दी में है इसलिये इस विधेयक को तब तक मान्यता न दी जाये, जब तक सहमति न दी जाये जब तक कि केन्द्र सरकार का वह संस्तुत मॉडल विधेयक न आ जाये। जो मुख्य विधेयक, अधिनियम बना रहे थे उसे तो वापस ले लिया अब अलग-अलग विश्विद्यालयों के लिये विधेयक बना रहे हैं। अभी तक विश्वविद्यालयों के लिये उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 है जिसके अन्तर्गत सभी विश्वविद्यालय स्थापित और संचालित होते हैं। माध्यमिक के लिये अधिनियम है कि विद्यालयों को मान्यता कैसे दी जायेगी, बेसिक के लिये भी अधिनियम है।

पूरे प्रदेश की परम्परा है एक विषय पर पूरे प्रदेश के लिये एक अधिनियम होता है और उसी अधिनियम के अन्तर्गत रूल बनाकर संगठन स्थापित किये जाते हैं। आप हर निजी विश्वविद्यालय के लिये अलग अधिनियम बना रहे हैं यह स्वयं में जल्दबाजी का भी परिचायक है। महामहिम राज्यपाल महोदय अपनी सहमति नहीं देंगे यह भी सुनिश्चित है कि उन्होंने जो परंतुक लगाया है वह अभी संतुष्ट नहीं किया है। यह जल्दबाजी कहीं न कहीं संदेह पैदा करती है। सदन को भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सदन की भी अपनी गरिमा है, सदन केवल बहुमत के अधीन नहीं है यह सदन बहुमत का गुलाम नहीं है। सदन की परम्परायें, मर्यादायें, गरिमा है और उसकी रक्षा आप अध्यक्ष महोदय करते हैं, आपके जिम्मे है। इसमें सबके लिये अलग-अलग विधेयक और इतनी जल्दी की क्या आवश्यकता है, यह बतायें। इसमें कहा गया कि यह शिक्षा के उन्नयन के लिए है। लेकिन मान्यवर, मुझे तो लगता है कि यह शिक्षा के उन्नयन के लिए नहीं है यह जो पांच संस्थाएं हैं इनसे जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, यह कहीं न कहीं उनके उत्थान के लिए है। क्योंकि इसके अन्तर्गत जो भी प्राविधान है वह भी संदेह पैदा करता है एक तो परिभाषायें अधूरी है जितने भी पद के नाम दिये गये हैं उनकी क्या शैक्षिक योग्यता होगी, क्या अनुभव होगा, कुछ नहीं कहा गया है। जो संस्थायें स्थापित कर रहे हैं उनको शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिये अनुभव हो न हो कोई इसमें शर्तें नहीं लिखी गई है। जितने भी व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर बैठेंगे, खासकर कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति इनके लिये कोई भी शैक्षिक योग्यता की चर्चा इसमें नहीं है। संस्था का क्या मतलब है, संकाय का क्या तात्पर्य है, कुलाधिपति कौन होंगे, इसमें कहीं शैक्षिक योग्यता का वर्णन नहीं है।

मान्यवर, जरा 4-क देखें। पहले इसमें इन्होंने लिखा है कि 50 एकड़ भूमि, 10 एकड़ एक जगह हो और 40 एकड़ कहीं और हों। इसमें इन्होंने संशोधन कर दिया कि सटी हुई हो। लेकिन सटी हुई की परिभाषा क्या होगी। मान्यवर, यह कल को बदला जा सकता है। एक किलोमीटर की दूरी पर हो तब भी कहेंगे कि यह तो बिल्कुल नजदीक ही है। सरकार की परिभाषा का मतलब है क्योंकि 4-क में कहा कि विश्वविद्यालय के लिये चिन्हित न्यूनतम लगभग 50 एकड़

परस्पर सटी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व हो। ''ख'' में है कि निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का निर्माण भवन हो। 4-'ग' यह कहता है कि यदि 7 विषय हों तो विश्वविद्यालय की मान्यता मिल जायेगी। 4-घ देखिये इसमें है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम 7 विषयों में शिक्षण/अनुसंधान एवं प्रयोजनों के विभाग विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना, यानि 7 विषय हों, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि 7 विषय हों तो विश्वविद्यालय की मान्यता मिल जायेगी और साथ ही क्या कहा है कि 4-ग में खण्ड ख में निर्दिष्ट भवन में कार्यालय एवं प्रयोगशालाओं में न्यूनतम 5 करोड़ रुपये के उपकरण लगाइये। ये इतिहास, भूगोल आदि पढ़ायेंगे लेकिन इसमें प्रावधान किया गया है कि 5 करोड़ रुपये के उपकरण होना चाहिये। इसमें दोनों में मेल नहीं है। इसी तरह से 7वें में देखें मान्यवर, 7वें में प्रोफेसर, एमिटस की उपाधि देने की छूट होगी। मानद उपाधि देने की छूट होगी। 7-ग और 7-ङ में तो आज जो शिक्षा की स्थिति हो गई है, मैं समझता हूं कि इसमें मा0 सदस्यों को भी सुविधा हो जायेगी। कुछ दो और मानद उपाधि लो क्योंकि उनको नियम बनाने की पूरी छूट इन्हीं को है। इसी तरह 28इयां में है कि समानार्थ उपाधि भी दे सकते हैं। यानी की उपाधियों को वितरण करने का अधिकार दे दिया और उपाधि किसको दी जायेगी, कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है। यह विश्वविद्यालय स्वयं में कुछ लोगों की जायदाद बन जायेगी और उसे वही सब अधिकार होगा जो वर्तमान विश्वविद्यालयों को है और सबसे बड़ा शोषण का जो केन्द्र बन रहा है मान्यवर, कि बी0एड0 में, इंजीनियरिंग में फीस तय कर रही है सरकार, बी0एड0 की इतनी फीस होगी, समिति बन रही है, इंजीनियरिंग की फीस इतनी होगी, उल्लंघन करने वाले को दण्ड दिया जायेगा और जो अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी फीस सरकार देगी, सरकार लिस्ट भेज देती है और यहां शासन में जो 20 परसेंट दे, उसको वो फीस मिलेगी, नहीं तो घूमता रहे। इसमें क्या है मान्यवर, 7-ठ फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना, इतना ही लिखा हुआ है अधिकार में, फीस कितनी होगी पता नहीं सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। इसके बारे में कुछ नहीं है कि सरकार का फीस निर्धारण में कोई हस्तक्षेप होगा। मनमानी फीस लीजिये, अर्थात् इसको कितनी छूट दे रहे हैं आप और लोगों को भी बोलना है।

मान्यवर, इसलिये मैं एक बात और कहूंगा 53(क) यह बड़ा मजेदार है। पूरा सदन इसे सुन ले राज्य सरकार ऐसी कितनी कठिनाइयों को विशिष्टतः राज्य सरकार उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के परियोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि किस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि के उपबन्ध में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसी अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोभ के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी हो, इतना तो ठीक है। मान्यवर, यह तो ठीक लिखा है, परन्तु इस अधिनियम कि प्रारम्भ के दिन से 2 वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा यानि की 2012 के बाद जो सरकार आयेगी उसे यह अधिकार नहीं होगा कि किसी प्रतिकूल नियम के विरुद्ध आदेश जारी कर सके। इससे ज्यादा क्या होगा कि आप जिसे लाभ पहुंचा रहे हैं उसे प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन उसको प्रलोभित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, आप किसी सरकार का अधिकार नहीं ले सकते हैं। यह विधेयक सदन का है, वह चाहे जब जितना परिवर्तन कर दे। आप यह कैसे कह सकते हैं कि 2 साल के बाद कोई ऐसा

आब्जेकशन नहीं रेज किया जा सकता है। आप किसको गुमराह कर रहे हैं, लेकिन इस प्राविधान के द्वारा यह आपका दायित्व बनता है कि सदन के अधिकार का हरण है कोई यह कह दे कि 2 साल के बाद सदन इस विधेयक पर विचार नहीं कर सकता है तो यह कैसे होगा। यह तो कह सकते हैं कि दो साल से पहले कोई आब्जेकशन उठाना हो तो उठा लो, यह बात तो समझ में आती है कि 2 साल के बाद संशोधित होगा लेकिन इसमें है कि 2 वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाए यानि सरकार यदि प्राविधान में कोई संशोधन, परिवर्धन यह मानकर कर रही है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1973 के विरुद्ध कुछ करना है तो 2 साल के अन्दर का लो, किन्तु 2 साल के बाहर नहीं कर सकते हो। जो हमने धारा 53 (एक) पढ़ा है, उसके बारे में यह खण्ड-2 में लिख रहे हैं कि ''उपधारा-1 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।'' अर्थात् 2 साल के अन्दर कोई आदेश जारी किया जा सकता है। लेकिन 2 साल के बाद कोई आदेश जारी ही नहीं किया जा सकता। अगर अगली सरकार कोई इस प्राविधान को विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1973 के विरुद्ध मानती है मान्यवर, तो ये लोग तो नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे। इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय पास कर रहा है, यदि वह 1973 के प्राविधानों के विरुद्ध है तो वह सरकार उसमें विचार नहीं कर सकती है, और यह सदन विचार नहीं कर सकता है। इसलिये मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यह शिक्षा के उत्थान के लिये नहीं है या शिक्षा के खिलाफ है। उच्च शिक्षा में निजी भागीदारी आवे, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन निजी भागीदारी अपने हित के लिये हो, आर्थिक अर्जन के लिये हो, उसको मनमानी छूट दी जाए तो आज की परिस्थिति में पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण पूरी तरह से लाभ कमाने की दृष्टि से हो रहा है। पहले भी हमारे प्रदेश में निजी क्षेत्रों में ज्यादा संस्थायें स्थापित हुईं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो निजी संस्थायें स्थापित हुईं, लेकिन उस समय सेवाभाव था और आज केवल लोभ का भाव है, पैसा कमाने का भाव है। नियमों का उल्लंघन करके शोषण का भाव है और इसीलिये सरकार को रोज फीस के बारे में आदेश जारी करना पड़ता है, अन्य चीज के बारे में जारी करना पड़ता है, इसलिये मान्यवर, मैं इस विधेयक को अपूर्ण मानता हूं, जनहित के विरुद्ध मानता हूं और यह मानता हूं कि एक तरह से सदन का दुरुपयोग कर रही है सरकार क्योंकि केन्द्र के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिये जो समिति बनाई गई है और जिस समिति की रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करने की बात राज्यपाल महोदय ने कही और इन्होंने स्वीकार करके अपने तीनों विधेयक वापस लिये, वह अभी अपनी जगह है, उस समिति की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, इसलिये उस समिति की रिपोर्ट का इन्तजार करना चाहिये, वह मॉडल कोड आ जाये उसी में आपकी विश्वसनीयता है उसी में इस प्रदेश के शिक्षा का उज्ज्वल भविष्य है और उसी में पारदर्शिता और निष्पक्षता है अन्यथा मैं इसमें कहीं न कहीं कुछ काला देख रहा हूं मान्यवर, यह कहीं न कहीं लाभ पहुंचाने के लिये है, इसलिये मैं कहता हूं कि प्रवर समिति के समक्ष इन पांचों विधेयकों को भेजा जाना चाहिये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री ओम प्रकाश जी की सारी बातों से अपने आपको जोड़ता हुआ सिर्फ दो बिन्दु मैं इसमें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो मैं माननीय मंत्री से जानाना चाहूंगा कि इन विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन की भूमिका क्या है। मॉडल ऐक्ट नहीं

आया आपने यूनिवर्सिटी बना दी जो किया सो किया, मॉडल ऐक्ट न आने के पहले भी यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने 2003 में निजी विश्वविद्यालयों के स्तर से नियंत्रण के लिये पूरे के पूरे आदेश निकाले हैं शासनादेश निकाले हैं, आपके संज्ञान में होंगे उसकी प्रति मेरे पास है। यू0जी0सी0 स्टैबिलिशमेन्ट एण्ड मेन्टीनेन्श सब स्टैण्डर्ड इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेग्युलेशन, मैं मान कर चलता था कि कम से कम अगर मॉडल ऐक्ट का इन्तजार नहीं किया गया तो 2003 में जो रेग्युलेशन यू0जी0सी0 ने बनाया था उसको ही कम से कम एक बार देख लिया गया होता और उसके अनुरूप इसे बना दिया गया होता। हम जानते हैं पूरे देश में उच्च शिक्षा की दृष्टि से जो मानक स्थापित होते हैं शैक्षणिक प्रगति से कैसे कार्यक्रम संचालित हों, शिक्षकों की योग्यता क्या हो, छात्र कैसे हों, फीस कैसे लिये जायं और शिक्षा सही तरीके चल रही है या नहीं चल रही है, इस पर नियंत्रण कैसे किया जाय, इसके लिये जो हमारे पास पूरे देश में एक सर्वमान्य संस्था है वह यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन है। इन पांच यूनिवर्सिटी के ऐक्ट को माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वयं पढ़ियेगा यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन इन यूनिवर्सिटीज में किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं कर सकता है। यह देश की पहली पांच पहली यूनिवर्सिटी होगी जो यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन की निरीक्षण की परिधि से पूरी तरह बाहर होगी। मैं नहीं समझता हूं कि यह उचित है। सरकारें आती जाती रहती हैं, किसी भी विचारधारा की सरकार हो, यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन एक आटोनामस बाडी है और हम सभी जानते हैं आज के इस माहौल में अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। इनकी सारी धाराओं को 53 तक माननीय ओम प्रकाश जी ने पढ़ा है कहीं भी यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन के द्वारा निरीक्षण करने, कागज मंगाने या देख लें कि सही तरीके से विश्वविद्यालय चल रहा है या नहीं चल रहा है इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विचार कर लें, दूसरी जो सबसे बड़ी चीज खतरनाक है, इस विश्वविद्यालय में जो काम कर रहे होंगे कर्मचारी उनके कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होंगे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार क्या है, यदि हम आपसे एग्रीव्ड होते हैं तो हम जुडीशियल रेमेडी लेते हैं। अगर हमारे किसी मालिक ने स्वामी ने हमारे ऊपर कोई ऐसा निर्णय दिया है जिससे हम सहमत न हों तो हमें माननीय न्यायालय के पास जाने का अधिकार होता है हम एक प्रतिवेदन देते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक और हम वहां एक रिलीफ मांगते हैं।

अध्यक्ष महोदय मेरी जानकारी में आठ-दस साल से मैं भी यहां आ रहा हूं, यह पहला ऐक्ट जिसमें यह प्राविधान किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी किन्हीं भी कारणों से उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही हो जाय वह कुलाधिपति के निर्णय के विपरीत किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है। कुलाधिपति कौन होगा, जो यह सोसाइटी जिस भी व्यक्ति को घोड़ा से लेकर खच्चर तक हो सकता है, जिसको चाहे, यानि ये समितियां एक व्यक्ति को कुलाधिपति बना देंगी स्वाभाविक रूप से समिति का होगा, वह कुलाधिपति उस कर्मचारी के बारे में जो भी निर्णय कर देगा वही अन्तिम होगा, वह कर्मचारी तड़प करके रह जाय, सड़क पर आ जाये।

मान्यवर, अगर कोई कर्मचारी सड़क पर आ जाय तो वह माननीय न्यायालय के पास नहीं जा पायेगा। नियम आपकी समिति बनायेगी, यूजीसी नहीं बनायेगी। यूजीसी के मापदण्ड से

शिक्षक आयेंगे और छात्र शिक्षक अनुपात तय हो जायेगा। इसके अलावा यूजीसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वह इनकी परिनियमावली भी नहीं बना पायेगी। परिनियमावली यह सोसाइटी बनायेगी। इस तरह से वह यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उसी परिनियमावली के तहत सब चलें। मुख्य कमी इसमें यही है कि किसी कर्मचारी का कोई शोषण हो जाय तो उसे न्यायालय के पास जाने का हक नहीं रहेगा। संख्या बल के आधार पर आप अपना कार्य करते रहे हैं। उसी के नाते ऐसा हुआ कि आपने एक निजी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। जबकि 2003 का ऐक्ट कहता था कि किसी भी प्रदेश को सारी यूनिवर्सिटीज को मान्यता देने के लिये एक ग्रुप में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करने का अधिकार ही नहीं है। आज आप जो लाये हैं हर के लिये अलग-अलग लाये हैं यही यूजीसी भी कहती है कि हर यूनिवर्सिटी के लिये अलग-अलग ऐक्ट लाया जाये। आप अपनी संख्या बल पर सब पारित करा लें। लेकिन जो इसमें व्यवस्थायें हैं इस ऐक्ट को माननीय न्यायालय में चैलेंज करने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी जाकर कह देगा कि एक ऐसा अधिनियम पारित कर दिया गया जिसमें न्यायालय की कोई अधिकारिता ही नहीं है। इसी पर यह चैलेंज हो जायेगा। महामहिम राज्यपाल जी के पास कोई नोटिस दे दे कि यह ऐक्ट ऐसा है जिसमें ऐसे प्राविधान हैं। तो महामहिम राज्यपाल जी जिस तरह से आपके विधेयकों को लौटा रहे हैं इसको भी आपको वापस कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यह बात कह रहा हूं कि आप इन सब चीजों पर विचार कर लें।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, अभी यूजीसी की बात आयी। मान्यवर, धारा-8 में अध्यापक छात्र अनुपात की बात कही गयी है। इसकी उपधारा-3 में व्यवस्था है कि अध्यापक छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा। इस विशिष्ट परिषद् के बारे में पूरे विधेयक में कहीं पर भी नहीं बताया गया है। इसको स्पष्ट किया जाना चाहिये।

दूसरे इसकी धारा-43 में विकास निधि में भी छात्रों से विकास शुल्क प्रभारित करने की व्यवस्था की गयी है। इसके बारे में क्या आइडिया है किस बारे में लिया जायेगा छात्रों से यह शुल्क उसके बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। यह दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मान्यवर, अभी इस विधेयक पर माननीय सदस्यों ने बहुत सी शंकायें जाहिर की हैं। ओम प्रकाश जी ने, डा0 साहब ने और राजेन्द्र सिंह जी ने इनसे अपने को जोड़ते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप इन शंकाओं पर स्पष्टीकरण देंगे। मान्यवर, भारत सरकार की यह नीति है राईट टू एजूकेशन की और प्रदेश सरकार भी उसे स्वीकार करती है कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। मान्यवर, अगर यहां नये विश्वविद्यालय नहीं खुलेंगे तो शिक्षा के अधिकार का सपना कैसे पूरा हो पायेगा। आज बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे है। छात्र सड़कों पर घूम रहे हैं, डिग्री कालेजों में उनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है। इसलिए नये विश्वविद्यालय खोले जायें मैं इसका पक्षधर हूं। लेकिन यह जो नये विश्वविद्यालय बनने जा रहे हैं इनके बारे में जो शंकायें उठायी गयी हैं उनका समाधान भी आना चाहिये सरकार की तरफ से। मान्यवर, इसमें से कुछ विश्वविद्यालयों के मामले महामहिम राज्यपाल जी के पास विधेयक के रूप में गये थे मैं यह

जानना चाहता हूं कि वहां से लौटे क्यों ? अगर लौटे तो उनमें क्या कमियां थीं जिस कारण वह लौटे या किसी आश्वासन के बाद वह लौटाये गये। अगर वह कमियां दूर कर ली गयी है तो वह स्वागत योग्य है। अगर उन कमियों को दूर नहीं किया गया है तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उनको पुनः दूर करने का काम करें और जल्दबाजी में इसे कतई न पारित करायें। मान्यवर, यूजीसी का जहां तक सवाल है, कहीं कोई विश्वविद्यालय खुले लेकिन यूजीसी की गाईडलाइंस के खिलाफ काम कर रहा है तो उसे देखा जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर कुछ चीजें इसमें साइलेंट हैं तो उनको पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहिये। मान्यवर, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर विश्वविद्यालय यहां पर आते हैं किसी ऐसी संस्थाओं के आते हैं जिनका शैक्षणिक इतिहास है तो उनका स्वागत किया जाना चाहिये। ऐसे विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिये।

मान्यवर, बहुत से इसमें ऐसे हैं जिनका मैंने नाम ही नहीं सुना। आई0एफ0टी0एम0 क्या है, बाबू बनारसी दास के जरूर यहां पर कई कालेज हैं, बड़ा नाम है, मोनाड विश्वविद्यालय जो है इसके बारे में भी नहीं जानता जिनके बारे में जानता हूं उसमें कह सकता हूं कि उनका स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक प्रदेश में एक साथ 60-70 यूनिवर्सिटी खुल गयी थीं और उसके बाद सब जो चल रही थीं कोई किसी भवन में चल रहा था तो एक-एक भवन में दो-दो यूनिवर्सिटी चल रही थीं। तो यहां इसका माननीय मंत्री जी ख्याल रखियेगा कि यहां तभी इनको अनुमति दें, जब तक शर्तें पूरी न हों तब तक इनको किसी कीमत पर अनुमति न दिया जाय। दूसरा मान्यवर, मैं जरूर पक्षधर हूं इन विश्वविद्यालय को खोले जाने का क्योंकि बहुत से हमारे छात्र पलायन कर रहे हैं दक्षिण की ओर। मनिपाल यूनिवर्सिटी जाना पहचाना नाम हो गया है हर घर के बहुत से बच्चे जाते हैं, हमारे संसाधन जाते हैं, हमारा पैसा जाता है अगर उसी टक्कर का यहां कोई खुलता है तो जरूर खोलिये कम से कम मैं तो समर्थन करूंगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। लेकिन एक बात जरूर मैं यहां पर आपसे कहना चाहूंगा कि यह जो खुले मान्यवर, इनमें एक चीज का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये।

अब डिग्री कालेज पहले होते थे तहसील में एक अब एक-एक ब्लाक के अन्दर 4-4, 5-5, 6-6 हो गये हैं तो अब यूनिवर्सिटी नई नहीं खुलेगी तो यह डिग्री कालेजेज जायेंगे कहां ? तो अब अगर ये बढ़ रहे हैं तो हर जिले में एक यूनिवर्सिटी खुल जाय तो मैं इसे अनुचित नहीं मानता बशर्ते वह मानक के अनुरूप हों। मैं एक बात जोर देते हुए कि राइट-टू-एजूकेशन आजाद भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है इसको पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अगर निजी स्तर पर आते हैं तो उसको निश्चित रूप से खोले जाने चाहिए। लेकिन एक कारण आप जरूर स्पष्ट कर दें कि महामहिम राज्यपाल के यहां जब यह गये थे यह वापस आये तो क्यों आये, कैसे आये किन कमियों के साथ आये जिन कमियों के साथ आये क्या आपने उनको दूर किया या नहीं किया ? हम नये विश्वविद्यालय खोलने जाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह 5 विधेयक जो अभी प्रस्तुत किये गये हैं इस पर संशोधन रखते हुए माननीय ओम प्रकाश जी ने और माननीय राधामोहन दास जी ने जो बात कही है उन बातों को मैं चाहता हूं कि उन पर विचार करें तो ठीक बात होगी। श्रीमन्, इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो अभी चिन्ता व्यक्त की है कि विश्वविद्यालय खुले हर जिले में खुले, मोहल्ले में खुल जाय तो और भी अच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है वह बात ठीक है। लेकिन राइट टू एजूकेशन को यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ जोड़ना कदाचित इस कंसेप्ट के साथ ठीक इमानदारी नहीं है। क्योंकि राइट टू एजूकेशन के सवाल पर राज्य सरकार का दृष्टिकोण भिन्न है। अभी केन्द्र सरकार के मंत्री जी आये थे कपिल सिब्बल जी और उस मीटिंग में माननीय प्रमोद तिवारी जी रहे होंगे उन्होंने इस बात पर बड़ा खेद व्यक्त किया कि राज्य सरकार तो राइट-टू-एजूकेशन पर अपनी भूमिका निभाने को तैयार ही नहीं है और वह इस पर अगर बधाई देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय खुले राइट-टू-एजूकेशन का बड़ा फायदा होगा तो यह बड़ा भ्रमित कंसेप्ट है, मैं यह बताना चाहता हूं। राइट-टू-एजूकेशन के लिए हमारी भी चिन्ता है कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार कहती है कि हमारी तो स्थिति नहीं है कि हम राइट-टू-एजूकेशन में आपकी मदद कर सकें यह तुम्हारा बच्चा तुम अपनी गोद में रखो, केन्द्र सरकार अपना इंतजाम करे, राज्य सरकार इसका इंतजाम नहीं करेगी और राइट-टू-एजूकेशन का सम्बन्ध बेसिक शिक्षा मंत्री जी से है उच्च शिक्षा मंत्री जी जो विधेयक लेकर आये हैं इसका राइट-टू-एजूकेशन से कोई रिश्ता नहीं है।

मान्यवर, और जिस राइट-टू-एजूकेशन के लिए सरकार के पास चलाने के लिए पैसा नहीं है वह 5 यूनिवर्सिटी खोलने की बात अगर कर रही है तो इससे अधिक भ्रम फैलाने की स्थिति नहीं हो सकती और अपने आप में यही पहला कारण है जिसके कारण इस विधेयक को इस सदन में ले आये जाने का कोई कारण नहीं है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि महामहिम राज्यपाल जी का संदेश प्रमुख सचिव जी ने पढ़ा था हमको दिया भी गया था उससे आज के दिन यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि महामहिम राज्यपाल जी ने जिन कारणों के होते हुए उसको वापस किया और आप पुनः ले आ रहे हैं तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत दुबारा उन्हीं शब्दों में अगर आप पारित करके भेज देंगे तो महामहिम राज्यपाल को शायद हस्ताक्षर करने पड़े लेकिन यह बात नहीं है। इसका गम्भीर दुरुपयोग होगा। अन्त में, मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि गरीब छात्रों का भला तब होता जब सरकार अपना नियंत्रण इन विश्वविद्यालयों पर रखने का प्रावधान रखती, कि फीस हम तय करेगें, एजूकेशन का स्टेन्डर्ड आप बढ़िया रखेंगें और हम इन बातों की निगरानी करेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन को इसकी निगरानी करने की अनुमति होगी और फीस तय करने का काम सरकार करेगी तब जाकर प्रदेश के गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा में कोई योगदान की बात सोची जा सकती थी। चूंकि वह प्रावधान नहीं है और पूरी तरह से वह उनके जिम्मे है, वह जैसे चाहें उनको चलायें। एक दूसरी बात मान्यवर, कहना चाहता हूं कि डिग्रियां खरीदने की हैसियत में जो बड़े लोग होंगे, मात्र उनके लिये एक कारोबारी दुकान की तरह से इन विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल तो किया जायेगा लेकिन शिक्षा के उन्नयन में और इस प्रदेश के गरीब छात्रों को शिक्षा देने के क्रम में, उनके भाग्य निर्माण में इन विश्वविद्यालयों का कोई योगदान

नहीं होगा। एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि आप जब हम जाते हैं कई जगहों पर तो यह पूछा जाता है कि आप किस बोर्ड से पढ़कर आये हैं, किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़कर आये हैं। मान्यवर, इन स्थितियों में श्रीमन् यह जो विश्वविद्यालय है जिनका नाम भी बड़ी कठिनाई से ले पा रहे हैं, निश्चित रूप से यह अधोमानक शिक्षा भी देने का काम करेंगे और डिग्रियों को बेचने के अलावा इनका कोई भी योगदान नहीं होगा। इसलिये इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मंत्री जी से आग्रह करेगें कि आज की स्थिति में हमारी सिर्फ इतनी प्रार्थना मान लें कि इसको प्रवर समिति को सौंप दें और एक महीने में यह विचार कर लें, आप विचार-विमर्श कर लीजियेगा, इसमें इतनी हड़बड़ी काहे की है। फिर आप सत्र बुला लीजियेगा और इसको पारित करा लीजियेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेश धर त्रिपाठी)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जिस निजी विश्वविद्यालय के विधेयक को हमने आपकी अनुमति से प्रस्तुत किया। माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय अम्बिका चौधरी जी, माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, माननीय डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी, माननीय डा0 राजेन्द्र सिंह जी सभी वरिष्ठ सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिये और चिन्ता भी व्यक्त की। चूंकि समय की कमी है लेकिन फिर भी कुछ बिन्दु जो इसमें उठाये गये हैं, निश्चित रूप से उनके बारे में आपके और सदन के संज्ञान में आना चाहिये। माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने जितनी चिन्ता व्यक्त की है उसके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि 1993 के समय से निजी विद्यालय, महाविद्यालय और टेक्निकल कालेजों को खोलने का निर्णय रहा है और धीरे-धीरे चलकर और जिस गति से जब वह चला माननीय ओम प्रकाश सिंह जी उस समय उस कैबिनेट के मिनिस्टर रहे हैं और तब प्राइवेटाइजेशन निजीकरण इस प्रदेश में प्रारम्भ हुआ था। कुछ दिनों बाद वह प्रारूप धीरे-धीरे बढ़ता गया और आज 2010 में जो स्थिति बनी है उसमें उत्तर प्रदेश के जो 1973 के यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन और ऐक्ट के जो प्रावधान है उसके अनुसार सारे विश्वविद्यालय हैं। माननीय अध्यक्ष जी यह सबकी चिन्ता है कि अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश मिलना चाहिये, अच्छी शिक्षा प्रदेश में मिलना चाहिये और शायद उसी के प्रयास में निजी विश्वविद्यालयों को हम सब आमंत्रित भी करते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, शायद आज और कल दो दिनों तक यहां भी सीट वृद्धि के बारे में लगातार माननीय विधायकों का दबाव रहा है हम अगर आपके माध्यम से आग्रह करें कि हमारे प्रदेश में आज इस देश के करीब 22 ऐसे प्रदेश हैं करीब 12-14 जिनकी सूची हमारे पास है जिन प्रदेशों में निजी विश्वविद्यालय खोले गये, असम, छत्तीसगढ़ में दो, गुजरात में सात, इस प्रकार से हमारे पास पूरी लिस्ट है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में वित्तीय संसाधन कम रहे हैं लेकिन हम इस सदन के माध्यम से छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके हम अपनी मुख्य मंत्री बहन मायावती को बधाई देना चाहते हैं कि संसाधनों की कमी के बावजूद जब जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय खुला। जहां 27 सालों तक किसी सरकार ने विश्वविद्यालय खोलने का साहस नहीं किया बहन मायावती ने उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। मा0 अध्यक्ष जी, आप सबकी चिन्ता भी रही है कि कहां है कागजों में है, किस पर है, आज इस विश्वविद्यालय का

निर्माण शुरू हो गया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2011 के जुलाई माह में छात्रों का दाखिला शुरू हो जायेगा वह पढ़ाई करने लगेगा। अभी मा0 वित्त मंत्री जी ने अनुपूरक मांग में 160 करोड़ का प्राविधान किया है। हम इसलिए आपसे विनती करना चाहते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है लेकिन अगर हर सरकार ने एक राज्य विश्वविद्यालय खोल दिया होता तो आज निजी विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता ही नहीं होती यह तो हमारी सरकार ने हिम्मत करके किया है। मा0 अध्यक्ष जी, यह निजी विश्वविद्यालय जिसकी शुरूआत महाविद्यालय टेक्निकल इंजीनियरिंग से मा0 ओम प्रकाश जी के समय से चली और मा0 अम्बिका चौधरी जी की कैबिनेट में वर्ष 2004 में निजी विश्वविद्यालय का प्राविधान पास हुआ है, आप इससे वापस नहीं जा सकते हैं।

मान्यवर, यह तो कम है और आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि श्रीमती शकुन्तला विकलांग विश्वविद्यालय, मान्यवर, अभी तक देश में कोई विकलांग विश्वविद्यालय नहीं है, यह तो बहन मायावती जी के योगदान से खुला है। मा0 अध्यक्ष जी, हम इसीलिए आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि निजी विश्वविद्यालय आज की आवश्यकता है। आज हमारे पास जितने राज्य विश्वविद्यालय हैं और जितने महाविद्यालय हैं, उतने में हम पूरे छात्रों को प्रवेश नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात आज जब चाहें जब से शुरू हुआ हो, चाहे 94 से चाहे 95 से और चाहे 96 से, इस देश में जब से भौगोलीकरण की शुरुआत हुई, तब से तमाम तरह के रिश्ते बन गये। चाहे आई0टी0 की शिक्षा हो, चाहे बी0टेक0 की शिक्षा हो, चाहे मैनेजमेंट की शिक्षा हो, चाहे एयर होस्टेस की शिक्षा हो, तमाम तरह की शिक्षा जिसे हमारे राज्य विश्वविद्यालय नहीं दे पाते हैं उसे निजी विश्वविद्यालय देने का प्रसास कर रहे हैं। हमारी तो यह सोच है कि अगर देश के अन्य राज्यों में इस तरह की शिक्षा चल रही है तो उत्तर प्रदेश कहीं पिछड़ा न रह जाये, शिक्षा की बराबरी में चले इसलिए आज हमें निजी विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हमारे बीच में जो चिन्ता जाहिर की गई उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जब निजी विश्वविद्यालय बनने का प्रावधान होता है तो एक कमेटी जाती है उसका पैनल जाता है तो उसमें यू0जी0सी0 का सदस्य भी होता है। हमारे पैनल में चार सदस्य होते हैं एक विशेष सचिव होता है, एक कोई कुलपति होता है, एक कोई क्षेत्र का क्षेत्राधिकारी निदेशालय का होता है और एक सदस्य यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन का होता है। पैनल बनने के बाद तब उसकी रिपोर्ट/आख्या के आधार पर होता है। कुछ लोगों ने चिन्ता व्यक्त की कि ये सारे निजी विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार है ? जब तक यू0जी0सी0 का मानक नहीं बनता है तब तक इनको मान्यता का सवाल ही नहीं है। इसलिए सब के सब यू0जी0सी0 मानक के अनुसार और उसके नियमों से आव्छादित है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मा0 ओम प्रकाश सिंह ने कहा, हमने शुरू में कहा, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, आप सब अवगत है इस वर्ष इण्टरमीडिएट पास करने वाले लड़के कई लाख की तादाद में ज्यादा बढ़ गये हैं। हमारी चिन्ता है कि इण्टरमीडिएट पास करने वाला कोई विद्यार्थी है वह यहीं पर पढ़े, यहीं पर रहे, किसी दूसरे प्रान्त में जाने की आवश्यकता न पड़े, जैसा अभी यहां पर जानकारी भी दी गयी। अभी आदरणीय तिवारी जी ने ओम प्रकाश सिंह जी व और लोगों ने चिन्ता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ में कम जमीन पर विश्वविद्यालय का निर्माण हो गया था, मा0 सर्वोच्च

न्यायालय ने उसको निरस्त किया। हमने पिछले वर्षों में भी इस सदन में जब इस अधिनियम को रखा था तब भी हमने कहा था कि 50 एकड़ से कम भूमि हम करने वाले नहीं हैं। हरियाणा राज्य ने 10 एकड़, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने 20-25 एकड़ कर दिया लेकिन हम सहमत नहीं है। अभी यह आवश्यकता नहीं है। हमारी आवश्यकता के अनुसार 50 एकड़ भूमि हमको उपलब्ध है। तो हम विश्वविद्यालय को गरिमामय बनाना चाहते हैं जो 50 एकड़ भूमि में बना करके तैयार करे। कुछ सदस्यों ने कहा कि हमने कभी नाम नहीं सुना। सही है, आप बाबू बनारसी दास का नाम यहां सुनते रहे हैं लेकिन यह नीति ऐसी है कि जो 50 एकड़ भूमि खरीदेगा, जो व्यक्ति करीब 100 करोड़ रुपया लगायेगा, जो व्यक्ति 10 करोड़ रुपया इंडाउमेण्ट जमा कर देगा, जो व्यक्ति दिखायेगा कि हमारे पास क्षमता है वह नया विश्वविद्यालय बना रहा है। मैं आप सबके माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं कि अभी इस प्रदेश को कम से कम आबादी के मुताबिक, हमारे 41 जनपद अभी उच्च शिक्षा की दर के अनुपात में पीछे हैं, अभी और विश्वविद्यालय खोलने की जरूरत है। आप भी बताईये, खुलवा दिया जायेगा, कहीं कोई रोक-टोक नहीं है।

मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक अन्य सदस्यों ने कहा है, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने भी चिन्ता जाहिर की, 7 विषय से विश्वविद्यालय नहीं खुलता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि परीक्षा का नियम है पहले सरल-सरल सवाल दिये जाते हैं फिर कठिन सवाल दिया जाता है। पहले कुछ विषय रखे गये हैं आगे और रखे जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यू0जी0सी0 के ऐक्ट के अनुसार भी हमने इस अधिनियम को तैयार किया है और दूसरे यू0जी0सी0 के मानक को लागू किया जाता है तथा उनके अधिकारियों के द्वारा व्यवस्था की जाती है लेकिन जब कभी भी समय पड़ता है इस सम्मानित सदन को अधिकार है कि अपने विधेयक/अधिनियम में संशोधन कर सकता है, करता रहा है। प्राविधान है इसलिए समय-समय पर यह सदन संशोधन कर सकता है। अध्यक्ष जी विश्वविद्यालयों में उसकी गुणवत्ता बनाये रखने के लिये यू0जी0सी0 के मानक को समय-समय पर सरकार सचेष्ट रहकर उसके क्रिया-कलापों का परीक्षण करती रहेगी। यह सच है। हमारी अपनी चिन्ता है जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा फीस के निर्धारण के लिए इन सबके लिए समिति गठित कर दी है ताकि फीस का भी निर्धारण समिति के माध्यम से हो जाए मनमाने ढंग से फीस की वसूली न की जा सके। हमारा आग्रह है जैसा कि पूरा सदन वाकिफ है हमने पहले भी दो विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव माननीय महामहिम राज्यपाल के यहां प्रस्तुत किया था निश्चित रूप से उसमें जो कमी रह गई है यू0जी0सी0 की गाइड लाइन के अनुसार जो राजभवन की इच्छा थी उसको पूरा कराकर प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष जी मेरी आपके माध्यम से सभी सदस्यों से विनती है कि इस प्रदेश की उच्च शिक्षा को आगे ले जाने में यह विश्वविद्यालय योगदान करेंगे। गरीबों को, निर्धनों के बच्चों को दलितों पिछड़े वर्ग के बच्चों को विशेष रूप से सुविधा देने का प्राविधान किया गया है इसलिए जैसा कि आदरणीय प्रमोद जी ने दरियादिली अपने पुराने अनुभव और बड़प्पन के साथ दिखाई उसका मैं स्वागत करता हूं। मेरी सभी से विनती है कि इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे सर्वसम्मति से पास कराने की कृपा करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मंत्री जी ने कहा कि राज्यपाल जी ने जो आपत्ति की थी और यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार जो अपेक्षा थी वह संशोधन हमने कर दिया है। 10 तारीख को हमने पुराना विधेयक भी मंगाया था जो महामहिम राज्यपाल जी के यहां भेजा गया था उस विधेयक और इस विधेयक में कोई अन्तर नहीं है। राज्यपाल के पास जैसा विधेयक पहले भेजा गया था वही अब भेज रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत प्राविधान है अगर दुबारा विधेयक पास किया जाता है और वह राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उसको स्वीकार करेंगे। उस प्राविधान के अन्तर्गत आप राज्यपाल महोदय को बाध्य कर रहे हैं। इसे राज्यपाल तुरन्त नहीं करने वाले हैं। जुलाई में एडमीशन का समय नहीं देंगे यह समझ लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। जैसा कि श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मेरा कहना यह है कि आपने पहले जो विधेयक भेजा था उसके बाद क्या संशोधन करके लाए हैं या उसे यथावत लाए हैं ? दूसरे अगर आप फीस का नियंत्रण अपने हाथ में रखते तो हम उसका स्वागत करते। इसमें यूनीवर्सिटी को पूरी तरह से अधिकार है अपनी फीस तय करने का। फीस नियंत्रण के लिए आपकी समिति हो चाहे वह तीन सदस्यीय हो या पांच सदस्यीय या स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री उस पर नियंत्रण रख लें लेकिन फीस सरकार तय करेगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐक्ट आप दूसरा भेज रहे हैं या वहीं इसमें क्या सच्चाई है यह बता दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

भारत के संविधान के अनुच्छेद-164 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल महोदय मंत्री पद पर मुख्य मंत्री की सलाह पर मंत्री नियुक्त करते हैं। आपकी नियुक्ति महामहिम राज्यपाल जी ने की है मुख्य मंत्री की सलाह पर। आपने सदन में कहा है कि महामहिम राज्यपाल जी ने जो आपत्ति की थी उसका निराकरण कर दिया गया है। हमें उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है मुझे विश्वास है कि आपने उसे किया होगा। मैं पुनः एक बार कहूंगा कि इन सबका निराकरण यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार करा लें।

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

शत-प्रतिशत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सब कुछ है। उसमें कहीं से कोई परिवर्तन नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये तो ठीक है।

(श्री अम्बिका चौधरी के बोलने के पर)

श्री अध्यक्ष-

बता तो दिया। अब एक माननीय मंत्री जी सदन में विश्वास के साथ कह रहे हैं तो अब उनकी बात को।

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं कहा मान्यवर। यू0जी0सी0 की बात कह रहे हैं। मैं यू0जी0सी0 के नियम की बात नहीं कह रहा। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल को दोबारा भेजा तो उसमें क्या संशोधन करके भेजा उन्होंने ? उसमें कोई सुधार नहीं है मान्यवर। यह तो गलत बयानी है। मान्यवर, यह सीधे-सीधे गलत बयानी है। जब यह प्रस्तुत हुआ दोबारा तो यह ज्यों का त्यों जैसे था दोबारा वैसे रख दिया गया। जैसे विधान परिषद् से पारित होकर आया था और विधान सभा ने किया था।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

क्या मान्यवर हो गया ? यह हो गया मान्यवर, यह हो गया।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब किस लिये ? थोड़ा हावभाव बढ़िया बनाइये। आप तो ऐसा घबरा जाते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अब हो गया, इसमें अब कुछ नहीं कर सकते इस बहुमत के आगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी आप यह देख लें सदन की गरिमा है माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

गरिमा है लेकिन आप भी अपनी गरिमा बनाये रखिये। आप घबरा जाते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं अपने को संयत करने की कोशिश कर रहा हूं। मान्यवर, इसी सदन में यथावत् उस विधेयक को दोबारा प्रस्तुत किया गया बिना एक शब्द कहे, बिना एक शब्द कहे और यह सत्य है। अभी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय की अपेक्षा के अनुसार सुधार करके कर लिया गया। यह दोनों बातें गलत है मान्यवर। एक बात इसमें सत्य है, पहली बात। इस सदन में कुछ भी बात कहने की हमको स्वतंत्रता नहीं है और वह भी खासतौर से जब मंत्री हों और वह भी उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हों। ऐक्ट में पांचों में मैं मान्यवर, पुनः चुनौती देता हूं आपके समक्ष जरा प्राविधान बता दीजिये। सीधे-सीधे पांचों में मान्यवर, प्राविधान है कि विश्वविद्यालय फीस तय करेगा और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तीन आदमियों की कमेटी तय करेगी, ऐक्ट पास करेंगे। दूसरी बात करेंगे, तीसरा अगर उनके नियंत्रण में हो तो लिख दें कि यह हमारे नियंत्रण में है। मान्यवर, इस सदन में इस तरह की बात करना उनकी मर्यादा और शोभा के अनुरूप नहीं है। सही-सही होना चाहिए। वो तो बहुमत है, आप पास करा लेंगे जो चाहे हां करा लीजिये, लेकिन यह अनुचित है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष-

आप संशोधन वापस ले रहे हैं ? मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

(मा0 श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा अपना संशोधन वापस न लेने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से खण्ड-53 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

श्री बांके बिहारी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम, श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2— जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

(क) ''विद्यापरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् से है ;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड और नियोजन बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', "प्रति-कुलाधिपति" ''कुलपति'' और ''प्रति—कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति, कुलपति और प्रति—कुलपति से है;

(घ) ''सभा'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ड.) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र और स्कूल, के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है ;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी है;

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित है;

(ज) ''कार्यपरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की ''कार्य परिषद्'' से है;

(झ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) '' संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) ''संस्था'', ''महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) ''अभिलेखों और प्रकाशन'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशन से है;

(ण) ''परिनियमों और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(त) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(थ) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बन्धित शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने के लिये नियुक्त किया जाये और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(द) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियंत्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(ध) ''ट्रस्ट" का तात्पर्य भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत श्री बांके बिहारी एजूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, 208 ए. साकेत, मेरठ से है;

(न) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–3 के अधीन स्थापित श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से है;

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) गजरौला, ज्योतिबाफूलेनगर, उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट द्वारा श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए श

4– ट्रस्ट, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात :–

(क) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुयी भूमि का समुचित स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम पांच करोड़ रूपये मूल्य के उपस्कर की प्रतिष्ठापना;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजनों के लिये विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना;

(ड.) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश का बनाया जाना ;

(च) ऐसी अन्य शर्तें, जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय;

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5– (1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिये ट्रस्ट को प्राधिकार–पत्र जारी किये जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित कि, धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई है, संबंधित असंदिग्ध शपथ–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

6– विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की अभिवृद्धि के लिये आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाईन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी है, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अंतःक्रिया;

विश्वविद्यालय की शक्तियॉ

7— विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तिया होंगी, अर्थात :—

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबन्धन, विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि विषयों हेतु परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और उपग्रह केन्द्रों या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हे विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टितायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं का वापस लेना;

(ड.) विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं है, को शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह–आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन का शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिये नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना;

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या देश/विदेश की प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो;

(ठ) अध्येयतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवम कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण, कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिये प्रोत्साहित करना;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों मे अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन करना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्वर्द्धन के लिये व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिये दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निपटारा करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये ट्रस्ट के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना या आडमानकृत करना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्धानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सके;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना;

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या

किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हों ।

प्रवेश और मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगें।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गो और मतावलम्बियों के लिये होगा

9– विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहां से स्नातक करने के लिये हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे;

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़ें वर्गों के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति कुलपति;

(ड.) निदेशक/प्रधान;

(च) कुल सचिव;

(छ) परीक्षा नियंत्रक;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी, और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

11– (1) ट्रस्ट द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्य परिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति ट्रस्ट को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रति कुलाधिपति

12—(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति ट्रस्ट द्वारा तीन वर्ष के लिये की जायेगी।

(2) प्रति कुलाधिपति, कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति कुलाधिपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13—(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिये ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाये।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् एवम् योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगाः

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरूद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रति कुलपति

14— (1) प्रति कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति कुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रति कुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करना।

(4) प्रति कुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी ट्रस्ट द्वारा अवधारित की जाय।

प्राचार्य या निदेशक

15—निदेशक या प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाए।

कुल सचिव

16—(1) कुल सचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुल सचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुल सचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18—कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

वित्त अधिकारी

19—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगें जैसे विहित किये जायें।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगें :—

(क) सभा;

(ख) कार्य परिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ड.) नियोजन बोर्ड;

(च) पाठ्य बोर्ड;

(छ) संकाय बोर्ड;

(ज) परीक्षा समिति;

(झ) प्रवेश समिति और;

(ञ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22—(1) सभा का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगें, यथा :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिये अध्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) विभिन्न परिषदों या सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा निजी निकायों के लिये, जहां यथा विहित अवधि के लिये विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, सदस्यों को नामित करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्य परिषद्

23–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगें जैसा विहित किया जाय।

विद्या परिषद्

24– (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

वित्त समिति

25– (1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगें जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26– (1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करे।

(2) नियेाजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगें जैसा विहित किया जाये।

संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27– संकाय परिषद्, प्रवेश समिति,परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय, गठन शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगें जैसे विहित किये जाये।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28–(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये परिनियम बनाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते है, अर्थात :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय–समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां;

(ड.) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिये दायित्व लेने के लिये एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवा नैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी है;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरूस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियो या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन, और;

(त) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हो या विहित किये जा सकते हो।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिये विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात तद्नुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29— इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएगें जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगें अर्थात :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण—पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण—पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हताये निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ड.) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण—पत्रों के लिये प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियॉ, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियॉं, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हो, और उनके लिये विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझा जाए, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तः निरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले परिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्ध और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो ;

वार्षिक रिपोर्ट

30– (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31– (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के प्रेक्षण सहित कोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्ते

32– (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

अपील करने का अधिकार

33– (1) किसी परीक्षा के लिये कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थित, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

34– विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा निश्चित किया जाए।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारें में विवाद

35—यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

36— जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हे प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुये हैं, नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था ऐसी अवधि के लिये जिसका प्रावधान उपयुक्त धारा में किया गया हो, यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

38— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

39— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40— (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

41— (1) ट्रस्ट कम से कम दस करोड़ रू0 की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थाई विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42– (1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात :–

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान और;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया तो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान;

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालयों के सभी आवर्ती व्ययों के लिये किया जायेगा;

विकास निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात :–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ड.) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय;

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44– धारा 41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुये ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय ।

वित्तीय शर्तें

45– विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46– विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित शुल्क परिनियम एवम् अध्यादेश के क्रम में तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।

सूचनाओं और अभिलेखों की मांग करने के लिये राज्य सरकार की शक्तियां

47–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा–51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48–(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को यथाविहीत रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49–(1) धारा–48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50–(1) जहां राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुये विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो छः मास से कम नहीं होगा कारण बताये कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रकिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थात :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ड.) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निर्देश देगी कि वह आवश्यक सुधार करें और इस अधिनियम के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दें।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निदेश देने की शक्ति

51– राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

विघटन/मान्यता रद्द होने पर परिसम्पतियां/उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52– अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त अस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व ट्रस्ट से सम्बन्धित हो जायेंगे।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

53– (1) राज्य सरकार ऐसी कितनी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि के उपबन्ध में विर्निर्दिष्ट की जाय, ऐसी अनुकूलनों के अधीन रहते हुये चाहे वह परिष्कार परिवर्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगें :–

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गई है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 53 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक

परिभाषायें

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

(क) "विद्यापरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् से है;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड और नियोजन बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से है;

(ग) "कुलाधिपति", "प्रतिकुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) "सभा" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी महाविद्यालय, संस्था, केन्द्र और स्कूल, के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी है;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) "कार्य परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(झ) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) "संस्था" "महाविद्यालय" का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) "अभिलेखों और प्रकाशन" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशन से है;

(ण) "समिति" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन दिनांक 13–8–1997 को कार्यालय, उपनिबंधक, फर्म्स, सोसाइटीज एण्ड चिट्स लखनऊ में पंजीकृत बाबू बनारसी दास एजूकेशनल सोसाइटी, लखनऊ से है;

(त) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(थ) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में नामांकित दर्ज किसी छात्र से है;

(द) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बन्धित शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(ध) "कोषाध्यक्ष" "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियंत्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(न) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से है;

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) लखनऊ, उत्तर प्रदेश में समिति द्वारा बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4–समिति, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण, करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए होगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में कार्यालय और प्रयोशालाओं में न्यूनतम पांच करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर की प्रतिष्ठापना;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना, करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिए परिनियम और अध्यादेशों का बनाया जाना;

(च) ऐसी अन्य शर्तें, जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय;

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5–(1)राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिए समिति को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, समिति से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित कि, धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई है, संबंधित असंदिग्ध शपथ-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

6—विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित को अभिवृद्धि के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :—

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनसंरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन,

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अंतःक्रिया;

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड—2 से खण्ड—6 तक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड—7 में संशोधन का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबन्धन, विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, और इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि विषयों हेतु भी परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और उपग्रह केन्द्रों या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण—पत्रों, उपाधियों और शैक्षिणिक विशिष्टताओं का वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं है, को जैसा कि वह अवधारित करे, शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह-आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/प्रध्यापक पद और अन्य अध्यापन का शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हों, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना;

(ञ) देश और विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवम् कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहित करना;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन करना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और विक्रय/पट्टा/किराया के माध्यम से किसी चल या अचल संपत्ति का, अर्जन, धारण, प्रबंध और निपटारा करना;

(फ) समिति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के सापेक्ष आद्रमान या बंधक के रूप में उधार लेना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसी अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना;

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हो।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खण्डों में अपने संशोधन एक साथ रख रहा हूं।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 के वर्तमान खण्ड-7 (घ) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और चिह्न रख दिये जायं। ऐसी फीस जैसी लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के समकक्ष कक्षाओं में ली जाती हैं। दूसरा है मान्यवर, इसके खण्ड 13 में। यह तो मान्यवर, मैं आपके सरकार के सहयोग के लिये रख रहा हूं। इसे आपको मान लेना चाहिये इसमें आपको फायदा है। खण्ड-13, उपखण्ड (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द ''कुलाधिपति'' के स्थान पर शब्द ''राज्य सरकार'' रख दिये जायं। खण्ड-33 उपखण्ड (2) में शब्द ''अन्तिम होगा'' के स्थान पर शब्द ''की अपील कुलाधिपति के पास की जा सकेगी'' रख दिये जायं।

मान्यवर, मैंने खण्ड 7 में इसलिये किया है कि समिति स्वयं फीस तय करेगी। आपने समिति का अगर प्रस्ताव दिया होता किसी कोने में, कि यह समिति तय करेगी तो शायद मैं यह प्रस्ताव नहीं लाता। यह जो कालेजेज और यूनिवर्सिटी खुल रही है यह जितना शिक्षा के उन्नयन का काम नहीं करती है उतना उनके स्वामियों के लिये पूंजी क्रियेट करने का संस्थान बन गई है। इसलिये बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटियां खुल रही है कालेजेज खुल रहे हैं। एक साल एक कालेज, दूसरे साल दूसरा कालेज और लिखा रहता है ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन फलां ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन खोली एक यूनिवर्सिटी और अगले साल कितनी पूंजी आ गई, उसका कारण यह है कि आपका इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर कोई नियंत्रण नहीं है, मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं बोलना है सारी बातें आ गई है, इसलिये मेरा अनुरोध है इस बात को आप मान लें कि वहीं फीस ली जानी चाहिये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ली जायगी। गोरखपुर यूनीवर्सिटी में ली जायेगी, जो अन्य यूनीवर्सिटियों में ली जाएगी। अब आप कह देंगे कि वह पूंजी लगाते हैं, तो मान्यवर, पहले भी बड़े-बड़े महाजन होते थे जो इण्टर कालेज खोलते थे, अपनी पूंजी लगाते थे, अपने पैसे से चलाते थे, तो फिर आप यह मानिये कि यह पूंजी पैदा करने का संस्थान है। यह पूंजी क्रियेट करने का संस्थान है यह शिक्षा के उन्नयन का उन्नयन का संस्थान नहीं है। गरीब लड़का कहां पढ़ने जायेगा पिछले साल मेरे यहां के एक लड़के ने एमिटी यूनिवर्सिटी का इंन्ट्रेंस पास किया उसको जब एडमीशन कराने ले गये तो पता लगा कि पहले सेमेस्टर में ही एक लाख 25 हजार फीस लगेगी। वह गरीब एक लाख 25 हजार पूरे साल नहीं दे पाता। वह भाग कर चला आया, तो जो गरीब लड़के हैं वह कहां जायेंगे जो अच्छे हैं, गरीब हैं, उनकी भी व्यवस्था करनी चाहिये यह समाज के दस परसेंट लोगों के लिये यूनिवर्सिटी नहीं है समाज के सभी वर्गों के लिये है। उन वर्गों का कहां इसमें ख्याल रखा गया, आप इसमें या तो यह जोड़ दीजिये या हमारा प्रस्ताव मान लीजिये, मैंने आपको अपना सहयोग दिया दूसरा है खण्ड-13 उसमें यह है कि कुलाधिपति, कौन होगा उनकी मनोनयन कमेटी चुनाव करेगी और उसके जो मालिक होंगे, पैसे वाले, वह कुलाधिपति हो जायेंगे। वही उप कुलपति तय करेंगे, और उप कुलपति पूरा शिक्षा का, पूरी व्यवस्था का नियंत्रण करेगा, कौन उप कुलपति तय करेगा, कौन एपाइन्ट करेगा, कुलाधिपति मैंने वहां जोड़ दिया है, कुलाधिपति के स्थान पर राज्य सरकार रख दिया जाए। इसमें हम आपको पावर के लिये चाहते हैं कि आप अधिकृत हो जाएं आप उप कुलपति निर्धारित करें। आप जब उप कुलपति निर्धारित करेंगे तो वह आपके नियमों के अनुसार, अच्छी तरह से जब वह राज्य सरकार के कन्ट्रोल में कुलपति रहेगा तो विश्वविद्यालय को जनहित में चलायेगा। वह केवल जो बड़े लोग जो पैसे लगाकर यूनिवर्सिटी खोलते है। उनकी इच्छाओं पर नहीं चलेगा इसलिये मैंने आपका सहयोग किया कि आप तय कर दीजिये। इसमें लास्ट में जो दिया है उसमें आपने लिखा है कुलपति जिस लड़के के खिलाफ कोई कार्यवाही कर देगा उसमें कोई अपील नहीं होगी, इसमें हमने जोड़ दिया है इसको कुलाधिपति के पास जाना चाहिये। मान लीजिये वह लड़का फीस टाइम से नहीं दे पाया, किन्हीं परिस्थितियों में कुछ हो गया और कुलपति साहब नाराज हो गये और उसको निकाल बाहर कर दिया तो वह अपील कहां करने जाए या तो कोर्ट में जाए। इसलिये मैंने कहा है, बहुत छोटे-छोटे संशोधन है मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको आप स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड-7 (घ) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और चिन्ह रख दिये जाय-

''ऐसी फीस जैसी लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के समकक्ष कक्षाओं में ली जाती है।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 मूलरूप में इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-8 से खण्ड-12 तक

प्रवेश और मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक यथास्थिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।

(3) अध्यापक-छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9– विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय-समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होगें :–

(क) कुलाधिपति

(ख) प्रति कुलाधिपति

(ग) कुलपति

(घ) प्रति कुलपति

(ङ) निदेशक/प्रधान

(च) कुलसचिव

(छ) संकायाध्यक्ष

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष

(झ) परीक्षा नियंत्रक

(ञ) मुख्य कुलानुशासक

(ट) कोषाध्यक्ष

(ठ) वित्त अधिकारी और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जायें।

कुलाधिपति

11–(1) समिति के प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति समिति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रतिकुलाधिपति

12–(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायेगी।

(2) प्रति कुलाधिपति, कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति–कुलाधिपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 से खण्ड-12 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-13 में संशोधन का प्रस्ताव

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद, एवम् योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, कोई प्राधिकारी या व्यक्ति, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरूद्ध अपील कर सकता है। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-13, उप खण्ड (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द ''कुलाधिपति'' के स्थान पर शब्द ''राज्य सरकार'' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-13 मूल रूप में इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-14 से खण्ड-32 तक

प्रतिकुलपति

14—(1) प्रतिकुलपति की नियुक्त कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वाहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी समिति द्वारा अवधारित की जांय।

प्राचार्य या निदेशक

15— प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाय।

कुलसचिव

16—(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद और विद्यापरिषद का पदेन सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18— कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20— छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :—

(क) सभा;

(ख) कार्य परिषद;

(ग) विद्या परिषद;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) नियोजन बोर्ड;

(च) संकाय बोर्ड;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) परीक्षा समिति और;

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22—(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, यथाः—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखो की सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) ऐसे किन्हीं मामलों के संबंध में कुलाधिपति को परामर्श देना जो उसे परामर्श हेतु संदर्भित किये जायं;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्य परिषद्

23—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य का परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

विद्या परिषद्

24—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

वित्त समिति

25—(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26—(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबंधित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किए जाए।

संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27—संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28—(1) कार्य परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थातः—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना का दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी है;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया ;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनकों समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेंगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात तद्नुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाये जाएंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी मामले के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण—पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठयक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिऐ प्रभार्य शुल्क;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमाकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट, केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझा जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तःनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो;

वार्षिक रिपोर्ट

30—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् सभा को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलना-पत्र कार्य परिषद के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के प्रेक्षण सहित सभा के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

32—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो मामले को संदर्भित किये जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के संबंध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चिय अन्तिम रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

मा0 अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-14 से खण्ड-32 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-33 में संशोधन का प्रस्ताव

अपील करने का अधिकार

33—(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए अपील कर सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-33 उपखण्ड (2) में शब्द ''अन्तिम होगा'' के स्थान पर शब्द ''की अपील कुलाधिपति के पास की जा सकेगी'' रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-33 मूल रूप में इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-34 से खण्ड-53 तक

कर्मचारी भविष्य निधि और कल्याणकारी योजनाएं

34—विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन, कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा ऐसी रीति और ऐसी शर्तो के अधीन निश्चित किया जाए।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35—यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

36—जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति की गयी हो वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, या नाम निर्दिष्ट या सहयोजित किया था ऐसी अवधि के लिए जो नियुक्त या सहयोजित किया गया हो यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधि मान्यता

38—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

39—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित मामले और संव्यवहार को जहां मूल प्रस्तुत किया जाय, साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नया परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

41—(1) सोसाइटी कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42—(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्:—

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) समिति द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिऐ किया जायेगा।

विकास निधि

43—(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात्:—

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44—धारा 41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्ते

45—विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46—विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।

सूचना और अभिलेख मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

47—(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करें जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48—(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को यथाविहित रीति से पूरा न कर लें, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49—(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50—(1) जहां राज्य सरकार को इस अधिनियम, के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में दुष्प्रबंधन या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथन के उल्लंघन की जांच के लिए नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थात्:–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना ;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को निर्देश देगी की वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय में लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधियां विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51–राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीतिगत मामलों पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

विघटन मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियां, उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52—अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व भी है, समिति से सम्बन्धित हो जायेंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

53—(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगेः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि कोई कठिनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गयी है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-34 से खण्ड-53 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

बाबू बनारसी दास एजूकेशनल सोसाइटी, लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोएडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि नोएडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पर विचार किया जाए।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि नोएडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि नोएडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि नोएडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-12 तक

परिभाषाएं

2– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) ''विद्या परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् से है ;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड और नियोजन बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', ''प्रतिकुलाधिपति'' "कुलपति" और ''प्रति–कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति, कुलपति और प्रति–कुलपति से है;

(घ) ''सभा'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ड.) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है ;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी है;

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित है;

(ज) ''कार्य परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की ''कार्य परिषद्'' से है;

(झ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(अ) '' संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) ''संस्था'', ''महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) ''अभिलेखों और प्रकाशन'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशन से है;

(ण) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(त) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(थ) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बन्धित शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने के लिये नियुक्त किया जाये और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(द) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियंत्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(ध) ''ट्रस्ट'' का तात्पर्य भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत मारूति एजूकेशनल ट्रस्ट, रघुनाथ सदन, गोपालगंज, सराय लावरिया जिला अलीगढ़ से है;

(न) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–3 के अधीन स्थापित नोयडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से है ;

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) गौतमबुद्धनगर, नोयडा, उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट द्वारा नोयडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4– ट्रस्ट, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुयी भूमि का समुचित स्वामित्व हो ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम पांच करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर की प्रतिष्ठापना ;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिये विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना ;

(ड.) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश का बनाया जाना ;

(च) ऐसी अन्य शर्तें, जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिये ट्रस्ट को प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित कि, धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, संबंधित असंदिग्ध शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार–पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की अभिवृद्धि के लिये आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाईन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके ;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन ;

(ग) अन्तर्शासीय अध्ययन ;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अंतःक्रिया।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तिया होंगी, अर्थात् :—

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय—समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना ;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबन्धन, विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि विषयों हेतु परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और उपग्रह केन्द्रों या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना ;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना ;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टितायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण—पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं का वापस लेना ;

(ड.) विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना ;

(च) ऐसे व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं है, को शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह—आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन का शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिये नियुक्तियां करना ;

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना ;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना ;

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या देश/विदेश की प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना ;

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो ;

(ठ) अध्येयतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवम् कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण, कल्याणकारी क्रिया–कलापों के लिये प्रोत्साहित करना ;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है।

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों मे अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन करना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्वर्द्धन के लिये व्यवस्थ करना ;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिये दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निपटारा करना ;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये ट्रस्ट के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना या आडमानकृत करना ;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों,अध्येताओं, विद्धानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें ;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना ;

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गो और मतावलम्बियों के लिये होगा

9–विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहां से स्नातक करने के लिये हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे :

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़ें वर्गों के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति,

(ख) प्रति कुलाधिपति

(ग) कुलपति ;

(घ) प्रति कुलपति;

(ड.) निदेशक/प्रधान;

(च) कुलसचिव

(छ) परीक्षा नियंत्रक ;

(ज) छात्र कल्याण का संकायध्यक्ष ;

(झ) संकायों के संकायाध्यक्ष ;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक ;

(ट) कोषाध्यक्ष ;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

11–(1) ट्रस्ट द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्य–परिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति ट्रस्ट को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रति–कुलाधिपति

12–(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति ट्रस्ट द्वारा तीन वर्ष के लिये की जायेगी।

(2) प्रति कुलाधिपति, कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3)प्रति–कुलाधिपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-12 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-13 में संशोधन का प्रस्ताव

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिये ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाये।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् एवम् योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्य–कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी, इससे पहले वाले में आपने संशोधन रखे हैं इसमें भी आप अपने संशोधन रखें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 13, उपखण्ड (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द ''कुलाधिपति'' के स्थान पर शब्द ''उत्तर प्रदेश सरकार'' रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 13, उपखण्ड (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द ''कुलाधिपति'' के स्थान पर शब्द ''उत्तर प्रदेश सरकार'' रख दिया जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 मूलरूप में इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-14 से खण्ड-15 तक

प्रतिकुलपति

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन–प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करना।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी ट्रस्ट द्वारा अवधारित की जाय।

प्राचार्य या निदेशक

15–निदेशक या प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-14 से खण्ड-15 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-16 में संशोधन का प्रस्ताव

कुलसचिव

16–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुल सचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी आप अपना संशोधन रखें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 16, उपखण्ड (1) में शब्द ''नियुक्ति'' एवं शब्द ''ऐसी'' के मध्य शब्द ''राज्य सरकार द्वारा'' रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 16, उपखण्ड (1) में शब्द ''नियुक्ति'' एवं शब्द ''ऐसी'' के मध्य शब्द ''राज्य सरकार द्वारा'' रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-16 मूलरूप में इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 17 से खण्ड 45 तक

संकायाध्यक्ष

17—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18—कोषाघ्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

वित्त अधिकारी

19—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :—

(क) सभा ;
(ख) कार्य परिषद् ;
(ग) विद्या परिषद् ;
(घ) वित्त समिति ;
(ड.) नियोजन बोर्ड ;
(च) पाठ्य बोर्ड ;
(छ) संकाय बोर्ड ;
(ज) परीक्षा समिति ;

(झ) प्रवेश समिति और ;

(ञ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22–(1) सभा का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, यथा :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्य–प्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिये अध्युपायों का सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) विभिन्न परिषदों या सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा निजी निकायों के लिये, जहां यथा विहित अवधि के लिये विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, सदस्यों को नामित करना ;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्य परिषद्

23–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

विद्या परिषद्

24–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करे।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाये।

संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27—संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं, गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28—(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये परिनियम बनाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय—समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियॉ ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिये, दायित्व लेने के लिये एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्ति ;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी है ;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शास्ति करने वाले सिद्धान्त ;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया ;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया ;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण—पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना ;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/ महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना ;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन, और ;

(त) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिये विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तद्नुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों,, डिप्लोमा और प्रमाण—पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना ;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण—पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय ;

(ड.) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण—पत्रों के लिये प्रभार्य शुल्क का निर्धारण ;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिये विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझा जाए, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ़) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तः निरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले परिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्ध और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो;

वार्षिक रिपोर्ट

30–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टेड एकाउन्टेन्ट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के प्रेक्षण सहित कोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

32–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिये कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थित, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

34–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा निश्चित किया जाए।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारें में विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

36–जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुये हैं, नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था ऐसी अवधि के लिये जिसका प्रावधान उपयुक्त धारा में किया गया हो, यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

38—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

39—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

41—(1) ट्रस्ट कम से कम दस करोड़ रू0 की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थाई विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42—(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात :—

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान और;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया तो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान;

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालयों के सभी आवर्ती व्ययों के लिये किया जायेगा;

विकास निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात :–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ड.) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय;

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44–धारा 41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुये ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय ।

वित्तीय शर्तें

45–विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-17 से खण्ड-45 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-46 में संशोधन का प्रस्ताव

शुल्क

46–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित शुल्क परिनियम एवम् अध्यादेश के क्रम में तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी आप अपना संशोधन रखें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खण्ड-46 के स्थान पर निम्नलिखित अंक और चिन्ह रख दिये जायं।

''46-ऐसी फीस जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में समकक्ष कक्षाओं में वसूली जाती है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड-46 के स्थान पर निम्नलिखित अंक, शब्द और चिह्न रख दिये जायें।

''46-ऐसी फीस जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में समकक्ष कक्षाओं में वसूली जाती है''?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-46 मूलरूप में इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-47 से खण्ड-49 तक

सूचनाओं और अभिलेखों की मांग करने के लिये राज्य सरकार की शक्तियां

47–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा–51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48–(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों मे छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को यथाविहीत रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49–(1) धारा–48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-47 से खण्ड-49 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-50 में संशोधन का प्रस्ताव

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50–(1) जहां राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुये विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो छः मास से कम नहीं होगा कारण बताये कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रकिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थात :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ड.) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय;

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निर्देश देगी कि वह आवश्यक सुधार करें और इस अधिनियम के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दें।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी आप अपना संशोधन रखें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड-50, उपखण्ड (7) की अंतिम पंक्ति में शब्द ''विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण'' के स्थान पर शब्द ''मारुति एजूकेशन ट्रस्ट, अलीगढ़ के सदस्यों की सम्पत्ति से वसूल'' रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-50, उपखण्ड (7) की अंतिम पंक्ति में शब्द ''विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण'' के स्थान पर शब्द ''मारुति एजूकेशन ट्रस्ट, अलीगढ़ के सदस्यों की सम्पत्ति से वसूल'' रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-50 मूलरूप में इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-51 से खण्ड-53 तक

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निदेश देने की शक्ति

51—राज्य सरकार समय—समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

विघटन /मान्यता रद्द होने पर परिसम्पतियां/ उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52—अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त अस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व ट्रस्ट से सम्बन्धित हो जायेंगे।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

53—(1) राज्य सरकार ऐसी कितनी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी

कालावधि के उपबन्ध में विर्निर्दिष्ट की जाय, ऐसी अनुकूलनों के अधीन रहते हुये चाहे वह परिष्कार परिवर्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगें :–

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गई है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-51 से खण्ड-53 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

मारूति एजूकेशनल ट्रस्ट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम, नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि नोएडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि नोएडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-52 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

मोनाड एजूकेशनल सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में;- परिभाषाएं

(क) ''विद्या परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड या योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'' ''कुलपति'' और ''प्रति-कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) ''कोर्ट'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;

(ङ) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और शोध केन्द्र भी है;

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और उसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक या कर्मचारी वर्ग का कोई अन्य सदस्य भी है;

(ज) ''कार्य परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद से है;

(झ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(ञ) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्वानों/छात्रों के छात्रावास से है;

(ट) ''संस्था'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है;

(ठ) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ड) ''अभिलेखों और प्रकाशनों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ढ) ''सोसाइटी'' का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मौनाड एजूकेशनल सोसाइटी, नई दिल्ली से है;

(ण) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः ऐसे परिनियमों और अध्यादेशों से है जो समय-समय पर प्रवृत्त किये जाते हैं;

(त) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय में नामांकित किसी छात्र से है;

(थ) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्यों, सह आचार्यों, उपाचार्यों, सहायक आचार्यों, प्राध्यापकों और ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा/शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(द) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियंत्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'', ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुल सचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(घ) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन मौनाड एजूकेशनल सोसायटी द्वारा स्थापित मौनाड विश्वविद्यालय, गाजियाबाद से है;

(न) ''कुलाध्यक्ष'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है;

विश्वविद्यालय की स्थापना

3- (1) उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद में सोसाइटी द्वारा मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये शर्तें

4-सोसाइटी जो प्रायोजक निकाय है इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात्,-

(क) विश्वविद्यालय के लिये निश्चित की गयी न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगी जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए होगा;

(ग) उपरोक्त उप खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में न्यूनतम 5 करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर की कार्यालय और प्रयोगशालाओं में स्थापना करेगी;

(घ) विश्वविद्यालय के विभागों/विद्या पीठों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमानों और मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति करेगी और संरचना सुविधाओं की स्थापना करेगी;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्य व्यवस्था के लिए परिनियम और अध्यादेश बनाएगी, और

(च) ऐसी अन्य शर्तों, जो विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हों, का पालन करेगी।

विश्वविद्यालय का प्रारम्भ

5-(1) राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी को विश्वविद्यालय की कार्य व्यवस्था आरम्भ करने के लिये प्राधिकार निर्गत किये जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय कार्य प्रारम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, सोसायटी से प्राप्त इस आशय के अभिलेख सहित कि धारा 4 में निदिष्ट समस्त शर्तें पूरी कर ली गयी हैं। असंदिग्ध शपथ-पत्र की प्राप्ति के पश्चात प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6-विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की अभिवृद्धि हेतु आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा।

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और इसी प्रकार के अन्य तरीके भी है, की नवीन पद्धति और उनके व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन; और

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अन्तः क्रिया।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औषधि, दंत चिकित्सा, प्रबन्धन, विधि और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा इतिहास संस्कृति, दर्शन, कला इत्यादि विषयों हेतु भी अपने मुख्य परिसर और समय-समय के लिए घटक केन्द्रों में शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना और वैश्विक व राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न शाखाओं में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित करना।

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर एमिरेटस के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे किन्हीं डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों या उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियां या अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं है, को शिक्षण तथा प्रशिक्षण, जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे ही अन्य पाठ्यक्रम भी हैं, प्रदान करना;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद, उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे प्रख्यात व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्ति करना उन्हें काम पर लगाना;

(ञ) भारत या भारत से बाहर किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षण के लिये विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे शैक्षिक केन्द्रों/विभागों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) छात्रों के लिये छात्रावासों की स्थापना, उनका अनुरक्षण एवं पर्यवेक्षण करना, छात्रों के आवास के लिये शर्तें निर्धारित करना और ऐसे छात्रावासों में आवास हेतु शुल्क लगाना;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाईयों के साथ ऐसे अनुबन्ध करना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) विश्वविद्यालय के छात्रों/छात्राओं के अनुशासन विनियमन हेतु तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक व निगमित जीवन हेतु नीति निर्धारित करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा या मूल्याकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं और गैर लाभ प्राप्त छात्रों के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उनका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिये व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिये सोसायटी के पूर्व अनुमोदन से दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निपटारा करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये सोसायटी के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को बन्धक रखकर या आडमान करके धन उधार लेना या ऐसा किये बिना धन उधार लेना;

(ब) अतिथि आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, सलाहकारों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाविदों, पाठ्यक्रम लेखकों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की संविदा एवं अन्य किसी आधार पर नियुक्ति करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान दे सके;

(भ) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और मानक

8-(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे;

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि, के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो;

(3) अध्यापक छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विशिष्ट परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और स्वावलम्बियों के लिये होगा।

9-विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी या अध्यापक या कर्मचारि वर्ग या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास, व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें :

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश द्वारा विनियमित होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगेः-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) संस्थाओं के निदेशक/प्राचार्य या प्रधान;

(ङ) कुल सचिव;

(च) कोषाध्यक्ष;

(छ) अध्ययन केन्द्र के संकायाध्यक्ष/कार्यशील संकायाध्यक्ष;

(ज) कुलानुशासक;

(झ) वित्त अधिकारी, और

(ञ) ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

11-(1) कुलाधिपति एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और सोसायटी की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये ऐसी रीति से जैसी विहित की जायं, नियुक्त किया जायेगा।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अन्तरिम कार्य परिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति यदि उपस्थित हो, तो डिग्रियां प्रदत्त करने के लिये आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।

कुलपति

12-(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों व निर्बन्धनों पर की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी और विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामलों में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यदि सम्बन्धित प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जिसका विनिश्चिय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे। कुलाधिपति, कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है, या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुल पति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

प्रतिकुलपति

13-(1) प्रति कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से यथाविहित रीति से की जायगी और कुलपति या विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा सौंपी गयी ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(2) प्रति कुलपति विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रति कुलपति, जैसा और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रति कुलपति ऐसी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जैसी सोसायटी द्वारा अवधारित की जाए।

संस्था का निदेशक/ प्राचार्य या प्रमुख

14-संस्थान का निदेशक/प्राचार्य या प्रमुख ऐसी रीति से नियुक्त होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जैसी विहित की जाए।

कुलसचिव

15-(1) कुल सचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुल सचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुल सचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा।

कोषाध्यक्ष

16-कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

अध्ययन केन्द्रों के संकायाध्यक्ष/ कार्यशील संकायाध्यक्ष

17-प्रत्येक संकायाध्यक्ष, जिसमें अध्ययन केन्द्र के संकायाध्यक्ष/छात्र कल्याण या शैक्षिक मामलों या प्रवेश या योजना और बाह्य कार्यक्रमों या औद्योगिक सम्पर्क के कार्यशील संकायाध्यक्ष भी हैं, की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

18-(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाए; वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा;

19-विश्वविद्यालय के कुलानुशासक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियों और कर्तव्यों ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं। अन्य अधिकारी

20-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(क) कोर्ट;

(ख) कार्य परिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) नियोजन बोर्ड;

(च) अध्ययन बोर्ड;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) परीक्षा समिति;

(झ) कर्मचारी अनुशासन समिति; और

(ञ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाए।

21-(1) कोर्ट का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाए; कोर्ट

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थातः-

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली उसके सुधार और विकास के लिये अध्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में कुलाध्यक्ष को परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिये निर्दिष्ट किये जाए; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसे विहित किये जाये।

कार्य परिषद्

22-(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा;

(2) कार्य परिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाये।

विद्या परिषद्

23-(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षिण निकाय होगा और इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी;

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाये।

वित्त समिति

24-(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

नियोजन बोर्ड

25-(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान नियोजन निकाय होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित परिषदों के मानकों को पूरा करें,

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

अध्ययन बोर्ड और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

26- अध्ययन बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों का गठन शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

27-(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये परिनियम बनाने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते है, अर्थात :-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय-समय पर गठन किया जाए का गठन उनकी शक्तियाँ व कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरन्तरता, सदस्यों की रिक्तियों को भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्त्तव्य और उनकी परिलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द की एक संयुक्त परियोजना की दायित्व देने के लिये एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्यवाहियों का रीति से संबंधित उपबन्ध भी है;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों को वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ढ) विभागों केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/ महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हो या परिनियम द्वारा विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् ऐसे किसी निर्देश को उसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर लागू करने में असमर्थ रहे तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में कार्य परिषद् द्वारा अपनी असमर्थता के विषय में संसूचित कारणों यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् तदनुसार जैसा वह उचित समझे परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

28-इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कार्य परिषद् प्रबन्धन समिति की अभिव्यक्त सहमति के पश्चात कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से अध्यादेश बनायेगी और उनमें निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थातः-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित करना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना, उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिये और विश्वविद्यालय की डिग्री डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिये प्रभार्य शुल्क;

(च) छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्त्तव्य भी है;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें यदि कोई हो और उनके लिये विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(त्र) ऐसे कर्मचारियों जिनकें लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, केन्द्रों, विशिष्ट केन्द्रों, और विशिष्ट प्रयोगशालाओं की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालय और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षिणक जीवन के सुधार के लिये आवश्यक समझी जाए का सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो।

विनियम

29-प्रबन्ध समिति की अभिव्यक्ति सहमति से कार्यपरिषद के अनुमोदन के अधीन विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अपने द्वारा नियुक्त समितियों के कार्यों के संचालन के लिए इस अधिनियम, परिनियम व अध्यादेशों से संगत विनियमों को बना सकते है जो इस अधिनिमय या परिनियम और अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित नहीं है।

वार्षिक रिपोर्ट

30-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात जैसा कार्य परिषद् द्वारा विहित किया जाये, कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी;

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31-(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात अनुभवी और योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा कराई जाएगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् की टिप्पणियों सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा की गयी किन्हीं टिप्पणियों को कोर्ट और कार्य परिषद् के संज्ञान में लाया जायेगा और ऐसी सभी टिप्पणियों को कार्य परिषद् को कार्य परिषद् द्वारा पुनर्विचार के पश्चात कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

32-(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कार्य परिषद् को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद् के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से कुलाधिपति द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसी अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जायेगा।

अपील करने का अधिकार

33-(1) किसी परीक्षा के लिये कोई छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम, यथा स्थिति, विद्या परिषद् या कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रतिलिपि की प्राप्ति के दिनांक के 10 दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को अपील कर सकता है जो, यथा स्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन

34-विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा उचित समझे, ऐसी भविष्य निधि या ऐसी पेंशन योजना की व्यवस्था या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए;

विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35-यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामलों को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चिय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

36-जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना।

37-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए है नियुक्त, नामित या सहयोजित किया था, यथाशक्य शीघ्र भरा जायेगा और ऐसी रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति ऐसे शेष पदावधि के लिये ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिए वह नियुक्त या सहयोजित किया गया हो।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

38-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति

39-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन सूचना, कार्यवाही संकल्प की प्रतिलिपि को जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन सूचना, आदेश, कार्यवाही, या संकल्प को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा। ऐसे अभिलेख की किसी प्रतिलिपि या निर्गत पंजी में किसी प्रविष्टि की विद्यमानता को मामले में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथा शीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

41-(1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से निवेश करने की शक्ति होगी जैसी वित्त समिति के सुझाव पर कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित की जाए।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपरोक्त उपधारा (1) विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42-(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी शुल्क व प्रभार;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गई समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी उपहार अनुदान, अंशदान, धर्मदान, उत्तरदान, अन्तरण राशि या कोई भी अन्य रीति सम्मत धन।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का एकमात्र उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए ही किया जायेगा।

विकास निधि

43-(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्:-

(क) विकास शुल्क जिसे छात्रों से प्रभारित किया जा सकेगा;

(ख) विश्वविद्यालाय के विकास प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोतो से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसायटी द्वारा विश्वविद्यालय के विकास हेतु किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो; विश्वविद्यालय विकास हेतु इस निमित्त किये गए सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गई धनराशि का एकमात्र उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये ही किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44-खण्ड 41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जाये जैसी वित्त समिति की सलाह पर कार्य परिषद् द्वारा विहित किया जाए।

वित्तीय शर्तें

45-विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायता अनुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46-विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार शुल्क लिया जायेगा।

सूचना और अभिलेखों को मंगाने की राज्य सरकार की शक्ति

47-(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्य-कलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना या अभिलेखों को प्रस्तुत करे, जैसी राज्य सरकार द्वारा मांगी जाए।

(2) राज्य सरकार, यदि यह समझती है कि इस अधिनियम के प्रावधान अथवा परिनियमों अथवा अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, तो वह विश्वविद्यालय को धारा 51 के अधीन ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48-(1) यदि विश्वविद्यालय, अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा न कर लें, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी रीति से व्यवस्था करेगी, जैसी विहित की जाए।

विघटन की अवधि में विश्वविद्यालय का व्यय

49-(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का व्ययन करके किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50-(1) जहाँ विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, तो वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाए।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जाँच करने का आदेश देगी, जैसी वह आवश्यक समझें।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जाँच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों के उल्लंघन या उनके अधीन जारी किन्हीं निदेशों के उल्लंघन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त करेगी।

(4) जहाँ राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में किसी जाँच के प्रयोजन के लिये कोर्ट को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह अधिसूचना द्वारा यथास्थित कोर्ट या कार्य-परिषद् को निलम्बित करने का आदेश दे सकती है और जाँच पूरी होने तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जाँच प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करने और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात्:-

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, और

(ङ) कोई अन्य मामला जो उसके द्वारा विहित किया जाए।

(6) यदि, जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसमें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्वानुमति से अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लेने की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी, यदि विश्वविद्यालय की निधि विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निदेश देने की शक्ति

51-राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो जैसा वह आवश्यक समझे और, ऐसे निदेशों का अनुपालन विश्वविद्यालय के लिए आज्ञापक होगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

52-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें प्रभावी होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उस उपधारा में निर्दिष्ट की गयी है, विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-52 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–53 तक खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

आई०एफ०टी०एम० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड मैनेजमेंट (आई०एफ०टी०एम०) सोसाइटी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम — 1–यह अधिनियम आई०एफ०टी०एम० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

परिभाषायें — 2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) "विद्या परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् से है;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड और नियोजन बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से है;

(ग) "कुलाधिपति", "प्रति कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) "सभा" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी है;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) "कार्य परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(झ) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) "संस्था", "महाविद्यालय" का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) "अभिलेखों और प्रकाशन" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशन से है;

(ण) "समिति" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत आई०एफ०टी०एम० समिति मुरादाबाद से है;

(त) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(थ) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(द) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बन्धित शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(ध) "कोषाध्यक्ष", "कुल सचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियंत्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(न) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित आई०एफ०टी०एम० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में समिति द्वारा आई०एफ०टी०एम० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4–समिति, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए होगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में कार्यालय और प्रयोशालाओं में न्यूनतम पांच करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर की प्रतिस्थापना;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिए विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिए परिनियम और अध्यादेश का बनाया जाना;

(च) ऐसी अन्य शर्तें, जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिए समिति को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, समिति से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित कि, धारा चार में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं संबंधित असंदिग्ध शपथ-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार–पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित को अभिवृद्धि के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें आंनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन,

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अंतःक्रिया।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबन्धन, विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि विषयों हेतु परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और उपग्रह केन्द्रों या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, को शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह-आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना;

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या देश/विदेश की प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवम् कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण कल्याणकारी क्रिया–कलापों के लिए प्रोत्साहित करना;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों को मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्वर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल संपत्ति का अर्जन, धारण और प्रबंध और निपटारा करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना या आडमानकृत करना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसी अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना;

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हो।

प्रवेश और मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।

(3) अध्यापक-छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9—विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें :

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय-समय पर भी राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे :—

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति—कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति—कुलपति;

(ङ) निदेशक/प्रधान;

(च) कुल सचिव;

(छ) परीक्षा नियन्त्रक;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी, और;

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जायें।

कुलाधिपति

11—(1) समिति के प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्य परिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति समिति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रति-कुलाधिपति

12—(1) प्रति-कुलाधिपति की नियुक्ति समिति की प्रबन्ध समिति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायेगी।

(2) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13—(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् एवम् योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14—(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति कुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वाहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रति कुलपति जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रति कुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी समिति द्वारा अवधारित की जाय।

प्राचार्य या निदेशक

15—निदेशक प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाय।

कुलसचिव

16—(1) कुल सचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुल सचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुल सचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18—कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाएं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :—

(क) सभा;

(ख) कार्य परिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) नियोजन बोर्ड;

(च) पाठ्य बोर्ड;

(छ) संकाय बोर्ड;

(ज) परीक्षा समिति, और

(झ) प्रवेश समिति;

(ञ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22—(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, यथाः—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) विभिन्न परिषदों या सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा निजी निकायों के लिए, जहां यथा विहित अवधि के लिए विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, सदस्यों को नामित करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्य परिषद्

23—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य की परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जांए।

विद्या परिषद्

24—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

वित्त समिति

25—(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26—(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबंधित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27—संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जांय, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28—(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थातः—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात तद्नुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठयक्रमों की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिऐ प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमाकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट, केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझा जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तःनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो;

वार्षिक रिपोर्ट

30—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलना-पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के प्रेक्षण सहित कोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

32—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के संबंध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चिय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट उपान्तरित या पलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

34–विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा निश्चित किया जाए।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

36—जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति की गयी हो वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, या निर्वाचित या सहयोहित किया था ऐसी अवधि के लिए जिसका प्रावधान उपयुक्त धारा में किया गया हो यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधि मान्यता

38—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

39—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्षय के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

41—(1) समिति कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42–(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्:–

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) समिति द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिऐ किया जायेगा।

विकास निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात्:–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) समिति द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44–धारा 41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्ते

45–विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46—विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क परिनियम एवं अध्यादेश के क्रम में तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।

मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

47—(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48—(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को यथाविहित रीति से पूरा न कर लें, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49—(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50—(1) जहां राज्य सरकार को इस अधिनियम, के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो छः मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया इस अधिनियम का उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथन की जांच के लिए नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थात्:–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति कर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निर्देश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय में लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंधन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51—राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

विघटन मान्यता रद्द होने पर सम्पत्तियां, उत्तरदायित्व की प्रास्थित

52—अधिनियमों के ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व समिति से सम्बन्धित हो जायेंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

53—(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि के उपबंध में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहें वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि कोई कठिनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गयी है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010

व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, इसमें मेरा संशोधन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में देखा जाय तो यह व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये बहुत अच्छा विधेयक है। अभी तक हमने जब इसको पूरा पढ़कर देखा तो इसमें सिर्फ परिषद् के बारे में लिखा हुआ है कि हम परिषद् बना रहे हैं। न तो यह लिखा हुआ है कि किस तरह के रोजगार देंगे, किस तरह की डिग्री देंगे, किस तरह का डिप्लोमा देंगे या कोई सार्टिफिकेट देंगे। ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो भी आप व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहते हैं इसमें यह भी हो सकता है कि कोई प्रशिक्षण सिर्फ 6 महीनें में दे दिया जाये इसमें यह भी हो सकता है कि कोई प्रशिक्षण 2 या 3 साल के बीच में दिया जाये। ऐसा इसके अन्दर कुछ भी नहीं दिया हुआ है न कोई नयूनतम योग्यता दी गई है और इसके अन्दर एक प्राविधान किया हुआ है कि हम प्रवेश परीक्षा लेंगे। इसके अन्दर साफ-साफ लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, जो लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिये प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा का प्राविधान किया गया है। ऐसे आदमी से आप किस तरह की प्रवेश परीक्षा लेंगे, यह समझ से परे है। मान्यवर, एक और चीज है इसके अन्दर कि यदि सभापति परिषद् की मीटिंग बुलाता है और उसके अन्दर मत विभाजन के समय दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसमें फिर से सभापति को वोट देने का अधिकार दिया हुआ है। इसमें दूसरा लिखा हुआ है कि दूसरा

निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। अब मुझे तो पता नहीं कि सभापति को दूसरा निर्णायक मत देने का अधिकार होता है कि नहीं होता है। इसी के अनुसार एक चीज की बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो धारा 4 है, इसमें उपधारा 12 है, इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि गैर सरकारी संस्थानों और संगठनों के तीन प्रतिनिधि जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से होंगे, और दलितों की शिक्षा पर कार्य किये हों जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होगा, एक अनुसूचित जनजाति का होगा और एक पिछड़े वर्ग का होगा। ये किस तरह का कार्य कर रहे होंगे, किताब लिख रहे होंगे या पढ़ा रहे होंगे, ऐसा इन्होंने कोई प्राविधान नहीं किया है। इसके बारे में भी एक बार दिखवा लें, दूसरी चीज और कहनी है कि परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। यह मेरा निवेदन है कि कोई भी आदमी 2 साल में तो कुछ देख ही नहीं पाता तो कम से कम पदेन सदस्य के कार्यकाल को 3 वर्ष का कर दिया जाय। मान्यवर, इन्हीं संशाधनों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, सम्भवतया मा0 विधायक जी ने यह पढ़ा ही नहीं है कि ये परिषद् के गठन के लिये विधेयक लाया गया है और आप कह रहे हैं कि परीक्षा कैसे होगी ? ये परिषद् के कार्यों में है कि परीक्षा कैसे होगी ? क्योंकि परीक्षा तो परिषद् करायेगी। ये केन्द्रीय सरकार इसकी भी परीक्षा कराती है। मेरा अनुरोध है कि यह तो इतना अच्छा काम है, जो आई0टी0आई0 में अब तक कभी नहीं हुआ है और शायद पूरे देश में यह पहला विधेयक उत्तर प्रदेश में आया है जिसमें आई0टी0आई0 को एक महत्व मिलेगा और यहां बेरोजगार लड़कों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। मेरा अनुरोध है कि आप संशोधन वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब क्या संशोधन वापस ले रहे हैं ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से खण्ड-26 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010

(क) कुशल कर्मकार तैयार करने और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाने;

(ख) परम्परागत शिक्षा की धारा से विद्यालय छोड़ देने वाले छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें अवसर प्रदान करने, जिससे कि उन्हें उपयुक्त रोजगार के योग्य बनाया जा सके;

(ग) उच्च अर्हता प्राप्त किन्तु बेरोजगार व्यक्तियों को उनकी विशाल संख्या को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर देने;

(घ) अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालने, कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के कारण उसमें कम हो रहे रोजगार के अवसरों के निमित्त बेरोजगार व्यक्तियों को विकल्प प्रदान करने; की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना एवं गठन करने;

और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2–विषय या संदर्भ से किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम में,–

(क) "सम्बद्ध संस्था" का तात्पर्य इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये विनियमों के उपबंधों के अनुसार किसी पाठ्यक्रम या किन्हीं पाठ्यक्रमों के संबंध में परिषद् से सम्बद्ध किसी संस्था से है;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से है;

(ग) "उपविधि" का तात्पर्य धारा 24 के अधीन बनायी गयी उपविधियों से है;

(घ) "केन्द्र" का तात्पर्य परिषद् द्वारा अपनी परीक्षायें लेने के प्रयोजनार्थ नियत की गयी संस्था या स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे संलग्न या अनुबद्ध भू–गृहादि भी है;

(ङ) "प्रमाण-पत्र" का तात्पर्य परिषद् द्वारा किसी व्यक्ति को, सम्बद्ध संस्था में ऐसे पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिये गये प्रमाण-पत्र से है, जो समय -समय पर विनियमों द्वारा विहित किये जाये;

(च) "सभापति" का तात्पर्य परिषद् के सभापति से है;

(छ) "निदेशक" का तात्पर्य धारा 11 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के निदेशक से है;

(ज) "अन्तरीक्षक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो केन्द्र में होने वाली परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में उस केन्द्र के अन्तरीक्षक की सहायता करे और परियोजना परीक्षा के संबंध में इसके अन्तर्गत परियोजना प्रेक्षक भी है;

(झ) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत उसके सभापति तथा उप सभापति भी हैं;

(ञ) "विनिमय" का तात्पर्य धारा 24 के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(ट) "सचिव" का तात्पर्य धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गये परिषद् के सचिव से है;

(ठ) "केन्द्र-अधीक्षक'' का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं का संचालन तथा पर्यवेक्षण करने के लिए परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए व्यति से है और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त अधीक्षक भी है;

(ड) "उप सभापति" का तात्पर्य धारा 4 के खण्ड 2 (दो) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए गये परिषद् के उपसभापति से है।

परिषद् की स्थापना

3—राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद् की स्थापना करेगी, जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कहलायेगी।

परिषद् का गठन

4—परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(एक) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, व्यावसायिक शिक्षा विभाग; — पदेन सभापति

(दो) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रख्यात उद्योगपति; — उप सभापति

सदस्य	(तीन) निदेशक;
पदेन सदस्य	(चार) राज्य सरकार के उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि जिसे उसी विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा, जो विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न हो।
पदेन सदस्य	(पांच) राज्य सरकार के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जिसे उसी विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, जो विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न हो;
पदेन सदस्य	(छः) निदेशक, प्रशिक्षण एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश;
पदेन सदस्य	(सात) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश;
पदेन सदस्य	(आठ) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश;
पदेन सदस्य	(नौ) निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश;
पदेन सदस्य	(दस) क्षेत्रीय निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार;
पदेन सदस्य	(ग्यारह) केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता;
	(बारह) गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और बालिकाओं की शिक्षा पर कार्य किए हों, जिनमें से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का होगा, एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा और एक व्यक्ति अन्य पिछड़े वर्ग का होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे;
सदस्य	(तेरह) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट उद्योगों के चार प्रतिनिधि, जिनमें से एक महिला होगी;
सदस्य	(चौदह) राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाने वाले चार प्रधानाचार्य, जिनमें से एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की महिला प्रधानाचार्य होगी;
सदस्य	(पन्द्रह) राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाने वाले चार प्रधानाचार्य, जिनमें से एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र से होगी;

(सोलह) उत्तर प्रदेश के ऐसे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थानों, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रहे हैं, के दो प्रधानाचार्य, जो सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे; — सदस्य

(सत्रह) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाने वाले पाठ्यचर्या विकास में तीन विषय विशेषज्ञ; — सदस्य

(अट्ठारह) औद्योगिक संगठनों यथा भारतीय उद्योग संघ, भारतीय उद्योग महासंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल परिसंघ या वाणिज्य मण्डल के, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाने वाले चार प्रतिनिधि; — सदस्य सचिव

(उन्नीस) सचिव, उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्। — सदस्य

5—परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। — सदस्यों की पदावधि

6—राज्य सरकार किसी ऐसे नाम—निर्दिष्ट सदस्य को सदस्यता से हटा सकती है जिसने उसकी राय में अपनी स्थिति का ऐसा दुरूपयोग किया है कि उसका परिषद् में बना रहना लोकहित के लिए हानिकर होगाः — सदस्यों का हटाया जाना

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को इस धारा के अधीन हटाने से पहले उसको स्पष्टीकरण देने का एक अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

7—(1) सदस्यों को बैठक के संबंध में कम से कम 15 दिन की सूचना के साथ परिषद वर्ष में अनिवार्य रूप से एक बार बैठक करेगा तथापि आत्ययिकता की स्थिति में परिषद् अभिलिखित कारणों के साथ सात दिन की सूचना पर बैठक कर सकता है। — परिषद् की बैठकें

(2) सभापति तथा उसकी अनुपस्थिति में उप सभापति, परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) परिषद् की बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और मतों के बराबर होने की दशा में सभापति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

रिक्ति आदि के कारण कार्य या कार्यवाहियां अवैध न होंगी

8—परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियां परिषद् या समिति में किसी रिक्ति या उसके संघटन में किसी त्रुटि होने के कारण हो प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता होने के कारण हो जिससे मामले के गुण दोष पर प्रभाव न पड़े, अवैध न समझी जायेगी।

परिषद् का कार्यालय

9—परिषद् का कार्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में होगा।

परिषद् का सचिव

10—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में परिषद् की सहायता करने के निमित्त व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के किसी अधिकारी को स्थानान्तरित करके परिषद् का एक सचिव नियुक्त करेगी।

(2) सचिव पूर्णकालिक सरकारी सेवक होगा।

परिषद् का निदेशक

11—राज्य सरकार व्यावसायिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी को स्थानान्तरित करके व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश का निदेशक नियुक्त करेगी।

परिषद् के कृत्य और कर्तव्य

12—इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन रहते हुए परिषद् के निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्य होंगेः—

(एक) यथास्थिति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों सहित व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं और उनकी मोड्यूलर इम्प्लाएबुल स्किल के लिए पाठ्यक्रम और अन्य सुसंगत सामग्री तैयार करना;

(दो) परिषद् से संबद्ध संस्थाओं में सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षायें संचालित करना;

(तीन) परिणाम घोषित करना और उत्तीर्ण होने वाले तथा सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण—पत्र प्रदान करना;

(चार) भवनों, अवसंरचना और परिषद् से सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा अनुसरण किये जाने वाले पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के संबंध में शैक्षणिक अपेक्षाओं के लिए मानक निर्धारित करना और ऐसे विहित मानकों को पूरा करने के आधार पर संबद्धता प्रदान करना;

(पांच) संबद्ध संस्थाओं द्वारा शैक्षिक मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करना;

(छः) अध्यापन और प्रशिक्षण का मानक बनाये रखने के लिए संबद्ध संस्थाओं में अध्यापन और प्राविधिक कर्मचारिवर्ग के लिए शैक्षिक अर्हतायें निर्धरित करना;

(सात) संबद्ध संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश की रीति निर्धारित करना;

(आठ) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के समन्वय से माध्यमिक/हाईस्कूल के व्यावसायिक विषयों की परीक्षा संचालित करना;

(नौ) व्यावसायिक शैक्षिक प्रशिक्षण और अल्पावधि कौशल विकास कार्यक्रम प्राप्त कर रहे छात्रों का मूल्यांकन करना;

(दस) अपेक्षानुसार व्यापारिक संगठनों की सहायता से ऐसे विशिष्ट व्यापार क्षेत्र दक्षता मंत्रणा सभाओं का गठन करना, जो पाठ्यक्रम के विकास या उसके उन्नयन में परिषद् और उसकी समितियों की सहायता करेंगे, कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में मानक निर्धारित करना और साथ ही साथ अपेक्षित कार्यों और विनिर्दिष्ट व्यापारों के सर्वेक्षण का दायित्व ग्रहण करना;

(ग्यारह) समस्त संबद्ध संस्थानों के लिए प्रतियोगिता प्रणाली और पारदर्शी प्रवेश परीक्षा आयोजित करना तथा सन्निविष्ट करना;

(बारह) परिषद् के कर्तव्यों के निष्पादन एवं निर्वहन के लिए प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर कर्मचारि वर्ग को नियोजित करना;

(तेरह) परिषद् द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रमाणित उन समस्त बातों का आधारभूत आंकड़े अनुरक्षित रखना;

(चौदह) अन्य राज्यों और राष्ट्रीय प्राधिकरणों और औद्योगिक/व्यापारिक निकायों के साथ इस रीति से और ऐसे प्रयोजनों से सहयोग करना जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी करने हेतु आवश्यक हो;

(पन्द्रह) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र के समन्वित विकास तथा उसमें नीतिगत परिवर्तनों के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देना;

(सोलह) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के समुचित संपादन के लिए ऐसे समस्त कार्य और बातें करना, जो आवश्यक हों।

परिषद् की शक्तियाँ

13–(1) परिषद् के पास इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन ऐसी समस्त शक्तियाँ होंगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के निष्पादन तथा कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक हों।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी,–

(एक) प्रवेश परीक्षा सहित किसी परीक्षा को रद्द करना या किसी अभ्यर्थी के किसी परीक्षा का परिणाम रोकना या उसे किसी भावी परीक्षा में सम्मिलित होने से अननुज्ञात करना यदि वह निम्नलिखित का दोषी होना पाया जाय–

(क) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना; या

(ख) संस्था या परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र में कोई अशुद्ध विवरण देना या सारभूत सूचना या तथ्य को दबाना; या

(ग) परीक्षा में कपट या प्रतिरूपण करना; या

(घ) ऐसे नियमों का उल्लंघन करके किसी परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करना, जिन नियमों के द्वारा ऐसी परीक्षा में प्रवेश किया जाता हो; या

(ङ) परीक्षा के दौरान घोर अनुशासनहीनता का कोई कार्य करना।

(दो) किसी परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी के अंक काट लेना उसके द्वारा किसी परीक्षा के दौरान किसी अनुशासनहीनता का दोषी पाये;

(तीन) किसी ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षाफल रद्द करना जिसे वह खण्ड (1) के उपखण्डों (क) से (ङ) तक में दिए गए कार्यों में सभी या किसी का दोषी पाये या ऐसा परीक्षाफल रद्द करना जिसकी घोषणा में परिषद् द्वारा कोई सद्भावनापूर्ण भूल हो गयी हो :

परन्तु यह कि परिषद् की सद्भावनापूर्ण भूल के कारण कोई परीक्षाफल उसकी घोषणा के दिनांक से नब्बे दिन व्यतीत हो जाने पर रद्द न किया जायेगा;

(चार) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए शुल्क नियत करना और उनको वसूल करने की रीति की व्यवस्था करना;

(पांच) किसी ऐसी संस्था को सम्बद्ध करने से इन्कार करना,–

(क) जो कर्मचारिवर्ग, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है या उन तक नहीं पहुंचती है; या

(ख) जो परिषद् द्वारा तदर्थ निर्धारित सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती;

(छः) ऐसी संस्था की सम्बद्धता वापस लेना जो कर्मचारिवर्ग/शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उनके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती अथवा जो परिषद् के संतोषानुसार सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं करती;

(सात) यह सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध संस्था का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्यक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाये और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाये तथा उनका यथोचित उपयोग हो;

(आठ) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना जो किसी सम्बद्ध संस्था में पाठ्यक्रमों के लिए भर्ती किये जा सकें।

पाठ्यक्रम

14–(1) परिषद् सम्बद्ध संस्थाओं में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों का पाठ्यक्रम समिति की संस्तुति पर अनुमोदन करेगी।

(2) परिषद् सभी सम्बद्ध संस्थाओं में पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करेगी।

(3) परिषद् पाठ्यक्रम समिति की संस्तुति पर अप्रचलित, व्यर्थ एवं अनावश्क पाठ्यक्रमों को हटा देगी और ऐसे पाठ्यक्रमों को उपान्तरित करेगी जिन्हें तकनीकी परिवर्तन या बाजार की आवश्यकता के प्रकाश में उपान्तरित करने की आवश्यकता है।

(4) इस धारा में उल्लिखित सभी मामलों में परिषद् का विनिश्चय अन्तिम होगा।

राज्य सरकार के अधिकार

15—(1) राज्य सरकार परिषद् द्वारा किये गये या उसके द्वारा संचालित किसी काम के विषय में या परिषद् से संबंध रखने वाले किसी मामले में, अपने विचार परिषद् को संसूचित कर सकती है और तदुपरान्त परिषद् राज्य सरकार को उस कार्यवाही की सूचना देगी जो उनके संबंध में उसने की हो या करने का उसका विचार हो।

(2) यदि परिषद् उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे या की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही की उसे सूचना न दे तो राज्य सरकार परिषद् द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों से संगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे। परिषद् उक्त निर्देशों का पालन उसमें उल्लिखित समय के भीतर करेगी और यदि वह उनका पालन न करे तो राज्य सरकार ऐसी समस्त कार्यवाही कर सकती है जो वह उक्त निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

सभापति के अधिकार और कर्तव्य

16—(1) सभापति को परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए, उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य करने का अधिकार होगा और वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) सभापति को धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन संघटित समितियों के निर्णयों पर परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, ऐसे आदेश देने का अधिकार होगा जो परिषद् के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हों, तथा जिन्हें वह उचित समझे सभापति इस प्रकार दिए गए प्रत्येक आदेश की सूचना परिषद् को उसकी अगली बैठक में देगा।

(3) सभापति, ऐसी आपातिक दशा में जिसमें उसकी राय में तात्कालिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो, परिषद् के अधिकार के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले में कार्यवाही कर सकता है और इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह आवश्यक समझे। तदुपरान्त सभापति तुरन्त परिषद् को उसकी अगली बैठक में इस प्रकार की गयी कार्यवाही की सूचना देगा।

(4) सभापति परिषद् की प्रवेश परीक्षा समिति की अध्यक्षता करेगा।

उप सभापति के अधिकार और कर्तव्य

17—उप सभापति सभापति ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित अथवा सभापति द्वारा प्रतिनिहित किये जायें।

निदेशक के अधिकार

18—(1) निदेशक परिषद् के सभापति के मार्गदर्शन में आदेश द्वारा स्वयं को प्रतिनिहित कार्यों को निष्पादित करेगा।

(2) निदेशक सम्बद्धता समिति की अध्यक्षता करेगा, जिसकी संस्तुति पर परिषद् अन्तिम विनिश्चय करेगी।

(3) निदेशक, उद्योग एवं व्यापार संगठनों और परिषद् के मध्य जनसंपर्क स्थापित करेगा।

(4) निदेशक, परिषद् कार्यालय के अधिष्ठान का प्रधान होगा।

सचिव के अधिकार और कर्तव्य

19—सचिव, परिषद् का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा और परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए उसके निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किए जायें और विशेष रूप से वह—

(क) लेखा प्राक्कलन तथा आय-व्ययक के वार्षिक विवरण-पत्र तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि परिषद् को आवंटित समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च की जायें जिनके लिए वे आवंटित की गयी हों :—

(ग) परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

समितियों तथा उप समितियों का गठन

20—(1) परिषद् एक पाठ्यपुस्तक, पाठ्यचर्या समिति और एक परीक्षा समिति, एक मान्यता एवं सम्बद्धता समिति और एक प्रवेश परीक्षा समिति और ऐसी अन्य समितियों का गठन करेगी जो नियमों या विनियमों द्वारा विहित की जांय।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित किसी समिति में उतने सदस्य होंगे जिन्हें परिषद् विशेषज्ञता और ज्ञान के क्षेत्र के आधार पर उसमें नियुक्त करे। समिति का कार्यकाल और उसके सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाये।

(3) परिषद् की कोई समिति उतने व्यक्तियों को ऐसी अवधि के लिए सहयोजित कर सकती है जो वह उचित समझे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सहयोजित सदस्यों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक न होगी।

(4) समिति का सदस्य या उसके द्वारा सहयोजित व्यक्ति सभापति को लिखित रूप से सम्बोधित करके अपना पद त्याग सकता है।

(5) उपधारा (4) के अधीन त्याग–पत्र देने के कारण या किसी अन्य कारण समिति में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति, यथास्थिति, उपधारा (2) या (3) में व्यवस्थित रीति से पुनः नियुक्ति या सहयोजन द्वारा की जायेगी।

(6) परिषद् समिति के परामर्श से इस अधिनियम के अधीन किन्हीं ऐसी उप समितियों का गठन कर सकती है जो ऐसी अवधि के लिए आवश्यक हो और वह उन्हें ऐसे मामलों में उचित समझे जहाँ समिति के समक्ष तथ्य व्यापक हों और उन्हें उल्लिखित किया जाना हो।

परिषद् द्वारा उक्त समितियों को प्रत्यायोजन और निर्देश

21–(1) परिषद् आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति को इस अधिनियम के अधीन अपने उन अधिकारों तथा कर्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन तथा कृत्यों के निर्वहन के दौरान में उठने वाले किसी प्रश्न को उपर्युक्त समिति को निर्दिष्ट कर सकती है और जब कभी इस प्रकार का निर्देश किया जाय तो परिषद् उस पर निर्णय लेने के पूर्व, समिति की संस्तुतियों तथा सुझावों पर विचार करेगी।

परिषद् के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधि प्रमाणीकरण

22–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए परिषद् के समस्त निर्णय उसके द्वारा यथाविधि पारित संकल्प द्वारा किये जायेंगे, और सभापति के या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधि प्रमाणित किये जायेंगे।

(2) परिषद् की ओर से निष्पादित समस्त लिखत, परिषद् के सचिव के या परिषद् द्वारा एवं तदर्थ प्राधिकृत अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधि–प्रमाणित किये जायेंगे।

नियम बनने का अधिकार

23–राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा और गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विनियम बनाने का अधिकार

24–(1) परिषद्, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये इसके उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों से सुसंगत विनियम बना सकती है और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेज सकती है। राज्य सरकार विनियमों का अनुमोदन या उनमें परिष्कार या परिवर्तन कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विनियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे, किन्तु यदि कोई दिनांक निर्दिष्ट किया जाय तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक से, प्रभावी होंगे।

(2) पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विनियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) इस अधिनियम के अधीन गठित समितियों तथा उप–समितियों की नियुक्ति गठन शक्ति और कर्तव्य;

(ख) प्रमाण–पत्र प्रदान करने की रीति और शर्तें;

(ग) संस्थाओं को सम्बद्ध करने की शर्तें;

(घ) प्रमाण–पत्रों के लिये विहित किये जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम;

(ङ) वे शर्तें, जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद् की परीक्षाओं में बैठ सकेंगे और प्रमाण-पत्र पाने के पात्र होंगे;

(च) परिषद् की परीक्षाओं तथा प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये शुल्क और उनकी वसूली की रीति;

(छ) प्रवेश परीक्षा सहित परीक्षाओं का संचालन;

(ज) परिषद् की परीक्षाओं के सम्बन्ध में परीक्षकों, प्रश्न–पत्र निरीक्षकों परितुलकों, संनिरीक्षकों, सारणीयकों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षकों तथा अभीक्षकों की नियुक्ति और उनके अधिकार तथा कर्तव्य तथा उनके पारिश्रमिक की दरें;

(झ) सम्बद्धता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के लिये आवश्यक इमारतों, जिनके अन्तर्गत उनसे सम्बद्ध भूमि भी है, सज्जा तथा उपकरण के मानदण्ड;

(ञ) सम्बद्ध संस्थाओं के अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारियों की शैक्षिक अर्हताएं, एवं सदस्य संख्या;

(ट) परिषद् द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा परिणाम सहित परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करना;

(ठ) सम्बद्ध संस्था में प्रवेश के लिये विद्याथियों की न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं;

(ड) सम्बद्ध संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का प्रवेश;

(ढ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि सम्बद्ध संस्थाओं का निरीक्षण करना कि विहित पाठ्यक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाय और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाय तथा उनका यथोचित उपयोग हो;

(ण) वे परिस्थितियां जिनमें किसी अभ्यर्थी को किसी सम्बद्ध संस्था में अध्ययन के पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति न दी जाय;

(त) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा जिसके अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा भी है, के परिणाम को रोकना या रद्द करना तथा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा को किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में रद्द करना;

(थ) वे परिस्थितियां जिनके अधीन किसी संस्था की सम्बद्धता वापस ली जाये या उसे सम्बद्ध करने से इनकार किया जाये;

(द) केन्द्र का निरीक्षण करना;

(ध) पाठ्यक्रम विकास व परीक्षा के लिए यथा आवश्यकता व्यवसाय संघों के साथ खण्ड विशेष काउंसिल का निर्माण;

(न) प्रवेश परीक्षा के संचालन के लिये प्रक्रिया का निर्धारण;

(प) प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी मानक निर्धारित करना;

(फ) समय अवधि के साथ पाठ्यक्रम विकास और पाठ्यक्रम के पुनर्विलोकन का निर्धारण करना;

(ब) संस्थान–व्यवसाय संघ संबंध का संवर्द्धन;

(भ) कोई अन्य मामले जो इस अधिनियम के अधीन आवश्यक हों।

उपविधियाँ बनाने का अधिकार

25–(1) परिषद् इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये उपविधियां बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त उपविधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है–

(क) परिषद् की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गण–पूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद्, समिति या उप समिति के सदस्यों को उसकी बैठक के दिनांक तथा उस बैठक में विचारणीय बातों की सूचना देना और उक्त बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उप विधियों द्वारा विहित किया जाना हो अथवा विहित किया जा सके।

कठिनाइयाँ दूर करने का अधिकार

26–इस अधिनियम से किसी अन्य बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद एक वर्ष की अवधि के दौरान में किसी ऐसे विषय का आदेश द्वारा विनियमन कर सकती है, जो इस अधिनियम के अधीन नियम अथवा विनियम द्वारा विनियमित होना है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-26 तक खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन पर यदि कोई और सदस्य बोलना चाहे।

श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''-

मान्यवर, अभी बहुत लोग हैं, रोजे वाले चले गये, बाकी लोग हैं।

श्री अध्यक्ष-

शैलेन्द्र जी, 2 मिनट में अपनी समस्या कह लीजिये।

* श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद जौनपुर में तहसील मुख्यालय शाहगंज जो नगरपालिका परिषद् भी है और पूर्वांचल की बड़ी मण्डी भी है। वहां पर बिजली की बड़ी गम्भीर समस्या है और अप्रैल, मई के महीनों में वहां की जनता द्वारा सामाजिक संगठनों द्वारा राजनैतिक दलों के द्वारा धरना-प्रदर्शन किया गया था। जिसके कारण कुछ दिनों तक बिजली की आपूर्ति कुछ ठीक-ठाक थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से विद्युत आपूर्ति फिर गड़बड़ कर दी गयी है। शाहगंज नगरपालिका क्षेत्र में जहां पर नगरीय रेट पर विद्युत बिल की वसूली की जाती है, वहां पर ग्रामीण क्षेत्र से भी कम बिजली दी जाती है तथा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर 2-3 घण्टे से ज्यादा बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस गम्भीर विषय की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शाहगंज नगरपालिका क्षेत्र निरन्तर बिजली कटौती की समस्या बनी रहती है, मात्र 3-4 घण्टा बिजली दी जाती है, शाहगंज टाउन नं0-1 और रेलवे फीडर दोनों फीडरों को मिलाकर घरेलू कनेक्शन 5 हजार से अधिक तथा पारिवारिक कनेक्शन डेढ़ हजार से अधिक और पावर कनेक्शन 300 से अधिक है। समय-समय पर अधिकारियों के द्वारा सही समय पर विद्युत आपूर्ति के आश्वासन भी दिये गये, परन्तु खेद है कि विद्युत आपूर्ति सही ढंग से नहीं की जा रही है। चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपकेन्द्र हैं, चाहे वह शाहगंज के हो, चाहे खुटहन हो, चाहे सुइथाकला हो, चाहे गोड़बड़ी हो, जहां से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, यहां पर भी 2 घण्टे, 3 घण्टे से ज्यादा विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है। मान्यवर, नियम-56 के अन्तर्गत हमने जो बात सामने रखी है, हम चाहते हैं कि जो नगरीय क्षेत्र हैं, वहां पर 2 शिफ्ट में कम से कम 18 घण्टे बिजली दें, क्योंकि रमजान का भी महीना चल रहा है और एक बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी उधर रहती है। अतः मान्यवर, सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक तथा सायं 7.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक कुल मिलाकर 18 घण्टे बिजली तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जो खुटहन उपकेन्द्र है, सुइयाकलां उपकेन्द्र है और गोड़बड़ी उपकेन्द्र है, यहां पर कम से कम 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाए, ताकि वहां के किसानों को जो कि धान की रोपाई करने के बाद किसी तरह से सिंचाई कर नहीं पा रहे हैं, उन्हें विद्युत की सुविधा मिल सके। मान्यवर, मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि इससे आपके क्षेत्र को भी लाभ होता है। मान्यवर, इससे आपकी नई विधान सभा को भी इससे लाभ होगा। मान्यवर, बात मैं कहूंगा और फायदा आपके क्षेत्र का भी होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आपके क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है, बस आपकी बात आ गई है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 25 लाख रुपये से ज्यादा विधायक निधि से मेरे क्षेत्र में बिजली को लगाने के लिये दिया था।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, कार्य-स्थगन आपने ग्राह्यता पर सुना है, एक ही साथ इनको तलब कर लें।

श्री अध्यक्ष-

इनका एक स्पेशिफिक जौनपुर, नगरपालिका का है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी मैं, शाहगंज की ही बात कर रहा हूं, टाण्डा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इससे भी छोटी एक समस्या और कहना चाहता हूं वह यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में मैने करीब 25 लाख रुपये बिजली विभाग को अपने विधायक निधि से दिया और अब 6 माह से अधिक हो गया है, पैसे दिये हुए। मान्यवर, मैं सिर्फ एक गांव का वर्णन करना चाहता हूं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी एक गांव का वर्णन करना चाहता हूं, विकास खण्ड खुटहन में अहरपुर गांव है, मैंने वहां बिजली के लिए पैसा दिया और अब 1 साल के लगभग पैसा दिये विभाग को हो गया है, परन्तु वहां पर आज तक बिजली नहीं लगाई गयी है। ऐसी मेरे क्षेत्र में तमाम जगहें हैं, जहां पर विधायक निधि से पैसा लेने के बाद भी काम नहीं किये गये हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट हो जायेगा तो क्षेत्र का कुछ भला हो जायेगा। मैं पुनः नियम-56 पर बिजली की समस्या पर बल देते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय पर आप सरकार को निर्देश देना चाहें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री शैलेन्द्र यादव जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता है, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं, फिर भी जनहित में शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इस जन समस्या को दिखवा लें।

* श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

मा0 अध्यक्ष जी, हम सरकार का और इस सदन का ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते हैं, जो कि जनहित में है, तात्कालिक है और लोकहित में है। मान्यवर, विगत 3 माह से प्रदेश में एंटी रैबीज का इंजेक्शन नहीं है। जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि इसके लिए पहला टेण्डर 5-2-2010 को एंटी रैबीज क्रय करने के लिए निकाला गया, जिन कम्पनियों ने एंटी रैबीज इंजेक्शन का टेण्डर डाला, उनमें मात्र तीन कम्पनियां थीं, जिसमें से 2 अपात्र थीं। मान्यवर, दिनांक 31 जून को निविदा निकली, उसमें 3 कम्पनियों ने टेण्डर डाला उसमें से एक कम्पनी भारत बाल्टिक इण्टरनेशनल हैदराबाद की एक ब्लैकलिस्टेड फर्म थी, उसने शपथ-पत्र देकर के कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अदर स्टेट से हम मंहगा एमपुल नहीं बेचेंगे। उसको मान्यवर, टेण्डर दे दिया गया मान्यवर, मामला उच्च न्यायालय में गया और उच्च न्यायालय ने विभाग को यह आदेश दिया कि अमुक का टेण्डर खारिज कर दिया जाय, उसका टेण्डर खारिज कर दिया गया। मान्यवर, पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित हुए, टेण्डर पुनः निकाले गये। मान्यवर, एक तरफ तीन माह से पी0एच0सी0 पर सी0एच0सी0 पर एण्टी रैबीज का इंजेक्शन नहीं है, जिन मरीजों को कुत्ता काट रहा है वह भौंक-भौंक कर अपनी मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे में ड्रग माफिया और प्रदेश के उन अधिकारियों का गठजोड़ जिनकी जिम्मेदारी थी, इन टेण्डरों को क्रियान्वित कराने की और पी0एच0सी0, सी0एच0सी0, जिला अस्पताल पर एण्टीरैबीज उपलब्ध कराने की, के द्वारा न कराये जाने के कारण पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह लोकहित का है, तात्कालिक है, अविलम्बनीय है, सब नियमों के शिथिल करते हुए इस विषय पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय नरेन्द्र सिंह वर्मा जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है मैं इसे अग्राह्य करता हूं, फिर भी जनहित में यदि एण्टीरैबीज इंजेक्शन की उपलब्धता कम है तो माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लें।

* कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

श्रीमन्, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और प्रयास करूंगा कि कम से कम समय में अपनी बात आपके सामने रख दूं। श्रीमन् हाईकोर्ट के डबल बेंच का निर्णय है और यह निर्णय है प्रतापगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्षा के पक्ष में, कमलादेव सरोज प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत की अध्यक्षा है, उनको उनकी कुर्सी से हटा करके त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया गया और जो आरोप उनके ऊपर लगाया गया उस आरोप में यह लिखा गया, कहा गया कि इन्होंने अपनी निर्धारित सीमा से अधिक सरकारी वाहन का उपयोग किया है, लेकिन कोर्ट ने यह माना है कि जितना उनको चलना चाहिए उससे 2328 कि0मी0 कम यात्रा की है और उस आरोप को खारिज किया। श्रीमन् सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट ने नोट की है जो इस आर्डर में लिखा है, वह मैं पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं कि ''द रीजन फार नॉट टेक एनी ऐक्शन ऑन द सेड रिपोर्ट एज डिसक्लोज इज दैट श्री प्रमोद कुमार मौर्या इज दि रियल नेफयु ऑफ प्रेजेन्ट कैबिनेट मिनिस्टर पंचायती राज एण्ड इन आर्डर टू गिव हिम पावर आफ मैनेजमेन्ट आफ जिला पंचायत, इट वाज डिजाइन्ड टू फार्म ए थ्री मेम्बर कमेटी इन व्हिच श्री प्रमोद कुमार मौर्या वाज टू बी नामिनेटेड ऐज मेम्बर।'' तो स्पष्ट इसमें आदेश है हाईकोर्ट का तत्काल प्रभाव से 30 तारीख का आदेश है, कमलादेव को उनकी कुर्सी पर अधिकारों समेत बहाल किया गया, लेकिन उस जिले के अधिकारी अभी तक न उन्होंने उस अध्यक्षा को चार्ज दिया है और न वह अध्यक्षा आज तक अपना कार्यभार संभाल सकीं। आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं चाहता हूं कि इसमें सीधा सपाट एक लाईन का उत्तर अगर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दे दें तो बेहतर होगा, यह न बतायें कि जमीन खिसक रही है या आसमान खिसक रहा है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि यह डबल बेंच का निर्णय है, मेरे सामने रखा है आप चाहें तो मैं आपके पास भिजवा दूं, इसका अनुपालन सरकार करायेगी या नहीं करायेगी। बहुत ही गम्भीर विषय है और आज उत्तर देते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कई बार यह कहा है कि कानून का राज है, हम लोग कानून के रास्ते पर चलने वाले हैं, कानून की बात मानने वाले हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि आप कानून की बात मानें। जब भी कोई इधर से प्रश्न उठता है और सत्ता पक्ष की तरफ से यह उत्तर आता है कि यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तो हम लोग भी बैठ जाते हैं और उस मामले को लम्बित कर दिया जाता है, लेकिन इसमें स्पष्ट आदेश हाईकोर्ट का पिछले 30 तारीख का है, 02 तारीख को जब अध्यक्षा गई तो उनको चार्ज लेने से रोका गया और आज 12 तारीख हो गई 12 दिन बीत गये हैं, तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि उनको चार्ज आप देंगे या नहीं देंगे और वैसे भी चली-चला की बेला है मान्यवर, चुनाव होने वाले हैं, दस पांच दिनों की बात है, तो अगर अपने भतीजे को जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है बैठाना ही है कुर्सी पर तो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के बाद बैठा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान्यवर, चुनाव के बाद बैठ लेंगे। फिलहाल यह आपकी सरकार की साख की बात है। न्यायालय के आदेश का पालन करायेंगे या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर माननीय श्री रघुराज प्रताप सिंह को सुना। यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है। मैं अग्राह्य करता हूं। माननीय मंत्री जी जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है इसको आप दिखवा लीजियेगा।

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ ''राजा भइया''-

मान्यवर, अनुपालन की बात कह दें जो टिप्पणी की है वह माननीय न्यायालय ने की है।

श्री अध्यक्ष-

दिखवा लेने का मतलब अनुपालन से होता है।

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

मान्यवर, सरकार की तरफ से उत्तर आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को आप दिखवा लेंगे। आप इसे सदन के संज्ञान में ला दिये हैं।

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ ''राजा भइया''-

मान्यवर, यह पहला मौका होगा जब सरकार की ओर से उत्तर नहीं आया और मंत्री जी मौन होकर बैठे हुए हैं। आप मंत्री जी को निर्देश दे दें कि उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी और सदन के संज्ञान में यह आ गया है। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसको वह दिखवा लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परीक्षण के अनुसार जो भी आदेश होगा, उसको दिखवा लिया जायेगा। उसके अनुसार जैसा होगा वैसे किया जायेगा। लेकिन मान्यवर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर बिना शासन के आदेश से, अपनी लम्बी फौज के साथ लाठी, डंडा, भाला, कट्टा के आधार पर जिला परिषद् कार्यालय में जाना जिला पंचायत कार्यालय का ताला तोड़ना, हथौड़ा चलाना यह क्या माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अनुपालन का कोई तो तरीका होगा ही।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह अव्यवहारिक है, अलोकतांत्रिक है। जो स्टेट के लिये आदेश है, आदेश का परीक्षण न्याय विभाग की राय लेकर प्रक्रिया के अधीन उसका पालन किया जायेगा।

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ ''राजा भइया''-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गम्भीर आरोप लगाये हैं, बताया कि तरह-तरह के असलहे-भाला कट्टा यह लेकर वह लोग गये। मान्यवर, यह तीस तारीख का आदेश है। अध्यक्षा जी पहली तारीख को गयीं, गेट से उनको वापस कर दिया गया। एक आन्दोलन के रूप में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां पर गये। पूरी तरह से शांतिपूर्ण आन्दोलन था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्षा जी के साथ परिसर के अन्दर घुसे। मैं दावा करता हूं कि अगर एक भी कट्टा छुरी भाला तलवार आदि जो मंत्री जी ने बताया है, अगर पुलिस ने कोई असलहा बरामद किया हो या किसी मीडिया वाले ने तस्वीर खींची हो तो माननीय मंत्री जी बता दें। मान्यवर, यह तो हास्यास्पद बात है। मान्यवर, न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन न कराने के भी कई बहाने हो सकते हैं लेकिन महिला के लिये ऐसा कहना, मान्यवर, वह एक दलित महिला है कमला देवी सरोज, एक दलित महिला की बेटी है, आप उन्हें चार्ज देने के बजाय यह कह रहे हैं कि वह कट्टा लेकर घुस गयी। आप सत्ता में हैं तो कुछ भी कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कराया जायेगा।

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ ''राजा भइया''-

मान्यवर, अगर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराने के बजाय अभी उसका परीक्षण ही कराया जायेगा तो उनका तो कार्यकाल बीत जायेगा। यह चाहते हैं कि 5-10 दिन में उनका कार्यकाल समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, जो आरोप लगाये गये हैं वह गलत हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने उनको पूरे सम्मान के साथ बहाल किया है आपने जो उन पर आरोप लगाये थे वह झूठे साबित हुए हैं। मान्यवर, एक स्पष्ट आदेश के बावजूद अभी तक उनको चार्ज नहीं दिया जा रहा है। श्रीमन्, यह परीक्षण आप समयबद्ध करा दें एक दिन में या दो दिन में। आर्डर मेरे पास हैं। मैं आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि वह इसको दिखवा लेंगे। परीक्षण कराके पालन करा देंगे।

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ ''राजा भइया''-

मान्यवर, इसमें कोर्ट के आदेश में है उसका आपरेटिव पोरशन जो है वह है कि ''विथ इमीडियेट इफेक्ट'' से।

श्री अध्यक्ष-

कांफिडेंस के साथ उन्होंने कहा है कि पालन करा देंगे।

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ ''राजा भइया''-

मान्यवर, वह परीक्षण एक दिन या दो दिन में था कितने दिन में परीक्षण करा देंगे। इस बात को सरकार सदन में कहें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने तो बता दिया कि निश्चित रूप से शासन के पास न्यायालय का आदेश आयेगा, जो आया है उसके अनुसार उसका परीक्षण करके न्याय विभाग की राय लेकर उसके आधार पर जो आदेश जारी होगा उसका पालन किया जायेगा।

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ ''राजा भइया''-

मान्यवर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्याय विभाग की राय नहीं ली जाती।

श्री जगदीश नारायण राय-

माननीय सदस्य जी, कोर्ट का आदेश है लेकिन बिना परीक्षण के कैसे होगा।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

राय ले सकते हैं, एस0एल0पी0 कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यह कहां लिखा है कि नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें जो प्रक्रिया है शासन के बगैर आदेश के माननीय उच्च न्यायालय का आदेश शासन के लिये आता है, शासन पार्टी रहती है शासन उस पर जानकारी करके उसका परीक्षण करके आदेश जारी करती है बिना शासन के आदेश जारी हुए वहां पर पहुंचना यह कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी और उसके आधार पर वहां पर एफ0आई0आर0 भी दर्ज हुआ जो वहां पर गुण्डागर्दी की गयी उसको अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराया गया है निश्चित रूप से उसका परीक्षण चल रहा है, परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ ''राजा भइया''-

मान्यवर, हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद एस0एल0पी0 में या तो सुप्रीमकोर्ट जायें या सुप्रीमकोर्ट से स्टे ले आयें।

श्री अध्यक्ष-

वह एस0एल0पी0 की बात नहीं कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि परीक्षण करके जो स्टेट पार्टी है उसका परीक्षण करके पालन करायेंगे। परीक्षण करने के बाद कह दिया माननीय मंत्री जी ने आखिर कितना आश्वस्त करायेंगे।

प्रदेश के गुर्जरों के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य की भांति उन्हें 5% आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21 अगस्त, 2008 को श्री मदन भैया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

(मदन भैया का नाम पुकारे जाने और उनके उपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 फरवरी, 2009 को श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

(श्री श्यामदेव राय चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

वह उपस्थित नहीं है उनके संकल्प पर चर्चा व्यपगत की जाती है।

(डा0 राजेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर और उनके उपस्थित रहने पर)

जनपद आगरा में आलू के प्रसंस्करण हेतु आलू प्रसंस्करण पार्क विकसित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 4 फरवरी, 2010 को डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आपके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

(श्री उदयभान करवरिया का नाम पुकारे जाने और उनके उपस्थित रहने पर)

प्रदेश में बढ़ रहे कुपोषण के निराकरण हेतु एक प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 4 फरवरी, 2010 को श्री उदयभान करवरिया द्वारा प्रस्तुत किये गये जारी संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

आपके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, केवल एक अनुरोध है कि आगे आने वाले सत्र में इस चर्चा को कराकर, कुछ समय ऐसा निर्धारित किया जाय कि चर्चा कराकर समाप्त करा दिया जाय अबकी तो चालू रखा जाय।

(श्री सतीश महाना का नाम पुकारे जाने और उनके उपस्थित रहने पर)

बढ़ती हुई मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि दो गुनी किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 4 फरवरी, 2010 को श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आपके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो संकल्प प्रस्तुत किया जाता है उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, उस पर आप मतदान कराते हैं मान्यवर, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस संकल्प को जिसे मैंने इस सदन में प्रस्तुत किया है ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि बढ़ती हुई मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि दो गुनी कर दी जाय।'' मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर गुप्त मतदान करा दीजिए और गुप्त मतदान के बाद जो निर्णय हो वह मैं मानने के लिए तैयार हूं क्योंकि मान्यवर, इस पर चर्चा सबकी बराबर की है जो मैंने बोलना है वह सभी लोगों को बोलना है अलग से नहीं बोलना है। कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का है वह वही बात कहेगा जो मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए मैं कुछ अलग से नहीं कहना चाहता इनके भाव और भावना को ध्यान में रखकर आपसे निवेदन है कि इस संकल्प के ऊपर गुप्त मतदान करा दें नहीं तो हाथ उठाकर करा दें तो पता चल जायेगा कि कौन विकास चाहता है और कौन नहीं चाहता है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाय। इसका वोटिंग कराकर इसको समाप्त करें मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

इनका मान्यवर, भाषण खत्म हो गया है तो निश्चित रूप से आज की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मतदान कराकर इसको खत्म करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब, आप क्यों इतना जोर दे रहे हैं जब सबका जारी है तो आप भी बोल करके इसको जारी रखिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि आपने पूरी बात रख दी, अब इस पर मतदान कराकर खत्म करा दें। आज की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इसे बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने 2007-2008 में एक करोड़ से सवा करोड़ किया था। इसलिये आज की परिस्थितियों और वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसको बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, सरकार का पक्ष आ गया और आपका पक्ष भी आ गया, अब इसे समाप्त किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 'बढ़ती हुई मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि दो गुनी कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश को चार भागों में, यथा इन्द्रप्रस्थ, बुन्देलखण्ड अवध प्रान्त एवं पूर्वांचल का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

श्री मदन चौहान जी, अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश को चार भागों में, यथा-इन्द्रप्रस्थ, बुन्देलखण्ड, अवध प्रान्त एवं पूर्वांचल का गठन किया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चलिये प्रस्तुत मान लिया गया।

प्रदेश के ग्रामीण मार्गों पर घूरे से फैलने वाली गन्दगी की समस्या के निराकरण हेतु प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में पं0 आर0 के0 शर्मा का संकल्प

(पं0 आर0 के0 शर्मा जी के अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्तुत नहीं हुआ, इसे व्यपगत किया जाता है।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों और गम्भीर रोगियों का इलाज सरकारी खर्च पर कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा प्रस्तुत संकल्प

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों और गम्भीर रोगियों का इलाज सरकारी खर्च पर कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चलिये प्रस्तुत मान लिया गया।

वाराणसी दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के गंगातट के पक्के महल के निवासियों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 (जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन) योजनान्तर्गत पेयजलापूर्ति पाइप लाइनों तथा सीवर लाइनों की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) का संकल्प

(श्री श्यामदेव राय चौधरी जी के अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्तुत नहीं हुआ, इसे व्यपगत किया जाता है।

प्रदेश में लगातार घटते भू-गर्भ जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए जल (पानी) को मौलिक अधिकार में शामिल किये जाने हेतु संविधान में यथावश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में लगातार घटते भू-गर्भ जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए जल (पानी) को मौलिक अधिकार में शामिल किये जाने हेतु संविधान में यथावश्यक संशोधन किया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चलिये प्रस्तुत मान लिया गया।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12-08-2010 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 67 सूचनायें प्राप्त हुईं, निम्नलिखित मा0 सदस्यों के नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है :-

पहली सूचना श्री कौकब हमीद खाँ की लखनऊ के इन्दिरानगर स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासीय परिसर सेक्टर-21/103 निवासी सब-इन्सपेक्टर पुलिस के दुव्यर्वहार के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की बस्ती के थाना कोतवाली नगर अन्तर्गत निवासी मृतक श्री शैलेन्द्र पाण्डेय के अभियुक्तों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की वाराणसी में बेसिक सर्विसेज अरबन पुअर योजना अन्तर्गत आवासों का निर्माण मानक के विपरीत किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की जनपद सिद्धार्थनगर में बरसात न होने के कारण सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में। पांचवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की बुन्देलखण्ड विकास निधि को पूर्व की भांति जिलांश 2010-11 की धनराशि का प्रस्ताव लेने एवं विभागों का प्रतिबन्ध हटाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद की सिम्भावली शुगर मिल के गन्दे पानी को गंगा नदी में छोड़ने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री कैलाश चौरसिया की बांदा के ग्राम तारा में जमुना नदी संगाम तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु बोल्डर आपूर्ति में की गई हेरा-फेरी की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की खीरी के ग्राम लालापुर निवासी विजय कुमार वर्मा के घर पड़ी डकैती से सम्बन्धित मुकदमा दर्ज करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री राजाराम त्यागी की रायबरेली स्थित जौनपुर ब्रांच नहर के माइनरों के हेड नीचे कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा स्टेडियम के बहुद्देश्यीय हाल के घटिया निर्माण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी की लखीमपुर खीरी के ग्राम बैरिया निवासी अली हुसैन के साथ मारपीट करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज एवं गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर की तहसील बिलासपुर की सीएच0सी0 में उपचार सम्बन्धी उपकरणों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री महेश

चन्द्र गुप्ता की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत डिग्री धारक बेरोजगारों को रोजगार सुनिश्चत कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय की इलाहाबाद स्थित मेजा रोड, कोहड़ार घाट मुख्य मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराने हेतु धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री सुखलाल की पीलीभीत की नगर पंचायत कालीनगर के मोहल्ला महीगरान में विद्युत व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री जसवन्त सिंह की कुशीनगर के क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज में नेपाल से आने वाली नदियों के कारण हुये किसानों के फसलों के नुकसान का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ में महामाया आवास योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 सूची के सभी अनुसूचित जातियों को आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की कुशीनगर में विद्युत आपूर्ति हेतु आंदोलनकारियों पर फर्जी मुकदमा एवं पुलिस द्वारा की जा रही उत्पीड़न की कार्यवाही के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल की प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारण्टी के अन्तर्गत डी0आर0डी0ए0 द्वारा की गयी खरीददारी में धन का दुरुपयोग करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्रीमती मिथिलेश पाल की मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ के ग्राम भोपा, मोरना, तिस्सा में नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र स्थित लोवर आगरा कैनाल की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ में कार्यदायी संस्था भारतीय को-आपरेटिव ग्रामीण निर्माण एवं विकास लिमिटेड सिधारी द्वारा फर्जी तरीके से विकास निधि का पैसा निकाले जाने के सम्बन्ध में है। तेइसवीं सूचना श्री अशोक कुमार सिंह की रायबरेली के सरेनी स्थित नहरों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौबीसवीं सूचना श्री श्याम नारायण यादव की आजमगढ़ बिलरियागंज सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पच्चीसवीं सूचना श्रीमती मधुबाला पासी की होम्योपैथिक विभाग के निदेशक के नये पद के सृजन के औचित्य के सम्बन्ध में है। छब्बीसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वमा की प्रदेश की बन्द सहकारी कतायी मिलों में कार्यरत वी0आर0एस0 लेने वाले कर्मचारियों से अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में है। सत्ताइसवीं सूचना श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप की लखनऊ के जानकीपुरम् विस्तार आवासीय कालोनी में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री सुधीर कुमार,

2-श्री बैजनाथ दूबे,

3-श्री पंकज कुमार मलिक,

4-श्री विनोद सरोज,

5-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,

6-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

7-श्री अब्बास अली जैदी,

8-श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप,
9-डा0 पी0 के0 राय,
10-श्री इमरान मसूद,
11-श्री सुरेश्वर सिंह,
12-श्री अब्दुल वारिस खां,
13-श्री राधेश्याम जायसवाल,
14-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,
15-श्री लालजी यादव,
16-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा,
17-श्री राजेश कुमार गौतम,
18-श्रीमती विमलेश,
19-श्री दुर्गा प्रसाद यादव,
20-डा0 अनिल चौधरी,
21-श्री सर्वेश कुमार सिंह,
22-श्री इकबाल महमूद,
23-श्री आरिफ अनवर हाशमी,
24-श्रीमती कृष्णा राज,
25-श्री दीनानाथ कुशवाहा,
26-डा0 राजेन्द्र सिंह,
27-श्री जगन प्रसाद गर्ग,
28-चौ0 रवीन्द्र प्रताप,
29-श्री कुबेर सिंह,
30-श्री राधेश्याम गुप्ता,
31-महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी,
32-श्री लल्लू सिंह,
33-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही,
34-श्री उदयभान करवरिया,
35-श्री प्रजापालन,
36-श्री विशम्भर सिंह यादव,
37-श्री शिव गणेश लोधी,
38-श्री दीप नारायण सिंह यादव तथा
39-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी।

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार में मुन्सिफ न्यायालय परिसर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत ...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[श्री ओम प्रकाश सिंह, मा0 नेता, भाजपा विधान मण्डल दल द्वारा दी गयी सूचना दिनांक 9-8-2010 में जनपद मीरजापुर की तहसील चुनार स्थित मुन्सिफ न्यायालय के लिये अलग परिसर के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की मांग करते हुए यह सूचित किया गया है कि तहसील चुनार में भूखण्ड संख्या-33 में लगभग 4 बीघा रकबा खाली है, इसी आराजी संख्या-33 के पास ही नजूल भूमि आराजी 60/1 रकबा 4.173 हे0 में से भी भूमि दी जा सकती है। यह भी सूचित किया है कि तहसील परिसर के अन्दर तहसील का पुराना निष्प्रयोज्य जर्जर भवन जिसका क्षेत्रफल 0.114 हे0 है, जो खाली है, को भी दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। जनता को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने हेतु लोकहित में अलग परिसर व इसकी पूर्ति हेतु भूमि भी उपलब्ध है।

2-प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, मीरजापुर से प्राप्त सूचना दिनांक 9-8-2010 के अनुसार जनपद मीरजापुर की तहसील चुनार स्थित सिविल जज (जू0डि0) का न्यायालय वर्तमान समय में तहसील परिसर में स्थित है तथा उप जिलाधिकारी चुनार के लिये चिन्हित न्यायालय में सिविल जज (जू0डि0) का न्यायालय चल रहा है। सिविल जज (जू0डि0) चुनार परिसर में स्थित उप जिलाधिकारी, चुनार के लिये चिन्हित आवास में रह रहे हैं। नगर पालिका परिषद्, चुनार में स्थित आ0 नं0 33 रकबा 2.530 हे0 में से रकबा 2.151 हे0 में मान्यवर कांशीराम गरीब शहरी आवास योजना के अन्तर्गत आवास बन चुके हैं तथा अवशेष रकबा 0.379 हे0 रिक्त है तथा आ0 नं0 34 में रकबा 1.075 हे0 में से रकबा 1.012 हे0 में मान्यवर कांशीराम गरीब शहरी आवास योजना के तहत आवासीय भवनों का निर्माण चल रहा है। इस प्रकार आ0 नं0 33 व 34 को मान्यवर कांशीराम गरीब शहरी आवास योजना हेतु पूर्व से आरक्षित किया जा चुका है।

जिलाधिकारी, मीरजापुर की उक्त सूचना में यह भी उल्लिखित किया गया है कि आ0 नं0 34 को पूर्व में सिविल जज (जू0डि0) चुनार के न्यायालय व परिसर के लिये प्रस्तावित करने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की योजना थी परन्तु जनपद न्यायाधीश महोदय ने अपने निरीक्षण में आ0 नं0 34 को अनुपयुक्त बताया था। मा0 जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा आ0 नं0 34 को अनुपयुक्त बताये जाने के पश्चात् आ0 नं0 34 तथा आ0 नं0 33 को मान्यवर कांशीराम गरीब शहरी आवास योजना के लिये आरक्षित कर दिया गया था। वर्तमान में नगर पालिका परिषद् चुनार में स्थित आ0 नं0 61/1 क्षेत्रफल 4.173 हे0 भूमि जो अभिलेख में नजूल की भूमि है, में से 2.531 हे0 सिविल जज (जू0डि0) चुनार के न्यायालय एवं आवास परिसर हेतु आरक्षित करने की कार्यवाही प्रचलित है।]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत नहरों को पूरी क्षमता से न चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, कृषि प्रधान देश होने के कारण यहां के 80 प्रतिशत किसानों की आय का मुख्य स्रोत कृषि है और यहां की अर्थव्यवस्था...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[कृषि पर आधारित है। कृषि कार्य के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसलों की सिंचाई होती है, सिंचाई के अभाव में कृषि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समय से कृषि कार्य सम्पादित न होने से जहां इसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश एवं देश की अर्थ व्यवस्था पर पड़ता है, वहीं किसानों के सामने भुखमरी, बच्चों की शिक्षा, पुत्रियों की शादी आदि की भी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है और उनके सामने विभिन्न प्रकार की परेशानियां सुरसा की भांति मुख फैलाये खड़ी हो जाती है।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अन्तर्गत प्रवाहित होने वाले प्रमुख रजवहों अटेहा रजवहा, सगरा रजवहा, उदयपुर रजवहा एवं जायस रजवहा के द्वारा जनपद के एक बहुत बड़े हिस्से की सिंचाई होती है, किन्तु इन नहरों को पूरी क्षमता से न चलाये जाने से जहां टेल तक इनका पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वहीं किसानों को इन रजवहों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है। खरीफ की फसल किसानों की प्रमुख फसल है, किन्तु पानी के अभाव में अभी तक खरीफ की फसल की न तो बुआई हो सकी है और न ही धान की रोपाई ही हो सकी है। उपरोक्त रजवहों सहित अन्य नहरों में पूरी क्षमता से पानी न चलाये जाने एवं 'टेल' तक पानी न पहुंचने के कारण इनके माध्यम से सिंचाई करके होने वाले कृषि कार्य पूरी तरह से बाधित है। किसानों को कृषि कार्य के लिये पानी समय से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहा है। धान खरीफ की सबसे प्रमुख फसल है। समय से सिंचाई के लिये पानी सुलभ न हो पाने के कारण इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा और उत्पादन काफी मात्रा में कम हो जायेगा, जिससे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नहरों में टेल तक पानी न पहुंचने से यह समस्या और भी विकराल हो गयी है। जिसका सीधा असर प्रदेश के किसानों पर पड़ेगा। मानसून की बेरूखी के कारण यह स्थिति और भी अधिक भयावह हो गयी है तथा प्रदेश का किसान कृषि कार्य बाधित होने के कारण अपने भविष्य को लेकर परेशान है और चिन्ताग्रस्त है इसके लिये आवश्यक है कि नहरों में पर्याप्त मात्रा में टेल तक पानी पहुंचाया जाय। जनहित में किसानों को कृषि कार्य के लिये समय से पानी उपलब्ध कराया जाना नितांत आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में किसानों को खरीफ की फसलों के लिये पानी न मिलने के कारण उनमें चिन्ता एवं रोष व्याप्त है।

वक्तव्य :-

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अन्तर्गत प्रवाहित होने वाले प्रमुख राजवहा अटेहा राजवाहा, सगरा राजवाहा, उदयपुर राजवाहा एवं जायस राजवाहा शारदा सहायक पोषक नहर से जल पोषित है। अठेहा राजवहा की कुल लम्बाई 32.30 कि0मी0 शीर्ष पर डिस्चार्ज 22.7 क्यूसेक है। इस राजवाहे का जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील में कि0मी0 13.60 से 32.80 कि0मी0 मध्य का भाग है। इस भाग में अब तक कि0मी0 13.60 से 28.00 कि0मी0 तक जल पहुंचाया जा चुका है। शेष भाग में भी जल पहुंचाने की कार्यवाही चल रही है।

उदयपुर राजवहा की कुल लम्बाई 21.301 कि0मी0 है। इसका शीर्ष पर डिस्चार्ज 75.20 क्यूसेक है। इस राजवहे का प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील में कि0मी0 10.40 से 21.301 कि0मी0 तक मध्य का भाग है। इस भाग में कि0मी0 10.40 से कि0मी0 21.301 तक एक बार टेल तक पानी पहुंचाया जा चुका है एवं पुनः टेल तक पानी पहुंचने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे खरीफ फसल की सिंचाई हो सके।

जायस राजवहा की कुल लम्बाई 57.80 कि0मी0 व शीर्ष पर डिस्चार्ज 44.7 क्यूसेक है। इस नहर के कि0मी0 43.00 से कि0मी0 49.600 मध्य का भाग जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील में है एवं इस नहर के कि0मी0 43.00 से कि0मी0 45.00 तक जल पहुंचाया जा चुका है। शेष भाग में भी जल पहुंचाने की कार्यवाही जारी है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में प्रवाहित होने वाले अठेहा राजवाहा, उदयपुर राजवाहा, जायस राजवाहा की कुल 30 टेल हैं। खरीफ 1418 फसली में मासान्त जुलाई तक 21 टेलों के लक्ष्य के सापेक्ष 13 टेलों को फीड किया जा चुका है। शेष 17 टेलों को भी फीड करने की कार्यवाही जारी हैं शारदा सहायक पोषक नहर से निकले उक्त तीन रजवाहे हैदरगढ़ शाखा के माध्यम से जौनपुर ब्रान्च से पोषित है। हैदरगढ़ शाखा के हेड रेगुलेटर की क्षमता वृद्धि के निर्माण कार्य कराये जाने के कारण 23 मार्च, 2010 से 19 जून, 2010 तक बन्द रहने के बाद माह जून, 2010 के अन्तिम सप्ताह से नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाया जा सका है।

सगरा राजवाहे की कुल लम्बाई 36.600 कि0मी0 है जिसमें से खरीफ 14.18 फसली में रोस्टर के अनुसार नहर को संचालित कर 25.000 कि0मी0 तक पानी पहुंचा दिया गया है। इस

रजवहें से कुल 44 माइनरें निकलती हैं जिनमें से इस नहर के 25.000 कि0मी0 तक के भाग में निकलने वाली 24 नहरों के टेल तक पानी पहुंचा दिया गया है। शेष भाग में भी जल पहुंचाने की कार्यवाही जारी है।

जनपद प्रतापगढ़ तहसील लालगंज में कुल 75 टेल हैं। वर्तमान खरीफ 1418 फसली में अब तक 37 टेलों को फीड किया जा चुका है। शेष 38 नहरों की टेलों को फीड किये जाने की कार्यवाही जारी है।

जनपद प्रतापगढ़ की नहरों में पूर्वी क्षेत्र के अन्य 15 जनपदों की नहरों के साथ जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी से निकाली गयी शारदा सहायक पोषक नहर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। मानसून अवधि में शारदा नदी में कभी-कभी सिल्ट की मात्रा मानक से अधिक हो जाने पर तकनीकी दृष्टि से नहर का संचालन रोकना पड़ता है तथा सिल्ट सामान्य होने पर ही जलापूर्ति पुनः सामान्य हो पाती है, ऐसी स्थिति में नहरों में पानी की कमी हो जाना स्वाभाविक है। इस फसल में दो बार इसी कारण शारदा पोषक नहर के शीर्ष पर दिनांक 22-7-10 से दिनांक 26-7-10 तक एवं 01-08-10 से 03-08-10 तक के लिए जलापूर्ति बाधित रही फिर भी सम्पूर्ण प्रयास कर नहरों में पानी की उपलब्धता रोस्टर के अनुसार बनाये रख कर खरीफ फसल में पानी पहुंचाया गया है।]

जनपद उन्नाव एवं सिद्धार्थनगर के विद्युत उपभोक्ताओं में शहरी क्षेत्र के समान बिलों का भुगतान किये जाने एवं विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदयराज आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्यगण, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :-

''नगर पंचायत पुरवा जनपद उन्नाव के उपभोक्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में ...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[जो समय सीमा निर्धारित है के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है। नगर पंचायत पुरवा के विद्युत उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाकर शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के समान विद्युत बिलों का भुगतान लिया जा रहा है, यदि शहरी क्षेत्र के अनुसार विद्युत बिलों का भुगतान लिया जाता है तो नगर पंचायत पुरवा के विद्युत उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्र के समान विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सिद्धार्थनगर के नगरपालिका परिषद् बांसी क्षेत्र के उपभोक्ता कामर्शियल बिल का भुगतान करते हैं, जबकि आपूर्ति मात्र 3-4 घण्टे की जाती है।''

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में वर्गीकृत है। शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतें आती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत मीटर रहित विद्युत संयोजन दिया जाता है तथा निर्धारित फिक्स रेट पर विद्युत बिल वसूला जाता है। शहरी क्षेत्र यथा नगर निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत विद्युत संयोजन मीटर लगाकर किया जाता है तथा विद्युत नियामक आयोग द्वारा शहरी क्षेत्र हेतु निर्धारित दरों के अनुसार बिलों का निर्धारण एवं वसूली की जाती है। उक्त विभाजन के आधार पर नगर पंचायत पुरवा एवं नगरपालिका परिषद् बांसी शहरी क्षेत्र में वर्गीकृत है। अतः उक्त क्षेत्र के निवासियों को मीटर सहित संयोजन देकर उक्त क्षेत्रों हेतु निर्धारित दरों पर बिलों की वसूली की जा रही है।

जहां तक उक्त क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति का प्रश्न है, विद्युत मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी के कारण नगर पंचायत पुरवा क्षेत्र को वर्तमान में लगभग 7 से 8 घण्टे तथा नगरपालिका बांसी को 11 से 12 घण्टे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।]

जनपद मथुरा की तहसील महावन स्थित चिन्ताहरण महादेव मन्दिर की चहारदीवारी के निर्माण हेतु जिला योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री प्रदीप माथुर, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 9-8-2010 को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[''वृन्दावन का चिन्ताहरण महादेव मन्दिर अत्यन्त प्राचीन मन्दिर है। इसके चारों ओर चहारदीवारी के निर्माण हेतु मा0 सदस्य, विधान सभा जनपद मथुरा श्री रावत व स्वयं द्वारा जिला योजना में चहारदीवारी के निर्माण हेतु प्रस्ताव किया गया था। इसके लिये जनपद स्तर से 20 लाख रुपये की मांग शासन स्तर पर लम्बित है। चहारदीवारी न बनने से असुरक्षा है।''

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2010-11 में जनपद मथुरा की 6 योजनाओं के लिए रु0 100.00 लाख के परिव्यय के सापेक्ष निम्न योजनाएं प्रस्तावित की गयी हैं :-

1-दौतान स्थित शाही तालाब का पर्यटन विकास	रु0 20.00 लाख
2-राधारानी जन्म स्थन (रावल) का पर्यटन विकास	रु0 20.00 लाख
3-गिरधरपुर स्थित महिषासुर मर्दनी का विकास	रु0 20.00 लाख
4-झाड़ी वाले हनुमान जी का स्थल विकास	रु0 20.00 लाख
5-अंकूर घाट का पुनरुद्धार	रु0 20.00 लाख

जिला योजना समिति की दिनांक 01-4-2010 को मथुरा में हुयी बैठक में मा0 विधायकगण के प्रस्तावों पर पर्यटन विभाग के परिव्यय को बढ़ाते हुए महावन स्थित हनुमान जी का पर्यटन विकास, झाब स्थित होली स्थल का पर्यटन विकास चिन्ताहरण महादेव का पर्यटन विकास, गिरधरपुर स्थित महिषासुर मर्दनी के पर्यटन विकास तथा बाकी बहुलावन के जीर्णोद्धार को सम्मिलित करने की सहमति व्यक्त की गयी। इस प्रकार मा0 विधायकगण द्वारा दिनांक 18-1-2010 की बैठक में पर्यटन विभाग के परिव्यय को बढ़ाये जाने का भी निर्णय लिया गया था, जिसमें रु0 100.00 लाख के परिव्यय को रु0 135.00 लाख से बढ़ाये जाने का प्रस्ताव था परन्तु नियोजन विभाग द्वारा रु0 135.00 लाख के परिव्यय बढ़ाये जाने हेतु अनुमोदन अपेक्षित है। नियोजन विभाग द्वारा बढ़े हुए परिव्यय के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रकार पर्यटन विभाग में प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

जिला योजना समिति द्वारा चिन्ताहरण महादेव के पर्यटन विकास की योजना अनुमोदित की गयी। पर्यटन विकास के अन्तर्गत मन्दिर के बाउन्ड्रीवाल का कार्य अनुमन्य नहीं होता है। पर्यटन विकास के अन्तर्गत यात्रीछादक, सड़क, पहुंच मार्ग, पेयजल, व्यवस्था कार्य ही अनुमन्य है। यदि अनुमन्य मदों में प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उक्त प्रस्ताव पर परिव्यय एवं बजट उपलब्धता के दृष्टिगत स्वीकृति के लिए नियमानुसार विचार किया जाता है।]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों को गेहूं भेजने से पहले गुणवत्ता परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बी0पी0एल0 परिवारों में मिड-डे-मील के लिये जो गेहूं भेजा जाता है...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[वह एफ0सी0आई0 के गोदामों से बिना परीक्षण के सीधा भेजा जा रहा है। अभी अगस्त, 2010 में खाद्य निगम ने अपने खुले आसमान के नीचे रखा गेहूं जो वर्ष 2008-09 का है प्रदेश को पहले देने का निर्णय किया है अभी (अगस्त, 2010 प्रथम सप्ताह) खाद्य निगम के कई गोदामों रोजा, शाहजहांपुर में सड़ा, घुना तथा कीड़ा लगा गेहूं पाया गया। यही गेहूं यदि बिना गुणवत्ता टेस्ट किये राशन की दुकानों को मिड-डे-मील के लिये पहुंचेगा तो निश्चित जन स्वास्थ्य को खतरा होगा। जनहित में बिना परीक्षण गेहूं भेजना उचित नहीं हैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मा0 सदस्य ने वक्तव्य की मांग की है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारतीय खाद्य निगम के डिपो से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं का गेहूं प्राप्त करने से पूर्व निरीक्षण का प्राविधान है इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम ने अवगत कराया है कि जनपद शाहजहांपुर में पी0डी0एस0 एवं मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत निर्गत किया गया गेहूं भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के मानकों के अनुरूप है एवं उसको नमूनों के विश्लेषण के उपरान्त ही जारी किया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने यह भी अवगत कराया है कि जहां तक खुले में भण्डारित गेहूं की निकासी वरीयता पर करने का प्रश्न है यह उनकी विभागीय नीतियों के अनुरूप है।

भारतीय खाद्य निगम ने यह भी अवगत कराया है कि जनपद शाहजहांपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बी0पी0एल0 परिवारों व मिड-डे-मील के लिए जो गेहूं भेजा जाता है वह एफ0सी0आई0 के गोदामों में गुणवत्ता का परीक्षण करने के उपरान्त ही भेजा जाता है, फिर भी उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को यह निर्देशित कर दिया है कि राज्य सरकार को निर्गत किये जाने वाले खाद्यान्न का राज्य सरकार के एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से गुणवत्ता परीक्षण कर लिया जाय तथा अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न ही निर्गत किया जाय। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा भी मिड-डे-मील के अन्तर्गत निर्गत खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।]

जनपद बहराइच स्थित परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों में नवनियुक्त अध्यापकों के स्थानान्तरण में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की तैनाती नियमावली, 2008 के तहत अति...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[पिछड़े क्षेत्रों में फरवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों में की गयी, जिसमें खासकर जनपद बहराइच में लगभग 1000 अध्यापकों की तैनाती का शासनादेश संख्या-1416/79-5-2008-158-07, दिनांक 18-8-08 एवं संशोधित शासनादेश दिनांक 15-1-10 में किये गये प्राविधानानुसार किसी नवनियुक्ति पुरुष अध्यापक का स्थानान्तरण 05 वर्ष तथा महिला अध्यापक का स्थानान्तरण 02 वर्ष पूर्व नहीं हो सकता है। श्री धर्मेन्द्र कुमार सक्सेना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच शासन के नुमाइन्दे हैं, ने शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए माह मई, 2010 के अन्तिम सप्ताह में लगभग 150 से 175 तक नवनियुक्त अध्यापकों के स्थानान्तरण सामान्य क्षेत्रों एवं शहर के नजदीक किये हैं और उनसे करोड़ों रुपये का धन उगाही किये हुए हैं। मान्यवर, ऐसे स्थानान्तरण से जनपद के पिछड़े क्षेत्रों में सैकड़ों स्कूल बन्द हो गये हैं। जहां पर कोई अध्यापक ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सभी का स्थानान्तरण आदेश एक ही दिनांक में जारी किये गये हैं जो कि स्वयं फर्जीवाड़े का प्रमाण है। उक्त से भिन्न सामान्य अध्यापक जो स्थानान्तरण चाहते हैं किन्तु उनके पास धन का अभाव होने के कारण उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है। अगर वह लोग कुछ बोलते हैं तो उनको धमकी देकर कहते हैं कि निलम्बित कर दिया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा किये गये स्थानान्तरण की शिकायत जिलाधिकारी, बहराइच, मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल एवं सचिव, बेसिक शिक्षा से भी की गयी है किन्तु अब तक इनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाये और इससे क्षेत्रीय लोगों में असन्तोष व्याप्त हो गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा जनपद स्तरीय स्थानान्तरण हेतु गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त 138 अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया इनमें से 21 पुरुष अध्यापकों का त्रुटिपूर्ण स्थानान्तरण होने के कारण उन्हें 30 जुलाई, 2010 का पुनः संशोधित कर दिया गया है। स्थानानतरण/समायोजन के फलस्वरूप विद्यालय बन्द नहीं हुए हैं अपितु सेवानिवृत्ति/पदोन्नति आदि के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों के कारण बन्द हो रहे विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की गयी है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश भी दे दिये गये हैं कि स्थानान्तरण/समायोजन के फलस्वरूप यदि किसी विद्यालय में शिक्षक विहीन होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उन्हें कदापि कार्यमुक्त न किया जाये।

यह भी उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच हेतु सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), फैजाबाद की एक द्विसदस्यीय वरिष्ठ अधिकारियों की समिति दिनांक 10-8-2010 को गठित कर दी गयी है। समिति से यह अपेक्षा की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गयी है कि समिति जांच की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण कर जांच आख्या उपलब्ध करायेगी। समिति की जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद इलाहाबाद स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 96 पर तेलियरगंज एवं फाफामऊ के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि इलाहाबाद देश का प्राचीनतम शहर है....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[यहां पर अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की मुख्य पीठ, ए0जी0 आफिस का मुख्य कार्यालय तथा केन्द्रीय एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के मुख्यालयों के अतिरिक्त सारी दुनिया का एक मात्र गंगा यमुना का संगम भी यही होता है जहां करोड़ों की संख्या में स्नानार्थी एवं दर्शनार्थी प्रतिवर्ष आते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक दिन लाखों का भार गंगा नदी पर एन0एच0-96 पर बने एक मात्र पुल पर पड़ता है जो फाफामऊ में स्थित है जो आवागमन को देखते हुए पर्याप्त नहीं है और इसी कारण प्रत्येक दिन सुबह शाम 4 से 6 घण्टे का जाम यहां पर लगता है। एक पुल पूरी तरह से अपर्याप्त है जो दूसरा कर्जन पुल था पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन के लिये प्रतिबन्धित है। वर्ष 2013 में कुम्भ पड़ेगा, जहां दुनिया का बहुत बड़ा मेला लगेगा। अतः यहां पर पुल का निर्माण वर्ष 2013 के पूर्व होना अति आवश्यक है। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कुम्भ मेला 2013 के पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग 96 पर तेलियरगंज एवं फाफामऊ के मध्य एक पुल बनाये जाने की मांग की गयी है।

2-उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 96 पर तेलियरगंज एवं फाफामऊ के मध्य एक पुल बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् है :-

इलाहाबाद शहर में फैजाबाद-इलाहाबाद रा0मा0-96 के कि0मी0 148 से 149 में गंगा नदी पर फाफामऊ के समीप दो लेन चौड़ा सेतु स्थित है। गंगा नदी पर कर्जन सेतु नाम से पुराना सेतु भी स्थित है, जो क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात हेतु प्रतिबन्धित है। गंगा नदी पर सेतु

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका स्वामित्व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है एवं इस पर कोई भी निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 06 बजकर 36 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 12 अगस्त, 2010

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये ता0 प्र0 सं0-5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35-36 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2010 के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-05 की अनुपूरक सामग्री

युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण युवा शक्ति को गतिशील एवं क्रियाशील बनाने तथा रचनात्मक कार्यों में उनकी सहभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु खेलकूद से सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित ढंग से आयोजित किये जाते हैं। विगत वर्षों में अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं के अन्तर्गत 16 वर्षीय बालक/बालिकाओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर कराकर राज्य स्तर की प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ियों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग हेतु भेजा जाता था। वर्ष 2008-09 से उक्त प्रतियोगितायें पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के संयुक्त सहयोग से वृहद रूप से आयोजित की जा रही है।

वर्तमान में विभाग द्वारा अधोलिखित खेल प्रतियोगितायें आयोजित करायी जाती हैं :-

1-पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान

2-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

3-मान्यवर काशी राम जन्म स्मृति खेल समारोह

(1) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान

इसके अन्तर्गत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित आबादी के राष्ट्रीय मानक 4600 को आधार मानकर प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2008-09 से आरम्भ कर वित्तीय वर्ष 2016-17 तक खेल अवसंरचना के विकास से आच्छादित किया जाना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम 04 वर्षों में प्रदेश की कुल ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों का प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से चयन किया जाना है। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल अवसंरचना के विकास के लिए कम से कम आधा एकड़ तथा क्षेत्र पंचायत स्तर हेतु कम से कम 03 एकड़ भूमि आवश्यक होगी। इस हेतु ग्राम पंचायतों का चयन जनपद की ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के अवरोही क्रम में की जा रही है।

इस योजना के घटक निम्नवत् हैं :-

1-एककालिक पूंजीगत अनुदान

वित्तीय वर्ष 2008-09 में इस अनुदान से खेल अवसंरचना के विकास हेतु 5203 ग्राम पंचायतों एवं 82 क्षेत्र पंचायतों का चयन किया गया है। इस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कुल लागत रु0 1.00 लाख (रु0 75,000.00 केन्द्र सरकार द्वारा तथा रु0 25,000.00 राज्य सरकार) की धनराशि व्यय की जायेगी। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत स्तर पर कुल लागत रु0 5.00 लाख (रु0 3,75,000.00 केन्द्र सरकार द्वारा तथा रु0 1,25,000.00 राज्य सरकार) द्वारा धनराशि व्यय कर खेल अवसंरचना का विकास किया जायेगा।

2-वार्षिक अधिग्रहण अनुदान

इसके अन्तर्गत भारत सरकार रु0 10,000.00 प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा रु0 20,000.00 प्रति एकड़ ब्लाक पंचायत उपलब्ध कराई जायेगी। इससे खेलकूद उपकरण, सहायक उपकरण, सहायता फिक्सचरों, उपभोज्य सामानों की खरीद और मरम्मत की जायेगी। भारत सरकार द्वारा यह अनुदान 05 वर्ष तक दिया जायेगा। निर्धारित अवधि 05 वर्ष के उपरान्त इन मदों के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय निकाय जिम्मेदार होंगे।

3-वार्षिक प्रचलनात्मक अनुदान

इसके अन्तर्गत भारत सरकार रु0 12,000.00 प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा रु0 24,000.00 प्रति ब्लाक पंचायत उपलब्ध कराई जायेगी। इससे क्रीड़ाश्री को मानदेय, बुनियादी संरचना के रख-रखाव एवं गैरप्रतिस्पर्धी क्रिया-कलाप आयोजित किए जायेंगे। ग्राम पंचायत स्तर के क्रीड़ाश्री को रु0 500.00 तथा क्षेत्र पंचायत स्तर के क्रीड़ाश्री को रु0 1,000.00 की धनराशि प्रतिमाह दी जायेगी भारत सरकार द्वारा यह अनुदान 05 वर्ष तक दिया जायेगा। निर्धारित अवधि के 05 वर्ष के उपरान्त इन मदों के वित्त पोषण के लिये राज्य सरकार/स्थानीय निकाय जिम्मेदार होंगे।

4-वार्षिक प्रतिस्पर्धी अनुदान

भारत सरकार द्वारा पायका के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों की प्रतियोगिताओं हेतु अधोलिखित विवरण के अनुसार शत प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है:-

(अ) विकास खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित 10 खेल विधाओं में से अधिकतम 05 एवं न्यूनतम 03 खेल विधाओं में प्रतियोगितायें आयोजित कराई जायेंगी, जिसमें प्रति विधा रु0 10,000.00 का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिये जाने का प्राविधान है।

(ब) जनपद स्तरीय प्रतियोगिता

जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित 10 खेल विधाओं में से अधिकतम 10 एवं न्यूनतम 05 खेल विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा, जिसमें प्रति विधा रु0 20,000.00 का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिये जाने का प्राविधान है।

(स) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित 10 खेल विधाओं में से अधिकतम 10 एवं न्यूनतम 08 खेल विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा, जिसमें प्रति विधा रु0 80,000.00 का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त राज्य सेक्टर के अन्तर्गत अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि का उपयोग भी इस प्रतियोगिता के वृहद् आयोजन में किया जाता है।

विकास खण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर की प्रतियोगितायें राष्ट्रीय स्तर की निर्धारित प्रतियोगिताओं के अनुसार आयोजित करायी जाती हैं।

(द) पुरस्कार राशि

ब्लाक स्तरीय प्रतियोगिता हेतु प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान धारक विजेता ग्राम पंचायत के पुरस्कार हेतु क्रमशः रु0 20,000.00, 12,000.00 एवं 4,000.00 तथा ट्राफी, शील्ड, प्रमाण-पत्र, मेडल एवं व्यक्तिगत पुरस्कार आदि हेतु रु0 9,000.00 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता हेतु प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान धारक विजेता क्षेत्र पंचायत के पुरस्कार हेतु क्रमशः रु0 40,000.00, 24,000.00 एवं 8,000.00 तथा ट्राफी, शील्ड, प्रमाण-पत्र, मेडल एवं व्यक्तिगत पुरस्कार आदि हेतु रु0 18,000.00 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु क्रमशः रु0 75,000.00, 50,000.00 एवं 25,000.00 तथा ट्राफी, शील्ड, प्रमाण-पत्र, मेडल एवं व्यक्तिगत पुरस्कार आदि हेतु रु0 25,000.00 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभार कराकर उनको खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर सुलभ कराया जाता है।

(2)-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

ग्रामीण खुली खेल प्रतियोगिता विभाग की सर्वाधिक लोकप्रिय खेलकूद प्रतियोगिता है, इस हेतु जिला सेक्टर योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधानित बजट से निम्नवत् प्रतियोगितायें आयोजित करायी जाती हैं:-

1-विकास खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता-

ग्रामीण क्षेत्रों के आयु बंधनरहित एथलेटिक्स, कुश्ती, बालीवाल, भारोत्तोलन एवं कबड्डी के खिलाड़ियों को आमंत्रित कर उक्त खेल विधाओं में प्रतियोगितायें सम्पन्न करायी जाती हैं।

2-जनपद स्तरीय प्रतियोगिता-

उक्त खेल विधाओं के विकास खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को आमंत्रित कर जनपद स्तरीय प्रतियोगिता सम्पन्न करायी जाती है।

उक्त दोनों स्तरों की प्रतियोगितायें क्रमशः दिसम्बर एवं जनवरी में आयोजित करायी जाती हैं।

(3)-मा0 कांशीराम जन्म स्मृति खेल समारोह

वित्तीय वर्ष 2008-09 से आरम्भ इस समारोह में राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधानित बजट से निम्नवत् प्रयितोगिता आयोजित करायी जाती है :-

1-मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता-एथलेटिक्स, कुश्ती, बालीवाल, भारोत्तोलन एवं कबड्डी के खेल विधायें जनपद स्तरीय विजेता खिलाड़ियों को आमंत्रित कर मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता सम्पन्न करायी जाती है।

2-राज्य स्तरीय प्रतियोगिता-

उक्त खेल विधाओं के मण्डल स्तरीय विजेता खिलाड़ियों को आमंत्रित कर राज्य स्तरीय प्रतियोगितायें सम्पन्न करायी जाती हैं।

उक्त दोनों स्तरों की प्रतियोगितायें क्रमशः फरवरी एवं मार्च में आयोजित करायी जाती हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये ता0 प्र0 सं0-27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2010 के 1ले गुरु0 के लिए निर्धारित श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-27 के उत्तर का संलग्नक

वर्ष 2008-09 सामान्य मार्ग

क्र0सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	लागत (रु0 लाख में)
1	खुर्जा बड़ा गांव मार्ग से महगूदपुर तक।	0.62	14.79
2	गवां की पक्की सड़क से नहर की पटरी होते हुए मुण्डा खेड़ा का अवशेष भाग।	0.11	2.01
3	बम्बे के पुल से क्यौली ग्राम तक।	2.25	44.20
4	अमरपुर से शिकोई।	1.97	46.73
5	इछावरी से अनूपशहर अलीगढ़ रोड तक प्रथम भाग।	1.885	44.64
6	जीतगढ़ी से सिकन्द्राबाद गुलावटी मार्ग तक प्रथम भाग।	2.70	46.00
7	ग्राम असावरी से रजवाहे की पटरी होते हुए ग्राम चांदौक के पास तक।	1.90	43.99

वर्ष 2008-09 डा0 अम्बेडकर ग्राम मार्ग

1	मोहरसा बामनपुर मार्ग से मदगवां।	1.00	24.02
2	शिकारपुर खुर्जा मार्ग से रजवाहे की पटरी होते हुए आंचरूखुर्द।	1.45	32.69
3	पहासू सोमना मार्ग से पहाड़पुर।	0.45	8.65
4	खानपुर अमरगढ़ मार्ग से तिमरपुर।	0.73	26.43
5	गुलावटी अहमदानगर मार्ग से ग्यास्तीपुर।	0.30	8.19
6	अच्छेजाघाट की पक्की सड़क से नगला इब्राहिमपुर।	0.97	32.75
7	सूरजपुर टीकरी औरंगाबाद मार्ग से प्रेमपुर।	0.15	3.56
8	सिकन्द्राबाद बराल मार्ग से मन्जूपुर।	5.52	145.17

वर्ष 2009-10 सामान्य मार्ग

1	जीतगढ़ी से सिकन्द्राबाद गुलावटी मार्ग तक अवशेष भाग।	0.70	13.10
2	फरीदपुर हसनपुर मार्ग से अंधैल तक।	1.70	33.43
3	आढ़ा मार्ग से सराघासी तक।	1.25	24.17
4	इछावरी से अलीगढ़ अनूपशहर रोड तक अवशेष भाग।	1.50	38.52

क्र0सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	लागत (रु0 लाख में)
5	हुलासन से जलालापुर तक।	3.00	59.86
6	डरौरा की पक्की सड़क से जटपुरा होते हुए डूंगराजाट तक।	4.85	120.77
7	खुर्जा में पेट्रोल पम्प के सामने जी0टी0 रोड से ग्राम उस्मापुर तक।	1.20	29.23
8	पचौता से कैथरा तक।	2.70	52.53
9	बनवारीपुर से सुल्तानपुर खेड़ा होते हुए पूठरी तक।	2.50	52.37
10	ग्राम भैंसाखुर से ग्राम सेहरा तक।	0.96	34.81
11	ग्राम दानगढ़ से बादौर तक।	3.30	85.96
12	ग्राम दानगढ़ से अकबरपुर तक।	1.00	31.99

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 18 दुग्ध समितियां कार्यरत हैं व 20 दुग्ध समितियां अकार्यरत हैं। सभी कार्यरत व अकार्यरत समितियों के नाम व पता निम्नवत् हैं :-

श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित दुग्ध समितियों की सूची

क्र0सं0	कार्यरत दुग्ध समिति का नाम	ब्लाक का नाम	पता
1	फोड़री	फूलबेहड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, कोडरी
2	सैदापुर भाऊ	लखीमपुर	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, सैदापुर भाऊ
3	गनेशपुर	लखीमपुर	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, गनेशपुर
4	बहेरवा	लखीमपुर	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, बहेरवा
5	मुडिया मिश्र	फूलबेहड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, मुडिया मिश्र
6	मोहम्मदपुर	फूलबेहड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, मोहम्मदपुर
7	सिकटिहा	फूलबेहड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, सिकटिहा
8	रमुवापुर	फूलबेहड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, रमुवापुर
9	बसहामाफी	फूलबेहड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, बसहामाफी
10	लौकिहा	फूलबेहड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, लौकिहा
11	चरपला	फूलबेहड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, चरपला
12	फूटाकुआं	फूलबेहड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, फूटाकुआं
13	पचतौर	बांकेगंज	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, पचतौर
14	मुस्तफाबाद	बांकेगंज	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, मुस्तफाबाद
15	सेमरिया	बांकेगंज	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, सेमरिया
16	बेलखुर्द	नकहा	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, बेलखुर्द
17	खोरिया	नकहा	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, खोरिया
18	बेचेपुरवा	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, बेचेपुरवा

श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बन्द दुग्ध समितियों की सूची

1	भदूरा	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, भदूरा
2	सकेथू	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, सकेथू
3	मूर्तिहा	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, मूर्तिहा
4	पचपड़वा	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, पचपड़वा
5	सुन्दरवल	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, सुन्दरवल
6	चकन्दी	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, चकन्दी
7	सैदापुर	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, सैदापुर
8	सरवा	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, सरवा

क्र0सं0	कार्यरत दुग्ध समिति का नाम	ब्लाक का नाम	पता
9	मूम	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, मूम
10	कोठिया	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, कोठिया
11	सांडाफार्म	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, सांडाफार्म
12	सकरन	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, सकरन
13	ककरपिट्टा	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, ककरपिट्टा
14	पेपरानदीपार	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, पेपरानदीपार
15	डल्लापुरवा	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, डल्लापुरवा
16	मकसोहा	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, मकसोहा
17	घोसियाना खुर्द	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, घोसियाना खुर्द
18	ढखवा	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, ढखवा
19	काशीरामपुरवा	फूलबहेड़	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, काशीरामपुरवा
20	रामनगर	नकहा	दुग्ध उ0 सह0 समिति लि0, रामनगर

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-107 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84 पर)

क्र0सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम
	वर्ष 2007-08
1	कसियारा से चरथावल मार्ग तक।
2	चरथावल मार्ग से अलीगढ़।
3	मॉडला से खाईखेड़ी तक।
4	फलौदा से खाईखेड़ी तक।
5	रसूलपुर से चरथावल तक।
6	कसियारा से कछौली तक।
7	कसियारा चरथावल मार्ग से रोहना चरथावल मार्ग राजवाहे की पटरी तक।
8	रोहाना से मलीरा तक।
9	बड़कली फाटक से बेहड़ी तक।
10	बल्लू के माजरा से रायपुर तक।
11	चरथावल रोहाना मार्ग से अहलावलपुर तक।
12	जयभगवानपुर से रेता नगला।
13	चरथावल होली चौक रसूलपुर मार्ग से किशनपुर।
14	रेता नगला से खोजा नगला तक।
15	मु0 नगर बाई पास से बागोवाली।
16	मॉडल से फलौदा तक।
17	दुल्हेरा कमालपुर से सदरुदीनगर मार्ग तक।
18	भभीसा से डांगरोल।
19	घसौली से लुम्ब बागपत सीमा तक।
20	भूम्मा नहर के पुल से कुतुबपुर तक अवशेष भाग।
21	सरस्वती इण्टर कालेज पीपलहेड़ी से चांद समद तक।
22	कसेरवा से सिलाजुड्डी तक।
23	कैलशिकारपुर मार्ग से पठानपुरा मार्ग तक।
24	गोगवान मुख्य मार्ग से जमालपुर।
25	विडोली चौसाना मार्ग से चौसाना जदीद लक्ष्मणपुरा।
26	कैराना कांघला मार्ग से फजलपुर।
27	शाहपुर गोयला मार्ग मोहम्मदपुर जुनारदार होते हुए धनायन मार्ग की ओर।
28	जौला कुरालसी मार्ग से बहलोलपुर तक।
	वर्ष 2008-09
29	मुजफ्फरनगर शामली मार्ग से जसोई।
30	अन्तबाड़ा से भलुआ तक।

क्र0सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम
31	तिसंग से खानपुर तक।
32	थानाभवन चरथावल मार्ग से लोहारी खुर्द।
33	भारसी से एलम तक।
34	धमात से भूराहेड़ी तक।
35	नाई नगला से नाई नगला नवीन।
36	भदौली मारकपुर से दादूपुर तक।
37	दादूपुर से नानूपुर तक।
38	के0के0 मार्ग से कि0मी0 17 से शाहपुर तक।
39	बुढ़ाना चन्देड़ी नगया मार्ग से उकावली।
40	मेरठ करनाल मार्ग से सन्ठेड़ी।
41	बेदखेड़ी से पावटी खुर्द तक।
	वर्ष 2009-10
42	चिन्दौड़ा भट्टे से बसायत तक।
43	भारसी से कनियान होते हुए भनेड़ा तक।
44	कासमपुर से छपार सिमरथी मार्ग।
45	छपार साहदरा मार्ग कासमपुर।
46	भौराकलॉ जूनियर हाई स्कूल रजवाहे की पटरी से कुराबा तक।
47	डंगरोल से कनियान।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-142 का उत्तर पीछे पृष्ठ 99 पर)

प्रदेश में कार्यरत निजी शीतगृहों की भण्डारण क्षमता का विवरण 2009

क्र0सं0	जनपद/मण्डल	चालू शीतगृहों की सं0	भण्डारण क्षमता (टन में)
1	सहारनपुर	5	15109.48
2	मुजफ्फरनगर	17	151029.00
	सहारनपुर मण्डल	**22**	**166138.48**
3	मेरठ	28	132122.00
4	बागपत	4	2000.00
5	बुलन्दशहर	31	124856.54
6	गाजियाबाद	27	150831.54
7	गौतमबुद्धनगर	1	4501.00
	मेरठ मण्डल	**91**	**414311.08**
8	अलीगढ़	60	410261.10
9	हाथरस	70	587842.00
10	एटा	14	97388.49
11	कांशीराम नगर	10	61712.08
	अलीगढ़ मण्डल	**154**	**1157203.67**
12	मथुरा	25	201750.00
13	आगरा	213	1724904.00
14	फिरोजाबाद	116	1023919.00
15	मैनपुरी	26	207562.00
	आगरा मण्डल	**380**	**3158135.00**
16	बरेली	20	87691.00
17	बदायूं	64	255100.00
18	शाहजहांपुर	19	82544.00
19	पीलीभीत	2	3950.00
	बरेली मण्डल	**105**	**429285.00**
20	बिजनौर	7	7901.90
21	मुरादाबाद	36	267090.40
22	ज्योतिबाफूलेनगर	17	71391.18
23	रामपुर	5	22858.50
	मुरादाबाद मण्डल	**65**	**369241.98**

क्र0सं0	जनपद/मण्डल	चालू शीतगृहों की सं0	भण्डारण क्षमता (टन में)
24	फर्रुखाबाद	58	505816.00
25	कन्नौज	89	852402.00
26	इटावा	35	342599.00
27	औरैया	5	33491.00
28	कानपुर नगर	46	414234.00
29	कानपुर देहात	4	33869.00
	कानपुर मण्डल	**237**	**2182411.00**
30	फतेहपुर	11	79294.41
31	इलाहाबाद	38	290226.40
32	कौशाम्बी	5	37308.70
33	प्रतापगढ़	7	43583.70
	इलाहाबाद मण्डल	**61**	**450413.21**
34	झांसी	1	4000.00
35	ललितपुर	0	0.00
36	जालौन	1	810.00
	झांसी मण्डल	2	4810.00
37	बांदा	0	0.00
38	चित्रकूट	0	0.00
39	हमीरपुर	0	0.00
40	महोबा	0	0.00
	चित्रकूटधाम मण्डल	**0**	**0.00**
41	वाराणसी	10	24224.00
42	चन्दौली	1	0.00
43	जौनपुर	22	206309.00
44	गाजीपुर	34	219548.20
	वाराणसी मण्डल	**67**	**450081.20**
45	मिर्जापुर	7	17451.90
46	सोनभद्र	0	0.00
47	रविदास नगर	2	10386.30
	मिर्जापुर मण्डल	**9**	**27838.20**
48	बलिया	9	51598.80

क्र0सं0	जनपद/मण्डल	चालू शीतगृहों की सं0	भण्डारण क्षमता (टन में)
49	आजमगढ़	8	21499.36
50	मऊ	2	12577.65
	आजमगढ़ मण्डल	**19**	**85675.81**
51	गोरखपुर	8	41391.51
52	महराजगंज	5	20874.00
53	देवरिया	1	800.00
54	कुशीनगर	1	2200.00
	गोरखपुर मण्डल	**15**	**65265.51**
55	बस्ती	2	9163.00
56	संतकबीर नगर	2	15059.00
57	सिद्धार्थनगर	0	0.00
	बस्ती मण्डल	**4**	**24222.00**
58	गोण्डा	7	20532.00
59	बलरामपुर	1	3872.00
60	बहराइच	7	47777.80
61	श्रावस्ती	0	0.00
	देवीपाटन मण्डल	15	72181.80
62	लखनऊ	19	110997.00
63	उन्नाव	12	94113.37
64	रायबरेली	23	160000.00
65	सीतापुर	7	26355.56
66	हरदोई	21	107544.10
67	लखीमपुर खीरी	1	8598.84
	लखनऊ मण्डल	**83**	**507608.87**
68	फैजाबाद	9	55238.52
69	अम्बेडकर नगर	10	41226.00
70	सुल्तानपुर	5	23119.70
71	बाराबंकी	21	191839.09
	फैजाबाद मण्डल	**45**	**311423.31**
	महायोग	**1374**	**9876246.12**

प्रदेश में कार्यरत निजी शीतगृहों की भण्डारण क्षमता का विवरण 2010

क्र0सं0	जनपद/मण्डल	चालू शीतगृहों की सं0	भण्डारण क्षमता (टन में)
1	सहारनपुर	3	10885.02
2	मुजफ्फरनगर	22	118570.04
	सहारनपुर मण्डल	**25**	**129455.06**
3	मेरठ	30	147154.19
4	बागपत	4	14790.96
5	बुलन्दशहर	34	130335.54
6	गाजियाबाद	28	151010.30
7	गौतमबुद्ध नगर	1	4501.00
	मेरठ मण्डल	**97**	**447791.99**
8	अलीगढ़	64	447551.06
9	हाथरस	89	761094.30
10	एटा	17	123688.69
11	कांशीराम नगर	10	61712.08
	अलीगढ़ मण्डल	**180**	**1394046.13**
12	मथुरा	32	312089.60
13	आगरा	213	1757000.00
14	फिरोजाबाद	129	1131675.99
15	मैनपुरी	25	215752.28
	आगरा मण्डल	**399**	**3416517.87**
16	बरेली	21	107712.40
17	बदायूं	54	231665.51
18	शाहजहांपुर	19	86251.03
19	पीलीभीत	3	6950.00
	बरेली मण्डल	**97**	**432578.94**
20	बिजनौर	9	107845.82
21	मुरादाबाद	36	253319.28
22	ज्योतिबाफूलेनगर	17	73326.59
23	रामपुर	5	22558.50
	मुरादाबाद मण्डल	**67**	**457050.19**
24	फर्रुखाबाद	59	516948.76

क्र0सं0	जनपद/मण्डल	चालू शीतगृहों की सं0	भण्डारण क्षमता (टन में)
25	कन्नौज	89	871440.00
26	इटावा	39	366597.30
27	औरैया	6	33491.88
28	कानपुर नगर	48	425783.70
29	कानपुर देहात	4	33869.00
	कानपुर मण्डल	**245**	**2248130.64**
30	फतेहपुर	11	82787.81
31	इलाहाबाद	48	378336.85
32	कौशाम्बी	5	37212.77
33	प्रतापगढ़	7	48002.51
	इलाहाबाद मण्डल	**71**	**546339.94**
34	झांसी	1	4000.00
35	ललितपुर	0	0.00
36	जालौन	1	810.00
	झांसी मण्डल	**2**	**4810.00**
37	बांदा	0	0.00
38	चित्रकूट	0	0.00
39	हमीरपुर	0	0.00
40	महोबा	0	0.00
	चित्रकूटधाम मण्डल	**0**	**0.00**
41	वाराणसी	10	24224.00
42	चन्दौली	0	0.00
43	जौनपुर	23	107466.00
44	गाजीपुर	39	249139.60
	वाराणसी मण्डल	**72**	**380829.60**
45	मिर्जापुर	7	17451.90
46	सोनभद्र	0	0.00
47	रविदास नगर	2	7375.96
	मिर्जापुर मण्डल	**9**	**24827.86**
48	बलिया	9	60548.05
49	आजमगढ़	8	23504.16
50	मऊ	2	12577.65

क्र0सं0	जनपद/मण्डल	चालू शीतगृहों की सं0	भण्डारण क्षमता (टन में)
	आजमगढ़ मण्डल	**19**	**96629.86**
51	गोरखपुर	7	34842.87
52	महराजगंज	6	26354.08
53	देवरिया	0	0.00
54	कुशीनगर	1	2200.00
	गोरखपुर मण्डल	**14**	**63396.95**
55	बस्ती	2	9162.90
56	संतकबीर नगर	2	11059.20
57	सिद्धार्थनगर	0	0.00
	बस्ती मण्डल	**4**	**20222.10**
58	गोण्डा	7	20532.00
59	बलरामपुर	1	3872.00
60	बहराइच	7	47777.80
61	श्रावस्ती	0	0.00
	देवीपाटन मण्डल	**15**	**72181.80**
62	लखनऊ	19	162146.95
63	उन्नाव	12	96566.25
64	रायबरेली	27	200248.19
65	सीतापुर	7	35148.21
66	हरदोई	21	107544.41
67	लखीमपुर खीरी	1	8598.84
	लखनऊ मण्डल	**87**	**610252.85**
68	फैजाबाद	9	55238.51
69	अम्बेडकर नगर	10	47723.50
70	सुल्तानपुर	5	23119.76
71	बाराबंकी	18	173916.40
	फैजाबाद मण्डल	**42**	**299998.17**
	राजकीय शीतगृह	**2**	**6000.00**
	महायोग	**1447**	**10651059.95**

नत्थी 'च'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-148 का उत्तर पीछे पृष्ठ 103 पर)

क्र0सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	विधान सभा क्षेत्र
1	पूरे सुखचैन से होशियारपुर सम्पर्क मार्ग।	पट्टी
2	परमी पट्टी आनापुर ग्राम सम्पर्क मार्ग।	पट्टी
3	चिलबिला रजवाहा का मरम्मत कार्य।	पट्टी
4	रामगंज रजवाहा का मरम्मत कार्य।	पट्टी
5	गंगापुर रजवाहा का मरम्मत कार्य।	पट्टी
6	गंगेहटी मार्ग का मरम्मत कार्य।	पट्टी
7	कन्धई हनुमानगंज हरखइतपुर का मरम्मत कार्य।	पट्टी
8	आसपुर देवसरा से रामपुर बवरिहा का मरम्मत कार्य।	पट्टी
9	नारायणपुर हरदोई का मरम्मत कार्य।	पट्टी
10	बाहूपुर सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य।	पट्टी
11	सराय शंकर पीथा का पूरा का मरम्मत कार्य।	पट्टी
12	गौड़ गांव कापा मधुपुर।	पट्टी
13	होशियारपुर यादव बस्ती का मरम्मत कार्य।	पट्टी
14	रसूलपुर हैदरपुर विभोरपुर मार्ग का मरम्मत कार्य।	पट्टी
15	सरायं आनादेव से भानुप्रताप सिंह के घर तक का मरम्मत कार्य।	पट्टी
16	नोही सरोज बस्ती से भटियामर होते हुए सैफाबाद तक का मरम्मत कार्य।	पट्टी
17	मेंहदिया गोगलापुर इटवा सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य।	पट्टी
18	आला बिरदीपुर सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य।	पट्टी
19	मकरा बाजार अन्तूपुर पूरे बाबू का शेष भाग।	पट्टी
20	अन्तूपुर सम्पर्क मार्ग	पट्टी
21	बिराहमपुर हरीपुर बरदेता एवं डेढुवा का निर्माण कार्य।	पट्टी
22	पट्टी प्रतापगढ़ मार्ग से सर्वजीतपुर शोभा भूज के घर तक।	पट्टी
23	पट्टी प्रतापगढ़ मार्ग से पंडितान बस्ती सर्वजीतपुर।	पट्टी
24	कनैली भोसौनी मार्ग से बहेलियान बस्ती तक।	पट्टी
25	अंतपुर मार्ग से कुर्मियान एवं ब्राह्मण बस्ती।	पट्टी
26	डा0 अम्बेडकर ग्राम शिवपुर औरंगाबाद मार्ग से उदयराम तक का निर्माण कार्य।	पट्टी
27	डा0 अम्बेडकर ग्राम सम्पर्क मार्ग मदाफरपुर कोहडौर मार्ग से विजरा वाजिदपुर तक का निर्माण कार्य।	पट्टी
28	डा0 अम्बेडकर ग्राम पालूपुर हरिजन, यादव एवं दुबान बस्ती तक का	पट्टी

क्र0सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	विधान सभा क्षेत्र
	निर्माण कार्य।	
29	डा0 अम्बेडकर ग्राम भुजौनिया सम्पर्क मार्ग एवं पूरे सेवकी लोकई का पूरा का निर्माण कार्य।	पट्टी

उक्त 29 नग सड़कों में से निम्न 11 नग सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है :-

क्र0सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	विधान सभा क्षेत्र
1	रामगंज रजवाहा का मरम्मत कार्य।	पट्टी
2	नारायणपुर हरदोई का मरम्मत कार्य।	पट्टी
3	बाहूपुर सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य।	पट्टी
4	पट्टी प्रतापगढ़ मार्ग से सर्वजीतपुर शोमा भूज के घर तक।	पट्टी
5	पट्टी प्रतापगढ़ मार्ग से पंडितान बस्ती सर्वजीतपुर।	पट्टी
6	कनैली भोसौनी मार्ग से बहेलियान बस्ती तक।	पट्टी
7	अंतपुर मार्ग से कुर्मियान एवं ब्राह्मण बस्ती।	पट्टी
8	डा0 अम्बेडकर ग्राम शिवपुर औरंगाबाद मार्ग से उदयराम तक का निर्माण कार्य।	पट्टी
9	डा0 अम्बेडकर ग्राम सम्पर्क मार्ग मदाफरपुर कोहडौर मार्ग से विजरा वाजिदपुर तक का निर्माण कार्य।	पट्टी
10	डा0 अम्बेडकर ग्राम पालूपुर हरिजन, यादव एवं दुबान बस्ती तक का निर्माण कार्य।	पट्टी
11	डा0 अम्बेडकर ग्राम भुजौनिया सम्पर्क मार्ग एवं पूरे सेवकी लोकई का पूरा का निर्माण कार्य।	पट्टी

नत्थी 'छ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-159 का उत्तर पीछे पृष्ठ 107 पर)

वर्ष 2008-09

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम/पता	लाभार्थी के पति का नाम/पता
1	श्रीमती तारा देवी पुत्री स्व0 श्री कजेदीन, ग्राम मानिकपुर, प्रतापगढ़।	श्री हीरालाल यादव पुत्र श्री जगन्नाथ यादव, ग्राम/पो0 बजहागीट, मानिकपुर, प्रतापगढ़।
2	श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री सीताराम मिश्र, निवासी ग्राम राकस मिश्रन का पुरवा, जिला बांदा।	श्री कृष्ण कुमार तिवारी पुत्र श्री शिवशंकर तिवारी, निवासी ग्राम रायपुर परखी, पो0 वरावाही कुण्डा, प्रतापगढ़।
3	श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री रामफेर मौर्य ग्राम पूरे करनराम, पो0 जगेशरगंज, लालगंज, प्रतापगढ़।	श्री विशम्भर नाथ मौर्य पुत्र श्री राम खेलावन मौर्य, ग्राम अन्तामऊ, पो0 बजहाभीट, कुण्डा, प्रतापगढ़।
4	श्रीमती संगीता देवी पुत्री श्री रामचन्द्र सोनकर, ग्राम केसरिया, पो0 केसरिया, जिला कौशाम्बी।	श्री मूलचन्द्र सोनकर पुत्र स्व0 राजाराम सोनकर ग्राम बभनपुर, पो0 मानिकपुर, कुण्डा, प्रतापगढ़।

वर्ष 2009-010

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम/पता	लाभार्थी के पति का नाम/पता
1	श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री छेदीलाल निवासी ग्राम धरमपुर, पो0 गड़वारा, प्रतापगढ़।	श्री अमृतलाल पुत्र श्री राजाराम, निवासी ग्राम पल्टन बाजार, प्रतापगढ़।
2	श्रीमती कुसुम देवी पुत्री श्री महादेव यादव, निवासी ग्राम बढ़पुर, पो0 खेगीपुर, कुण्डा, जिला प्रतापगढ़।	श्री देवनाथ यादव पुत्र श्री राम दुलारे यादव, निवासी ग्राम अगोरी की बाजार, लरू, कुण्डा, प्रतापगढ़।
3	श्रीमती तारापती देवी पुत्री श्री मोहन लाल हरिजन, निवासी ग्राम परियावां, कालाकांकर, प्रतापगढ़।	श्री मुन्ना लाल हरिजन पुत्र श्री परऊ हरिजन, निवासी ग्राम अगोरी की बाजार, लरू, कुण्डा, प्रतापगढ़।
4	श्रीमती मिथिलेश पुत्री श्री हीरालाल वर्मा, निवासी ग्राम पूरे पंडित मजरे डाडीखारा, पो0 सगरासुन्दरपुर, प्रतापगढ़।	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री सहदेव वर्मा, निवासी ग्राम पूरीपुर (दुल्हेपुर), प्रतापगढ़।
5	श्रीमती रेखा पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, निवासी ग्राम खगपुर दुबे पट्टी तहसील रानीगंज, प्रतापगढ़।	श्री बृजेश नरायन शुक्ल पुत्र श्री त्रिभुवन नाथ, निवासी ग्राम पूरे घनश्याम सिलौधी, तहसील रानीगंज, प्रतापगढ़।

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम/पता	लाभार्थी के पति का नाम/पता
6	श्रीमती राग तिवारी सरोज पुत्री स्व0 श्री नीगरू सरोज, ग्राम बरसे, पो0 बाघराय, जिला प्रतापगढ़।	श्री हीरालाल सरोज पुत्र श्री छोटे लाल सरोज, ग्राम रायपुर, पो0 बसवाही, कुण्डा, प्रतापगढ़।
7	श्रीमती रामपती पुत्री स्व0 श्री राम बहादुर, निवासी ग्राम कोसी, पो0 खनदरी, कुण्डा, जिला प्रतापगढ़।	श्री बांके लाल यादव पुत्र श्री बेनी प्रसाद यादव, ग्राम रायपुर भरखी, पो0 बरावाह, जिला प्रतापगढ़।

पी0एस0यू0पी0-एल0 134 विधान सभा (261)-12-11-2010-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।